Thursday, 10 May, 1979

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

6th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 27 में अंक 51 से 59 तक हैं]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद विवाद का हिन्दी संस्करण दिनांक 10 मई, 1979/20 वैशाख, 1901 (शक) का शुद्धिपत्र

पृष्ठ 104, प्रश्न संख्या 10487 में "श्री वसन्त साठे" के स्थान पर "श्री वसन्त साठे" पढ़िये ।

पृष्ठ 105 पंक्ति 1, "समम्द्र कुन्डू" के स्थान पर "श्री समरेन्द्र कुन्डू" पढ़िये ।

पृष्ठ 112 "दिल्ली में मलेरिया" शीर्ष वाले प्रश्न की संख्या "10494" पढ़िये ।

पृष्ठ 114 पंक्ति 17 "स्थगन प्रस्ताल के बारे में" के स्थान पर "स्थगन प्रस्ताव के बारे में" पढ़िये ।

पृष्ठ 158 पंक्ति 8 "(श्री एन० के० शेजवालवर पीठासीन हुए)" के स्थान पर "(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)" पढ़िये ।

पृष्ठ 200 पंक्ति 5, "(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)" के स्थान पर "(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)" पढ़िये ।

विषय सूचि

अंक 54, गुरुवार, 10 मई, 1979/20 वैशाख, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1073, 1075, 1076 और 1079 से 1082	1–15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 1074, 1077, 1078 और 1083 से 1092	16–24
अतारांकित प्रश्न संख्या : 10365 से 10494	25–113
अतारांकित प्रश्न संख्या 2523 दिनांक 8-3-1979 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	114
स्थगन प्रस्ताव के बारे	
"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर दादरी रेलवे स्टेशन पर 9-5-1979 को हुआ आक्रमण"।	114–130
सभा पटल पर रखे गये पत्र	131
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति कार्यवाही वृतान्त	
विधेयकों पर अनुमति,	131
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	132–144
रेल कर्मचारियों द्वारा बोनस की अपनी मांग के समर्थन में किये गये प्रदर्शन का समाचार	
श्रीमती मृणाल गौरे	132
प्रो० मधु दण्डवते	135
श्री कंवर लाल गुप्त	137
श्री विजय कुमार मल्होत्रा	140
श्री अमर सिंह वी० राठवा	142
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति 19वां प्रतिवेदन	144
सूती कपड़े और सूती धागे के मूल्यों में कमी के बारे में वक्तव्य	144–147
सभा का कार्य	147–155
गोवा, दमन और द्वीव बजट—1979-80 विवरण प्रस्तुत करना	155–158
व्यय आयोग की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य	158–159

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा म उसी सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले 159–164

(एक) बाढ़ नियंत्रण के लिये वनों के संरक्षण के बारे में
डा० रामजी सिंह 159

(दो) बोरियों की कथित कमी के कारण किसानों और व्यापारियों को हो रही कठिनाई
श्रीमती चन्द्रावती 160

(तीन) बोइंग विमानों की मरम्मत करने की व्यवस्था को डमडम से हटा कर हैदराबाद ले जाना
श्री चित्त बसु 160

(चार) तमिलनाडु में धान का वसूली मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता
श्री सी० एन० विश्वनाथन 161

(पांच) महाराष्ट्र में विद्युत् संदाय में कथित कटोती तथा उसका उद्योगों पर प्रभाव
श्रीमती मृणाल गौरे 162

(छः) पश्चिम बंगाल में मारीचझापी में हरिजन शरणार्थियों की दशा
प्रो० समर गुह 162

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के 23वें और 24वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव 164–181

श्री पवित्र मोहन प्रधान 164
श्री सूरज भान 165
श्री टी० बालकृष्णैया 172
श्रीमती अहिल्या पी० रंगनेकर 176
श्री आर० एल० कुरील 181

स्थगन प्रस्ताव :

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर किये गये आक्रमण का कथित मामला 182–239

श्री जी० एम० बनातवाला 182
श्री विजय कुमार मल्होत्रा 187
श्री पी० एम० सईद 189
श्री बसंत साठे 191
प्रो० समर गुह 193
श्री सी० के० चन्द्रप्पन 196
श्री अनन्त राम जायसवाल 198
श्री यशवन्त राव चव्हाण
श्री रामजी लाल सुमने 204
श्रीमती अहिल्या पी० रंगनेकर 206
श्री सैयद लियाकत हुसैन 207
श्री राज नारायण 208
श्री मोहम्मद शफी कुरैशी 211

विषय | पृष्ठ

विषय	पृष्ठ
डा० मुरली मनोहर जोशी	214
डा० वी० ए० सईद मुहम्मद	219
श्री कंवर लाल गुप्त	221
श्री एच० एम० पटेल	223
आधे घण्टे की चर्चा	
स्वदेशी पोलीटेक्स लिमिटेड के विरुद्ध कथित आरोप	239–244
श्री भानु कुमार शास्त्री	241
श्री शांति भूषण	244

लोक सभा

गुरुवार, 10 मई, 1979/20 वैशाख, 1901 (शक)

लोक सभा दस बजकर 37 मिनट पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेल के माल डिब्बे

*1073. **श्री इकबाल सिंह ढिल्लों** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल के माल डिब्बों की आवश्यकता और उनकी उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मांग की पूर्ति के लिये और अधिक माल डिब्बे उपलब्ध करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्री (प्रो मधु दंडवते) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां । योजना आयोग द्वारा वर्ष 1977 में गठित रेलों पर कार्यकारी दल ने 1978-83 की पंचवर्षीय अवधि में, 31-3-1978 को उपलब्ध बड़ी लाइन और मीटर लाइन के 5,32,424 माल डिब्बों के अलावा अतिरिक्त और बदलाव दोनों खातों में 1,12,025 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। लेकिन, योजना आयोग ने 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के मसौदे में केवल 73,000 माल डिब्बों की व्यवस्था की है ।

(ख) रेलों द्वारा माल डिब्बों की खरीद की व्यवस्था प्रत्येक वर्ष यातायात की मांग और धन की उपलब्धता को देखते हुए की जाती है । वर्ष 1979-80 के बजट अनुमानों में निधियों के नियतन के अनुरूप, इस वर्ष के दौरान चौपहियों के हिसाब से 13,100 माल डिब्बों की खरीद की योजना बनायी गयी है ।

श्री इकबाल सिंह ढिल्लों : अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी दल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 1978-83 की पंचवर्षीय अवधि में 31-3-1978 को उपलब्ध बड़ी लाइन और मीटर लाइन के 5,32,424 माल डिब्बों के अलावा अतिरिक्त और बदलाव दोनों खातों में 1,12,025 डिब्बों की

आवश्यकता है। योजना आयोग ने 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में केवल 73,000 माल डिब्बों का प्रावधान किया है। माल डिब्बों की सप्लाई कम है, जबकि उनकी मांग अधिक है। पंजाब का ही उदाहरण ले लीजिए। पत्थर के कोयले के लिये हमें 57,000 माल डिब्बों की आवश्यकता और हार्ड कोक के लिए 12,000 माल डिब्बों की। किन्तु खान मंत्रालय ने पत्थर के कोयले के लिए केवल 36,000 तथा हार्ड कोक के लिए 6600 माल डिब्बे आवंटित किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न से सम्बन्धित बातें कीजिए।

श्री इकबाल सिंह ढिल्लों : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अन्य प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं।

श्री इकबाल सिंह ढिल्लों : हमारे क्षेत्र के लिए इस प्रश्न का अधिक महत्व है।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि 1978 में केवल 50 प्रतिशत माल डिब्बे उपलब्ध किए गए। हमारे प्रावधान में 50 प्रतिशत की कमी कर दी गई थी। किन्तु रेल मंत्रालय ने उसमें पुन: 50 प्रतिशत और कमी कर दी। हमें हमारी माल डिब्बों की कुल अनुमति आवश्यकता का लगभग 25 प्रतिशत ही प्राप्त हो रहा है। माननीय मंत्री एक सक्षम व्यक्ति हैं। वह हमारी मांग को पूरा कर सकते हैं। पंजाब से हम लगभग 70 लाख टन चावल तथा गेहूं केन्द्रीय पूल में दे रहे हैं। देश के लिए खाद्यान्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यदि हम खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं और खुले में पड़े रहें तो खाद्यान्न के खराब और इसके कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? हम चाहते हैं कि प्रति माह कम से कम 5 लाख टन खाद्यान्न पंजाब से इधर उधर भेजा जाना चाहिए ताकि वहां से प्रति वर्ष 60 प्रतिशत खाद्यान्नों को इधर उधर भेजा जा सके। मंत्री जी को ज्ञात होना चाहिए कि 1978 में पंजाब से केवल 3.5 लाख टन खाद्यान्नों को प्रति माह इधर उधर भेजा गया। यह प्रारम्भिक यातायात है। अंतिम बिन्दु ट्रैफिश के लिए हमें कोयला नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री इकबाल सिंह ढिल्लों : पंजाब से प्रारम्भिक तथा अन्तिम बिन्दु ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

प्रो० मधु दंडवते : मैंने प्रश्न काल के दौरान माननीय सदस्य की प्रारम्भिक बात ध्यान से सुनी है। प्रथम भाग में उन्होंने मेरे लिखित विवरण को मौखिक रूप से दोहराया है। मैंने जो आंकड़े दिए हैं वे योजना आयोग द्वारा नियुक्त प्रारम्भिक ग्रुप पर आधारित हैं। उनके प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर यह है कि यह सही है कि कतिपय कठिनाइयों को दूर किया गया है। प्रारम्भ में जब कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और प्रावधान किए गए थे तो जैसा कि उन्होंने स्वयं बताया है, उनका निर्धारण इस विचार के आधार पर किया गया था कि माल डिब्बों में 11.7 दिनों की कमी होगी। यातायात ढांचे में परिवतन होने के कारण माल डिब्बों की कमी 14 5 दिन से भी अधिक बढ़ गई है। 13 दिनों के आधार पर योजना आयोग का हाल ही में पुनर्गठित ग्रुप अब माल डिब्बों की आवश्यकता का अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा है और उन्होंने 1,58,525 माल डिब्बों का अनुमान लगाया है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि वे संभवत: इन आवंटनों के आधार पर 92,500 माल डिब्बों की सिफारिश करेंगे। हम यह नहीं बता सकते कि अंतिम रूप से कितने माल डिब्बों का आवंटन किया जायेगा। हम निरंतर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि योजना आयोग से अधिकाधिक प्रावधान प्राप्त किया जाये और आवश्यकता को पूरा किया जा सके। जहां तक निर्धारित क्षमता का सम्बन्ध है, अंत में मैं यह कह

दूं कि निलाम्बित आदेश के अतिरिक्त यह क्षमता केवल 22,760 माल डिब्बों की है जबकि 1-4-79 को यह 27,377 माल डिब्बों की थी और हमने अतिरिक्त आदेश 21,000 माल डिब्बों का दिया और यदि उन सबको जोड़ दिया जाये तो यह संख्या 48,377 बैठती है । हम कमी को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे ।

श्री इकबाल सिंह ढिल्लों : खाद्यान्नों के लिए आर आर केवल आठ स्टेशनों पर जारी की जा रही है । जबकि हमारी जरूरत इन्हें 50 प्रतिशत स्टेशनों से भी अधिक पर जारी करने की है । मेरे ख्याल से अधिक स्टेशनों पर आर आर जारी करने के लिए प्रबन्ध करने में मंत्री जी को बहुत समय लगेगा ।

प्रो० मधु दंडवते : हम इसमें कम से कम समय लगाने का प्रयास करेंगे ।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी का इस बात का पता है कि माल डिब्बों की कमी के कारण पूर्वी क्षेत्रों में, विशेषकर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथ त्रिपुरा में आवश्यक वस्तुओं की अत्याधिक कमी है । आवश्यक वस्तुओ को ले जाने के लिए माल डिब्बों की कमी पूरी करने हेतु मंत्री महोदय कौन-कौन से विशेष कदम उठा रहे हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : यह सही है कि जहां तक पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां कुछ कठिनाइयां हैं । हाल ही में मेरी त्रिपुरा के मुख्य मंत्रि तथा मिजोरम और आसाम के मंत्रियों से बात चीत हुई और अब हम नई व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके द्वारा वस्तुओं को बड़ी लाइन द्वारा बोंग गांव तक लाया जायेगा और वहां से उन वस्तुओं को ट्रकों आदि द्वारा इधर उधर भेजा जायेगा । इस बारे में हम रक्षा मंत्रालय से भी संपर्क स्थापित कर रहे हैं । ताकि हमें उनसे कुछ ट्रक मिल सकें । उनके पास 8,000 से अधिक ट्रक हैं । उन ट्रकों का उपयोग हम आवश्यक वस्तुओं को नाजुक क्षेत्रों तक पहुचाने के लिए करेंगे । यह कार्य मानसूनों के आने से पहले हो जाना चाहिए । हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये वस्तुएं वहां ठीक समय पर पहुंचायी जाय ।

श्री सी० एन० विश्वानाथन : मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार उन्होंने लगभग 40,000 माल डिब्बों के लिए आदेश दे दिया है । वास्तव में सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार योजना आयोग ने 1979-80 के लिए 13,900 माल डिब्बों की व्यवस्था करने के लिए कहा है । किन्तु शायद यह माल डिब्बों की कुछ आवश्यकता का 9 प्रतिशत भी न हो । दक्षिण में, विशेष कर तापीय केन्द्रों से कोयला उठाने के लिए माल डिब्बों की भारी मांग है । रेल मंत्री हमें बताए कि 13,000 माल डिब्बों में से उन्हें अब तक कितने डिब्बे प्राप्त हुए हैं और दक्षिण रेलवे को कोयला तथा नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं को ढोने के लिए कितने दिये गये हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक 1979-80 के बजट प्रावधानों का सम्बन्ध है, उनके अनुसार सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में 13,100 माल डिब्बों का उत्पादन करना है । छठी योजना में 73,000 माल डिब्बों के निर्माण का लक्ष्य है । निस्संदेह इसके आधार पर हमें निर्धारित क्षमता से भी अधिक के लिए आदेश देना है । 48,000 तथा 21,000 माल डिब्बों का आदेश लम्बित पड़ा हुआ है । मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमें ये माल डिब्बे मिल जायें तो हम समस्या हल

करने में समर्थ हो जायगे। केवल एक ही बाधा है और वह यह है कि अजब निर्मित माल डिब्बे तैयार भी रहते हैं तो उनमें से कुछ पहियों के न लगाए जाने के कारण जहां के तहां पड़े रहते हैं। हमारी कठिनाई यह है कि जहां तक पहियों का सम्बन्ध है............

अध्यक्ष महोदय : इसका उद्देश्य आप पहले कर चुके है।

प्रो० मधु दंडवते : हां मैं इसका उल्लेख कर चुका हूं और इसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं इसे दोहरा सकता हूं। वैसे मैं तो सभा में इस बारे में कई बार आंकड़े दे चुका हूँ।

श्री सी० एन० विश्वानाथन : मैंने पूछा था कि 1979-80 में 13,000 माल डिब्बों में से आपको कितने डिब्बे प्राप्त हुए हैं,

प्रो० मधु दंडवते : जहां क वर्ष, 1979-80 का सम्बन्ध है, यह साल अभी अभी आरम्भ हुआ है..............

श्री सी० एन० विश्वनाथन : पांच महीने तो बीत चुके हैं।

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक माल डिब्बों के लिए अंतिम आदेश का सम्बन्ध है, मैं आपको बताता हूं कि हमने कौन कौन से आदेश दिए है। 1978-79 में 3 क्षेत्र में चार पहियों वाले 10,470 माल डिब्बों का निर्माण हुआ तथा रेल कर्मशालाओं में 1586 माल डिब्बों का। यह हमारी क्षमता से अधिक है। अत: हमें वास्तविक रूप से 12,056 माल डिब्बे प्राप्त हुए।

(व्यवधान)

जहाजों की डिलिवरी में विलम्ब

1075. **श्री सुरेन्द्र विक्रम**
श्री जनार्द्धन पुजारी : क्या **नौवाहन और परिवाहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित किये जा रहे 75,000 डी० डब्ल्यू० टी० जहाजों की डिलीवरी में विलम्ब किये जाने के मुख्य कारण क्या है ;

(ख) अन्य जहाज कौन से है जिनका डिलीवरी का समय हो चुका है लेकिन उन की डिलीवरी अवधि में अत्यधिक बिलम्ब हो जाएगा,

और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है जिसके कारण भारी वित्तीय हानि होनी है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) औ (ग) शिपयार्ड ने 75,600 डी० डब्लू० टी० के सर्वप्रथम जहाज, जो अब तक भारत में निर्मित सबसे बड़ा जहाज है, का निर्माण 30 महीनों में पूरा करने की योजना बनायी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फरवरी,

1976 में ही इस जहाज की कील बिछाई गई थी, हांलांकि उस समय तक बिल्डिंग डाक सहित सभी सुविधाएं पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थीं। शिपयार्ड निर्धारित समय के भीतर जहाज की डिलीवरी नहीं दे सका जिसका मुख्य कारण यह था कि निर्माताओं ने 150 टन की गोलियाथ मंत्री क्रेन को चालू करने में देरी कर दी थी। पहली दफा इस क्रेन का निर्माण अपने ही देश में किया जा रहा है। जहां तक लक्ष्य पूरा न करने में अधिकारियों की जिम्मेदारी का सवाल है, सरकार मामले पर विचार कर रही है।

(ख) आज की तारीख में किसी अन्य जहाज की डिलीवरी करनी बाकी नहीं है। दूसरे जहाज का निर्माण पहले ही शुरु हो चुका है और 150 टन की क्रेन के चालू हो जाने से आशा है कि काम बिना अत्यधिक विलम्ब के पूरा हो जाएगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 150 टन क्रेन तयार न होने के कारण जहाजों का निर्माण समय पर पूरा नहीं हो सका। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इंजीनियर जो इस के लिए उत्तरदायी हैं उन्होंने इन क्रेनों की पहले आवश्यकता नहीं समझी?

श्री चांद राम : आवश्यकता तो समझी थी लेकिन क्योंकि ये देश में पहली बार बनाए जा रहे हैं, इसलिए कुदरती तौर पर देर हुई है। अगले महीने यानी जून के महीने में इस को कमीशन कर दिया जाएगा। पहला जो एक ट्रायल हुआ है, उस में वह पास नहीं हो पाया अब दूसरा ट्रायल जन में होगा और शायद वह उस टैस्ट में पास हो जाए।

श्री सुरेन्द्र विक्रम : मै जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों ने, जिन्होंने यह विलम्ब किया है और जिस विलम्ब के कारण हजारों रुपयों का गोलमाल हुआ होगा क्योंकि न्याय देने में विलम्ब करने का अर्थ न्यापन देना है और इसी प्रकार "निर्माण" में विलम्ब करने का अर्थ निर्माण न करना है। उन के खिलाफ क्या कार्यवाही आप ने की है। आप निश्चित बनाएं कि जो लोग इस के लिए रेस्पोंसीबिल हैं, उन के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है? जो रेस्पोंसीबिल पाए जाएंगे, उन के खिलाफ़ आप कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री चांद राम : इस के बारे में मै दो बार गया हूं और क्रेन को भी मै ने देखा है। जो क्रेन सन् 1978 में कम्पलीट होने चाहिए थे, वह अभी तक नहीं हुए हैं और उन के जन 1979 में कम्पलीट होने की उम्मीद है। जहां तक डिले का सवाल है, उस के लिए काफ़ी चिन्ता रही है और क्रेन के न बनने की बजह से जहाजों के बनने में भी डिले हुई है। पहले ये क्रेन पूरे हो जाएं, फिर बाद डिले के लिए रेस्पोन्सीबिल लोगों के बारे में जांच करेंगे।

श्री सुरथ बहादुर शाह : मंत्री महोदय के जवाब से सम्बन्धित मेरा सवाल है। जब कार्य आरम्भ किया गया था और उसे पूरा करना था तो क्या उन्हें पता नहीं था कि इसके लिए क्रेन की आवश्यकता पड़ेगी?

उन्होने अपने उत्तर में कहा है कि क्रेन के पूरा हो जाने के बाद काम हो जाएगा, मगर मैं जानना चाहता हूं कि क्या क्रेन के बगैर ही काम शुरू हो गया था?

श्री चांद राम : कुछ काम ऐसा है, कि जो क्रेन के बगैर शुरू हो सकता था। ऐसा अन्दाजा था कि जब तक क्रेन बन कर पूरा होगा, बाकी का जहाज काम पूरा हो जाएगा लेकिन क्रेन पूरा नहीं हुआ। अब जब क्रेन बन कर तैयार हो जाएंगे, तब जो फाइनल स्टेजेज में शिप बनाना है यह हो पाएगा। इसलिए शिपयार्ड बनता रहा है और साथ साथ क्रेन भी बनते रहे हैं लेकिन ट्रायल में सही उतरने पर जहाज का जो ऊपर का हिस्सा है, बाकी जो हिस्सा रह गया है, जो अभी नहीं बन पाया है, वह पूरा किया जाएगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्रीमान अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि क्रेन का कार्य ठीक समय पर पूरा नहीं किया जा सका। किन्तु इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या यह सरकार की या सम्बंधित प्राधिकार की गलत आयोजन का परिणाम नहीं है। जिन्होंने काफी समय पहले इस बात को नहीं समझा कि जलयानों के निर्माण के लिए क्रेन की आवश्यकता पड़ती है ? दूसरे, जब यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई तो उन्होंने क्या कार्यवाही की और जब माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है तो फिर वह बताएं कि क्रेन के निर्माण में हुए विलम्ब के लिए जिम्मेदार कौन है। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि वे देशी तरीके से क्रेन के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे इसी कार्य में बुरी तरह असफल रहे हैं। मैं इस पर मंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री चांद राम : इस क्रेन का निर्माण कार्य जनवरी, 1973 में आरम्भ हुआ था और इसे 24 महीनों में अर्थात् जनवरी, 1975 तक पूरा किया जाना था। किन्तु किन्ही कारणवश इसे पूरा नहीं किया जा सका।

(व्यवधान)

जैसा कि मैंने कहा है, यह अपने किस्म की पहली क्रेन है, जिसका भारत में निर्माण किया जा रहा है और इसका ठेका चिन्त राम एण्ड कम्पनी को दिया है जो कि इस क्रेन का निर्माण कर रही है। इस बारे में तकनीकी जानकारी कम्पनी के पास तत्काल उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कुछ विदेशी सहयोगियों से सहयोग किया है। इस कम्पनी को कुछ श्रमिक तथा तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हम शिपयार्ड के चेयरमैन पर दबाव डाल रहे हैं कि इसका निर्माण ठीक समय पर कर दिया जाये। परन्तु इसे पूरा नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

मैं क्या कह सकता हूं ? कई कानूनी जटिलताएं हैं। यदि मैं आदेश रद्द कर देता तो वह न्यायालय में जाकर अनावश्यक रूप से मुकदमा कर देता जिससे इस कार्य की प्रगति में बाधा पहुंच जाती। कई समस्याएं हैं। इसलिए इसमें विलम्ब हो गया। अब मुझे आशा है कि जून के मध्य तक यह कार्य पूरा हो जायेगा।

उपचार की प्राचीन "अम्ची" प्रणाली

*1076. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ही उपलब्ध जड़ी बूटियों तथा दबाव युक्त पौधों और अन्य प्राकृतिक तत्वों पर आधारित, लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचलित "अम्ची" उपचार के प्राचीन विज्ञान को विकसित करने तथा प्रोत्साहित करने की है ;

(ख) "अम्ची" पद्धति के संबंध में अनुसंधान तथा जांच के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ; और

(ग) क्या लद्दाख में एक अनुसंधान संस्थान के लिये पर्याप्त निधि प्रदान की जायेगी और "अम्ची" चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने तथा वित्तीय सहायता देने तथा इसी प्राचीन सुविख्यात पद्धति को लुप्त होने से बचाने हेतु अन्य क्या सुझाव दिये गये है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् आमची पद्धति के विकास तथा प्रोत्साहन के लिए जम्मू/लेह में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र खोलने पर विचार कर रहा है और इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित धन दे दिया गया है।

श्रीमती पार्वती देवी : अध्यक्ष महोदय, 49 वें आयुर्वेद महा सम्मेलन के उद्‌घाटन भाषण में प्रधान मंत्री जी श्री मोरारजी देसाई ने कहा था—'आयुर्वेद सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। उसके पूरे उपयोग से ही हम सारी जनता को स्वास्थ्य के साधन पहुचा सकते हैं। आयुर्वेद को हम विशेष कर अपने देहातों में ज्यादा लोगों को पहुंचा सकते हैं।

लद्दाख में अमची एक प्रकार से आयुर्वेद पद्धति है। वह वनस्पति तथा जड़ी बूटी पर आधारित है। इसका उपयोग राष्ट्र के लिए हितकारी है। लेह में एक अमची रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है किन्तु उसके लिए धन की कमी है। वहां स्टाफ भी पूरा नहीं है और बिल्डिंग की भी कमी है। मै जानना चाहती हूं कि लदाख के इस प्राचीन विज्ञान को लुप्त होने से बचाने के लिए क्या सरकार इस रिसर्च सेंटर का विस्तार करेगी ताकि अमची के विद्वान गांव वालों को और सहयोग पहुंचा सकें ? इस वर्ष कितनी रकम अमची रिसर्च सेंटर को दी गई है और उसके विस्तार के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

अध्यक्ष महोदय : यह आयुर्वेद की एक पद्धति है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को बनाये रखने के लिये आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में सरकार पूरी तरह से सचेत है। यह पद्धति माननीय सदस्य द्वारा बताये गये क्षेत्र में प्रचलित है। जैसा कि माननीय सदस्य ने भी बताया है लेह में एक अमची" अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाये गये है। सबसे पहले अमची चिकित्सा पद्धति की दुलर्भ पाण्डुलिपियों का पता लगाकर विद्यमान साहित्य का, जिसमें इस चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया गया है, अध्ययन करना, उनका अनुवाद करके अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराना, सर्वेक्षण करके जड़ी बूटियों, खनिजों तथा अन्य द्रव्यात्मक पौधों, जिनको इस 'अमची' चिकित्सा पद्धति में उपयोग में लाया जा रहा है तथा उपयोग में लाया जा सकता है का पता लगाना है ये सभी कदम सरकार द्वारा उठाये गये हैं। इसके अतिरिक्त अब जम्मू –लेह में भी एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र को स्थापित करने का निश्चय किया गया है। इस समय एक अनुसंधान केन्द्र विद्यमान है। लेकिन अब प्रस्ताव यह है कि एक पूर्ण विकसित क्षेत्रीय अनुसंधान को जम्मू–लेह में स्थापित किया जाय। यह केन्द्र लेह के 'अमची' अनुसंधान केन्द्र के विकास कार्य को बढ़ाने की भी देखभाल करेगा। इसलिए यह बात स्पष्ट है कि इस चिकित्सा पद्धति की साधन क्षमता और व्यावहारिकता का पता लगाने के बारे में अधिक से अधिक ध्यान देने की ओर कदम उठाये जा रहे हैं।

श्रीमती पार्वती देवी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अमची' चिकित्सा पद्धति में जानकारी देने वाली सरल हिन्दी और अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित करने पर क्या सरकार विचार करेगी ताकि सारे देश की जनता और विशेष कर गावों में रहने वाले लोगों में यह अधिक लोक प्रिय हो सके ?

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इस साल इसके लिये कितनी रकम रखी गई है ?

श्री रविन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य के पहले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि इस समय इन पाण्डुलिपियों को जो कि अधिकतर तिब्बती भाषा में हैं, पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पता लगाने के पश्चात् पाण्डुलिपियों को हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने का प्रयास किया जा रहा है । जिससे इस बात की सुनिश्चित किया जा सके । कि अधिक से अधिक चिकित्सा तथा सामान्य लोग भी इस प्राचीन तथा चिकित्सा की उपयोग पद्धति से परिचित हो सकें ।

इस समय क्षेत्री अनुसंधान केन्द्र में 2.28 लाख रु० खर्च करने का प्रस्ताव है । जब कि इन पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित करना संभव होगा तभी आवश्यक धन दे दिया जायेगा ।

श्री बापूसाहेब पेरूलूकर : प्रश्नोत्तर के बावजूद भी मैं 'अमची' क्या है, और इसके द्वारा किस रोग का इलाज किया जायेगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सका हूं? इसके बारे में एक सदस्य तथा मंत्रियों को ही जानकारी प्राप्त होने के बजाय सभी माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिये । हम इसकी जानकारी प्राप्त करने को इच्छुक हैं ।

श्रीमती आहिल्या पी० रांगनेकर : सवालों का जवाब देने के लिये न तो स्वास्थ्य मंत्री ही मौजूद है और न भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री । उनको मौजूद होना चाहिये था ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : सरकार की ओर से प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है । यह कोई बात नहीं है कि इसका कौन सा मंत्री उत्तर दे रहा है । यदि माननीय सदस्य कोई अनुपूरक प्रश्न करते हैं और अध्यक्ष महोदय उसकी अनुमति देते हैं तो मुझे उसका उत्तर देने में अत्यन्त खुशी होगी ।

'अमची पद्धति' चिकित्सा पद्धति की एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है । यह तिब्बत सीमा पर लद्दाख तथा अन्य क्षेत्रों में प्रचलित है । यह विश्वास किया जाता है कि ('अमची' पद्धति में कई मूल कार्य आयुर्वेदिक तथा इस क्षेत्र में किये गये और अध्यक्ष, प्रयोग तथा नई फौजों के फल स्वरूप प्राप्त किए गए ज्ञान पर आधारित हैं, किन्तु. . . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह चिकित्सा पद्धतियों में से एक पद्धति है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आप मुझसे और क्या कहलवाना चाहते हैं ? यदि यह प्रश्न काल ही न होकर उपवास काल भी है तो मैं उसके लिये भी तैयार हूं ?

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है आप दोनों इसके लिये तैयार हों, लेकिन मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जो भी हो, इसका श्रेय आपको ही जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अन्य पद्धतियों की भांति यह भी एक पद्धति है।

श्री बापूसाहेब परुलेकर : इसकी दवाओं को किस रोग के उपचार हेतु दिया जाता है, इसका उत्तर नहीं दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। मान लीजिये यह एक आयुर्वेदिक पद्धति है, इसका किस रोग के उपचार हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, क्या आप इस बात का उत्तर दे सकते हैं ?

श्री रवीन्द्रम वर्मा : मैं इस बात को दो वाक्यों से स्पष्ट कर सकता हूं। चिकित्सा की इस पद्धति को उस क्षेत्र में प्रचलित सभी सामान्य बीमारियों के उपचार हेतु काम में लाया जाता है। लेकिन इस विशेष रूप से गठिया रोग तथा आमाशय--आंत की बीमारियों के उपचार के लिये विशेष रूप से जाना जाता है। यदि और किसी जानकारी के बारे में दोबारा बताने की आवश्यकता है और यदि आप किसी अन्य प्रश्न के लिये अनुमति देते हैं तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

मेघालय में जड़ी बूटियां

*1079. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेघालय तथा विशेषकर गारी पहाड़ियों में उगने वाले पोधों और विभिन्न किस्म की चिकित्सीय जड़ी बटियों के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या इस संबंध में अब तक कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) क्या इन चिकित्सीय पोधों के संरक्षण, वृद्धि और उनका विस्तार करने तथा उनका वाणिज्यिक उपयोग करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) भारत सरकार को मेघालय में चिकित्सीय जड़ी बूटियां होने की सामान्य जानकारी है।

(ख) कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में चल रहे अनुसंधान अध्ययनों के लिए अपेक्षित कतिपय जड़ी बूटियां एकत्र करने के लिए कुछेक दल मेघायलय गये थे।

(ग) फिलहाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी० ए० संगमा : मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि मेघालय में विद्यमान चिकित्सीय पौधों तथा जड़ी बूटियों के बारे म सरकार को पूरी जानकारी है लेकिन इस

सम्बन्ध में मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि मुझे कृषि, जिसको हमारे क्षेत्र में स्थानान्तरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है, को विशिष्ट पद्धति के कारण मेघालय, विशषकरा मेरे जिले गारो पहाड़ी जिले में ये चिकित्सीय पौधे इस सीमा तक नष्ट हो गये है कि इस समय ये पौधे प्रायः पूरी तरह से लुप्त होते जा रहे हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने यह कहा है कि इन चिकित्सीय पौधों के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया गया है । लेकिन मुझे याद है कि जोरहाट में स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र द्वारा इन पौधों के वगैरे में एक सर्वेक्षण किया गया था और उनको यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये चिकित्सीय पौधे अब भी वास्तव में वहां पर मौजूद है । हम कृषि तथा स्थानान्तरित कृषि द्वारा इन पौधों को नष्ट होने के खतरे को देखते हुए, मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कब तक किया जायेगा ? उस दल ने क्या रिपोर्ट पेश की है जो वहां पर दौरे पर गया था, तथा उसके क्या निष्कर्ष है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : असम के जंगलो में तथा पडोसी राज्यों के क्षेत्रों में चिकित्सीय वनस्पति का सर्वेक्षण करने के लिये राजकीय आयुर्वेदिक कॉलिज गोहाटी में एक परियोजना चल रही है । इस सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत मेघालय राज्य के बहुत से हिस्सों का सर्वेक्षण किया जा चुका है दलों ने वहां का सर्वेक्षण करके बहुत से पौधों का निरीक्षण किया है। इन सम्बन्धित पौधों के नामों को सभा में पढ़ने की शायद आप अनुमति नहीं देंगे । इसलिए मुख्य बात यह है कि सरकार को इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय पौधों तथा जड़ जुटियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी है । सरकार उनके अध्ययन करने, उनका सर्वेक्षण करने तथा उनका संरक्षण करने के बारे में चिंतित है।

अभी हाल ही में एक निर्णय लिया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों को स्थापित किया जाय, इनमें से एक आसाम में स्थापित किया जायेगा । इस केन्द्र असम के अन्तर्गत वह भी आ जाता है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। दूसरा केन्द्र अरूणाचल में स्थापित किया जायेगा । इन दोनों केन्द्रों के द्वारा चिकित्सा के काम में आने वाली वनस्पतियों का सही तरीके से सर्वेक्षण किया जायेगा।

माननीय सदस्य के पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि कोई भी नियमित सर्वेक्षण नहीं किया गया है । लेकिन मैंने यह नहीं कहा है कि कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। ऐसा इसलिये है, क्योंकि पहला सर्वेक्षण जो कि सामान्य सर्वेक्षण का एकभाग था किसी अन्य स्थान से किया गया था और वह विशिष्ट रूप से गारो पहाड़ी से सम्बन्धित नहीं था, जिसके सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने मुझे कृषि पद्धति के द्वारा इन जड़ीबूटियों तथा पौधों को खतरा होने की बात कही गई है । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि इन दुर्लभ जड़ीबूटियों तथा पौधों के संरक्षण तथा उनके उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये सरकार को कदम उठाने चाहिये।

श्री पी० ए० संगमा : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिये क्या कोई धनराशि स्वीकृत की गई है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : जो केन्द्र असम में स्थापित किया जायेगा उसके लिये 2.6 लाख रुपये निर्धारित किये गये है । इसके द्वारा इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जायेगा।

श्री बेदब्रत्त बरूआ : जो धनराशि उपलब्ध कराई गई है उसे यह पता चलता है कि वास्तव में कोई भी अनुसंधान करने का प्रस्ताव नहीं है । मंत्री महोदय केवल आयुर्वेदिक अनुसंधान पर ही निर्भर है। लेकिन यह एक चिकित्सीय अनुसंधान का मामला है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन जड़ीबूटियों के पौधों के सम्बन्ध में उपर्युक्त अनुसधान किया जायेगा क्योंकि आजकल सभी चिकित्सीय निष्कर्ष जड़ी-बूटियों पर निर्भर करते हैं इसलिए यह अनुसंधान बहुत ही आवश्यक है । वर्षाऋतु में सारा क्षेत्र जड़ीबूटियों से भरपूर होगा जिसको जन कल्याण हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुख्य प्रश्न सर्वेक्षण के बारे में पूछा गया था न कि चिकित्सा अनु-संधान के बारे में । सवक्षण के प्रश्न के सम्बन्ध में मने बताया है कि कौन-कौन से क्षेत्र में सर्वेक्षण किया जा चुका है और कौन-कौन से सर्वेक्षण किये जाने का प्रस्ताव है । जहां तक सामान्य अनुसंधान का प्रश्न है, निःसंदेह यह एक महत्वपर्ण प्रश्न है, जिसको अलग ढ़ंग से हल करना है।

श्री डो० एन० तिवारी : आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोगों का आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा उपचार किया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक एलोपैथी पद्धति जमा नहीं पाई है । यह इतनी महंगी है कि गांव के लोग इसकी दवाइयों को लेने का साहस नहीं कर सकते । हमें भी खेद है कि सरकार ने आयुर्वेद पद्धति की ओर उपेक्षा की नीति अपनाई हुई है।

अध्यक्ष महोदय : हम मेघालय तथा गारो पहाड़ियों की जड़ी-बूटियों की बात कर रहे थे।

श्री डो० एन० तिवारी : इस लिये जड़ी-बूटियों का पता करने के लिये उचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिये ताकि उनसे सही दवाइयां बनाकर गांव वालों को सस्ते मूल्य पर सप्लाई की जा सकें । इस सम्बध में सरकार ने क्या कार्य किया है?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जैसा कि आपको मालूम है, मुख्य प्रश्न मेघालय में सर्वेक्षण करने से सम्बन्धित था । महोदय, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की साधन क्षमता तथा हमारे इस क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सेवायें सुनिश्चित करने के लिये आयुर्वेद के विशेष महत्व की ओर सरकार को पूरी जानकारी है । मेरे विचार से इस को इस बात की जानकारी प्राप्त है कि विद्यमान असंतुलन को दूर करने के लिये आयुर्वेद पद्धति पर हाल की के वर्षों में अत्यधिक जोर दिया गया है । जहां तक इसके परिणाम का सम्बन्ध है, इतने कम समय में इसका निर्धारण करना संभव नहीं है । यह लम्बी अवधि का मामला है, लेकिन इसकी स्थिति बहुत ही स्पष्ट है तथा उसको नकारा नहीं जा सकता।

धनबाद--सिंदरी यात्री गाड़ी

*1080. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उन्हें पूव रेलवे में बरास्ता प्रधान-खान्ता -धनबाद-सिन्दरी यात्री गाड़ी चलाने के बारे में काफी समय से की जा रही मांग की जानकारी है जिसके लिए लाइनें पहले ही मौजूद हैं ; और

(ख) क्या इसकी लाभप्रदता की जांच करने के लिए इस दिशा में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) तक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) प्रधान खंटा के रास्ते धनबाद और सिन्दरी के बीच एक सवारी गाड़ी चलाने के लिए सुझाव की जांच की गयी है । सिंदरी के रास्ते प्रधान खुंटा से पाथरडीह तक का खंड केवल माल गाड़ियों के लिए उपयुक्त है और मुख्य रूप से सिन्दरी स्थित उर्वरक कारखाना को से कोयले तथा कच्चे माल तथा तैयार माल की ढलाई करने के लिए है । प्रधान खुंटा के रास्ते सिन्दरी तक सवारी गाड़ियां चलाने के लिए लगभग 95 लाख रु० की अनुमानित लागत से लाइन को यात्री गाड़ियों के लिए उपयुक्त बनाना पड़ेगा, इसके अलावा स्टेशनों, प्लेटफार्मों और गाड़ी रेकों की सर्विसिंग और अनुरक्षण के लिए टर्मिनल सुविधाओं के साथ साथ अन्य यात्री सुविधाओं की व्यवस्था भी करनी होगा । प्रधान खुंटा के रास्ते धनबाद से सिंदरी तक का क्षेत्र जिसमें से यह रेलवे लाइन गुजरती है, बहुत टिट-पुट आबादी वाला इलाका है । इसलिए यात्री गाड़ियां चलाने से सिंदरी से आने-जाने वाले कुछ ही यात्रियों को लाभ होगा और वाणिज्यिक रूप से इस अतिरिक्त व्यय का औचित्य नहीं है । सिन्दरी को धनबाद से जोड़ने के लिए अच्छी सड़क उपलब्ध है और सड़क सेवाएं कुशल तथा तेज हैं। यदि प्रधान खुंटा के रास्ते वर्तमान माल गाड़ी वाली लाइन पर धनबाद और सिंदरी के बीच यात्री गाड़िं चलायी जाती ह तो सड़क सेवा की अपेक्षा रेल गाड़ी से अधिक समय लगेगा, अतः इसके लोकप्रिय होने की कोई आशा नहीं है ।

श्री ए० के० राय : महोदय जिस किसी व्यक्ति ने धनवाद सिन्द्री सड़क पर यात्रा की होगी तो उसे इस वक्तव्य पर आश्चर्य न होगा । मेरा अनपूरक प्रश्न पूछने में उतनी रुचि नहीं है जितनी यात्री गाड़ी में। और आप जानते हैं कोई भी अनपूरक प्रश्न यात्री गाड़ी पैदा नहीं कर सकता । इस से केवल एक संतोषजनक नकारात्मक उत्तर प्राप्त हो सकता है।

श्री मान् पूरा वक्तव्य तथ्यों पर आधारित नहीं है । पूरा वक्तव्य पढ़ने से आश्चर्य होता है कि इस की आर्थिक दृष्टि से लाभदायकता पर सन्देह व्यक्त किया गया है। सिंद्री में सीसे बड़ी उर्वरक फैक्टरी है जिसकी जनसंख्या 50000 है और धनबाद 2 लाख की

जनसंख्या वाला एक औद्योगिक केन्द्र है जहां पर रेलवे लाइन पहले से है। रेलवे स्टेशन भी विद्यमान हैं तथा रेलवे लाइन 75000 लोगों वाले क्षेत्र से गुजरती है तथा वक्तव्य में बताया गया है कि उक्त क्षत्र छटपट आबादी वाला है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस लाइन पर यात्री गाड़ी चलाने की आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में कसौटी क्या है अथवा यह निर्णय कैसे किया गया है कि इस थोड़ी आबादी वाले क्षेत्र में यात्री गाड़ी चलाने की आर्थिक व्यवस्था नहीं है। इस निर्णय की कसौटी क्या है।

श्री शिव नारायण : महोदय धनबाद और सिन्द्री व रास्ता प्रधान खुंटा स्टेशन मार्ग पर रेल सेवा उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विस्तृत अध्ययन किया गया है परन्तु उन्हे निम्न कारणों से व्यवहार्य नहीं पाया गया ।

प्रधान खुंटा स्टेशन धनबाद-आसनसोल के मध्य मुख्य मार्ग पर धनबाद से 10 कि० मी० की दूरी पर है । प्रधान खंटा से सिन्द्री तक की लाईन केवल माल गाड़ियों के लिए उपयुक्त है तथा उसकी व्यवस्था मुख्यतः इस्पात संयंत्र को कोयला तथा मत्य कच्चा माल उपलब्ध करने तथा सिन्द्री से निर्मित वस्तुओं ले जाने के लिए की गई थी प्रधान खुंटा से लाइन पातथरडिह यार्ड को भी जोड़ती है जोकि मुख्य कोयला डिपू है। यदि प्रधान खुंटा रेलवे लाइन पर यात्री गाड़िया चलानी हैं तो यात्री गाड़ियों के लिए युक्त लाइन बनानी पडेगी। 10 कि० मी० की दूरी तक लाइन केवल कोयला ढोने के लिए है । हमें 1 करोड़ रुपए व्यय करने पड़ेंगे । बस सेवा रेल सेवा से बहुत अच्छी है । बस में आधा घंटा लगता है जबकि रेल में ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए अनावश्यक व्यय क्यों किया जाये।

श्री ए० के० राय : यह गम्भीर बात है कि इस पर ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए । मैं आपको दोष नहीं देता हूं । आप वही कह रहे हैं जो आप के कहने के लिए दिया गया है । परन्तु आपके पास गलत सामग्री है । यह मार्ग कोयला ढोने के लिए नहीं है । उस के लिए उनके पास दूसरी लाइन है दूसरी बात यह है कि उन्हें सिन्द्री कारखाने को कोयला ले जाना है पहले सिन्द्री संयंत्र कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र था । परन्तु अब उसे बदल कर नेफथा पर आधारित संयंत्र बना दिया गया है । अब सिन्द्री कारखाने को कोयला नहीं ले जाना है। वह मार्ग खाली होगा । धनबाद से सिन्द्री मार्ग छोटा नहीं है । यह मार्ग लगभग 18 मील तथा हैमुख्य कोयला क्षेत्रों से गुजरता है । और कोयले को ढोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तथ्यों की जानकारी ली जानी चाहिए । कोयला क्षेत्रों ने दुर्घटनाओं के कारण कई बार मार्ग अवरुद्ध हो जाता है । बी० सी० सी० एल० तो झारिया क्षेत्र खाली करने की भी योजना बनाई रही है ताकि इस क्षेत्र का समस्त कोयला लिया जा सके । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय व्यवहार्यता के बारे में पुनः विचार करगे उस क्षेत्र के लोगों के प्राप्त निधियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से अध्ययन करायेंगे ताकि सही स्थिति का पता लगाया जा सके।

श्री शिव नारायण : हमने सही स्थिति बता दी है । हम इस समय यह नहीं कर सकते ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी : पैसेंजर ट्रेन्ज के बारे में मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह एक विशेष भूखंड के बारे में है। हम देखते हैं कि हर महीने किसी न किसी नई फास्ट ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए बटन दबाया जाता है, जबकि पैसेंजर ट्रेन्ज के रेलवे मंत्रालय की बहुत उपेक्षा है। पैसेंजर ट्रेन्ज में स्थान न होने की वजह से लोग छत पर चढ़ कर यात्रा करते है। और इस कारण लोग वहां से गिर कर मरते रहते हैं। मंत्री महोदय रोज सर्वोदय एक्सप्रैस या किसी दूसरी एक्सप्रैस का उद्घाटन करते रहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पैसेंजर गाड़ियों की तरफ भी ध्यान दिया जायेगा।

श्री शिव नारायण : माननीय सदस्य ने एक जनरल क्वेस्चन पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : यह इस क्वेस्चन से नहीं उठता है।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि धनबाद से सिन्द्री बरास्ता प्रधान खुंटा का मार्ग मुख्य रूप से कोयला तथा अन्य माल ढोने के लिए है। परन्तु वहां पर रेलवे लाइन है, स्टेशन है। रेल मंत्री का राष्ट्र के प्रति कुछ सामाजिक दायित्व है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथा पिछड़ा क्षेत्र है उन्होंने कहा है कि उन्हें वहां पर 95 लाख रुपया लगाने पड़ेंगे। तब भी हम जानना चाहते हैं कि आप धनबाद में सिन्द्री यात्री गाड़ियां क्यों नहीं शुरू करते जबकि दोनों स्थान महत्वपूर्ण है। धनबाद कोयला क्षेत्र है और सिन्द्री औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र है। क्या आप औद्योगिक दृष्टि से विकसित दोनों स्थानों, धनबाद और सिन्द्री को यात्री गाड़ी से जोडने को तैयार हैं।

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही बता दिया कि इस में लाभ नहीं है। टेन किलोमीटर्स की डिस्टस के लिए यह मांग है। हमारे पास और इम्पार्टेंट सबजेक्ट्स हैं जिस के लिए हम ने बनाया है .... (व्यवधान) .. कोयला ढोने के लिए यह है। इम्पार्टेंस उस की यह है कि कोयला ढोना है और कोयला उन फैक्ट्रियों में पहुंचाना है। जहां तक पैसेंजर गाड़ियों का सवाल है, रेलवे मंत्रालय उस को इग्नोर नहीं कर रहा है।

आचार्य जे० बी० कृपलानी की चिकित्सा

*1081. **प्रो० पी० जी० मावलकर : क्या स्वास्थय और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आचार्य जे० बी० कृपलानी को प्रभावी, उपयुक्त समय पर तथा विशेषज्ञ चिकित्सा सुनिश्चित कराने हेतु कोई कदम उठाये थे ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या थे और उनके क्या परिणाम निकले और कितना व्यय हुआ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : आचार्य जे० बी० कृपलानी के अहमदाबाद में बीमार पड़ने पर गुजरात सरकार ने उपयुक्त उपचार के लिये तत्काल तथा प्रभावी कदम उठाये थे। उन्हें 27 मई,

1979 को अस्पताल में दाखिल किया गया था और वहां उनका यथासम्भव उत्तम उपचार किया गया । राज्य सरकार ने उनकी विशेष खुराक तथा दवाइयों आदि पर 1976 रुपय खर्च किये थे । अहमदाबाद में उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है और उन्हें 27 अप्रैल, 1979 को सरकारी विमान द्वारा अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, दिल्ली में लाया गया जहां उनका आगे उपचार किया जा रहा है अ र उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप किए गये व्यय के बारे में प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : राज्य सरकार में 1576 रुपए व्यय किये है।

प्रो० पी० जो० मावलंकर : मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे आदरणीय आचार्य कृपलानी जी का स्वास्थय सुधर रहा है। मुझे विश्वास है कि मै पूरी सभा का मैटर शायद पूरे राष्ट्र की भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा हूं जब मै उनके दीर्घ जीवन तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए कर रहा हूं । मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की । उन्ह एक महीने तक 27 मार्च से 27 अप्रैल तक अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में रखा गया । वह दूसरे देखने वालों की तरह मै भी कई बार उन्हें देखने गया तथा मैंने अनुभव किया कि वह ठीक हो रहे हैं । मुझे यह करते हुए खुशी है कि हमारे जिस साथी ने यह मामला उठाया है कि आचार्य जी को शीघ्र दिल्ली लाया जाये पर समझकर कि शायद अहमदाबाद में उनका ठीक इलाज नहीं हो रहा है । वास्तव में अपा को खुशी होगी कि उन्होंने न केवल इस सभा को जिसने उनके स्वास्थ्य पर चिन्ता व्यक्त की है धन्यवाद देने के लिए कहा है अपितु अहमाबाद में दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के लिए और उनके हजारों प्रशंसको को भी धन्यवाद दिया है । आपको मालूम है कि एक बार वह गुजरात विधापीठ के उप-कुलपति रहे हैं।

सरकार उन्हें अहमदाबाद सिविल अस्पताल से जहां उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थानान्तरित क्यों करना चाहते हैं। क्या यह इस कारण है कि उनके कुछ रोगों की चिकित्सा अहमदाबाद की अपेक्षा दिल्ली में अच्छी सुविधाएं है । क्या कारण है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि अहमदाबाद में आचार्य जी की अच्छी प्रकार चिकित्सा हो रही है । वास्तव में पहले ही दिन 26 मार्च को जब वह बीमार हुए तब मुख्य मंत्री महोदय ने परन्तु कार्यवाही की तथा उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की । जब 27 मार्च को यह पता चला कि उन्ह अस्पताल में दाखिल किया जाना आवश्यक है चंकि वह दमा, बुखार कमजोरी से पीड़ित थे उन्ह परन्तु सिविल अस्पताल में दाखिल कर दिया गया जहां पर वरिष्ठ डाक्टरों के दल ने उन की चिकित्सा की । आचार्य कृपलानी तथा उनके साथी इस बात से संतुष्ट थे वरिष्ठ डाक्टरों के दल द्वारा निष्ठापूर्वक उनकी चिकित की जा रही है। उनमें से कुछ आचार्य जी के छात्र रहे है तो इसलिए केवल इस कारण ही नहीं किन्तु इस कारण भी राष्ट्र की उनके प्रति सम्मान और स्नेह उनकी निष्टा पूर्वक चिकित्सा की गयी । अतः उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा न देने तथा अहमदाबाद जैसे शहर चिकित्सा

सुविधा उपलब्ध होने का प्रश्न ही नहीं था। परन्तु यह समझा जा रहा है कि उन्हें कुछ समय और अस्पताल में रखना पड़े अतएव यह सोचा गया कि उन्हें दिल्ली लाया जाये क्यों कि वह दिल्ली के निवासी हैं। यह निर्णय उनकी राय से किया गया क्योंकि उन्होंने भी अनुभव किया कि उन्हें दिल्ली आना चाहिए। इसलिए उन्हें आखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में लाया गया जहां उनकी आगे चिकित्सा की जा रही है। अब उनका स्वास्थ्य काफी ठीक है तथा उसमें सुधार हो रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले कार में थोड़ा सफर किया वह थोड़ा चल भी सकते हैं तथा उनकी हालत पहले से बेहतर है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं इतने विस्तृत उत्तर के लिए अपने मित्र को धन्यवाद देता हूं। आचार्य कृपलानी तथा लोकनायक जयप्रकाश जैसे व्यक्ति, हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं यदि उन्हें थोड़ा भी कष्ट होता है तो हमें अतीव चिन्ता हो जाती है मंत्री महोदय ने बताया है कि वह स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब जब कि वह दिल्ली में हैं मैं तथा श्री कामत उन्हें अस्पताला में मिलने गये तथा कुछ समय उनके साथ रहे, क्या मैं जान सकता हूं कि उनकी डाक्टरी परीक्षा से किसी बिमारी का पता चला है अथवा उनकी 93 की उम्र ही उनकी कमजोरी की जिम्मेदार है। यदि हां, तो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या विशेष कार्यवाही की है ताकि वह श्री जय प्रकाश की तरह हमारे मध्य वर्षों बने रहे?

श्री वसंन्त साठे : और इसका संबध आपातस्थिति से है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं नही समझ सका माननीय सदस्य निर्विवाद बातों को भी विवादस्पद क्यों बनाते हैं।

श्री रवींद्र वर्मा : यदि किसी की आत्मा स्वयं उसे कहती है तो माननीय सदस्य बुरा क्यों मानते है। जहां तक उनके मूल प्रश्न का सम्बध है सरकार यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता जानते हैं कि उनकी चिकित्सा तथा औषधि आदि के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी जाये। जहां तक बिमारी के बारे में उन्होंने पूछा है। उन्होंने स्वयं कहा है कि अधिक आयु के कारण भी यह है। इसके अलावा उन्हें लघु शंका में कठिनाई अनुभव हो रही है। उस पर ध्यान दिया जा रहा है तथा मैं नहीं, समझता कि अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता है। परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि आचार्य जी को अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं।

हिन्द महासागर में सोवियत संघ के युद्धपोत

*1082. **श्री चिमन भाई एच० शुक्ल**
श्री जी० वाई० कृष्णन } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 14 अप्रैल, 1979 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया कि सोवियत संघ का अधिक बल हिन्द महासागर में आ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) जी हां;

(ख) हमने सदैव यही कहा है कि हिन्द महासागर को एक शांति क्षेत्र बनाया जाना चाहिए जो बड़ी शक्तियों की नौसैनिक उपस्थिति और प्रतिद्वन्दिता से मुक्त हो । हमें बराबर इस बात का डर रहा है कि अगर एक बड़ी शक्ति की नौसैनिक उपस्थिति में वृद्धि होती है तो उसी के अनुरूप दूसरी शक्ति की नौसैनिक उपस्थिति में भी वृद्धि होती है । आज हम पहले से कहीं अधिक इस बात को महसूस करते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ को हिन्द महासागार में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को कम करके अन्ततः उसे समाप्त कर देने के उद्देश्य से बातचीत पुनः शुरू करनी चाहिए।

श्री चिमन भाई एच० शुक्ल : आदरणीय अध्यक्ष जी, कोसिगिन साहब जब भारत पधारे थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थीं, चाइना को गाली देने से भी बाज नहीं आए थे । दूसरी ओर इंडियन ओशन में रशियन टास्क फोर्स के आने की खबर है । मैं यह जनना चाहता हूं कि अमरीका के साथ बातचीत जब होगी तब होगी, अभी आप क्या करने के लिए सोच रहे हैं जिससे कि इंडियन ओशन में महाशक्तियों की होड़ न बढ़े ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सोवियत संघ के प्रधान मंत्री जब भारत पधारे थे तो हिन्द महासागर के बारे में चर्चा हुई थी । सोवियत संघ अमरीका के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए तैयार है । सोवियत संघ ने यह भी हमें सूचित किया है कि जब यूनाइटेड नेशन्स के तत्वावधान में तटवर्ती देशों का सम्मेलन होगा तो सोवियत संघ उसमें प्रेक्षक के रूप में भाग लेगा और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए वक्तव्य भी देगा।

लिखित उत्तर

दक्षिण में नाविकों के लिए रोजगार कार्यालय

1074. **श्री पी० त्यागाराजन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) मद्रास, केरल, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के नाविकों की कुल संख्या कितनी है, और

(ख) क्या सरकार ने दक्षिण में यूटीकोरिन, मद्रास आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर नाविक भर्त्ती करने के लिए रोजगार कार्यालय खोलने की व्यवहार्यता पर विचार किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री श्री चांद राम) : (क) तमिलनाड केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पांच हजार छह सौ पैंतीस ।

(ख) मद्रास में एक नाविक रोजगार कार्यालय खोलने पर विचार किया जा रहा था लेकिन प्रशासनिक और आर्थिक कारणों से इसे खोलना संभव न होने पर इस सुझाव को छोड़ दिया गया।

युगांडा में रह रहे भारतीयों की हुई क्षति

*1077. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री अनन्त दवे } क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या युगांडा में रह रहे भारतीय मूल के लोग सुरक्षित हैं अथवा वे वहां पर हुए उपद्रवों के दौरान उस देश से भाग गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे सभी व्यक्तियों ने, जो युगांडा छोड़कर चले गये थे, यगांडा में वापस आने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार द्वारा युगांडा की नई सरकार से इन्हें वापस आने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है ;

(घ) क्या बहुत से भारतीयों को सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ा था जो वहां पर आन्तरिक उपद्रवों के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी ;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर युगांडा की नई सरकार से बातचीत की है; और

(च) क्या भारत सरकार ने युगांडा की नई सरकार कौ मान्यता दे दी है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क), (ख) और (ग) : उगान्डा में हुए हाल के उपद्रवों के शुरू होने से पहले वहां लगभग 400 भारतीय नागरिक अपने परिवारों सहित रह रहे थे । सुरक्षा व्यवस्था के खराब होते ही उनमें से कई व्यक्ति स्वयं उगान्डा छोड़ कर चले गए । 30 मार्च और 2 अप्रैल, 1979 के बीच कम्पाला स्थित हमारे हाई कमीशन द्वारा किये गए प्रबन्धों के अन्तर्गत उनमें से लगभग 250 व्यक्तियों को कीनिया ले जाया गया ; उनमें से 47 नागरिकों को उनके अनुरोध पर नैरोबी स्थित हमारे हाई कमीशन ने उन्हें भारत प्रत्यावर्तित कर दिया। जिन लोगों को कम्पाला स्थित हमारे हाई कमीशन द्वारा किये गए प्रबन्धों के अन्तर्गत निकाला गया था, उनमें से अधिकतर व्यक्ति उगान्डा लौटने के इच्छुक हैं। सरकार यह नहीं समझती की वहां पर स्थिति के सामान्य हो जाने पर इन लोगों के उगान्डा वापिस लौटने के बारे में किसी प्रकार की कठिनाई होगी।

इस समय उगान्डा में रहने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या लगभग 100 है, जिन में कम्पाला स्थित हमारे हाई कमीशन के सदस्य तथा उनके परिवार भी शामिल हैं। कम्पाला स्थित हमारे हाई कमिशनर से प्राप्त ताजा सूचना के अनुसार उगान्डा में रहने वाले ये सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित है ; केवल एक भारतीय नागरिक श्री पाल सिंह के 13 अप्रैल को मरने की रिपोर्ट है ।

(घ) और (ङ) : ईदी अमीन शासन का तख्ता उलटने के तुरन्त बाद अस्त व्यवस्था और अव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी जिसमें कम्पाला सहित उगान्डा के कुछ भागों में सम्पत्ति की भारी लूटपाट हुई । यह सम्भव है कि अस्थायी रूप से उगांडा छोड़ कर जाने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति को नुकसान हुआ हो। नकसान का अनुमान सम्बन्धित लोगों के उगांडा वापस लौटने के बाद ही सम्भव है। उस समय उचित कार्यवाई पर विचार किया जाएगा।

(च) सरकार ने उगांडा की नई सरकार को अभी औपचारिक मान्यता प्रदान नहीं की है; लेकिन कम्पाला स्थित हमारे हाई कमिश्नर ने शुरू से ही कम्पाला के नये प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाया हुआ है।

राज्य क्षेत्र के लिए तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम

*1078. **डा० पी० वी० पेरियासामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश तपेदिक नियंत्रक कार्यक्रमों को राज्य क्षेत्र को सौप देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) तपेदिक के रोगियों के लिए इस समय देश में तपेदिक क्लीनिकों की संख्या क्या है और अस्पतालों में कितने बिस्तर उपलब्ध हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय विकास परिषद ने निर्णय किया है कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं 50 : 50 आधार पर राज्यों को हस्तान्तरित कर दी जाएगी। यह निर्णय राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम पर भी लागू होता है।

(ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहे क्षय रोग क्लीनिकों तथा क्षय रोग के पलंगों की संख्या का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में क्षय रोग क्लिनिकों तथा क्षय रोग पलंगों की संख्या का विवरण।

क्र० सं०	राज्य/संघ शासत क्षेत्र	क्षय रोग (क्लिनिक)	क्षय रोग पलंग
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	46	2927
2.	असम	18	799
3.	बिहार . .	38	1714
4.	गुजरात . .	22	2886
5.	हरियाणा . .	11	252
6.	हिमाचल प्रदेश .	19	679
7.	जम्मू व कश्मीर	13	695
8.	कर्नाटक	25	2858

9. केरल	21	2161
10. मध्य प्रदेश . .	36	1710
11. महाराष्ट्र .	46	7034
12. मणिपुर	3	100
13. मेघालय	1	303
14. नागालैण्ड .	3	100
15. उड़ीसा .	13	730
16. पंजाब .	12	1027
17. राजस्थान	28	1615
18. सिक्किम	4	62
19. तमिलनाडु	55	3558
20. त्रिपुरा .	1	50
21. उत्तर प्रदेश	78	3212
22. पश्चिम बंगाल .	107	5786
23. अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	62
24. अरुणाचल प्रदेश	3	182
25. चंडीगढ़ .	1	10
26. दिल्ली	11	1539
27. गोआ, दमन व दीव	1	251
28. मिजोरम	1	30
29. पांडीचेरी	3	169
योग . . .	621	42501

तमिलनाडु में सेतुसमुद्रम परियोजना

1083. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सेतुसमुद्रम परियोजना के प्रस्ताव की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिसके बारे में माननीय नौवहन और परिवहन मंत्री ने 1 मार्च, 1979 को तूतीकोरिन की आम सभा में घोषणा की थी, और

(ख) यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : म टूटीकोरिन पहली अप्रैल, 1979 को गया था (न कि पहली मार्च 1979 को जैसा कि प्रश्न में कहा गया है) । इस अवसर पर तमिलनाड के मुख्य मंत्री के साथ सेतुसमद्रम परियोजना के बारे मैं विचार विमर्श करने का मुझे मौका मिला और यह बताया गया कि तिमलनाडु सरकार जल्दी ही इस मंत्रालय को इस परियोजना के बारे में सुझाव भेजेगी। यह सुझाव अभी तक नहीं प्राप्त हुए है।

भारतीय भारवाहक जहाज--इंडियन ट्रिब्यून का डूब जाना

1084. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मालवाहक जहाज इंडियन ट्रिब्यून बंम्बई में बेलार्ड पिअर एक्सटेंशन में डूब गया है,

(ख) जीवन और सम्पत्ति की अनुमानतः कितनी हानि हुई है,

(ग) क्या सरकार ने दुर्घटना तथा भारतीय मालवाहक जहाज की विदेशी जहाज बंदर एक्सप्रेस के साथ टक्कर के कारणों की जांच की है, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी नहीं। स्वीडन के जहाज 'बन्दर अव्वास एक्प्रेस' के साथ 16 अप्रैल, 1979 को टक्कर हो जाने से भारतीय जहाज' इंडियन ट्रिब्यून' को भारी नुकसान हुआ लेकिन तब भी हमारा यह जहाज समुद्र के योग्य बना रहा।

(ख) इससे अनुमानित हानि निम्नलिखित है :

1. इंडियन ट्रिब्यून . .	2,00,75,000	रुपये	(लगभग)
2. बन्दर अव्वास एक्सप्रेस .	4,00,000	रुपये	
3. कारगो बार्ज पूना	1,90,000	रुपये	

पूजा बार्ज के दो कर्मचारियों को चोटें पहुंची और उनको अस्पताल ले जाया गया कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ और न किसी के लापता होने की सूचना मिली है।

(ग) और (घ) इस जहाजी दुर्घटना की बंबई पोर्ट ट्रस्ट के डिपुटी कंजरवेटर द्वारा आरंभिक जांच की जा रही है और इसके कारणों का पता आरंभिक जांच रिपोर्ट के मिलने पर ही लगेगा।

पोलियो के टीके की कमी की आशंका

*1085. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषध उद्योग क्षेत्रों को निकट भविष्य में पोलियो के टीके की कमी की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल को वैगनों का आबंटन

*1036. **श्री बाला साहिब विख पाटिल**
डा० विजय मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल को आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के लिये रेल वैगनों की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में 9 अप्रैल, 1979 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में 'अलाटमेंट आफ वैगन-प्रोब डिमांडिड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल के खाद्य तथा पूर्ति मंत्री द्वारा रेलवे वैगनों के मनमाने ढंग से नियतन किये जाने के बारे में लगाया गया आरोप सच है, तो उसमें कितनी सच्चाई है; और

(ग) पश्चिम बंगाल के लिये रेल वैगनों की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : पश्चिम बंगाल को अनिवार्य वस्तुओं की ढलाई के लिए पर्याप्त संख्या में माल डिब्बों की सप्लाई करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

बांगलादेश द्वारा भारतीय रेल वैगनों को रोके जाने की कथित घटना

*1087. **श्री दयाराम शाक्य**
श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 अप्रैल, 1979 के दैनिक 'जागरण' में प्रकाशित यह समाचार सच है कि बांगलादेश ने भारत के 3,000 रेल वैगन रोक लिये हैं; और

(ख) यदि हां; तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता पत्तन पर माल उतारने चढ़ाने के कार्य

1088. **श्री चित्त बसु : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन पर माल चढाने उतारने के कार्य इस समय 1972 के स्तर से 60 प्रतिशत कम है,

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन पर यातायात में तेजी से कमी हुई है,

(ग) यदि हां, तो ऐसी स्थिति के क्या कारण है, और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य प्रभारी मंत्री (श्री चांद राम) :
(क) और (ख) कलकत्ता-हल्दिया पोर्ट पर वर्ष 1972-73 में 6.68 मिलियन टन का यातायात हुआ था जब कि वर्ष 1978-79 में 7.98 मिलियन टन का यातायात हुआ। इसलिए यातायात में कमी नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं होता।

विकलांग व्यक्तियों द्वारा काम में लाये जाने वाले वाहनों पर सड़क कर के भुगतान से छूट देना

1089. **श्री सरत कार**
श्री छूटू भाट्ट गामित : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों द्वारा काम में लाये जाने वाले वाहनों पर सड़क कर के भुगतान से छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) क्या उनके मंत्रालय को समाज कल्याण विभाग का कोई अनुरोध भी प्राप्त हुआ है, और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में राज्य सरकार से कोई आग्रह किया है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) सड़क कर लगाने और कुछ किस्म की गाड़ियों को कर से छूट देने का मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकारों से अगस्त, 1975 में कहा गया था कि वे विकलांग व्यक्तियों की गाडियों और उनके द्वारा चालित गाड़ियों को करों मे छूट देने के लिए अपने मोटर गाड़ी कराधान अधिनियमों में संशोधन करने के सुझाव पर विचार करें। अधिकांश राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों में पहले ही छूट दे रखी है।

(ख) और (ग) समाज कल्याण विभाग ने दिसम्बर, 1978 में फैलोशिप आफ दि फिजिकली हैन्डीकैप्ड बबई का एक अध्यावेदन भेजा था जिसमें ऐसे विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त गाड़ियों की छूट देने का अनुरोध किया गया था जिन्हें विकलांग व्यक्तियों की अक्षमता के कारण अपनी गाड़ियों में अतिरिक्त व्यक्ति लेजाने होते हैं। राज्य सरकारों संघ राज्य प्रशासनों से अनुरोध किया गया था कि वे फैलोशिप आफ दि फिजिली हैन्डीकेप्ड के अनरोध पर विचार करे।

एन्टीबैक्टीरियल साबुन का प्रयोग

*1090. **श्री आर० के० महालगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वीडन के डाक्टरों की हाल की रिपोर्ट की जानकारी है कि हाथ धोने के लिये एन्टीबैक्टीरियल साबुन का लगातार प्रयोग अस्पतालों में काम करने वाली गर्भवती नर्सों के मामले में हानिप्रद सिद्ध हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अस्पतालों में ऐसे साबुनों के स्थान पर दूसरे साबन का प्रयोग करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां । सरकार ने इस सम्बन्ध में दिल्ली के 19 जनवरी, 1979 के इण्डियन एक्सप्रेस में एक प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) भारत में ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है और इसलिये एन्टीबैक्टी-रियल साबन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

भारत चीन संम्बंध

1091. **प्रो० समर गुह : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन भारतियों को चीन की यात्रा करने की अनुमति दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या चीन अब भारतीय सामान खरीद रहा है ;

(घ) क्या चीन भारत को तेल सप्लाई करने को राजी है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(च) चीन द्वारा उक्त मित्रतापर्ण कार्यवाही पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) अर (ख) : जी, हां । विगत दो वर्षों में जिन लोगों ने चीन की यात्रा की है उसमें हमारे व्यापारिक समुदय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित अध्ययन दलों में भाग लेने वाले विशेषज्ञ, कुछ भारतीय पत्रकार तथा सरकार की ओर से प्रायोजित एक नृत्यदल शामिल है।

(ग) : जी, हां ।

(घ) और (ड़) : तेल की सप्लाई के लिए चीन से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(च) ये यात्राएं और व्यापार भी पारस्परिक लाभ के आधार पर पुनः शुरू किए गये हैं तथा चीन के साथ द्विवपक्षीय आदान-प्रदान की प्रक्रिया को सामान्य बनाने का ही हिस्सा है जिसकी पहले 1976 में राजदूतस्तर पर हमारे संबंधों के पुनः स्थापित किये जाने के बाद से की गई थी।

परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन

1092. **श्री के० प्रधानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के उपायों को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

श्री जय प्रकाश नारायण की चिकित्सा के व्यय को बहन करना

10365. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में श्री जयप्रकाश नारायण के लिए औषधियों, इलाज आदि का, जब वह बीमार थे और उनका उपचार पटना में और बाद में बम्बई में हुआ था, सभी व्यय को वहन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके इलाज के लिए क्या प्रबंध किये गये थे और इस पर कितना व्यय हुआ ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) लोक नायक जयप्रकाश नारायण को जो पटना में गम्भीर रूप से बीमार पड़ गए थे, बिहार सरकार द्वारा चिकित्सा की सम्पूर्ण और विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध की गई थीं । बाद में विशेषज्ञों के परामर्श पर उन्हें भारत सरकार द्वारा दिए गए विशेष विमान से एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए बम्बई ले जाया गया । अस्पताल में उनका यथासम्भव उत्तम उपचार किया गया जहां वह ठीक हो गए उन्हें अस्पताल से छूट्टी दे दी गई । खर्च का हिसाब नहीं लगाया गया है।

खान अधिनियम में से चाक उद्योग को निकाल देना

10366. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र गुजरात में जूनागढ़ जिले के आदित्याना गांव से खान अधिनियम से चाक लघु उद्योग को निकाल देने के लिए कोई अभ्यावेदन 23 मार्च, 1979 को खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद को भेजा गया था और क्या विकास आयुक्त, लघ उद्योग, नई दिल्ली ने भी खान अधिनियम से चाक लघु उद्योग को निकाल देने के लिए 29/30 नवम्बर, 1973 को खान सुरक्षा महानिदेशक को सिफारिश की थी ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन और सिफारिश दोनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपरोक्त मांग और सिफारिश के अनुसार अब तक खान अधिनियम में से चाक लघ उद्योग न निकाले जाने के क्या कारण है ; और

(घ) अब चाक लघु उद्योग खान अधिनियम में से कब तक निकाला जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : जी, हां

(ख) खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद से अनुरोध किया गया था कि वह चाक खानों को खान अधिनियम की परिधि से निकाल दें, क्योंकि इनकी छोटे पमाने पर व्यवस्था की जाती है और ये ओपन कास्ट खानें है। विकास आयुक्त (लघु उद्योग), नई दिल्ली ने भी इस अनुरोध की सिफारिश की थी।

(ग) और (घ) खान (संशोधन) विधेयक, 1972 में यह प्रस्ताव किया गया था कि खनिजों की सूची में "चाक" को जोड़ने के लिए खान अधिनियम, 1952 की धारा 3 (1) (ख) में संशोधन किया जाए। यह विधेयक पांचवीं लोक सभा में 22 मई, 1972 को पेश किया गया था। लोक सभा के भग होने से विधेयक रद्द हो गया। ऐसे उपबन्धों को शामिल करने के प्रश्न पर उक्त अधिनियम में संशोधन करने संबंधी नए प्रस्ताव बनाते समय विचार किया जाएगा।

रायसीना नगर और श्रीगंगानगर के बीच डिफेंस रोड

10367. **श्री बेगाराम चौहान :** क्या **नोवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायसीना नगर और श्रीगंगा नगर के बीच तहसील पदमपुर रोड (डिफेंस रोड) पर परिवहन बस चल रही है,

(ख) क्या पदमपुर शहर में 2 किलोमीटर सड़क का हिस्सा खराब है,

(ग) क्या वर्ष के दौरान पदमपुर में खराब सड़क पर 4 फुट गहरा पानी इकट्ठा हो जाता है,

(घ) क्या डिफस रोड होने के कारण यह सड़क पदमपुर नगरपालिका की नहीं है और यदि यह डिफेंस रोड है तो इस सड़क को ठीक किये जाने के क्या कारण है, और

(ङ) क्या वर्षा के दौरान इस सड़क पर परिवहन वाहन नहीं चल सकते हैं जबकि यह डिफेंस रोड है और यदि हां, तो इस सड़क के दो किलोमीटर हिस्से की मरम्मत न किये जाने के क्या कारण हैं और इनकी कब तक मरम्मत कर दी जायेगी?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ङ) : प्रश्नगत सड़क एक राज्य सड़क है और इसकी हालत सतोषजनक नहीं बताई गयी है। राज्य सरकार ने अभी तक इस सम्पूर्ण सड़क को सीमा सड़क संगठन को सुपुर्द नहीं किया है ताकि सीमा सड़क संगठन अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इसे विकसित कर सके। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बसें पदमपुर सड़क पर श्रीगंगानगर और रायसीना नगर के बीच चलाई जा रही हैं।

सीमेंट संयंत्रों के लिये रेल लाइनें

10368. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री निहार लास्कर : क्या रेल **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना में सुविधा के लिए नई रेल लाइनें बिछाने हेतु चालू वर्ष के दौरान 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि देने के लिए योजना आयोग सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में अन्तिम नर्णिय ले लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो किन नई रेल लाइनों को बिछाया जायेगा ; और

(घ) कर्नाटक राज्य में कितनी नई रेल लाइनों को बिछाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं । चाल वर्ष में नयी लाइनों के निर्माण के लिए केवल 42 करोड़ रु० की धनराशि की व्यवस्था की गयी है जिसमें सीमेंट कारखानों के कुछ क्षेत्रों के लिए लाइनें बिछाने की राशि भी शामिल है । फिर भी रेलों ने सीमेन्ट यातायात की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विभिन्न अतिरिक्त लाइन क्षमता कार्यों, नयी लाइनों और अतिरिक्त चल-स्टाक के लिए, योजना आयोग से 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धन राशि मांगी है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सीमेंट कारखानों के उपयोग में आने वाली एक नयी लाइन मानिकगढ़चन्दूर (26 कि० मी०) के निर्माण-कार्य को चाल वर्ष के दौरान शुरू किया गया है । दूसरी लाइन वार्नाचनाका (75 कि० मी०) की तीव्रतर प्रगति हो रही हैं।

(घ) कर्नाटक राज्य में सीमेंट कारखानों के लिए अलग से कोई नयी लाइन नहीं बनायी जा रही है । तथापि, कर्नाटक में हसन से मंगलूर तक (189 कि० मी० लम्बी) एक नयी मीटर लाइन पूरे होने के अंतिम चरण में है ।

इसके अलावा, कर्नाटक में निम्नलिखित लाइनों की मी० ला० से वड़ी लाइन में भी बदला जा रहा है :—

(1) गुंतकाल् बेंगलूर (अंशत आंध्र प्रदेश में) 268 कि० मी०

(2) मैसूर-बेंगलुर (1979-80 में नया काम)–132 कि० मी०

आई० एफ० एस० ग्रेड ए० तथा ग्रेड बी० में भत्तों की अदायगी के संबंध में विषमता

10369. **श्री के० रामामर्ति :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० एफ० एस० ए० ग्रेड के दिल्ली में नियुक्त अधिकारी का विशेष भत्ता देने तथा आई० एफ० एस० ए० ग्रेड के अधिकारी के साथ एक ही कमरे में बैठ कर काम करने वाले 'बी' ग्रेड अधिकारी को उक्त भत्ता न देने के क्या कारण है ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि विदेश स्थित भारतीय मिशनों में काम करने वाले आई० एफ० एस० ए० तथा बी० ग्रेड अधिकारियों को एक समान वेतन मिलते हैं ; और

(ग) विदेश मंत्रालय में, जहां आई० एफ० एस० 'ए' ग्रेड तथा 'बी' ग्रेड अधिकारियों का संबंध है, 'रंगभेद' की नीति का पालन करने के क्या कारण है ?

विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी : (क), (ख) और (ग) विशेष वेतन ही एक ऐसा विशेष भत्ता है जो भारतीय विदेश सेवा 'क' के अधिकारी को दिल्ली में तनाती होने पर विशेष रूप से मिलता है और भारतीय विदेश सेवा 'ख' के अधिकारी को नहीं मिलता।

भारतीय विदेश सेवा 'क' का अधिकारी उसी आधार पर विशेष वेतन का अधिकारी होता है जिस आधार पर केन्द्र सरकार में नियुक्ति पर आने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को स्वीकृत होता है।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के बराबर होते हैं जिन्हें विशेष वेतन नहीं मिलता जब वे मुख्यालय में अवर सचिव के पद पर होते हैं। लकिन यह उल्लेखनीय है विदेश स्थित मिशनों में भारतीय विदेश सेवा की दोनों शाखाओं के सामान पदों पर काम करने वाले अधिकारी समान रूप से उन सभी भत्तों के अधिकारी होते हैं जो उन पदों पर मिलते हैं।

उड़ीसा में सवर्ण (रेखा) पुल के निर्माण में विलम्ब

10370. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि क्या सरकार उड़ीसा में सुवर्ण रेखा पर पुल के निर्माण में विलम्ब के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच करायेगी और इसके लिये उत्तरदायित्व निश्चित करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : प्रश्नगत पुल राज्य सड़क पर पड़ता है, इसलिए राज्य सरकार ही इसके निर्माण से मुख्यत: संबंधित है। उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार, इस तरह की जांच करवाने का कोई विचार नहीं है।

टेकतार हाल्ट स्टेशन

10371. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह एक मूल नियम है कि हाल्ट स्टेशन अथवा फ्लैग स्टेशन की स्थापना केवल बड़े नगर अथवा मण्डी में की जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थान पर फ्लग स्टेशन बनाने का क्या औचित्य है जहां पर कोई मण्डी नहीं है ; और

(ग) यदि नहीं, तो पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर डिवीजन में टेकतार के 17 वर्ष पुराने हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन में न बदलने के क्या कारण हैं जब कि यह अन्य सभी अपेक्षायें पूरी करता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अर (ख) किसी स्थान पर हाल्ट या फ्लैग स्टेशन तभी खोला जाता है जब वहां पर्याप्त यात्री यातायात आता हो तथा प्रस्ताव वित्तीय रूप से औचित्यपूर्ण हो। यदि किसी क्षेत्र में अन्य प्रकार के परिवहन साधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होते तो ऐसे स्थान पर यात्री सुविधा के आधार पर स्टेशन खोला जा सकता है, भले ही इसमें थोड़ी बहुत हानि ही क्यों न हो। इसके अतिरिक्त फ्लैग हाल्ट स्टेशन का खोलना परिचालनिक तथा इंजीनियरिंग दृष्टि से भी औचित्यपूर्ण होना चाहिए।

(ग) हाल्ट स्टेशन का ग्रेड बढ़ा कर इसे फ्लैग स्टेशन बनाया जा सकता है बशर्ते कि ग्रेड बढ़ाने का काम वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण हो जिसका निर्णय ग्रेड बढ़ाने के बाद प्रत्याशित अतिरिक्त आमदनी और इसमें लगने वाले अतिरिक्त खर्च के आधार पर किया जाता है। टेकतार हाल्ट स्टेशन की फ्लैग स्टेशन में बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था लेकिन इसे वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

जबरन छुट्टी की अवधि के दौरान नाविकों को अदा किया गया मुआवजा

10372. **प्रो० दिलीप चक्रवर्ती :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 1967 के अन्त से नाविकों को उनकी जबरन छुट्टी की अवधि के लिए कुछ मुआवजा अदा किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि यह धन कहां से आता है,

(ग) वितरण की पद्धति क्या है,

(घ) क्या यह सच है कि सरकार के लिए इसमें कुछ कहने सुनने को नहीं है, और

(ङ) इस धन के समाप्त किये जाने की क्या संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) 1-1-1975 से, जरूरतमंद नाविकों को काम न मिल सकने की अवधि में अनुग्रहपर्वक वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) 31-3-1978 तक, इस योजना पर खर्च, नवम्बर, 1973 के आई० एस० एफ० आई० टी० एम० समझौते के अधीन भारतीय कर्मीदल को रखने वाले विदेशी जहाज-मालिकों से प्राप्त अंशदान से होने वाली आय से किया जाता था । 1-4-1978 के बाद इस पर खर्च द्विपक्षीय एन० एम० बी० करार के अधीन भारतीय नाविकों को रखने वाले जहाज मालिकों से प्राप्त अंशदान से किया जा रहा है।

(ग) योजना के अधीन, विदेशी जाने वाला रजिस्ट्रर्ड प्रत्येक भारतीय नाविक आर्टिकल या प्रोराटा पर यात्रा के पूर्ण होने वाले प्रत्येक महीने के लिए 10 दिनों के आधार पर निश्चित की गयी अवधि के बाद प्रदिदिन 10/- रु० की अनुग्रहपूवक सहायता का तब तक पात्र होगा जब तक कि उसे अगले जहाज पर काम नहीं मिल जाता, बशर्ते कि यह अवधि 90 दिनों से अधिक न हो । यह राशि पात्र नाविकों को आवधिक रूप से चैकों द्वारा की जाती है।

(घ) जी, नहीं । प्रबंध समिति के सभी सदस्य केन्द्रीय सरकार नामित करती है।

(ङ) इस योजना का जारी रहना, जहाज मालि की द्वारा निरन्तर नियमित रूप से अंशदान किए जाने पर निर्भर करता है । जब तक इसा आश्वासन मिलता रहेगा यह योजन कर जारी रहेगी ।

कोरापुट-रायगडा लाइन

10373. **श्री गिरिधर गोमांगों :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने कोरापुट-पार्वतीपुर और कोरापुट-रायगडा रेल लाइनों का सर्वेक्षण शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) उक्त रेल लाइनों के निर्माण के लिये उनके मंत्रालय द्वारा निवेश के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन कब मिल जायेगा; और

(ग) लाइनों के लिए सर्वेक्षण की मंजरी दिये जाने से लेकर कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है और कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री शिव नारायण) : (क) कोरापुट से सालर/पार्वतीपुरम तक और वैकल्पिक रूप में कोरापुट से रायगडा तक नयी लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का काम मेसर्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकानामिक सर्विसेस लि० को सौंपा गया है जो सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए हवाई सर्वेक्षण और फोटोग्रैमीटरी द्वारा बड़ी नाप के नक्शे बनाने के लिए सर्वे आफ इंडिया की सहायता ले रहा है।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट की मई, 1980 तक मिलने की सम्भावना है।

(ग) सर्वेक्षण के लिये 1978-79 में संशोधन बजट द्वारा 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है और 1979-80 के बजट में 7.5 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। स्थान से सम्बन्धित नक्शे तैयार कर लिये गये हैं, पेपर सरेखण अध्ययन किये जा चुके हैं और सर्वेक्षण के लिए गलियारे चुन लियें गये हैं। सर्वे आफ इंडिया ने आवश्यक अतरिक्त हवाई फोटोग्राफी पूरी कर ली है और वे बड़ी माप के नक्शे तैयार करने के लिए फोटोग्रैमीटरी पर कार्य कर रहे हैं। यातायात सर्वेक्षण भी प्रारम्भ कर दिया गया है। अनुमान और रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व चुनींदा संरेखणों का क्षेत्र टोपोग्रैफिकल सर्वेक्षण और भूवैज्ञानिक और भूतकनीकी अध्ययन नवम्बर-दिसम्बर, 1979 में प्रारम्भ किये जायेंगे।

छुट-पुट चोरी तथा माल डिब्बे तोड़े जाने की घटनाएं

10374. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78 से 1978-79 तक मध्य रेलवे और अन्य रेलों में बड़ी संख्या में छूट-पुट चोरी और माल डिब्बे तोड़ने की घटनाओं के समाचार मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो 'ब्राड इण्डीकेटर्स, द्वारा बतायी गई छूट-पुट चोरियों का जोनवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि हां, तो जहां समस्या अत्यधिक गम्भीर है उन क्षेत्रों में इस समाज विरोधी कार्य को बन्द करने के लिए रेल अधिकारियों ने क्या कोई विशेष कदम उठाये हैं;

(घ) क्या रेलवे ने इस मामले में सहयोग प्राप्त करने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध किया है ; और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) कितना सहयोग मिला है ?

रे। मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1977-78 की तुलना में 1978-79 के दौरान दक्षिण रेलवे को छोड़कर मध्य रेलवे और रेलों के अन्य क्षेत्रों में उठाईगीरी और माल डिब्बा तोड़ने की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है जैसा कि अप्रैल-सितम्बर

1977 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 1978 के दौरान चोरी और उठाईगीरी के कारण भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित निम्न तालिका से स्पष्ट है :

रेलवे	अवधि	चोरी और उठाईगीरी के कारण भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की रकम (लाख रुपयों में)
1	2	3
मध्य	1977-78	39.99
	1978-79	36.45
पूर्व	1977-78	143.50
	1978-79	110.96
उत्तर	1977-78	73.15
	1978-79	56.25
पूर्वोत्तर	1977-78	15.72
	1978-79	14.48
पूर्वोत्तर सीमा	1977-78	67.74
	1978-79	27.74
दक्षिण	1977-78	17.87
	1978-79	23.12
दक्षिण मध्य	1977-78	24.12
	1978-79	20.50
दक्षिण पूर्व	1977-78	89.51
	1978-79	70.79
पश्चिम	1977-78	54.76
	1978-79	47.37
जोड़	1977-78	526.36
	1978-79	407.66

(ग) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

1. मल्यवान पण्य ले जाने वाली गाड़ियों में भेदय खंडों में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी अनुरक्षी के रूप में चलते हैं।
2. चोरी की अधिक घटनाओं वाले भेद्य यार्डों में रेलवे सुरक्षा बल, कुत्ता दस्तों द्वारा भी गश्त लगायी जाती है।

3. महत्वपूर्ण और भेद्य याड़ों में चौबीस घंटे गश्त का प्रबन्ध रहता है और सशस्त्र रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चौकसी की जाती है।

4. अपराधियों, चुरायी गयी सम्पत्ति, के प्रापकों का पता लगाने और छापे मारने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलों के अपराध आसूचना शाखाओं और रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारी अपराध आसूचना एकत्रित करने के लिए लगाए जाते हैं।

5. रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस के बीच निकट समन्वय बनाये रखा जाता है।

(घ) और (ङ) : जी हां। रेलों में अपराध की घटनाओं का सामना करने के लिए पूरा सहयोग दिया जाता है।

कन्टेनर जहाज

10375. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन लाइनों के पास कोई कन्टेनर जहाज नहीं है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे जहाज अर्जित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश का निर्यात बढ़ाने के संबंध में विदेशी नौवहन लाइनों को शामिल करने का है, और यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क), (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना विभिन्न भारतीय नौवहन कम्पनियों से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आलर्क रोग के लिये सिद्ध चिकित्सा

10376. **श्री आर० कोलन्थाईवेलु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या ऐलीपैथी में खतरनाक आलर्क रोग के लिए कोई प्रभावी इलाज नहीं है ;

(ख) क्या तमिलनाड में सिद्ध चिकित्सा पद्धति को उक्त मामलों में उपयोगी पाया गया है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि मद्रास में सिद्ध चिकित्सा पद्धति आलर्क रोग का इलाज करने वाले कम से कम चार दक्ष व्यक्ति हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने उक्त जीवन रक्षक उद्धेश्य के लिए उक्त चिकित्सकों को क्या प्रोत्साहन दिया है।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) एक बार रैबीज के लक्षण प्रकट होने पर इस रोग का एलोपैथी में कोई उपचार नहीं है । यदि पागल जानवर द्वारा काटे जाने वाले व्यक्ति को तत्काल एन्टी-रैबीज वैक्सीन का परा कोर्स दिया जाये तो इस रोग को रोका जा सकता है ।

(ख) और (ग) भारत सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, हरी नगर में औषधियों की कमी

10377. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, हरिनगर में अत्यन्त आवश्यक विभिन्न औषधियां उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये किस तारीख तक उपलब्ध हो जायेंगी?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) जी नहीं।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं,

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आल इंडिया केबिन ट्रैफिक एंड शंटिंग स्टाफ

10378. **श्री सौगत राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया केबिन ट्रैफिक एंड शंटिंग स्टाफ एसोसियेशन ने अगस्त, 1978 में अपना 34-सूत्रीय मांग पत्र मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या इन मांगों पर आन्दोलन चलाते हुए पर्व रेलवे के कुछ कर्मचारियों को हाल ही में पीड़ित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके प्रति सरकार का वर्तमान रुख क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां ।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर उपयुक्त रूप से विचार किया जाता है और जो भी कार्यवाई, आवश्यक समझी जाती है, की जाती है । सभी कोटि के कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाता है और उन मांगों को, संयुक्त समझौता तंत्र के विभिन्न स्तरों स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र तथा यहां तक कि गैर-मान्यताप्राप्त यूनियनों के साथ अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से, हल किया जाता है ।

(ग) और (घ) यद्यपि कोई उत्पीडन नहीं किया गया था, तथापि गाड़ी परिचालनों में शीघ्र सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक हित में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करनी पड़ी थी।

कोयले के रेक

10379. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976, 1977, 1978 और 1979 में प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग आगरा और फैजाबाद में कोयले के कितने रेक आये थे;

(ख) यदि वर्ष 1978 और 1979 में कोई कमी रही है, इसका क्या कारण बताया गया है ; और

(ग) क्या इसका कारण कोयले की सप्लाई की कमी थी या वैगनों की कमी थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

समदड़ी-पालनपुर गाड़ी का चलाया जाना

10380. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समदड़ी (भिलिड़ी) और पालन पुर के बीच चलने वाली गाड़ी को कब से बन्द किया हुआ है, इसके क्या कारण हैं और इसे पुनः कब चलाया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन दोनों स्टेशनों के बीच बहुत कम गाड़ियां चलती हैं, यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में इस गाड़ी को बन्द न किया जाये; और

(ग) पालनपुर और उड़ीसा के बीच चलने वाली गाड़ी को राघवपुर तक बढ़ाये जाने की मांग कब से की जा रही है और यह गाड़ी राघवपुर तक कब तक बढ़ा दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : 239/240 पालनपुर–भीलड़ी-समदड़ी सवारी गाड़ी को कोयले के कमी के कारण 5-1-1979 से रद्द कर दिया गया था । जब कभी रेल इंजन के कोयले की स्थिति में निरन्तर रुप से सुधार होगा, तब इस गाड़ी को फिर से चलाने के बारे में विचार किया जाएगा ।

(ग) 63/64 पालनपुर-डीसा मिली-जुली गाड़ी को राघनपुर तक बढाने के लिए 1978 में अनुरोध प्राप्त हुए थे । यह यातायात की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है, क्योंकि मौजूदा गाड़ियां यातायात के वर्तमान जरुरत को पूरा करने के लिए कमो-बेश पर्याप्त है ।

मथुरा से नई दिल्ली तक सीजन टिकट पर यात्रा सुलभ कराने वाली गाड़ियां

10381. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सभी एक्सप्रस गाड़ियों के नाम क्या हैं जिन पर 1 मई, 1979 से सीजन टिकटधारियों को मथुरा जंक्शन से नई दिल्ली तक तथा वापस यात्रा करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या इन सीजन टिकट धारियों को मथुरा जंक्शन से नई दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक पश्चिम/डीलक्स एक्सप्रेस में यात्रा करने की अनुमति है ;

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें इन गाड़ियों में उक्त छूट क्यों नहीं दी गई है हालांकि मथुरा/नई दिल्ली अथवा निजामुद्दीन से सुबह के समय उपलब्ध होने वाली गाड़ियों में से यही दो गाड़ियां सबसे उपयुक्त हैं; और

(घ) क्या 1 मई 1979 से ऐसे सीजन टिकट धारियों के लिए मथुरा जंक्शन तथा दिल्ली के बीच एक शटल एक्सप्रैस चालू करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सीजन टिकट धारियों को मथुरा जं० से नई दिल्ली/निजामुद्दीन आने जाने के लिए निम्नलिखित मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों से यात्रा करने की अनुमति है :

1. 5 डा०/6 अप पंजाब मेल
2. 21 डा०/22 अप दक्षिण एक्सप्रेस
3. 17अप/18 डा० मद्रास जम्मू तवी जनता एक्सप्रेस
4. 19 डा०/20 अप देहरादून एक्सप्रेस
5. 23 डा०/24 अप बम्बई-फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस
6. 7 डा०/8 अप तूफान एक्सप्रेस
7. 77 डा०/78 अप उत्कल एक्सप्रैस
8. 137 डा०/136 अप छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस
9. 57 डा०/58 अप दादर अमृतसर एक्सप्रेस

सीजन टिकट धारियों को निम्नलिखित एक्सप्रेस गाड़ियों से यात्रा करने की भी अनुमति है। बशर्ते कि आरक्षण वाले खाली स्थान सुलभ हों।

1. 79 डा०/80 अप ताज एक्सप्रेस
2. 131 डा०/132 अप जयंती जनता एक्सप्रेस
3. 143 डा०/144 अप कलिंग एक्सप्रेस

(ख) जी नहीं ।

(ग) क्योंकि दैनिक यात्री इन गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं इसलिए लम्बी दूरी के यात्रियों के हित में छूट देना व्यावहारिक नहीं है ।

(घ) मथुरा और नयी दिल्ली के बीच 1 मई, 1979 से कोई शटल सेवा शुरू नहीं की गयी है ।

मिराज-सिंगली रेल सम्पर्क फिर से आरम्भ किया जाना

10382. **श्री अम्मा साहिब गोर्टखिडे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) मिराज तथा सिंगली पुराना रेल स्टेशन, दक्षिण मध्य रेलवे के बीच फिर से रेल सम्पर्क स्थापित करने और (दो) पुराने माधवनगर रेल स्टेशन को मिराज-पूना बड़ी लाइन, दक्षिण मध्य रेलवे पर लाने के मामले में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) इस बारे में अनुमानतः कब तक अन्तिम निर्णय कर लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जबकि रेलवे ने पुराने माधवनगर स्टेशन को मिरज-पूणे लाइन पर लाने तथा मिरज और पुरानी सांगली लाइन को जोड़ने का प्रस्ताव किया था लेकिन सांगली मिरज क्षेत्रीय योजना बोर्ड, सांगली ने प्रारम्भ में वैकल्पिक प्रस्ताव भेजें थे। कुछ समय तक पत्र-व्यवहा बाद सांगली मिरज क्षेत्रीय योजना बोर्ड अब रेलवे के मूल प्रस्तावों से सहमत हो गया है ।

(ख) रेलवे के प्रस्तावों की जांच की गयी है तथा निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जायेगा ।

हिन्दी के अंकों और अक्षरों-युक्त नम्बर प्लेटों वाली मोटर गाड़ियां

10383. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में अनेक मोटर गाड़ियों पर केवल हिन्दी अक्षरों और अंकों वाली नम्बर प्लेटें लगी हैं;

(ख) क्या देश की राजधानी होने के नाते नई दिल्ली पुलिस कर्मचारियों सहित ऐसे लोग बड़ी संख्या में रहते हैं जो इन नम्बर प्लेटों को नहीं पढ़ सकते;

(ग) क्या जब ये मोटर गाड़ियां गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में चलती हैं तब इससे और भी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) नीचे लिखे भाग (ग) में उल्लिखित तमिलनाड सरकार से प्राप्त पत्र के अलावा मंत्रालय में इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी यह सच है कि दिल्ली में रहने वाले कुछ लोग हिन्दी में लिखी नम्बर प्लेटों को नहीं पढ़ सकेंगे।

(ग) अभी हाल-तमिलनाडु सरकार ने संदेह प्रकट किया है कि जिन गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नम्बर हिन्दी में लगे हुए हैं, यदि वे कोई दुर्घटना या अपराध आदि करती हैं तो अहिन्दी भाषी राज्यों में उन्हें पकड़ पाना कठिन होगा क्योंकि हिन्दी में लिखे रजिस्ट्रेशन चिह्नों को पहचानना कठिन होगा ।

(घ) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के वर्तमान उपबंधों के अधीन चल रही गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन मार्क केवल अंग्रेजी में ही दिखाना होता है । मोटर गाड़ी अधिनियम में 1978 में संशोधन किया गया ताकि राज्य में रजिस्टर्ड मोटर गाड़ियों पर लगाए जाने के लिएं, केन्द्र राज्यों को अक्षर-समूह का आबंटन कर सके । इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी है । उक्त अधिसूचना तैयार करते समय तमिल-नाडू राज्य सरकार तथा अन्यों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा । इस प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा कि क्या अधिसूचना में यह व्यवस्था की जा सकती है कि अक्षर-समूह के बाद जो नम्बर हो वे केवल भारतीय अंकों में अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के हों या इसके लिए मोटर गाड़ी अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता होगी ।

युनाइटेड मिनरल वर्कर्स यूनियन, चिरिबरू शाखा सिंहभूम की ओर से याचिका

10384. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटेड मिनरल वर्कर्स यूनियन, चिरिबरू शारदा, जिला सिंहभूमि मार्च, 1977 से पत्र तथा याचिकायें नियमित रूप से भेज रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने पत्र प्राप्त हुए ; और

(ग) जांच में और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) : जी हां ।

(ख) इस मंत्रालय को बीस से ज्यादा पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ग) कुछ पत्रों पर कार्यवाही की गई है और अन्य पत्रों पर उनमें किए गए अनुरोध के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

सवारी डिब्बों की मरम्मत के लिये कारखाना

10385. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण तथा दक्षिण मध्य रेलवे की आवयकताएं पूरी करने के लिए दक्षिण भारत में सवारी डिब्बों की मरम्मत के लिए एक कारखाने की स्थापना करने सम्बन्धी अध्ययन हेतु एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इस समिति ने किस स्थान का सुझाव दिया है ; और

(घ) नई वर्कशाप का काम कब प्रारम्भ होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) एक सर्वेक्षण समिति ने विभिन्न स्थानों पर विचार किया है अर्थात्—(i) रेणिगुंटा के समीप तिरुपति, (ii) बेंगलूरु के समीप येहलंका, (iii) सलेम के समीप नयक्कर-पट्टि, (iv) कोयम्बत्तूर के समीप सिंगनालरु, (v) कोयम्बत्तूर के पास पीलामेडू, (vi) पालघाट के समीप कंजिकोडे है। सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट की रेल मंत्रालय के निदेशकों की एक समिति द्वारा जांच की गयी और तकनीकी-आर्थिक विचारों के आधार पर यह विनिश्चय किया गया कि इस कारखाने को रेणिगुंटा के समीप तिरूपति में स्थापित किया जाये।

(घ) नये कारखाने का योजना-कार्य चालु वर्ष (1979-80) में प्रारम्भ किया जायेगा।

रेलवे स्टेशनों पर घोषणायें

10386 **श्री लालजी भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर की जाने वाली घोषणांयें पूरी तरह अस्पष्ट होती हैं जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में जांच करने के बाद कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : स्टेशनों पर जन सम्बोधन प्रणाली का अभिकल्पन घोषणाओं को साफ और स्पष्ट सुनने के लिए किया गया है। किन्तु जिस समय भीड़, रेल इंजन आदि के कारण प्लेटफार्म पर शोर का स्तर अत्यधिक होता है, तो इस का प्रभाव लाउड स्पीकर की आवाज पर पड़ता है।

इस प्रणाली के संचालन में सुधार करने के लिए सतत प्रास किये जा रहे हैं। निरीक्षणों के दौरान अधिकारी जन सम्बोधन प्रणाली द्वारा की गयी घोषणाओं के साफ और स्पष्ट होने के संबंध में जांच करते हैं और यदि इसमें किसी प्रकार की कमी पायी जाती है, तो इसे ठीक करने के उपाय किये जाते हैं।

औषधि के रूप में काम आने वाली जड़ी-बूटियों का पता लगाया जाना

10387. **श्री गंगा सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में औषधियों के रूप में प्रयोग करने के लिए किन जड़ी-बूटियों का पता लगाया गया है ;

(ख) कहां पर और कितनी मात्रा में जड़ी-बूटियों का उपयोग किया जाता है ; और

(ग) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का विचार हिमाचल प्रदेश में कुछ औषध निर्माण एकक स्थापित करने का है, यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) हिमाचल प्रदेश में कई जड़ी-बूटियों का पता लगाया गया है जिनका उपयोग दवाइयों के लिए किया जाता है । इन दवाइयों की सूची संलग्न है ।

(ख) ये जड़ी-बूटियां अनुसंधान संस्थानों/केन्द्रों और प्राइवेट एजेंसियों द्वारा दवाइयां तैयार करने के लिये एकत्र की जाती हैं ।

(ग) जम्म व काश्मीर-हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में पादप-रसायन यूनिट खोलने के प्रस्ताव पर इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड विचार कर रही है ।

विवरण

रैननकुलस स्पेशल, बेरबेरिया एरिसटाटा, ओक्सा-लिस कार्नीकुलेट, वुडफोर्डिया फुटीकोसा, डेसमोडियम, गंगेटिकम, पिस्टासिया इंटेग्रीम्मा, करकमा अंगुसटीफोलिया, स्टेफानिया गलाबरा, मोरिंगा ओलिफेरा, रांडिया डुमेटोरम, सेंटेला एशियाटिका, रैननकुलस लेटस, ओक्सालिस कार्नीकुलेटा, सैलिक्स अटरास्पेरमा, बोहिनिया परपुरिया, विटैक्स नेगुन्डो, रैननकुलस अरवेनसिस सिडरेला टूना, आरटेमेसिया स्पेशल, ग्रेविया स्पेशल, मालोटस फेलीपेनसिस, टर्मीनालिया चेबुला, माइरिका नागी, बेटुला यूटिलिस, टैक्सस बेक्केटा, पिक्रोरहिजा कुरोआ, सोसुरिया गोसीपीफेरा, दतुरा स्ट्रामोनियम, अकोनिटम हेटेरोफीलम, एकोनीटम ,फारकोनेरीइ, केसामपेलोस पेरीअरा, राइला सरपन्स, सिडा कार्डीफोलिया, हेलिओटेरस आइसोरा, मेलिआ अजाडीराचता, ट्रिबुल्स टेरिसटरिस, केलासट्रस पेनीकुलेटस, सेडरस देवदार, मोमोरडिआ यारन्टिआ, पलमबागो झेलानिका, स्वेरटिआ चिराता, सोलानम जैन्थोकारपम, सोलानम, निगरम, बाकोपा मन्नीरी, एस्टेराकन्था लांगीफोलिया, आचीरेन्थस एस्पेरा, प्लानटागो मेजर, सिनापोडियम एलबम, रुम एमेडी, सिनामोमूम तमाला, सिनामोमूम कम्फोरा, क्रोटीन गेगलियम, फिलान्थस निरूरी, जुनीपेरस कोमुनिस, ट्रमीनालिआ चेबुला, ट्रमीनालिआ बेलेरिका, सेडरेला टूना, नारडोसटाचिस, जातेमन्सी, वालेरिना वालीची, बेतुला यूटीलिस, रुबिआ कार्डीफालिआ आदि ।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् का शासी निकाय

10388. **श्री के० मालन्ना : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के शासी निकाय का हाल ही में पुनर्गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठित निकाय के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां । भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के शासी निकाय का पुनर्गठन अगस्त, 1978 में किया गया था ।

(ख) सदन की पेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें पुनर्गठित निकाय के सदस्यों के काम दिए गए हैं ।

विवरण

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के पुनर्गठित शासी निकाय के सदस्यों के नाम

अध्यक्ष	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
उपाध्यक्ष	(i) श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय
	(ii) डा० कर्णसिंह ; संसद सदस्य
	(iii) श्री जगतसिंह मेहता
सदस्य सचिव	श्री जे० एन० दीक्षित
वित्तीय सलाहकार	श्री आर० पटनायक
भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य	(i) श्री जगतसिंह मेहता
	(ii) श्री पी० सबनायगम
	(iii) श्री एस० एम० एल० भटनागर
महासभा के मनोनीत सदस्य	(i) श्री नानाजी देशमख, संसद सदस्य
	(ii) श्री कृष्णाराव ठाकुर, संसद सदस्य
	(iii) श्री नरेंद्र सिंह संसद सदस्य
	(iv) प्रो० आर० एन० दांडेकर
	(v) श्रीमती शान्ति सादिक अली
	(vi) डा० रजनी कोठारी
	(vii) श्री जे० स्वामीनाथन
	(viii) प्रोफेसर राजाराम शास्त्री
	(ix) श्री बी० जी० वर्गीज,

विदेशों में नजर बन्द भारतीय राष्ट्रिक

10389. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के अतिरिक्त विभिन्न देशों में इस समय नजरबन्द भारतीय राष्ट्रिकों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) : विदेश स्थित हमारे मिशनों से तथ्यों से सम्बद्ध सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

श्रमिक अशांति से भिन्न कारणों से उद्योगों के बन्द होने पर श्रमिकों को अदायगी

10390. **चौधरी हरिराम मक्कासर गोकरा** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक अशांति से भिन्न कारणों से औद्योगिक एककों के बन्द होने की अवधि के दौरान श्रमिकों को उक्त अवधि के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार निम्न आय वर्ग के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए इस बारे में कानून बनाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त परिस्थितियों में कौन से कानून और नियम लागू किये जाते हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन जब कोई प्रतिष्ठान किसी भी कारण से बन्द हो जाता है, तब प्रत्येक कर्मकार, जो कम से कम एक वर्ष से लगातार सेवा में है, कतिपय अपवादों को छोड़-कर, अधिनयिम के अनुसार नोटिस तथा मुआवजे का हकदार होगा। 300 से अनधिक कर्म-कारों नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में, अधिनियम में विशेष उपबंध है, जिसमें कामबन्दी से पहले सरकार का पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित है, तथापि एक्सेल वेयर तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप यह अब निष्क्रिय है। (II/एल० एल० जे०/1978/527/एस० सी०) ।

(ग) और (घ) लोक सभा में 30 अगस्त, 1978 को पेश किए गए औद्योगिक संबंध विधेयक 1978 में श्रमिकों के लिए और लाभों की व्यवस्था है ।

तपेदिक के रोगियों की संख्या

10391. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की जानकारी है कि देश में तपेदिक के रोगियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में टी० बी० अस्पतालों में पंजीकृत तपेदिक के हजारों रोगियों को वर्षों तक इलाज/प्रवेश से वंचित रखा जाता है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार तपेदिक के रोगियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुछ और अस्पताल खोलने के लिए कार्यवाही कर रही है, और क्या किसी अन्य देश/इजेंसी से इस सम्बन्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) देश में टी० बी० के रोगियों की संख्या बढ़ गई है इसका कोई प्रमाण नहीं है ।

(ख) जी नहीं । जिन रोगियों के बारे में निदान से स्पष्ट हो जाता है कि वे टी० बी० से पीड़ित हैं उन्हें पोटेंट टी० बी० रोधी दवाइयां देकर उन्हीं के घरों पर निःशुल्क इलाज किया जाता है और जिन रोगियों को क्लीनिकल आधार पर दाखिले की आवश्यकता होती है

जैसे कि वे रोगी जो गम्भीर रूप से पीड़ित हैं अथवा जिन्हें सर्जिकल आपरेशन आदि की जरूरत होती है उन्हें टी० बी० अस्पतालों/सिनेटोरियम में आन्तरिक रोगियों के रूप में अग्रता के आधार पर दाखिल कर लिया जाता है ।

(ग) राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्य के अन्तर्गत इस बात पर बल दिया जा रहा है कि देश के हर जिले में जिला टी० बी० सेन्टर खोल कर रोगियों के घरों पर ही इलाज किये जाने की सुविधाओं का विस्तार किया जाय और गम्भीर रूप से बीमर तथा गम्भीर शिकायतों वाले विषाक्त हो गए बीमारों की देख रेख के लिए घरों पर इलाज के कार्यक्रम को सहायता पहुंचाने के लिए टी० बी० के अतिरिक्त पलंगों की व्यवस्था की जाय । जिला टी० बी० केन्द्र और टी० बी० पलंग स्थापित करने की योजनाऐं स्टेट प्लान सेक्टर के अधीन हैं और राज्य सरकारें इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही हैं।

स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी तथी यूनिसेफ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उन जिला टी० बी० केन्द्रों के लिए जिनके पास उपकरण आदि नहीं है उपकरण प्राप्त करने हेतु सहायता प्राप्त की जा रही है ताकि इन जिला टी० बी० केन्द्रों में रोग का पता लगाने के तरीकों का विस्तार किया जा सके । इन उपकरणों में ओडेलका कैमरों वाले एक्स-रे यूनिट तथा प्रयोगशाला उपकरण शामिल हैं । सोडा ओडेलका कैमरों वाले एक्स-रे यूनिटों के 100 सेट और मिनिएचर एक्स-रे फिल्मस् सप्लाई करने के लिए मान गया है तथा यूनिसेफ भी छठी योजना के दौरान जिला टी० बी० केन्द्रों के लिए प्रयोगशाला उपकरणों के 100 सेट देगा ।

केन्द्रीय जल परिवहन निगम को वर्ष 1977-78 के दौरान हानि

10392. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अप्रैल, 1979 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस आशय के सामाचार की ओर दिलाया गया है कि वर्ष 1977-78 में केन्द्रीय जल परिवहन निगम को भारी घाटा हुआ है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वर्ष 1976-77 में भी उत्पादन का मूल्य कम था,

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में हुई हानि का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 1975-76, 1976-77, और 1977-78 में हुआ कुल घाटा क्रमशः 398.29 लाख रु०, 447.29 लाख रु० और 647.79 लाख रु० है ।

(घ) मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—

(i) कम्पनी को हुए भारी घाटे के कारण आन्तरिक साधनों से नकद धनराशि उपलब्ध न होने के कारण भारतीय स्टेट बैंक और भारत सरकार से ली भारी ऋण राशि के लिए ब्याज देयताओं में वृद्धि ।

(ii) भारत सरकार और भारतीय स्टेट बैंक दोनों द्वारा ली गयी ब्याज की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि जिसमें शास्ति दरें, जहां लागू हों, भी शामिल हैं।

(iii) देय ब्याज चुकाने में कम्पनी की असमर्थता के कारण अनुवर्ती लेखाओं में शास्ति दरें वसूल करना ।

(iv) कीमतों में वृद्धि और कार्यों को पूरा करने में विलम्ब होने के कारण सामान्य इंजीनियरी कार्यों और जहाज निर्माण के कार्यों पर घाटा ।

(v) नदी सेवाऐं बनाए रखने के लिए पुराने जहाजों की मरम्मतों पर व्यय।

(vi) 1975-76 से 1977-78 तक की अवधि में उपलब्ध क्षमता के अनुसार पर्याप्त माल न मिलना ।

(vii) मौजूदा जहाजों की लम्बी कर्मी तालिका ।

(viii) रात्रि नौचालन सुधाओं की अनुपलब्धता, मौजूदा फ्लोटिला की कम कुशलता, अपेक्षित अवस्थापन सुविधा के अभाव में माल के लादान और उतारने में अधिक समय लगने के कारण जहाजों की लम्बी विश्राम अवधि :

(ix) कर्मीदल संघ के साथ द्विपक्षीय करार और तीसरे वेतन आयोग के अधि-निर्णय, इंजीनियरों अधिनिर्णय के कार्यान्वयन के कारण वेतन और मजदूरी में वृद्धि ।

(x) कुछ एक वर्कशापों पर जैसे न्यू अलीपुर हलशाप, स्मिथी शाप आदि पर नये आदेशों के न मिलने के कारण काम का मन्दा होना ।

(xi) बोनस अधिनयम के अनुसार बोनस का प्रभाव ।

कुतुब एक्सप्रैस को जेतवाड़ा स्टेशन पर रोका जाना

10393. **श्री सखेन्द्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य, व्यापारी और स्थानीय लोग मध्य रेलवे में सतना और मालिकपुर के बीच जेतवाड़ा स्टेशन पर कुतुब एक्सप्रैस रोकने की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो मंत्रालय के निर्णय के बावजूद वहाँ पर कुतुब एक्सप्रैस न रोके जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रेलवे को जेतवाड़ा स्टेशन पर मेहर स्टेशन की अपेक्षा अधिक आय होती है जहाँ पर कुतुब एक्सप्रैस रुकती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) कुतुब-नर्मदा एक्सप्रैस कोई जैतवास स्टेशन पर ठहराने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया गया है । कुतुब-नर्मदा एक्सप्रेस को जैतवारा में ठहराने के लिए यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है ।

(ग) यात्रियों से होने वाली आमदमी जैंतवार की अपेक्षा मैंहर स्टेशन पर अधिक है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा के रूप में हिन्दी

10394. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) ऐसे अधिकारियों के पदनाम क्या हैं जो हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के साथ परामर्श कर रहे हैं;

(ख) ये परामर्श कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में हिन्दी को लागू करने के लिए सही प्रक्रिया क्या है और विचार करने के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कितना समय लगेगा ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क), (ख) और (ग) हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की एक अधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वीकारात्मक निर्णय की आवश्यकता होगी । हिन्दी को इस प्रकार की मान्यता दिलाने के संबंध में संकल्प तभी पेश किया जा सकता है जबकि इसके आम सहमति से पारित हो जाने की या इसे बहुमत प्राप्त हो जाने की काफी अच्छी संभावना हो । किसी विशिष्ट काम पर किस अधिकारी को लगाया गया और उसका पदनाम क्या है, यह बताने की प्रथा भारत सरकार में आमतौर से नहीं है ।

मोटा इलैक्ट्रीसिटी लिमिटेड, भिवानी द्वारा अदा की गई भविष्य निधि

तथा

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की धन राशियां

10395. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स मोटा इलैक्ट्रीसिटी लिमिटेड, भिवानी (हरियाणा) द्वारा भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत अलग-अलग कितनी धन राशि जमा कराई गई और कितनी अभी बकाया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मैसर्स मोटा इलेक्ट्रीसिटी लिमिटेड, भिवानी, हरियाणा नामक कोई प्रतिष्ठान नहीं है । तथापि मैसर्स, मोहटा इलैक्ट्रोस्टील लिमिटेड,

भिवानी, हरियाणा, नामक एक प्रतिष्ठान है, जिसमें 31 मार्च, 1979 तक भविष्य निधि अंशदानों के रूप में 1,13,025.00 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया है। उपर्युक्त प्रतिष्ठान की और उक्त तारीख तक भविष्य निधि की कोई राशि बकाया नहीं थी।

कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि कारखाना (मैसर्स मोहटा इलैक्ट्रो-स्टील लिमिटेड) ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के लाभ-कारी उपबन्धों को लागू नहीं किया गया है। इस कारखाने को गलती से पहली सितम्बर, 1975 से अधिनियम के अधीन समझा गया, परन्तु तदनन्तर 28 फरवरी, 1976 से इसे अधिनियम की परिधि से निकाल दिया गया। अधिनियम की परिधि में रहने की अवधि के दौरान, 13,217.65 रुपये की धन-राशि का अंशदानों के रूप में भुगतान किया गया।

कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि

10396. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व एवं पश्चात् कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि से कितना वार्षिक व्यय होता है ;

(ख) 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान इस निधि से प्रति खनिक कितना वार्षिक व्यय किया गया ; और

(ग) क्या सरकार को इन खबरों का पता है कि कोयला खान मजदूरों की मजरी तथा कल्याण लाभों का कुछ अंश वास्तव में समाज-विरोधी तत्वों द्वारा, जो कोयला खान क्षेत्रों में प्रभुत्व जमाये रहते हैं, दबोच लिया जाता है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंस साय) : (क) कोयला खानों का पहली जनवरी, 1973 को राष्ट्रीयकरण किया गया। पूर्ववर्ती वर्षों 1971—72 और 1972-73 में वार्षिक व्यय क्रमशः 393.05 लाख रुपये और 389.92 लाख रुपये था। बाद के वर्षों में वार्षिक व्यय निम्नलिखित था :

वर्ष	राशि (रुपये लाखों में)
1973—74	434.15
1974—75	351.37
1975—76	607.23
1976—77	582.62
1977—78	748.88
1978—79	979.52

(ख) 1976–77, 1977–78 और 1978–79 के दौरान इस निधि से प्रति खनिक व्यय मोटे तौर पर निम्नलिखित है :—

वर्ष	प्रति व्यक्ति व्यय
1976–77	115.11 रुपये
1977–78 .	146.83 रुपये
1978–79	192.06 रुपये

(ग) सरकार को कुछ कोयला खान क्षेत्रों में व्याप्त सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्याओं के बारे में जानकारी है । तथापि समाज विरोधी तत्वों द्वारा मजदूरी या कल्याण लाभों को दबोच लेने के किसी विशिष्ट उदाहरण के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

अमरीका में हीरों के एक भारतीय व्यापारी की हत्या

10397. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अमरीका में हीरों के एक भारतीय व्यपारी 27 वर्षीय श्री सत्यगुप्ता, जिस के पास लगभग 5,0000 डालर मूल्य के हीरे थे, की हत्या की हाल की घटना की ओर गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी हां ।

(ख) : श्री सत्य नारायण गुप्ता, जो अपने बड़े भाई श्री ओम प्रकाश मवार के साथ काम करता था, 9 मार्च, 1979 को अपने कार्यालय से जवाहरात लेकर (बताया जाता है कि इनकी कीमत लगभग 250,000 डालर थी) न्यूयार्क सिटी में ही एक ग्राहक को देने के लिए गया । जब श्री गुप्ता अपने घर नहीं लौटे तो उसके भाई श्री रामेश्वर मवार ने इस मामले की रिपोर्ट 10 मार्च को न्यूयार्क पुलिस को लिखवाई । जब पुलिस की जंच-पड़ताल चल रही थी उस समय पेन्सिलवानिया स्टेट पुलिस ने 12 मार्च को न्यूयार्क की स्टेट पुलिस को सूचना दी कि न्यूयार्क सिटी से लगभग 100 मील दूर पेन्सिलवानिया के स्कियर नामक दूरस्थ गांव में एक शव मिला है जिसका हुलिया सत्य नारायण गुप्ता के कथित हुलिये से मिलता है । शव के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था तथा स्लीपिंग बैग में बांधा हुआ था । पेन्सि-ल्वानिया स्टेट पुलिस के अनुसार मत्यु गला घुटने के कारण हुई थी । उसके सिर पर भी एक घाव था । पेन्सिल्वानिया की राज्य सरकार द्वारा जारी किये मृत्य प्रमाण-पत्र में मत्य का कारण "गला घोंटने से दम घुटना" बताया गया है ।

एक विशेष पुलिस टास्क फोर्स, जिसमें मिसिंगपर्सन्स ब्यूरो, मेजर केस स्क्वाड तथा होमिसाइड यूनिट के गुप्तचर शामिल हैं, इस हत्या की जांच-पड़ताल कर रहा है । संघीय जांच ब्यूरो तथा पेन्सिल्वानिया स्टेट पुलिस भी जांच-पड़ताल कर रही है । अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

श्री पालखीवाला द्वारा त्यागपत्र देने की इच्छा

10398. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में भारतीय राजदूत श्री पालखीवाला ने त्यागपत्र दे दिया है अथवा त्यागपत्र देने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे क्या कारण हैं जिसमें उन्होंने त्याग-पत्र दिया है अथवा त्यागपत्र दे रह हैं ।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) जी हां, उन्होंने भारत लौटने की इच्छा व्यक्त की है ।

(ख) और (ग) : वे भारत इसलिये लौटना चाहते हैं कि अपना पुराना व्यवसाय पुनः शुरू कर सकें ।

बरेली रेलवे स्टेशन

10399. **श्री बृज राज सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में मुरादाबाद डिवीजन के अन्तर्गत बरेली रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के लिए आरक्षण की सुविधा पहले दो खिड़कियों पर उपलब्ध थी परन्तु अब यह सुविधा केवल एक खिड़की पर उपलब्ध है और यदि हां, तो ऐसा किस के आदेश से किया गया है ;

(ख) क्या एक ही खिड़की पर प्रथम व द्वितीय श्रेणी की सीटों बर्थों का आरक्षण करामें से यात्रियों को अधिक सुविधा होगी ; और

(ग) एक ही खिड़की पर कितने आरक्षण मांग पत्र तथा कितने मूल्य के टिकट बेचे जाते हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) तथा (ख) बरेली स्टेशन पर पहले और दूसरे दर्जे के आरक्षण सम्बन्धी कार्यभार को रखते हुए केवल एक ही खिड़की के लिए कर्मचारियों की स्वीकृति दी गयी है । दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए दो अतिरिक्त अस्थायी खिड़कियां खोली गयी थीं जिनमें से एक खिड़की वाणिज्य मंडल अधीक्षक, मुरादाबाद के आदेशों के अनुसार 22-2-1979 से बन्द कर दी गयी है । इस समय दो खिड़कियां एक ही शिफ्ट में इस प्रकार काम कर रही हैं :—

खिड़की नं० 1 :—सभी गाड़ियों के लिए पहला दर्जा और डाउन गाड़ियों के लिए दूसरा दर्जा।
खिड़की नं० 2 :—सभी अप गाड़ियों के लिए दूसरा दर्जा।

उपर्युक्त व्यवस्थाऐं पर्याप्त हैं और संतोषपूर्ण रूप से कार्य कर रही है ।

(ग) इस समय इन दो खिड़कियों पर प्रतिदिन औसतन 125 आरक्षण मांगपत्र और 185 टिकटों का काम निपटाया जाता है ।

पंजाब में रेल मार्ग

10400. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1947 से पंजाब में कितनी नई रेल लाइनें बिछायी गयीं,

(ख) भारत भर में रेल लाइनों के विस्तार की तुलना में पंजाब में बिछायी गयी रेल लाइनों का अनुपात क्या है

(ग) यदि कोई लाइन नहीं बिछायी गयी तो इसके क्या कारण हैं और

(घ) वर्ष 1979—80 में कितनी नई रेल लाइनें बिछायी जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1947 से अब तक पंजाब में निम्नलिखित रेल पटरी बिछायी गयी है :—

	दूरी (कि० मी० में)
(1) रोपड़—नंगल	55.30
(2) मुकेरियां-पठानकोट	42.98
(3) पठानकोट-माधोपुर .	12.80
(4) माधोपुर-कठुआ (अंशतः पंजाब में) . .	8.69
(5) अम्बाला-कालका लाइन के पुनर्रखन द्वारा चंडीगढ़ तक रेल संपर्क	15.98
	135.75

(ख) 1.75 प्रतिशत मार्च, 1978 के अंत तक ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) पंजाब में 1979–80 के दौरान निर्माण किये जाने के लिए कोई नयी लाइन अनुमोदित नहीं की गई है ।

कर्नाटक रेल सेवा आयोग

10401. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में भर्ती के लिये तीन रेल सेवा आयोग हैं,

(ख) यदि हां, तो रेलवे में भर्ती के मामले में स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने संबंधी ब्यौरा क्या है ,

(ग) क्या उस राज्य में एक और रेल सेवा आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो वह कब तक स्थापित किया जायगा

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : रेल सेवा आयोगों द्वारा श्रेणी III की कोटियों में भर्ती क्षेत्रीय रेलों के आधार परपर की जाती है । प्रत्येक रेलवे क्षेत्र का अधिकारी-क्षेत्र राज्य की सीमाओं के अनुरुप नहीं पड़ता । प्रत्येक रेलवे क्षेत्र की सीमा किसी राज्य की सीमा के अनुकुल नहीं है प्रत्येक रेलवे क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में आता है । स्थानीय लोगों को आकर्षित करने के लिए, 425 रु अथवा कम के वेतनमानों वाली रिक्तियां, जो अधिक संख्या में होती है, उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा आम तौर पर पढ़े जाने वाले सभी क्षेत्रीय समाचारपत्रों में विज्ञप्ति की जाती हैं, जहां रिक्तियां होती हैं । रेल सेवा आयोग लिखित परीक्षाऐं और साक्षात्कार भी सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों पर लेता है । अतः भर्ती प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करने की काफी गंजाइश होती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत, श्रीलंका, बंगलादेश और पाकिस्तान के बीच निर्बाध यात्रा

10402. **श्री श्याम सुन्दर लाल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत, श्रीलंका और बंगलादेश के बीच यात्रा करने के लिये पासपोर्ट और वीसा के प्रतिबंधों को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव उन के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई प्रगति हुई है, तो वह क्या है ;

(ग) क्या संबधित देशों के बीच कभी परामर्श हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर इन देशों की सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी नहीं इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव हमारे विचाराधीन नहीं है ।

(ख) (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्द महासागर में अमरीका की गतिविधियां

10403. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री मुकुंद मंडल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अप्रैल, 1979 के "पैट्रियाट" में यू० एस० फ्लीस्ट्रेन्थ रेज्ड" शीर्षक से प्रकाशित सामाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबधी व्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी, हां ।

(ख) : बढ़ती हुई नौ सैनिक उपस्थिति के प्रश्न को विदेश मंत्री ने हाल ही की अपनी अमरीका-यात्रा के दौरान उठाया था । यह कहा गया था कि हिन्द महासागर में अमरीकी

नौसेना के जमाव के कारण इस क्षेत्र में अन्य देशों की नौ सैनिक उपस्थिति में अनिवार्यत: वृद्धि होगी । संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री ने बताया कि हिन्द महासागर के लिए अलग नौ सैनिक बेड़े की स्थापना का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और अमरीकी नौ-सैनिक शक्ति में हाल में जो वृद्धि हुई है वह अस्थायी है । इस विचार-विमर्श के दौरान हमने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में शान्ति क्षेत्र की स्थापना के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिन्द महासागर के विषय में संयुक्त राज्य अमरीका/सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की द्विपक्षीय वार्ता के शीघ्र ही पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता है । हमारे विदेश मंत्री की इस बात का उत्तर देते हुए श्री वान्स ने यह आशा प्रकार की कि हिन्द महासागर के बारे में सोवियत संघ के साथ बातचीत शीघ्र पुन: शुरू होगी।

रेलवे स्टेशनों पर स्टाल

10404. **श्री राम चरण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे स्टेशनों पर ऐसे कितने स्टाल हैं जो वस्तुत: अलाटियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है और इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों 1977 तथा 1978 के दौरान ठेकों का उप पट्टे पर देने के 14 मामलों को क्षेत्रीय रेल प्रशासनों के ध्यान में लाया गया था । 12 मामलों में ठेके रद्द कर दिये गये थे । एक मामले में उप-पट्टे पर देने का आरोप सिद्ध नहीं हो सका । एक अन्य विषय में यह मामला विचाराधीन है ।

रेलवे स्टेशनों पर ठेकों को उप-पट्टे पर देने की सख्त मनाही है तथा सिद्ध होने पर ठेकों को तुरन्त रद्द कर दिया जाता है ।

आम के लिये माल डिब्बों का दिया जाना

10405. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तुर पाकेला और दायलचेयोन में गुड़ और आम उत्पादकों को माल डिब्बों की सप्लाई करने पर बार-बार प्रतिबंध लगाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रतिबन्धों को सदैव के लिए हटाना सम्भव नहीं है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) चित्तूर क्षेत्र से जागरी यातायात अधिकतर बम्बई क्षेत्र के बड़ी लाइन के स्टेशनों को भेजा जाता है, जिसके लिए गुन्तकल्लु स्टेशन पर यानान्तरण की आवश्यकता पड़ती है । जब कभी यानान्तरण के लिए लदान भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तो माल डिब्बों की निष्क्रियता से बचने के लिए आगामी यातायात (जागरी सहित) की बूकिंग पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है । आम तौर पर, आमों के लदान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता ।

(ग) जी नहीं । जब कोई मार्ग या टर्मिनल अति संकुल हो जाता है और अधिक माल डिब्बों के आगमन का विनियमन अनिवार्य होता है तो प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाता है ।

दन्त-चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट शाखायें

10406. **श्री के० लकप्पा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस समय देश में दन्त-चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी विशिष्ट शाखाय हैं ;

(ख) भारत सरकार के आधीन संस्थानों में दन्त-चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी विशिष्ट शाखाएं हैं और उनके लाभ क्या हैं ;

(ग) भारत सरकार के अधीन स्टाफ सर्जन (दन्त-चिकित्सा), जूनियर स्टाफ सर्जन (दन्त-चिकित्सा) और डेन्टल सर्जन के कर्त्तव्य क्या हैं और क्या इन श्रेणियों में से किसी को भी अपने कर्त्तव्यों के कारण किसी भी विशिष्ट शाखा में कार्य करना पड़ता है ;

(घ) क्या दन्त-चिकित्सा की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर का उपयोग अध्ययन कार्य के लिए और प्राइवेट प्रेक्टिस के लिए किया जा सकता है ; और

(ङ) क्या किसी एक विशिष्ट शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि को उपरोक्त किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक समझा जाता है और यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो केन्द्रीय सरकार के अधीन ऊंचे पदों पर सावधिक पदोन्नति क्यों नहीं हो सकती ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) इस समय देश में दन्त-चिकित्सा की 9 विशिष्ट शाखायें हैं ।

(ख) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में पेडोडोशिया और निरोधी दन्त-चिकित्सा का एम० डी० एस० कोर्स चलाया जाता है तथा सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पुणे में प्रोस्थेटिक दन्त-चिकित्सा और ओरल सर्जरी का एम० डी० एस० कोर्स चलाया जाता है । मेक्सीलोफेशियल प्रोस्थेटिक डेन्टिस्टरी की सुविधायें सफदरजंग अस्पताल में भी उपलब्ध हैं ।

(ग) इन पदो के कर्त्तव्यों का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है :—

स्टाफ सर्जन (डेन्टल)

(क) अस्पतालों में दांतों की बीमारियों का इलाज करना ।

(ख) दांतों के सेट बनाने के काम की निगरानी करना ।

(ग) दन्त केन्द्रों के काम को दिशा-निर्देश देना और उसका निरीक्षण करना ।

(घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कर्त्तव्यों को निभाना ।

जूनियर स्टाफ सर्जन (डेन्टल) और डेन्टल सर्जन

(क) दांतों के रोगियों का इलाज करना ।

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर सौंपे गये किसी अन्य कर्त्तव्य को निभाना ।

सभी डेन्टल सर्जन अपने-अपने कर्त्तव्यों के एक अंग के रूप में दन्त-चिकित्सा की विशिष्ट शाखाओं का काम भी करते हैं, जिनमें वे अर्हताप्राप्त होते हैं ।

(घ) भारतीय दन्त परिषद् द्वारा निर्धारित किये गये मानदण्डों के अनुसार डेन्टल कालेजों के प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों/रीडरों तथा लेक्चररों को उस विषय की स्नातकोत्तर अर्हता-प्राप्त करना आवश्यक है, जिसे वह पढ़ा रहा हो । केन्द्रीय सरकार के डाक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस करना मना है और इसलिए केन्द्रीय सरकार के डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस के लिए दन्त-चिकित्सा की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री का उपयोग करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(ङ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पहाड़ी जिलों में क्षय रोग के रोगी

10407. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्मोड़ा एवं पिथोरागढ़ के पहाड़ी जिलों में 1978 के दौरान क्षय रोग के ोगियों की अलग अलग संख्या थी ;

(ख) इन जिलों में क्षय रोग के उन्मूलन के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं, और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि 1978 के दौरान अल्मोड़ा और पिथोरागढ़ में क्षय रोग रोगियों की संख्या क्रमशः 2018 और 1232 थी, हालांकि इस बारे में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया था ।

(ख) क्षय रोग के रोगियों के नैदानिक तथा उपचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दोनों जिलों में क्षय रोग केंद्र स्थापित किए गए हैं । इन दो जिलों में उन लोगों को जिन्हें इस रोग के लगने का खतरा बना रहता है, बी० सी० जी० का टीका लगाने के लिए एक बी०सी०जी० टीम की व्यवस्था कर दी गई है । गंभीर रुप से पीड़ित क्षय रोगियों आदि के उपचार की जरूरत को पूरा करने के लिए अल्मोड़ा में 8 क्षय रोग पलंगों की और पिथोरागढ़ में 40 पलंगों वाले क्षय रोग अस्पताल की व्यवस्था कर दी गई है ।

(ग) 1978–79 के दौरान क्षय रोग केन्द्र, अल्मोड़ा को क्षय-रोग-रोधी औषधियां सप्लाई की गई थीं । 1975 में इस केन्द्र को प्रयोगशाला उपकरणों का एक पूरा सेट भी दिया गया था । उन्हें ओडेल्का कैमरे वाला एक एक्सरे यूनिट सप्लाई करने का भी विचार है । पिथौरागढ़ क्षय रोग केंद्र की प्रयोगशाला उपकरणों तथा एक्सरे उपकरणों का एक सैट सप्लाई किया जाएगा ।

रेलवे जन सम्पर्क अधिकारी

10408. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने नौ राज्यों में रेल जन सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये हैं;

(ख) इन जन सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति के पीछे उद्देश्य क्या हैं : और

(ग) राजधानियों में नियक्त जन सम्पर्क अधिकारियों के अधीन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां । सहायक जन-संपर्क अधिकारियों के नौ पदों की स्वीकृति दी गयी है जिनका मुख्यालय कुछ राज्यों की राजधानियों में होगी ।

(ख) इन अधिकारियों की नियुक्ति विभिन्न राज्यों में फैली भिन्न भिन्न क्षेत्रीय रेलों के लिए की गयी है ताकि जनता से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के बारे में रेलों के प्रत्यत्तर में सुधार हो और साथ ही रेलों के कार्य-निष्पादन के बारे में अविलम्ब सूचना प्रचारित की जा सके ।

(ग) इन जन संपर्क अधिकारियों की सहायता के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है इसका हिसाब लगाया जा रहा है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

लोकोमोटिव वर्कशाप, पश्चिम रेलवे, दाहोद

10409. **श्री सोमजी भाई दामोर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकोमोटिव वर्कशाप पश्चिम रेलवे दाहोद के खंड संवर्ग (ब्लाक कैडर) की मंजूरशुदा संख्या क्या है;

(ख) विभिन्न श्रेणियों में कितने पद खाली पड़े हुए हैं;

(ग) रिक्त पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं,

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) कार्यभार की उपलब्धता न होने के कारण यदि रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा है तो पर्याप्त कार्यभार प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अन्तर्देशीय जल परिवहन में सुधार

10410. **श्री बसंत साठे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन का अन्य परिवहन साधनों के साथ समन्वय करने की दृष्टि से देश की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं का इस बीच कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उस का सारांश क्या है;

(ख) क्या वर्तमान जल मार्ग परिवहन में सुधार के लिए योजनाएं बनाई गयी हैं, और

(ग) क्या ऊर्जा संकट और ईंधन की अत्यधिक लागत को ध्यान में रखते हुए परिवहन निदेशालय ने देश में जलमार्गों की तत्काल आवश्यकताओं और दीर्घावधि योजना का कोई अध्ययन किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) योजना आयोग द्वारा गठित राष्ट्रीय परिवहन समिति देश की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ढुलाई के विभिन्न साधनों के वैकल्पिक अन्तर-माडल प्रयोग की समस्या से परिचित है । इस विषय पर उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) जलमार्गों के सुधार की स्कीम राज्य प्रायोजना परियोजना और केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन तैयार करके क्रियान्वित की गयी है । 1978-83 की योजना प्रारूप में देश के विभिन्न भागों में अन्तर्देशीय जल परिवहन के सुधार के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 31 करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है।

(ग) देश में बड़े जलमार्गों के, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार किया जा सकता है, के जल सर्वेक्षण की एक योजना अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय तैयार कर रहा है । इन सर्वेक्षणों के परिणाम, जलमार्गों के विकास की योजनाएं तैयार करने के लिए लाभप्रद और आवश्यक होंगे ।

औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद में न्यायाधीशों की नियुक्ति

10411. **श्री समर मुखर्जी,** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय धनबाद स्थित केन्द्रीय सरकार के तीनों औद्योगिक न्यायाधिकरणों में से किसी में एक भी न्यायाधीश नहीं है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उक्त तीनों न्यायाधिकरणों में बहुत से औद्योगिक मामले विचाराधीन हैं जिससे इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त श्रमिकों को अत्यधिक कष्ट होता है; और

(ग) विचाराधीन औद्योगिक मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिये न्यायाधीश नियुक्त करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीद्र वर्मा) : (क) श्री जे० पी० सिंह को 19 जनवरी, 1979 से केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय नं० 2, धनबाद का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है । वह केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं० 3, धनबाद के अनिर्णीत पड़े मामलों को भी देख रहे हैं । केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं० 1, धनबाद के कार्य को भी देख रहे हैं । वे वहां प्रतिमाह कुछ दिनों के लिए न्यायालय की बैठकें आयोजित करते हैं ।

(ख) और (ग) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रत्येक अधिकरण से मासिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं और जहां आवश्यक होता है, वहां शीघ्र निपटारे के लिए अनुदेश जारी किए जाते हैं । औद्योगिक अधिकरण नं० 1 और 3, धनबाद में पीठासीन अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है ।

सरकारी उपक्रमों के व्यय को नियमित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

10412. **श्री गदाधर साहा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम जैसे सरकारी उपक्रमों में व्यय को नियमित करने के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धांत निश्चित किए गए हैं तथा अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है, और

(ख) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में मनोरंजन पर कितना व्यय किया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) संभावतया माननीय सदस्य सरकारी उपक्रमों में मनोरंजन व्यय को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत/उच्चतम सीमा का उल्लेख कर रहे हैं । यदि यही बात है तो मार्गदर्शी सिद्धांत/उच्चतम व्यय सीमा वित्त मंत्रालय (लोक उद्यम ब्यूरो) द्वारा जारी किए निम्नलिखित तीन आदेशों में बताई गयी है, जिन की प्रतियां संलग्न है :—

(1) वित्त मंत्रालय (लोक उद्यम ब्यूरो) परिपत्र का० ज्ञा० सं० बीपीई/जीएल-018/78-एम० ए० एन०/2(16)/78-बीपीई (जीएम-1), दिनांक 19-6-78 (परिशिष्ट I) ।

(2) वित्त मंत्रालय (लोक उद्यम ब्यूरो) परिपत्र का० ज्ञा० सं० बीपीई/जीएल-018/78-एमएएन/2(16)/78-बीपीई (जीएम-1), दिनांक 6-7-78 (परिशिष्ट-II) ।

(3) वित्त मंत्रालय (लोक उद्यम ब्यूरो) परिपत्र का० ज्ञा० सं० बीपीई/जीएल 018/78/एमएएन/2(16)/78-बीपीई(जीएम-1), दिनांक 9-4-1979 (परिशिष्ट-III) ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4462/79) ।

(ख) कोचीन शिपयार्ड लि० द्वारा किया गया मनोरंजन व्यय 1976—77 में 68911 रु० और 1977-78 में 48,776 रु० था) ।

आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक कालिज

10413. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री आयुर्वेदिक यूनानी तथा होम्योपैथिक कालिजों के बारे में 12 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6804 के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक कालिजों के नाम क्या हैं और इस बारे में क्या योजनायें उपलब्ध हैं और

क्या योजनायें बनाई जा रही हैं तथा इन कालिजों में से प्रत्येक कालिज को गत तीन वर्षो में (वर्षवार) कितनी राशि की सहायता दी गई है और पंचवर्षीय योजना अवधि वर्ष 1978-79 से 1982-83 तक कितनी सहायता देने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीद्र वर्मा) : देश के आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथी कालेजों को वित्तीय सहायता देने की वर्तमान योजनाओं के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कालेज को दी गई सहायता की राशि का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा हाल ही में लिए गए इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को राज्य सेक्टर में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा । पांच वर्षों की योजनावधि [अर्थात् 1978-79 से 1982-83 की शेष अवधि के दौरान आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी कालेजों के लिए सहायता की योजनाएं बनाने तथा इनके अन्तर्गत सहायता की राशि निर्धारित करने के मामले की समीक्षा की जा रही है तथा इसे अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विवरण

वर्तमान योजनाएं

1. केन्द्रीय योजनाएं :

योजना का नाम	कालेज का नाम	सहायता की राशि		
		1976–77	1977–78	1978–79
1	2	3	4	5
		(रुपये लाखों में)		
1. भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर विभागों का दर्जा बढ़ाने की योजना ।	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।	20.25	28.90	41.11
—तदैव—	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर ।	19.32	22.85	30.93
—तदैव—	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।	5.39	5.00	6.00
2. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे स्नातकपूर्व कालेजों का सुधार करने के लिए सहायता की योजना।	ए० वी० महाविद्यालय, सतारा।	—	—	3.35
	आर० टी० आयुर्वेद, महाविद्यालय, अकोला ।	.75	.29	—
	श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय, मज़ारी ।	.85	—	—
	डी० ए० वी० कालेज, जालंधर ।	1.00	.74	—
	हुबली आयुर्वेद विद्यालय, हुबली ।	1.00	—	—

1	2	3	4	5
2. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे स्नातकपूर्व कालेजों का सुधार करने के लिए सहायता योजना।	डी० एम० एम० आयुर्वेद महाविद्यालय, यवतमाल आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुर।	— 1.20	.95 —	— 2.55
	आयुर्वेद महाविद्यालय, बीजापुर।	1.00	—	—
	आयुर्वेदिक कालेज, नासिक।	—	1.00	—
3. स्नातक पूर्व होम्योपैथिक कालेजों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की योजना	डी० एन० डी० होम्यो-मेडीकल कालेज एवं अस्पताल, कलकत्ता।	4.00	—	—
	होम्योपैथिक मैडिकल कालेज, पूणे।	2.00	—	—
	राजस्थान होम्यो-मेडीकल कालेज एवं अस्पताल, जयपुर।	.49	.54	2.34
	मोहन होम्यो-मेडिकल कालेज।	.96	—	—
	प्रताप चन्द्र मेमोरियल होम्योपैथिक अस्पताल एवं कालेज, कलकत्ता।	.14	.28	—
	कानपुर होम्यो-मेडिकल कालेज, कानपुर।	.20	—	—
	कलकत्ता होम्यो-मेडिकल कालेज, कलकत्ता।	.22	1.25	2.17
	कर्नाटक होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, हुबली।	.42	—	.33
	होम्योपैथिक एवं बायोकैमिक मेडिकल कालेज, यवतमाल।	.96	—	—

1	2	3	4	5	
3.	स्नातक-पूर्व होम्योपैथिक कालेजों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की योजना	होम्योपैथिक एवं बायोकैमिक मैडिकल कालेज, अमरावती।	.43	—	—
		बम्बई होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, बंबई	.29	—	.31
		श्री बुरगाजी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एव अस्पताल, चन्देश्वर	—	.51	—
		आल उड़ीसा कोआपरेटिव होम्योपैथिक मैडिकल कालेज, उड़ीसा।	—	.19	.31
		होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, पंजाब।	—	1.50	—
		टैम्पल आफ हनेमन अस्पताल एवं कालेज, बिहार।	—	.27	.44
		डा० पडियार मेमोरियल होम्योपैथिक मैडिकल कालेज, अरणाकुलम,	—	—	3.14
		गुजरात होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, सावली	—	—	.75
		होम्यो मेडिकल कालेज, चण्डीगढ़।	—	—	.17
4.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को दी गई वित्तीय सहायता	नेशनल इस्टीट्यूट आफ आयुर्वेद, जयपुर।	5.10	11.00	12.00
2.	**केन्द्र-प्रायोजित योजनाएँ** स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर विभाग का दर्जा बढ़ाने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं।	गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज, त्रिवेंद्रम	4.00	4.25	5.85
		आयुर्वेद कालेज, लखनऊ	3.00	3.50	3.00
		गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज, उदयपुर एवं जयपुर।	3.00	4.00*	2.00*
		गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज, रायपुर एवं ग्वालियर	1.00	1.25	3.00
		गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज, पटियाला	1.00	1.25	1.45

1	2	3	4	5
	आर ए० पोडार, आयुर्वेद कालेज, बम्बई ।	.75	1.00	1.00
	गवर्नमेंट कालेज आफ इंडियन मेडिसन, बंगलोर एवं मैसूर	2.00	2.75	2.00
	गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज, हैदराबाद एवं			
	निजामिया तिब्बिया कालेज, हैदराबाद	3.00	3.25	3.50
	श्यामदास वैद्यपीठ कालेज, कलकत्ता	1.25	2.50	2.00
	गोपी बन्धु आयुर्वेद कालेज, पुरी	.50	2.50	1.00
	गवर्नमेंट कालेज आफ इंडियन सिस्टम आफ मेडिसिन पलायमकोटे	2.50	3.00	2.70
	गवर्नमेंट आयुर्वेद कालेज, पटना	—	.75	2.00
	अखन्डानन्द गर्वनमेंट आयुर्वेद कालेज, अहमदाबाद ।	—	—	0.50

*इसमें केन्द्रीय योजना के लिए 2.50 लाख रुपये की व्यवस्था शामिल है ।

**केवल उदयपुर के एक समुन्नत विभाग के लिए ।

हिन्दी अनुवाद

10414. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या हिन्दी 64/6/1 दिनांक 2-2-1964 के द्वारा पारित किये गये आदेशों के अनुसार अनुवाद और प्रशिक्षण अलग-अलग कार्य हैं और जो कर्मचारी अनुवादक की योग्यता रखते हैं वे अनुदेशक का कार्य नहीं कर सकते इसी प्रकार अनुदेशक अनुवादक का कार्य नहीं कर सकते,

(ख) क्या बोर्ड के दिनांक 8 मई, 1978 के पत्र संख्या ई०/ई० एम० जी०/1-78 इ० एन० आई०/124 के अनुसार हिन्दी सैक्शन और हिन्दी प्रशिक्षण संगठन के पद एक साथ मिला दिये गये हैं जिसके परिणामस्वरुप हिन्दी अनुवादकों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ा है,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त नीति की समीक्षा करने का है,

(घ) यदि हां, तो संशोधनों की रूप रेखा क्या है और यदि नहीं तो हिन्दी अनुवादकों का भविष्य अंधकारमय बनाने के क्या कारण हैं, और

(ङ.) क्या पूर्व रेलवे के अनुवादकों ने इस बारे में बहुत सी शिकायतें की हैं परन्तु उन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ.) : यह सही है कि 1964 में रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्व रेलवे को एक स्पष्टीकरण भेजा गया था कि अनुवाद और प्रशिक्षण दो अलग-अलग क्षेत्र हैं और प्रधान हिन्दी अनुवादक के पद के लिए चयन वरिष्ठ अनुवादकों में से किया जाना चाहिए। क्योंकि जो कर्मचारी अनुवाद और प्रशिक्षण के पद के लिए अलग-अलग योग्यता रखते हैं उन्हें एक दूसरे पद के लिए योग्य नहीं समझा जा सकता । लेकिन, राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 और राजभाषा नियम, 1976 के पारित हो जाने और हिन्दी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी पूर्णतः गृह मंत्रालय द्वारा ले लिये जाने के कारण इस स्थिति में क्रमशः परिवर्तन हुआ है । हिन्दी प्रशिक्षण यूनिट के पास अब मुख्य काम इस बात को सुनिश्चित करना रह गया है कि राजभाषा संबंधी आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाये । इस प्रकार राजभाषा अधिनियम में द्विभाषीकरण की नीति से प्रशिक्षण यूनिट में कार्यरत कर्मचारियों के अनुवाद कार्य के ज्ञान और अनुभव में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है । लेकिन क्षेत्रीय रेलों पर प्रशिक्षण यूनिटों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की कोई उपयुक्त सरणि की व्यवस्था नहीं की जा सकी । प्रशिक्षण यूनिट में कार्यरत कर्मचारियों ने रेलवे बोर्ड को समय-समय पर लिखित और मौखिक रूप से उनकी पदोन्नति सरणि की इस असगत स्थिति में सुधार लाने का अनुरोध किया था । छानबीन से पता चला कि प्रशिक्षण युनिट के काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी लम्बे समय से एक ही ग्रेड में पड़े हुए हैं और तरक्की की गुंजाइश न होने के कारण वे अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुच गये हैं या पहुंचने की स्थिति में है। इसलिए रेल मंत्रालय ने अनुवाद यनिटों के कर्मचारियों की तरक्की की सम्भावना की तुलना में, हिन्दी प्रशिक्षण के कर्मचारियों की इस दयनीय स्थिति का गहरायी से अध्ययन किया और यह वि निश्चय किया कि इन दोनों संवर्गों को एक साथ मिला दिया जाये ताकि दोनों के लिए पदोन्नति की समान सारणी उपलब्ध हो सके और दोनों यूनिटों के कर्मचारियों के लिए ऊंचे ग्रेड के पदों पर पदोन्नति की सम्भावना बन जाये । रेल मंत्रालयों ने रेलों पर काफी बड़ी संख्या में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों के व्यापक हित को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है और अधिकांश कर्मचारियों ने इसे पसन्द किया है । यद्यपि यह सही है कि पूर्व रेलवे के कुछ अनुवादकों ने रेलवे बोर्ड को अपना अभ्यावेदन भेजा है । लेकिन ये वे कनिष्ठ अनुवादक हैं जिन्हें दोनों संवर्गों को मिला दिये जाने के परिणामस्वरुप एक ग्रेड की सेवा अवधि के आधार पर आपसी वरियता निर्धारित करने के कारण नुकसान पहुंचा है । इस निर्णय से मख्यतः 4256-40 रूपये के वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है और यह भी केवल उन अनुवादकों पर पड़ा है जिनकी सेवा की अवधि प्रशिक्षण यनिट के कर्मचारियों की सेवा की अवधि से कम है ।

1978 में दोनों संवर्गों के मिला दिये जाने से उन कर्मचारियों की तुलना में जिन्हें इससे नुकसान पहुंचा है, इन युनिटों के अधिकांश कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है । इसलिए रेल मंत्रालय का कर्मचारियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा इन्डेंट किये गये रेल वैगन

10415 **श्री एन्थु साहू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्रयादेशों के मुकाबले में दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेल वैगनों की भारी कमी है,

(ख) मार्च के अन्त तक कुल कितने वैगन इन्डेंट किये गये और कितने सप्लाई किए गए, और

(ग) इन कमियों के क्या कारण हैं और इसके लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) कुल मिलाकर माल डिब्बों की ऐसी कोई कमी नहीं है । लेकिन, यातायात के स्वरूप में परिवर्तन और गमनदूरी में अनुवर्ती वृद्धि, जिसके कारण माल डिब्बों के फेरे में परिणामी वृद्धि हुई है, के कारण माल डिब्बों की आवश्यकता की तुलना में कमी आ गयी है ।

(ख) मार्च, 1979 के दौरान प्रतिदिन 9638 माल डिब्बों का लदान हुआ और 31-3-1979 से 61003 माल डब्बों की मांग बकाया थी ।

(ग) बाढ़ के कारण इस रेलवे पर ढुलाई के काम में दो महीने तक बहुत ही अधिक रुकावट आ गयी थी । इसके अलावा, कोयले और उर्वरक के भारी मात्रा में आयात के कारण सभी तरह के निर्धारित यातायात और उच्चतर प्राथमिकता यातायात के संचालन के साथ-साथ, दक्षिण-पूर्व रेलवे को आयातित कोयले और उर्वरक के संचलन का भी प्रबंध करना पड़ा था । इसके अलावा, अयस्क लदान स्थलों पर तथा इस्पात संयंत्रों, कथारा क्षेत्र में स्थित कोयला धुलाई कारखानों सरीखे अन्य प्रमुख उपयोगकर्ताओं द्वारा माल डिब्बों की रुकौनी, जन आंदोलनों के कारण यातायात में अस्तवयस्तता, कोटिमूलक एसोसिएशनों द्वारा अनधिकृत हड़तालों और अचानक कामबंदी आदि के कारण यातायात में बाधा के कारण माल डिब्बों की संचलनीयता में बिगाड़ आ गया है । राज्य सरकारों, प्रमुख थोक उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों के परामर्श से ढलाई में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है ।

इज्जत नगर डिवीजन द्वारा वैगनों का आवंटन

10416. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा आसाम में आलू की ढुलाई के लिये मार्च/अप्रैल 1979 में इज्जतनगर डिवीजन द्वारा कितने वैगन आवंटित किये गये,

(ख) इन आवंटित वैगनों में से कितने आसाम, गौहाटी तथा अन्य स्थानों पर आल उत्पादकों को दिये गये और कितने व्यापारियों को दिये गये,

(ग) क्या यह सच है कि वैगन आवंटित करने के मामले में किसानों की अपेक्षा बड़े व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाती है, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) मार्च और अप्रैल, 1979 के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल में आसाम के विभिन्न गंतव्य स्टेशनों को आलू के लदान के लिए 593 माल डिब्बे सप्लाई किये गये ।

(ख) आलू से लदे 593 माल डिब्बों में से, आसाम राज्य सरकार के प्रयोजन के अधीन आसाम के व्यापारियों द्वारा गुवाहाटी के लिए 68 माल डिब्बे और 45 माल डिब्बे असम के बाकी शहरों के लिए लादे गये । स्थानीय उत्पादकों या व्यापारियों ने गुवाहाटी के लिए 224 माल डिब्बे और आसाम के अन्य स्थानों के लिए 225 माल डिब्बों का लदान किया था ।

(ग) और (घ) जी नहीं । असम, मेघालय, और अन्य राज्यों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार आलू का कुछ लदान किया गया जो 'ग' श्रेणी की प्राथमिकता के अन्तर्गत आते हैं जबकि अन्य स्रोतों से आया हुआ यातायात 'घ', श्रेणी की प्राथमिकता के अन्तर्गत आता है । माल डिब्बों के आबंटन में किसी भी पार्टी को तरजीह नहीं दी गयी है और माल डिब्बों की सप्लाई प्रत्येक श्रेणी की प्राथमिकता के अन्तर्गत पंजीकरण की सही-सही तारीख के अनुसार की गयी है ।

कौमार्य परीक्षणों का दोबारा शुरु किया जाना

10417. **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान लंदन से प्रकाशित आव्रजक कल्याण संघ द्वारा इस दावे के बारे में जांच की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटिश होम सेक्रेटरी द्वारा लगाये गये इन परीक्षणों पर रोक का उल्लंघन करते हुए हाल ही में हीथरो हवाई अड्डे पर एशियाई महिलाओं का कौमार्य परीक्षण किया गया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह समाचार सही था और क्या उन की राष्ट्रिकता का पता लगाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी, हां ।

(ख) एव (ग) लंदन से 15 अप्रैल को (पी० टी० आई०) भेजी गयी प्रेस रिपोर्ट ब्रिटेन में छपे एक समाचार पर आधारित है जिसमें संभवत: यह आरोप लगाया गया था कि ब्रिटेन के गृह मंत्री द्वारा कौमार्य परीक्षणों, पर प्रतिबंध लगाये जाने के बावजूद हीथ्रो हवाई अड्डे पर दो एशियाई महिलाओं का कौमार्य परीक्षण किया गया । लंदन स्थित भारत के हाई कमीशन द्वारा इस विषय को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के साथ उठाया गया था । तथा उन्होंने बताया है कि इस संबंध में की गयी जांच-पड़ताल से यह विश्वास करने का कारण दिखाई नहीं देता कि हीथ्रो हवाई अड्डे पर, आप्रवास सेवा द्वारा गृह सचिव के निर्देशों के पालन में कभी कोई चक हुई हो । अगर नए सबूत उपलब्ध होंगे तो सरकार ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठायेगी ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रवेश

10418. **डा० रामजी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में दिनांक 5 फरवरी, 1979 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली से बाहर से दूर से आने वाले रोगियों को यहां प्रवेश के लिए महीनों इन्तजार करना पड़ता है ;

(ग) क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे गरीब रोगियों तथा दूर के स्थानों से आने वाले रोगियों को यहां प्रवेश के मामले में प्राथमिकता दी जाय; और

(घ) क्या दिल्ली के लोगों की सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए इस अस्पताल की बजाय अन्य अस्पतालों में इलाज के लिए व्यवस्था की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां । "नवभारत टाइम्स" में छपी शिकायत लड़का पैदा होने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रसूति कक्ष के "ड" वर्ग के कुछ कर्मचारियों को बख्शीश देने के बारे में है । यह शिकायत अस्पष्ट है, क्योंकि इसका कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है । तथापि, यह बतला दिया जाए कि "डी" वर्ग का कोई कर्मचारी रोगियों को परेशान न कर सके इस के बारे में उक्त संस्थान द्वारा सारे संभव उपाय किये गये हैं ।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अस्पताल के रोगियों की भर्ती उपचार करने वाले चिकित्सक की सलाह और वहां उपलब्ध पलंगों पर निर्भर करती है। वैसे, स्थानीय रोगियों और दिल्ली से आने वाले रोगियों के बीच कोई भेद-भाव करना संभव नहीं है । रोग की गंभीरता ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती की मुख्य कसौटी है । तथापि, रोगियों की भर्ती यदि आवश्यक समझी जाए और वह व्यावहारिक हो तो इस के लिए संस्थान में प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है ।

(ग) यह व्यावहारिक नहीं है । बीमारी की गंभीरता के आधार पर भर्ती करने में प्राथमिकता दी जाती है, न कि निवास स्थान की दूरी के आधार पर ।

(घ) लोगों के साधारण रोगों के उपचार के प्रबंध दिल्ली के अन्य अस्पतालों में पहले से ही मौज़ूद हैं । जिन रोगियों का उपचार अस्पताल में करना आवश्यक होता है, उन्हें अन्तरंग रोगियों के रूप में भर्ती किया जाता है । इसलिए, यह रोगियों का काम है कि वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में उपचार कराने की प्रतीक्षा करने के बजाय अन्य अस्पतालों में जाकर उपचार करवायें ।

राजधानी में अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष और विश्व स्वास्थ्य संगठन के समारोह

10419. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष" और विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस वर्ष के विषय, "स्वस्थ बच्चा, सुरक्षित भविष्य" प्रचार करने के लिए दिल्ली चिकित्सा संघ ने इस वर्ष 7 अप्रैल, से बहुत से समारोह आयोजित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए कुछ करने हेतु क्या योजना बनाई गई है ; और

(ग) इस सप्ताह के दौरान बच्चों के लिए क्या विशेष कार्यक्रम है और उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) बाल स्वास्थ्य की देखरेख और रोग प्रतिरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी देने के अभिप्राय से इस एसोसिएशन ने दिल्ली के इर्द-गिर्द के ग्रामीण और अर्द्ध शहरी इलाकों में बैठकें आयोजित करने का प्रस्ताव किया है । यह सारा साल समय समय पर उपयुक्त अन्तरालों से जारी रहेगा ।

(ग) इस एसोसिएशन ने वैज्ञानिक चर्चाओं, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, एक बेबी शो और बाल स्वास्थ्य पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिस पर लगभग 3,500/— रुपये खर्च आया ।

गुजरात में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए वृहद् योजना

10420. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार से राज्य में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए कोई वृहद योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा है; और यदि हां, तो कब और उसका स्वरूप क्या है ; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने उसे केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उसे कब प्रस्तुत किया गया था और उसकी मुख्य बातें क्या हैं और कितनी सड़कों के बारे में राशि की मांग की गई है तथा वह राशि कितनी है और उस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है तथा कब ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय हैं तथा ग्रामीण सड़कों से संबंधित सभी मामलों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की हैं । परन्तु सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने गुजरात सरकार सहित सभी राज्यों से 3 नवम्बर, 1978 को अनुरोध किया

था कि वे अपने अपने यहां गांवों तक जाने के लिए सडकों की कुल आवश्यकता का मूल्यांकन करें और एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार करें जिसमें हर सड़क के लिए आवश्यक धन और सड़क की लम्बाई आदि का ब्यौरा दिया हुआ हो ।

(ख) गुजरात सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई सूचना नहीं भेजी है ।

मारिशस को विकास के लिए सहायता

10421. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का मारिशस को लघु उद्योग के विकास के लिए सहायता देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के नेतृत्व में तीन-सदस्यों का एक विशेषज्ञ दल फरवरी, 1978 में मारिशस गया था और उसने मारिशस में लघु उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की है । मारिशस के प्राधिकारी इस रिपोर्ट की अब जांच कर रहे हैं । हाल ही में हुए भारत मारिशियाई संयुक्त आयोग के प्रथम अधिवेशन में भारत ने कतिपय ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन में सहयोग देने की पेशकश भी की है, जैसे जूते बनाने, रेशा उद्योग, म -मक्खी पालन उद्योग, हस्तनिर्मित कागज उद्योग तथा रंगाई उद्योग ।

इस समय दो लघु उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञ, जिनमें एक औद्योगिक अर्थशास्त्री और दूसरे मैकेनिकल इंजीनियर, मारिशस की सरकार में विशेषज्ञों के रूप में प्रतिनियुक्त हैं ।

मैसर्स राम इंजीनियरिंग वर्कस, धनबाद द्वारा कर्मचारियों को भविष्य निधि की राशि का दिया जाना

10422. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स राम इंजीनियरिंग वर्क्स, बाईपास रोड, धनबाद (बिहार) के कर्मचारियों को गत तीन वर्षों के दौरान भविष्य निधि की कितनी राशि दी गई और अभी कितनी राशि दी जानी है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मैसर्स राम इंजीनियरिंग वर्क्स, धनबाद को पहली अक्टूबर, 1978 से अनंतिम रूप से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाई गई योजनाओं के अधीन लाया गया । उन्होंने प्रतिष्ठान को उक्त अधिनिर्यम के अधीन लाए जाने का विरोध किया है ।

दिल्ली परिवहन निगम के संवाहकों द्वारा स्टेज वार किराया लिया जाना

10423. **श्री चित बसु : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम द्वारा घोषणा के अनुसार निगम की बस में 4 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों से 0.30 पैसे किराया लिया जाना था;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के संवाहक घोषणा के अनुसार 0.30 पैसे का किराया, किराये की "स्टेज" के अनुसार ले रहे हैं न कि दूरी के हिसाब से;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि संवाहक नानकपुरा से सफदरजंग अस्पताल अथवा सेक्टर 1, रामकृष्ण पुरम जाने वाले यात्रियों से 0.40 पैसे का किराया ले रहे हैं जब कि दूरी 4 किलो मीटर भी नहीं है ; और

(ङ.) यदि हां, तो यात्रियों से 0.30 पैसे किराया लिये जाने के स्थान पर 0.40 पैसे लिये जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक स्टेज कैरीज में दूरी का मूल्यांकन एक स्टेज से दूसरी स्टेज के बीच अन्तर के अनुसार किया जाता है न कि यात्री द्वारा सफर किए गए वास्तविक बस स्टापों के आधार पर । यह इसलिए कि शहरी क्षेत्रों में स्टेज कैरिज पद्धति में यह संभव नहीं कि बस रूट के प्रत्येक दो स्टापों के बीच की दूरी का मूल्यांकन किया जाए जिसके अनुसार भाड़ा तय किया जा सके । परन्तु स्टेजों का निर्धारण लगभग दो मि० मी० के अन्तर से किया जा सकता है जिसमें थोड़े समायोजन की गुंजाइश होती है । इससे कन्डक्टरों और निरीक्षण स्टाफ को मूल्यांकन करने, जारी करने और टिकटों की जांच करने में आसानी होती है ।

(घ) और (ङ) : नानकपुरा से सफदरजंग अस्पताल अथवा सेक्टर 1 आर० के० पुरम के बीच भाड़े के मूल्यांकन के लिए दूरी को धौलाकुंवा से लिया जाता है जो कि नानकपुरा से पूर्ववर्ती भाड़ा स्टेज है । नानकपुरा एक भाड़ा स्टेज नहीं है । धौलाकुवां से सफदरजंग अस्पताल/सेक्टर 1 आर० के० पुरम की दूरी 4 कि० मी० से अधिक है और 40 पैसे भाड़ा सही लिया जाता है ।

हाई डेंसिटी डी० सी० ई० एम० यू०

10424. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री हाई डेंसिटी ई० एम० यू० रेल डिब्बों के निर्माण के बारे में 22-2-1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 521 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाई डेंसिटी डी० सी० ई० एम० यू० प्रोटोटाइप रेल के निर्माण के संबंध में, जिसका निर्माण किया गया है और बम्बई, उप-नगरीय दैनिक यात्रियों की प्रतिक्रिया जानने के लिए पश्चिम रेलवे में सेवा में लगाया गया है, रेलवे प्रशासन को कितने सुझाव और प्रतिक्रियायें प्राप्त हुई हैं,

(ख) उनका स्वरूप और ब्यौरा क्या है ;

(ग) उसके संबंध में अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन की सिफारिशें क्या हैं ;

(घ) वे सिफारिशें कब से मंत्रालय के विचाराधीन हैं, और

(ङ) क्या मंत्रालय ने उपरोक्त सिफारिशों पर निर्णय कर लिया है, यदि हां, तो कब और इसके परिणाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेल प्रशासन को 83 सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं ।

(ख) ये सुझाव और प्रतिक्रियाएं मुख्यत: लम्बाई में बैठने की व्यवस्था, खड़े होकर यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए पकड़ने के हत्थों की सुविधाओं, बदमाशों द्वारा महिलाओं के गले की चैनों-वेणियां खींचे जाने का भय, बैठे हुए यात्रियों को पैर फैलाने में कठिनाई और खड़े यात्रियों द्वारा उन के पैरों का कुचला जाना तथा बेहतर वायु संरचण के लिए अधिक पंखों की आवश्यकता आदि के सम्बन्ध में थीं ।

(ग) अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन ने अधिक क्षमता वाले दो और ऐसे रेकों के प्रोटोटाइप के निर्माण की सिफारिश की थी, जिनमें सीटें आड़ी हों, पकड़ने के लिए अधिक व्यवस्था हो तथा अधिक पंखे हों ।

(घ) अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन ने दिसम्बर, 1978 में अपनी सिफारिशें रेल मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्तुत की थीं ।

(ङ) जी हां, मार्च/अप्रैल 1979 में । रेल मंत्रालय ने यह विनिश्चय किया है कि जहां तक बैठने की व्यवस्था का प्रश्न है, वर्तमान व्यवस्था ज्यों की त्यों रखी जाये क्योंकि अनेक दैनिक यात्रियों को बिजली गाड़ियों में काफी देर तक यात्रा करनी पड़ती है और उनके बैठने की वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक है । अत: उपनगरीय गाड़ी डिब्बे वर्तमान अभिकल्पों के अनुसार बनाये जाते रहेंगे और उनमें बैठने की क्षमता में कोई कमी नहीं की जायेगी ।

कल्याण बिजली घर

10425. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री ठाकुरली स्थित कल्याण बिजली घर के बारे में 22 फरवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 500 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कल्याण (ठाकुरली) बिजली घर को वर्कशाप के रूप में न मानने के क्या कारण हैं और ऐसे निर्णय की तारीख क्या है,

(ख) क्या ड्रेस रैग्यूलेशनों के अंतर्गत लाने के बारे में बिजली घर के कर्मचारियों की मांग पर अंतिम रूप से विचार कर लिया गया है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला,

(ग) यदि अभी तक विचार नहीं किया गया है तो एक वर्ष या उसके आस-पास की अवधि से मामला विचाराधीन पड़े रहने में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(घ) इस बारे में और निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) बिजली घरों में कार्य-दशा कारखानों से भिन्न है । यांत्रिक विभाग (कारखाना) के लिए निर्धारित भारतीय रेल संहिता के उपबंधों को बिजली घरों के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया गया है। इसी आधार पर बिजली घरों के कर्मचारियों को कारखाना कर्मचारियों की तरह छुट्टियों लेने की अनुमति नहीं दी जाती ।

(ख), (ग) और (घ) बरसात के मौसम में कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए औजार तथा संयंत्र लेखे के अंतर्गत बड़े बूटों, बरसातियों/टोपियों आदि का स्टाक करने के उपाय किये गये हैं। इसी प्रकार कर्मचारियों को देने के लिए बायलर सूटों तथा तंग वस्त्रों का स्टाक भी रखा जा रहा है ।

मैसर्स ठाकुर प्रसाद देवकिशन, निजामगंज (महाराष्ट्र) पर बकाया भविष्य निधि

10426. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स ठाकुर प्रसाद देवकिशन, निजामगंज, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) द्वारा गत तीन वर्षों में, वर्षवार भविष्य निधि की कितनी धनराशि जमा कराई और उन पर बकाया राशि कितनी है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा० राम कृपाल सिंह): कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मैसर्स ठाकुरदास देवकिशन निजामगंज, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की परिधि में नहीं आते । अतः इस प्रतिष्ठान द्वारा भविष्य निधि की राशि जमा कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स बागड़ियां ब्रदर्स तथा महेश एजेन्सी राउरकेला पर भविष्य निधि की बकाया राशि

10427. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि मैसर्स बागड़िया ब्रादर्स तथा महेश एजेंसी प्लांट साईट रोड, राउरकेला-1, के विरूद्ध गत तीन वर्षों से भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मैसर्स बागड़िया ब्रादर्स, प्लांट साइट रोड, राउरकेला तथा महेश एजेंसी प्लांट साइट रोड, राउरकेला-1 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की परिधि में नहीं आते । अतः भविष्य निधि की बकाया राशि का प्रश्न नहीं उठता ।

किरोंडोल--कोथा--वल्लाश लाइन

10428. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किरोंडोल-कोथा-वलश लाइन को माल गाड़ियों, विशेषकर उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के कच्चे माल की ढुलाई, के लिये अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं, और

(ख) राज्य के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये इस लाइन पर शीघ्र माल गाड़ियां चलाने के लिये उनके मंत्रालय ने क्या उपाय किये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) किरान्दुल से कोट्टावलासा तक रेल लाइन का निर्माण प्रारंभ में बेलाडिला खानों से विशाखापटनम बन्दरगाह तक निर्यात के लिए लौह अयस्क के परिवहन हेतु किया गया था । लौह अयस्क यातायात के वर्तमान तथा प्रत्याशित स्तर से निपटने के लिए अपेक्षित खंडीय क्षमता के कारण इस खंड पर आम माल यातायात की किसी बड़ी मात्रा को स्वीकार करना कठिन हो जाता है । इस सम्पूर्ण खंड पर यात्री और पार्सल सेवाओं के अतिरिक्त इस लाइन के कुल स्टेशन खोल दिये गये हैं ।

ऐल्यूमिना और सीमेंट जैसे अन्य बड़े औद्योगिक यातायात के लिए, अन्य अर्थक्षम रेल सम्पर्कों के निर्माण की व्यावहारिकता के बारे में संबंधित विभागों से विचार-विमर्श करके जांच की जा रही है ।

आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में सड़क संचार का विकास

10429. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को देश के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में सड़क संचार के विकास के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा गठित आदिवासी विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने क्या-क्या सड़क विकास कार्यक्रम और योजनाएं तैयार की हैं तथा राज्यों को शीघ्र निर्णय के लिये क्या-क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं, और

(ग) आदिवासी क्षेत्रों के लिये सड़क विकास हेतु उनके मंत्रालय द्वारा कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालन में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दोनों केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रीय सड़क कार्यक्रम के भाग के रूप में प्राथमिकताओं और योजना आयोग द्वारा निर्धारित नियतनों और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा तय किए गए मार्गदर्शनों के आधार पर सड़क विकास को हाथ में लिया जाता है । (1978—83) योजना प्रारूप में राज्य क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए 275.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सड़क क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 20.00 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है । चूंकि अभी 1978—83 योजना नियतनों को अन्तिम रूप दिया जाना है अतः कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगेगा । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सड़क योजनाओं में कुछ कार्य जारी है अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्रीय सहायतित अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें जो आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं इत्यादि इत्यादि ।

सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

10430. श्री एस० आर० दामाणी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता केवल मात्र गोलियां बेचने वाले न बन कर अच्छे स्वास्थ्य के लिये संवर्धक एवं उपचारी कदम उठाने में वास्तविक भूमिका अदा करें, और

(ख) सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले "सेनिटरी कमएपिडिमी लाजिकल" केन्द्रों के संबंध में ब्यौरा क्या है, वे कहां-कहां सथापित किए जायेंगे तथा कौन कौन से क्षेत्र उनके अंतर्गत आयेंगे ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) समुदाय द्वारा चुने जाने के बाद जन स्वास्थ्य रक्षकों को मुख्य रूप से निरोधी और संवर्धक स्वास्थ्य सेवाओं का तीन महीनें का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करने का प्रशिक्षण भी मिलता है किन्तु उनका मुख्य कार्य निरोधी और संवर्धक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। जन स्वास्थ्य रक्षक सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के अंतर्गत नियुक्त पैरा-मेडिकल कार्यकर्ताओं से समय समय पर दिशा-निर्देश पाते रहते हैं।

(ख) सेनिटरी एवं महामारी रोगों के केन्द्रों को स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। यह काम सामान्यतया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक ब्लाक में (जिसकी आबादी 80,000 से 1,00,000 तक होती है) एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला

जाता है। देश में पहले ही 5400 से भी अधिक ऐसे केन्द्र हैं। 1983 के बाद से 50,000 की आबादी के लिए समयबद्ध रूप से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सिद्धान्त रूप से मान लिया गया है।

मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1958 की धारा 88 के अधीन बनाये गये नियम

10431. प्रो० **दिलीप चक्रवर्ती :** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों में अधिकारियों को छोड़ कर नाविकों को लगाने का स्तर निर्धारित करते हुए कोई नियम बनाये गये हैं जैसा कि मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1968 की धारा 88 के अधीन व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बारे में कोई सार्वजनिक अधिसूचना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या जहाजों में आदमी लगाने की वर्तमान प्रणाली पर सरकार का कोई नियन्त्रण है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) वर्तमान पद्धति के अनुसार जहाजों पर कार्मिक दल की नियुक्ति जहाज मालिकों और नाविक यूनियनों के आपसी परामर्श से की जाती है।

नाविकों की डाक्टरी जांच

10432. प्रो० **दिलीप चक्रवर्ती :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नाविकों की डाक्टरी जांच की प्रणाली पर मालिकों का पूर्ण नियंत्रण है और वे इस सम्बन्ध में सरकार की सिफारिशों की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं?

नौवहन और परिवहन प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : जी, नहीं।

नाविकों की प्रारम्भिक भर्ती के समय पत्तन स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों द्वारा भारतीय व्यापारी बेड़ा (चिकित्सा परीक्षा) नियम 1958 क के अनुसार चिकित्सा परीक्षा की जाती है और उसके लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ऐसा जारी किया गया प्रमाणपत्र आठ वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। परन्तु इस अवधि के दौरान नाविकों की प्रत्येक यात्रा के प्रारम्भ से पहले नौवहन कम्पनियों द्वारा नियुक्त किए गए डाक्टरों द्वारा फिर से चिकित्सा परीक्षा की जाती है। ऐसी चिकित्सा परीक्षा को आवश्यक समझ गया है जिससे कि यात्रा पर जाने से पहले यदि नाविकों को कोई बीमारी हो गई हो तो उसका पता चल सके कि वे स्वास्थय की दृष्टि से कहीं समुद्री यात्रा के अनुपयुक्त तो नहीं हो गए हैं।

सिजुआ कोयला खान में घातन खनन

10433. **श्री ए० के० राय :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री सिजुआ कोयला खान में घातन खनन के बारे में 30 नवम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1736 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्राईंग सर्वेक्षण नक्शे तथा "टिस्को" की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर दिया गया था न कि खानों को निर्धारित सीमा से आगे चौड़ा और ऊंचा करने के स्थल के वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर ;

(ख) क्या मन्त्रालय सर्वेक्षण दल द्वारा, विशेषकर गत वर्ष "टिस्को" की कोयला खानों में हुई घातक दुर्घटना के बाद, वास्तविक जांच की सलाह देगा; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 30 नवम्बर, 1978 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1736 का उत्तर टिस्को द्वारा बनाए गए सांविधिक खान नक्शों और समय-समय पर खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा कार्यस्थलों के सुगम भागों में किए गए वास्तविक निरीक्षणों दोनों पर आधारित था ।

(ख) और (ग) : ऊपर (क) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई और सर्वेक्षण जरुरी नहीं समझा जाता, क्योंकि इस प्रयोजन के लिए किसी विशेष सर्वेक्षण टीम को लगाने से कोई लाभ होने की संभावना नहीं है ।

गुजरात के किसानों को तुरन्त पारगमन सेवा की सुविधा

10434. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के आलू उत्पादकों ने आलुओं कीं ढुलाई के लिये तुरन्त पारगमन सेवा के लिये मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो क्या आलू के बड़े पैमाने पर उत्पादन को देखते हुए, सरकार किसानों को शीघ्र ही तुरन्त पारगमन सेवा की सुविधा प्रदान करेगी ताकि वे उत्पादन की किसी प्रकार की क्षति होने दिये बिना उसे बेचने के लिये अविलम्ब ला सकें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां । अहमदाबाद और दीसा के आलू उत्पादकों ने दीसा और कांकरिया से कार्नक ब्रिज, बम्बई तक द्रुत पारवहन सेवा की व्यवस्था के लिए अभ्यावेदन दिया है ।

(ख) बम्बई क्षेत्र में बोरीविली के दक्षिणी स्टेशनों के लिए आलू की बुकिंग पर महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है । इस तथ्य को देखते हुए, कार्नक ब्रिज के लिये द्रुत परिवहन सेवा शुरु करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बम्बई बन्दरगाह के लिये तोलने वाली मशीनें

10435. डा० **वसंत कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई बन्दरगाह ने ब्रिटिश स्वामित्व की कम्पनी एवरी (इंडिया) को 30 टन तोलने की मशीनों के क्या निर्देश दिये थे।

(ख) क्या सरकार ने बम्बई पत्तन न्यास के लेखा परीक्षकों द्वारा टण्डर में अनियमितताओं जारोपों की जांच की है; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान "करेन्ट" के दिनांक 31 मार्च, 1979 के अंक में प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; यदि हां तो उसमें लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1976-77 में महालेखाकार (केन्द्र) ने बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के लेखाओं की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर जो आपत्तियां की थीं उन आपत्तियों का पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षकों के साथ निवटान कर लिया गया था ।

(ग) जी, हां । बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष से मामले की जांच करने को कहा गया है ।

नौवहन उद्योग को वित्तीय सहायता की अवधि का बढ़ाया जाना

10436. **श्री वालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" (बम्बई संस्करण) दिनांक 1 अप्रैल, 1979 में "एस० डी० एफ सी० इन ए० सूप" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गारन्टी देने वालों के रुप में नौवहन विकास निधि समिति की कठिनाईयों को दूर करने के लिये नौवहन उद्योग को वित्तीय सहायता की अवधि बढ़ा दी है ; और

(ग) क्या यह सच है कि नौवहन उद्योग को विदेशी बैंकरों को 10-12 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज अदा करने को बाध्य किया जा रहा है जबकि सरकार बिदेशों में विदेशी मुद्रा का निवेश करके 6-7 प्रतिशत अर्जित कर सकती है; और उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जिन नौवहन कम्पनियों ने जहाजों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा ऋणों को वाणिज्यिक आधार पर वृद्धि की है, उन्हें ऋण करारों के अनुसार प्रचलित बाजार

दरों पर ब्याज देना होगा । कम्पनियां जिन्होंने सफौन्स योजना के अन्तर्गत ऋणों का लाभ उठाया है, उन्हें $7\frac{1}{2}\%$ से अधिक ब्याज प्रभार के भुगतान की राजसहायता के रुप में नौवहन विकास निधि समिति द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी । 31 मार्च, 1979 तक नौवहन कम्पनियों की रोकड़ कमी को पूरा करने के लिए सहमत सहायता उपायों में से एक यह है कि 31 मार्च, 1979 तक विदेशी मुद्रा ऋण किस्तों को सफौन्स के समतुल्य परिवर्तित कर दिया जाए ।

जहाजों और नौकाओं द्वारा सामान ले जाया जाना

10437. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम के जहाजों द्वारा कुल कितने सामान की ढुलाई की गई और उसमें से कितने प्रतिशत सामान की ढुलाई नौकाओं द्वारा की गई;

(ख) विदेशी नौकाओं द्वारा कितने प्रतिशत सामान की ढुलाई की गई; और

(ग) भारतीय सामान की ढुलाई के सम्बन्ध म भारतीय नौवहन निगम की प्रतिशतता बढ़ाने के लिय क्या कार्रवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान भारत के पारगमन व्यापार की कुल मात्रा 58.88 मिलियन टन थी । भारतीय नौवहन कम्पनियों ने 22.82 मिलियन टन माल की ढुलाई की (अर्थात 38.76 प्रतिशत) इसमें से लगभग 10.04 मिलियन टन की ढुलाई भारतीय नौवहन निगम द्वारा की गई अर्थात भारतीय नौवहन कम्पनियों के भाग का 44.01 प्रतिशत ।

(ख) विदेशी जहाजों द्वारा 1977-78 के दौरान ढुलाई किए गए माल की प्रतिशतता 61.24 प्रतिशत थी ।

(ग) जैसा कि कहा गया है भारतीय नौवहन निगम भारतीय नौवहन कम्पनियों में से एक है । सरकार निजी भारतीय पोतवणिकों को विभिन्न फोरमों जैसे कि अखिल भारतीय पोतवणिक परिषद और इसके क्षेत्रीय संघों के माध्यम से अनुरोध करती रही है कि वे भारतीय जहाजों का प्रयोग करें । ऐसे निर्देश हैं और उन पर हाल ही में जोर दिया गया है कि सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित माल की ढुलाई जहां तक सम्भव हो भारतीय जहाजों द्वारा की जाए ।

विदेशों से भारतीय अध्यापकों की वापसी

10438. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **विदेश** यह मंत्री बताने की कृपा करगे कि :

(क) खाड़ी के देशों में अरब की तरह अन्य राष्ट्रीयता वाले अध्यापकों की तुलना में भारतीय अध्यापकों के वेतन तथा अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सेवा शर्तों में परिवर्तन के बाद कितने भारतीय अध्यापक अपने देश लौट आये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) अध्यापक के वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ हर देश में अलग-होते हैं और यहां तक कि एक ही देश में एक संगठन से दूसरे संगठन में भी इनमें अन्तर होते हैं तथा सम्बद्ध अध्यापकों की योग्यताओं एवं अनुभव के आधार पर भी वेतन आदि निर्धारित किए जाते हैं। अन्य देशों की राष्ट्रिकता वाले अध्यापकों की तुलना में भारतीय अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन तथा अन्य लाभों में भेद-भाव के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

तायवान राष्ट्रिकों के लिये वीसा सुविधाएं

10439. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और पर्यटन विभाग ने तायवान के राष्ट्रिकों को आसानी से वीसा दिलाने का सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में तायवान के राष्ट्रिक पर्यटन, व्यापार और वाणिज्य के लिये भारत आना चाहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तायवान के लोगों को शीघ्र और आसानी से वीसा दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार ताईवान-सरकार को मान्यता तो नहीं देती, फिर भी इन सुझावों की सम्भाव्यता पर विचार किया जा रहा है।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी, नागपुर के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

10440. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर में नियुक्त तथा इस समय अजमेर में कार्य कर रहे एक श्रम प्रवर्तन अधिकारी को केन्द्रीय जांच ब्यरो के विभागीय जांच आयुक्त ने वर्ष 1977-78 में रिश्वत लेने के प्रमाणित आरोप में अन्तर्गस्त पाया था और अधिकारी को सेवा से निकालने की सिफारिश की थी;

(ख) विभागीय जांच आयुक्त के परामर्श पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं और उस अधिकारी का नाम क्या हैं जिसने कम दंड देने का निर्णय लिया तथा जांच के निष्कर्षों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उस अधिकारी के विरुद्ध जान-बुझकर उल्लघंन करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार प्रमाणित बेइमान अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी की वर्खास्तगी की स्पष्ट रूप से सिफारिश नहीं की थी। इसने बड़ा दंड लगाने की सिफारिश की थी । रिकार्ड में उपलब्ध सभी मामलों पर विचार करने के पश्चात् मुख्य श्रमायुक्त ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी के वर्तमान ग्रेड में कमी करके भारी दंड लगाया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आलू की ढुलाई के लिए वैगनों का आवंटन

10441. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य से आलू की लाखों बोरियों की ढुलाई के लिए वैगनों का आंवटन करने के लिए अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक वैगन उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन्हें यह भी ज्ञात है कि वैगनों का शीघ्र आवंटन न किये जाने से किसानों को बहुत नुकसान होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश से खाद्यान्न, उर्वरक आदि जैसे अन्य अनिवार्य यातायात के लदान की वचनबद्धता के अनुरूप आलू की निकासी के लिए हरसंभव प्रयास किये जा रह हैं। यद्यपि, उत्तर प्रदेश की बड़ी आमान की लाइनों में आलू के लदान के लिए किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं की जा रही है, मीटर आमान की लाइनों में सिलीगुड़ी के पूर्व की ओर पड़ने वाले गंतव्य स्टेशनों के लिए अधिकांश मांग होने के कारण कठिनाइयां अनुभव की गयी हैं, जहां माल डिब्बे बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाने के कारण संकुलन हो गया था। इस लिए आलू सहित सभी अनिवार्य पण्यों की यातायात संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पण्यों के लिए लदान का कोटा निर्धारित करके इन गंतव्य स्टेशनों के लिए लदान नियमित करना पड़ा है।

धनबाद डिवीजन में हड़ताल

10442. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मार्च, 1979 में पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में हड़ताल हुई थी;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण थे;

(ग) क्या यह सच है कि जिन कारणों से हड़ताल हुई उनको दूर करने के बजाये प्रबन्धकों ने रेल कर्मचारियों के नेताओं के तबादले, सेवा समाप्त करने जैसे दमनकारी उपाय किये हैं जिससे और अधिक असंतोष और आन्दोलन फैल गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाये गये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) पाथरडीह में कुछ कोटियों के कामगारों द्वारा 25-3-1979 को काम रोक दिया गया था, इसका कारण यह था कि एक शंटमैन की दिल के दौरे से मृत्यु हो गयी थी परन्तु आरोप यह लगाया गया कि रेलवे डाक्टर ने वहां पंहुचने में देरी की । शंटमैन की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच के लिए आदेश दे दिये गये हैं।

(ग) जी नहीं।

लोक नायक जय प्रकाश नारायण की चिकित्सा

10443. **प्रो० पी० जी० मावलकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण को प्रभावी, उपयुक्त समय पर तथा विशेषज्ञ चिकित्सा सुनिश्चित कराने के लिये कोई कदम उठाये थे ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या थे और क्या परिणाम निकले और उन पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) लोक नायक जयप्रकाश नारायण को जो पटना में गम्भीर रूप से बीमार पड़ गए थे, बिहार सरकार द्वारा चिकित्सा की सम्पूर्ण और विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध की गई थी। बाद में विशेषज्ञों के परामर्श पर उन्हें भारत सरकार द्वारा दिए गए विशेष विमान से एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए बम्बई ले जाया गया। अस्पताल में उनका यथासम्भव उत्तम उपचार किया गया जहां वह ठीक हो गए। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। खर्च का हिसाब नहीं लगाया गया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

निःशस्त्रीकरण पर भारतीय प्रस्ताव

10444. **प्रो पी० जी० मावलंकर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि गत दो वर्षो अर्थात् 1977 और 1978 में संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण कार्य तथा मिशन में संलग्न थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उक्त संबंध में किए गए भारतीय प्रयासों और प्रारूप प्रस्तावों का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरन्द्र कुण्डू) (क) 1977 और 1978 के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडलों ने जेनेवा में निरस्त्रीकरण समिति सम्मेलन (सी० सी० डी०) के कार्य में और क्रमशः 1977 एवं 1978 में आयोजित युक्त राष्ट्र महासभा के 32 वें और 33 वें नियमित अधिवेशनों में निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध बातचीत, मई/जून, 1978 में आयोजित निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा के दसवें विशेष अधिवेशन में और न्यूयार्क में अक्तूबर और दिसम्बर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग के दोनों संगठनात्मक अधिवेशनों में भाग लिया है ।

(ख) निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में होने वाले इन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सभाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडलों की रचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध महासभा के दसवें विशेष अधिवेशन में भारत ने दो प्रस्तावों का मसौदा रखा था। जिसमें से एक न्यूक्लीय अस्त्रों का प्रयोग न करने तथा दूसरा न्यूकलीय अस्त्रों के परीक्षणों को शीघ्र बंद करने की आवश्यकता के बारे में था। लेकिन सर्वसम्मति से एक अंतिम प्रलेख तैयार करने और प्रस्तावों के मसौदे पर मतदान न करवाने की सामान्य इच्छा के प्रत्युत्तर में भारत ने यह निश्चय किया कि वह अपने मसौदा प्रस्तावों पर विशेष अधिवेशन में मतदान नहीं करवायेगा। लेकिन महासभा के आगामी 33 वें नियमित अधिवेशन में इन्हें उठायेगा। इसके पश्चात् महासभा के 33 वें नियमित अधिवेशन में इन दोनों प्रस्तावों का मसौदा, जिसे कई अन्य देशों ने भी सह प्रायोजित किया था, जबरदस्त बहुमत द्वारा स्वीकार किया गया था। न्यकलीय अस्त्रों को प्रयोग न करने और न्यूकलीय युद्ध को रोकने के बारे में भारत के प्रस्ताव में, जो 103 मतों द्वारा पारित किया गया था और जिसके विपक्ष में 10 (अधिकांश पश्चिम राज्य) मत थे और 18 जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया (अधिकांश समाजवादी राज्य) अन्य बातों के साथ-साथ न्यूकलीय अस्त्रों के प्रयोग को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन और मानवता के विरुद्ध अपराध घोषित किया गया और न्यूक्लीय निरस्त्रीकरण के समय उनके प्रयोग के निशेध का अनुरोध किया गया। न्यूक्लीय अस्त्रों के और आगे परीक्षण को शीघ्र बन्द करने की आवश्यकता से सम्बन्ध भारत के प्रस्ताव में जो 130 मतों द्वारा पारित किया गया था और जिसके विपक्ष में दो मत (फ्रॉस और चीन) तथा 8 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि के सम्पन्न होने तक न्यूक्लीय अस्त्रों का परीक्षण न करें ।

विवरण

(क) 1977 और 1978 में जेनेवा में निरस्त्रीकरण समिति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल

15 फरवरी से 28 मार्च, 1977

1 श्री के० पी० जैन — नेता

2 श्री एस० टी० देवड़े

29 मार्च 1977 से 31 अगस्त 1978

1. श्री सी० आर० गारेखा — नेता

2. श्री एस० टी० देवड़े

(ख) निरस्त्रीकरण कार्य से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32 वें और 33 वें नियमित अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल।

1. श्री ए० बी० वाजपेयी　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　नेता
2. श्री समरेन्द्र कुण्डु
3. श्री आर० जयपाल
4. श्री एम० ए० वेल्लोडी
5. श्री सी० आर० गारेखाँ
6. श्री एस० दूबे

(ग) मई/जून 1978 में आयोजित निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा के दसवें विशेष अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल।

1. श्री ए० बी० वाजपेयी　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　नेता
2. श्री आर० जयपाल
3. श्री एम० ए० वेल्लोडी
4. श्री बी० सी० मिश्र
5. श्री एस० टी० देवड़े
6. श्री एस० दूबे
7. श्री के० पी० जैन
8. श्री ए०० मुबई

(घ) 1978 में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग के अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल।

1. श्री एम० ए० वेल्लोडी　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　नेता
2. श्री एस० दूबे

राज्यों को देय अनुदान

10445. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री किराया कर के एवज में राज्यों को देय अनुदान के निर्धारण का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य संकेत क्या है।

(ग) क्या एक अथवा अधिक राज्य सरकारों ने सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है, और

(घ) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सातवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि यात्री किराया कर के बदले राज्यों को देय अनुदान में वृद्धि के प्रश्न को रेल अभिसमय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाए। यह मामला रेल अभिसमय समिति को भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार ने इस मंत्रालय अनुदान से की राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है।

पुराने प्रथम श्रेणी के डिब्बों को बदलना

10446. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे में विशेषकर लम्बी दूरी वाली स्थानीय यात्री गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के अनेक डिब्बे बहुत पुराने और बेकार हो गए हैं :

(ख) यदि हां, तो ऐसे डिब्बे को लगातार प्रयोग में लाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन यात्री गाड़ियों में शीघ्र नए डिब्बे काम में न लाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नव-निर्मित सवारी दिब्बों को सामान्यत: लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों, जिनमें नई सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं, में लगाया जाता है जहां उपयोगिता की दृष्टि से इनकी अधिक आवश्यकता है तथा अन्य सवारी डिब्बों को लम्बी दूरी की यात्री गाड़ियों में लगाया जाता है।

10 मई, 1979 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर काला अजार के बारे में वर्कशाप

10447. **श्री चिमन भाई एच० शुक्ल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काला अजार पर नियंत्रण करने के बारे में पटना में अप्रैल, 1979 में वर्कशाप आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्कशाप में किन-किन कार्मिकों में भाग लिया; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां, काला आजार पर नियन्त्रण करने के बारे में एक कार्यशाला पटना में 9 अप्रैल, से 12 अप्रैल, 79 तक आयोजित की गई थी।

(ख) इस कार्यशाला में जिन व्यक्तियों ने भाग लिया था, उनकी एक सूची संलग्न है। (विवरण)-I)

(ग) इस कार्यशाला ने जो सिफारिशें की थीं, उनका सारांश संलग्न है। (विवरण-II) (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4463/79)

मानसिक रोगियों के लिये अस्पताल

10448. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा की प्रत्येक पद्धति के अन्तर्गत मानसिक रोगियों का इलाज करने वाले देश में कितने अस्पताल हैं;

(ख) चिकित्सा की प्रत्येक पद्धति के अन्तर्गत ऐसे अस्पतालों द्वारा कितनी राशि खर्च की जाती है और 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान कितने रोगियों को दाखिल किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से रोगियों का इलाज करने पर कम ध्यान दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियों और दवाइयों की कमी

10449. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या स्वास्थ्य और **परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियों और दवाइयों की भारी कमी हो रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसके कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टर रोगियों को दवाइयां नहीं लिखते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खुले बाजार से औषधियां खरीदते हैं क्योंकि निर्माताओं से सीधी सप्लाई सीमित है; और

(घ) क्या सरकार का विचार के० स० स्वा० यो० के औषधालयों में होम्योपैथी, आयर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों की परीक्षित तथा प्रमाणित औषधियां रखने और उपचार की व्यवस्था करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । आमतौर पर औषधि निर्माता तथा औषधि वितरक मेडिकल स्टोर डिपुओं को समय पर अपेक्षित दवाईयां सप्लाई कर देते हैं। फिर भी, जब कभी किन्ही दवाईयों की सप्लाई नहीं हो पाती, चिकित्सा अधिकारी प्राधिकृत के मिस्टों से छोटी-मोटी खरीद कर लेते हैं। यदि प्राधिकृत कैमिस्ट किसी दवाई की सप्लाई करने में असर्थ रहते हैं तो चिकित्सा अधिकारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ योजना के संबंधित लाभार्थीयों को बाजार से दवाई खरीदने के लिए प्राधिकृत कर देते हैं, और ईस तरह से जो दवाईयां खरीदी जाती हैं उनकी कीमत उन्हे प्राधिकृत कैमिस्ट द्वारा वापिस कर दी जाती है । अलबत्ता इस प्रकार की खरीद-फरोख्त बहुत ही कम है ।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में रखी जाने वाली होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सापद्धतियों की औषधियां और उपचार क्रय समिति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं । फिलहाल भारत सरकार के पास इन औषधियों की वैज्ञानिक ढ़ंग से जांच करने की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ।

कम्पाला में भारतीय चान्सरी को हुई क्षति

10450. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अप्रैल, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "चान्सरी हाउसेज रेनसैक्ड" शीर्षक समाचार को उन्होंने देखा है;

(ख) कम्पाला स्थित भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों और भारतीय चान्सरी को कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या भारतीय उच्चायोग के मकानों और चान्सरी में लूट अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण हुई थी; और

(घ) उक्त घटना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों और कम्पाला स्थित अन्य भारतीय लोगों की जन धन की हानि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य उपाय किये गए हैं ?

विश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 1,61,000 रु० के नुक्सान होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) हिंसा तथा नागरिक अशांति के वातावरण में लूटमार हुई जिसमें कुछ उपद्रवी तत्वों ने उस समय की अस्त-व्यस्तता तथा अव्यवस्था का लाभ उठाना चाहा। हमारे हाई कमीशन ने इन परिस्थितियों में सुरक्षा के लिए यथासंभव आवश्यक उपाय किए। कम्पाला स्थित हमारे हाई कमिश्नर ने युगांडा के नए प्राधिकारियों के साथ युगान्डा में रहने वाले भारतीयों के जान-माल की सुरक्षा का मामला उठाया है तथा उन प्राधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वे इसके लिए हर सम्भव कोशिश करेंगे।

नौवहन कम्पनियों को हुई हानि

10451. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इकनोमिक टाइम्स अनसंधान ब्यूरो द्वारा किए गए नौवहन परिवहन उद्योग 1977-78 के अध्ययन की ओर दिलाया गया है जैसाकि इक्नोमिक टाइम्स (नई दिल्ली संस्करण) में 17 अप्रैल, 1979 को प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या उक्त अध्ययन में उल्लिखित भारतीय नौवहन निगम तथा अन्य भारतीय नौवहन कंपनियों को हुई हानियों के चिंताजनक आंकड़े सही हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान संकट को दूर करने के लिए नौवहन उद्योग की सहायता करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भाड़ा बाजार में मंदी के फलस्वरूप विश्वभर में नौवहन उद्योग वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है और भारतीय नौवहन कंपनियों को भी परिसमापन

कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने निर्णय किया है कि 31 मार्च, 1979 को आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही नौवहन कंपनियों को निम्नलिखित राहत प्रदान की जाए –

(i) विदेशी मुद्रा ऋण किस्तों के बदले विदेशों से जहाज खरीदने की नई योजना के अन्तर्गत देश के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष से ऋणों की व्यवस्था करना।

(ii) नौवहन विकास निधि समिति से ऋणों की किस्तों का वापस भुगतान करने के लिए तीन वर्ष तक की और छूट देना, और

(*iii*) उन मामलों में जहा दिए गए ऋण की मूल राशि ऋण के लिए अधिकतम देय राशि से कम पड़ती हो, वहां पिछली खरीद के लिए अतिरिक्त ऋण देना।

सहायता उस न्यूनतम राशि तक ही सीमित होगी जिसकी 31-3-79 तक की अवधि तक खर्च पूरे करने की आवश्यकता हो। ऐसी वित्तीय सहायता स्वीकृत करने से पूर्व सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी का पिछला रिकार्ड स्वच्छ है और प्रबंध कुशल है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कंपनी सबल प्रयास करती है।

सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है जो कि सरकार के समस्याओं पर उपलब्ध सभी विकल्पों का और वर्तमान ढांचे के संदर्भ में यदि नौवहन उद्योग के प्रबंध में कोई परिवर्तन आवश्यक होंगे तो उन पर सुझाव देगी।

माल डिब्बों और सवारी डिब्बों की डिलीवरी दिया जाना

10452. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में डिलीवरी हेतु कितने माल डिब्बों और सवारी डिब्बों का आर्डर दिया गया था और प्रत्येक वर्ष वैगनों का निर्माण करने वाले उद्योग द्वारा वस्तुतः इनमें से कितने डिब्बों की डिलीवरी दी गई थी :

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं और यह कमी पूरी करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) क्या माल डिब्बों और सवारी डिब्बों के कम सख्या में निर्माण के लिए इस्पात की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि जिम्मेदार है तथा किस सीमा तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1977-78 और 1978-79 के दौरान माल डिब्बा निर्माण करने वाले उद्योग और सवारी डिब्बा उत्पादन यूनिटों के

लिए माल डिब्बों और सवारी डिब्बों से सम्बन्धित योजना और वास्तविक उत्पादन इस प्रकार था :—

	वर्ष	बजट अनुमान के अनुसार कार्यक्रम	वास्तविक उत्पादन
माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से)			
(1)	1977-78	8500	10842.5
	1978-79	8500*	10470

*(जून 78 में इसे संशोधित करके 11500 कर दिया गया था)

सवारी डिब्बे (वाहन यूनिट में)			
(क)	1977-78	281	211
	1978-79	290	223

(ख) 1977-78 के दौरान माल डिब्बों का निर्माण करने वाले उद्योगों ने अधिक उत्पादन किया । लेकिन 1978-79 में उत्पादन संशोधित नियोजित माला से कम था जिसका मुख्य कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने से पहिया सेटों की अपर्याप्त सप्लाई थी। सवारी डिब्बों का वास्तविक उत्पादन भी निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ जिसका कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने से पहिया सेटों की अपर्याप्त उपलब्धता और आंशिक रूप से निर्धारित लक्ष्य का उत्पादन करने में सवारी डिब्बा निर्माताओं की असफलता थी। माल डिब्बों सवारी डिब्बों के उत्पादन के लिए पहिया सेटों की उपलब्धता आयात द्वारा सुनिश्चित की जा रही है।

(ग) जी नहीं ।

यूगांडा में रह रहे भारतीयों की संख्या

10453. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री शंकरसिंहजी बाघेला : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) युगांडा में इस समय रह रहे भारतीयों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को युगांडा में चल रहे हाल के यद्ध के दौरान इनकी सुरक्षा के बारे में समाचार प्राप्त हुए हैं; और

(ग) वहां पर भारतीयों की सुरक्षा के लिए भारत सरकर द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) इस समय उगांडा में भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 100 है।

(ख) और (ग) : कम्पाला स्थित हमारे हाई कमिश्नर ने भारतीय नागरिकों की रक्षा एवं सुरक्षा के आवश्यक उपायों का सुनिश्चय करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिकों और स्थानीय अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा और विदेश मंत्रालय को नियमित रूप से इस मामले से अवगत कराया। हमारे हाई कमीशन ने 30 मार्च से 2 अप्रैल 1979 के बीच

लगभग 250 भारतीय नागरिकों को उगांडा से कीनिया पहुंचाया। स्वयं हाई कमिश्नर तथा मिशन के अन्य सदस्यों ने इन भारतीयों को वहां पहुंचाया। नैरोबी स्थित हमारे हाई कमीशन ने इन शरणार्थियों को रखने ठहराने तथा देश प्रत्यावर्तित करने में सभी सम्भव सहायता प्रदान की।

जनजाति विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशें

10454. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के जनजाति क्षेत्रों के लिए मध्यम अवधि योजना हेतु गृह मंत्रालय द्वारा गठित जनजाति विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार उनके मंत्रालय ने एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं और उनके मंत्रालय में वर्ष 1979-80 के लिए और पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए क्या निर्णय किए हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यताओं के अनुरूप परिवहन के विभिन्न साधनों के विकास की पूरी नीति सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति के विचाराधीन है, जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी सीमान्त क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार के द्वारा 1979-80 में निम्नलिखित के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है—

(1) असम और मेघालय में गुवाहाटी से बरनीहाट तक बड़ी लाइन।

(2) त्रिपुरा में धर्मनगर से कुमारघाट तक मीटर लाइन।

(3) अरुणाचल प्रदेश में बालीपाड़ा से भालुकपोंग तक मीटर लाइन।

(4) मणिपुर में सिलचर से जिरिबाम तक मीटर लाइन।

(5) नागालैंड में अमगुड़ी से तुली तक मीटर लाइन।

(6) मिजोरम में लालाघाट से भैरवी तक मीटर लाइन।

इनके अलावा, रेलों ने निम्नलिखित आदिवासी क्षेत्रों में नई लाइनों के लिए सवक्षण भी किए हैं :—

(i) पार्वतीपुरम—कोरापुट ;

(ii) ललितपुर—सिंगरौली (अंशतः आदिवासी क्षेत्र में) ; और

(iii) वरवाडीह—करोंजी (अंशतः आदिवासी क्षेत्र में)

डाला और चुर्क सीमेंट सन्यन्त्रों का बन्द होना

10455. **श्री दयाराम शाक्य :**
श्री बृजभूषण तिवारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के डाला और चुर्क सीमेंट संयंत्रों को कोयला न मिलने के कारण बन्द कर दिया गया है :

(ख) क्या इन दोनों संयंत्रों की प्रति महीने 14 रैकों की आवश्यकता है जिसके बदले जनवरी से मार्च, 1979 के दौरान केवल 8 रेक सप्लाई किए गए; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) डल्ला और चुर्क सीमेंट कारखानों ने सूचित किया था कि कोयले की प्राप्ति में विलम्ब के कारण कुछ दिन के लिए उन्हें डल्ला और चुर्क स्थित अपनी भट्टियों को बन्द रखना पड़ा । इन कारखानों की मासिक मांग 11 रेक कोयले की है, जबकि इन कारखानों के लिए कोयले की ढलाई जनवरी-मार्च, 1979 की अवधि में प्रतिमास सात से आठ रेक के बीच रही । चूंकि कोयले के लिए कुल मांग उपलब्धता से बहुत ही अधिक है, इसलिए डल्ला और चुर्क के कारखानों सहित किसी भी उपभोक्ता की पूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं है।

मैसर्स नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी और मैसर्स धारित्री ट्रेडिंग कम्पनी, उड़ीसा द्वारा भविष्य निधि की राशि का जमा कराया जाना

10456. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(एक) मैसर्स नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी छनदान बाजार, भद्रक उड़ीसा और (दो) मैसर्स धारित्री ट्रेडिंग कम्पनी, छनदान बाजार, भद्रक उड़ीसा ने गत तीन वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कितनी राशि जमा की है और उन पर पृथक-पृथक कितनी कितनी राशि बकाया है।

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मैसर्स नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी, चन्दन बाजार, भद्रक, उड़ीसा और धारित्री ट्रेडिंग कंपनी, चन्दन बाजार, भद्रक, उड़ीसा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन नहीं आते। अतः इन प्रतिष्ठानों द्वारा भविष्य निधि की धन-राशि जमा कराने का प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि ये दोनों कंपनियां भद्रक में स्थित हैं, जहां पर अभी तक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना के उपबन्धों को लागू नहीं किया गया है। अतः उक्त कंपनियों के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कोई अंशदान जमा कराना अपेक्षित नहीं ह ।

काश्मीर

10457. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में विदेशों/अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में दोबारा काश्मीर मामले को उठाना शुरू कर दिया है और वे अन्तर्राष्ट्रीय जनमत बना रहे हैं और इस मामले पर बहुत सी प्रचार सामग्री परिचालित कर रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऐसे प्रचार का मुकाबला करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख) और (ग) पाकिस्तान की सरकार जम्मू एवं कश्मीर के बारे में अपना दृष्टिकोण समय-समय पर व्यक्त करती रही ह। पाकिस्तान के रवैये में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया है। जम्मू एवं कश्मीर के बारे में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया है। जम्मू एवं कश्मीर के बारे में भारत सरकार का रवैया सर्वविदित है और इस संबंध में अपनी स्थिति की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

विदेश मंत्रालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और मुसलमान व्यक्तियों की संख्या

10458. **श्री सी० के० जाफर शरीफ:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) विदेश मंत्रालय में विभिन्न श्रेणियों में, श्रेणीवार, इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा मुसलमान अधिकारियों की संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या कुछ अधिकारियों ने हाल ही में त्याग-पत्र दे दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) एक विवरण सदन की मेज़ पर रख दिया गया है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों का श्रेणीवार ब्यौरा दिया गया है। सरकारी सेवा में भर्ती और पदोन्नति का आधार धर्म नहीं होता। अधिकारियों के रिकार्ड भी व्यक्ति विशेष के धर्म और जाति के अनुसार नहीं रखे जाते अथवा वर्गीकृत किए जाते।

(ख) अनसूचित जाति के एक अधिकारी ने, जिसे सीधे अनुभाग अधिकारी के रूप में भर्ती किया गया था अपनी इच्छा से विदेश मंत्रालय से त्याग-पत्र दे दिया था क्योंकि उन्हें मंत्रालय के बाहर नौकरी मिल गई थी। जहां उनके लिए यहां से अच्छे अवसर थे

विवरण

विदेश मंत्रालय

(केन्द्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास संगठनों को छोड़कर)

श्रेणी (समूह)	कार्मिकों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
श्रेणी I (समूह (क)	643	47	25
श्रेणी II (समूह ख)	1544	92	10
श्रेणी III (समूह ग)	683	71	16
श्रेणी IV (समूह घ) (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	484	49	—
श्रेणी V (सफाई कर्मचारी)	55	55	—

सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों द्वारा जहाजों का गोदामों के रूप में उपयोग

10459. **श्री सरत कार :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिनमें भारतीय खाद्य निगम जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम जहाजों का लगभग गोदाम के समान उपयोग करते रहे हैं और पहिले ही स्थानाभाव का सामना कर रहे बम्बई बंदरगाह की समस्याओं में वृद्धि कर रहे हैं,

(ख) क्या यह सच है कि इसके लिए उन्हें जो जुर्माना अदा करना पड़ता है वह बन्दरगाह के बाहर अदा किए जाने वाले भण्डागार प्रभारों से बहुत कम है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क), (ख) और (ग) : बम्बई पोर्ट ट्रस्ट और भारतीय खाद्य निगम ने सूचना दी है कि जहाजों का गोदामों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा ।

तटों से इंजनों के लिए कोयला ले जाने के संबंध में नौवहन कंपनियों को हुई हानि

10460. **श्री सरत कार :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे और कोयला क्षेत्र प्राधिकारियों द्वारा लापरवाही दिखाए जाने के कारण तटों से इंजनों के लिए कोयला ले जाने में इन महीनों में नौवहन कंपनियों को कोई हानि हुई है, और

(ख) पूर्वी तट के पत्तनों से दक्षिण में खपत वाले स्थानों को तटीय नौवहन द्वारा कोयले की ढलाई के संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) इस बारे में आंकड़े इकट्ठे नहीं किए गए हैं ।

(ख) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, जब कभी उपभोक्ता दक्षिण के उपभोक्ता स्थानों के लिए कलकत्ता/हल्दिया से कोयला उठाने की इच्छा जाहिर करते हैं तब उन्हें इस बारे में कोयला नियंत्रक के पास इंडेंट भेजने पड़ते हैं । इसके बाद, कोयला नियंत्रक इन इडेंटों को नौवहन महानिदेशक, बम्बई के पास भेजते हैं ताकि वे हर महीने होने वाली बैठकों में विभिन्न उपभोक्ताओं को जहाज देने के बारे में निर्णय कर सकें । इन बैठकों में इंडियन कोस्टल कांफ्रेंस, नौवहन कंपनियों, रेलवे, पोर्ट ट्रस्टों, कोल इंडिया और अन्य संबंधित औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि भाग लेते हैं ।

त्रिवेणी इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश द्वारा भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि जमा कराया जाना

10461. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स, गोवर्धन रोड, मथुरा (उत्तर प्रदेश) द्वारा भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कितनी धनराशि जमा कराई गई है और अभी कितनी राशि जमा करानी शेष है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स, गोवर्धन रोड,

मथुरा ने, जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 धारा 17 (1) (क) के अधीन छूट प्रदान किए जाने तक, कर्मचारी भविष्य नधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 79 के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है, 31 मार्च, 1979 तक अपने न्यासी बोर्ड को भविष्य निधि अंशदानों की 4,55,488.93 रुपए की धनराशि हस्तांतरित की है। यह न्यासी बोर्ड इस कम्पनी की भविष्य निधि की व्यवस्था करता है। उस तारीख तक इस फर्म की ओर न्यासी बोर्ड को हस्तांतरित करने के लिए कोई राशि बकाया नहीं थी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि यह प्रतिष्ठान मथुरा नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित है और वहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना के उपबन्धों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। अतः कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अंशदानों को जमा करने का प्रश्न हीं नहीं उठता।

"सीक्रेट चेंज इन यू० के० एमीग्रेशन ला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

10462. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 14 मार्च, 1979 के "इंडियन एक्सप्रेस", नई दिल्ली में पृष्ठ 7 में "सीक्रेट चेंज इन यू० के० एमीग्रेशन ला" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है।

विदेश राज्य मंत्री (श्री सुमरेन्द्र कुण्डू): (क) जी हां।

(ख) तथ्य इस प्रकार हैं :—

ब्रिटिश आप्रवासन नियमों के अन्तर्गत कोई भी यात्री ब्रिटेन में बसने के लिए वहां पुनः प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसे आप्रवासन अधिकारी को संतुष्ट करना होता है कि जब उसने यूनाइटेड किंगडम को छोड़ा तो वह वहां बसा हुआ था और उसने दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ब्रिटेन नहीं छोड़ा। ब्रिटिश गृह विभाग के अनुसार 1978 में कुछ ऐसे लोग थे, जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम के साथ अपने संबंध तो तोड़ लिए थे, लेकिन ये लोग बहुत होशियारी से हर दो वर्ष के बाद थोड़े-थोड़े समय की यात्रा करते रह कर 'आवासी' का अपना दर्जा बनाए रखने की कोशिश में थे।

जिन मामलों में प्रवेश बन्दरगाह पर जांच के दौरान आप्रवासन अधिकारी यह निर्णय कर लेता है कि भूतपूर्व आवासी की हैसियत से पुनः प्रवेश का इच्छुक व्यक्ति उस देश में अपने पहले निवास के दौरान अपना सामान्य निवास स्थापित नहीं कर सका तो सामान्यतः उसे 6 मास का समय दिया जाता है जिसमें उसके नौकरी प्राप्त करने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध अथवा रोक नहीं लगायी जाती। प्रवेश की अनुमति दिए जाते समय यात्री को बता दिया जाता है कि यदि वह वहां बसने के अपने दावे को सिद्ध करना चाहे तो वह गृह विभाग से अनुरोध कर सकता है।

समाचार रिपोर्ट में जिस दूसरे परिवर्तन का उल्लेख किया गया था, वह था आप्रावासन अधिकारी द्वारा आप्रवासियों के साथ की जाने वाली पूछताछ के समय

स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल न करना। नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत ऐसे प्रतिनिधि वहां उपस्थित हो ही सकते हों।

किसी प्रकार की कठिनाई अथवा भेदभाव के मामलों को सरकार ब्रिटेन के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाती रहेगी।

दुबारा काम पर लगाये गये सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी

10463. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के बम्बई डिवीजन में वाणिज्यिक क्लर्कों तथा टिकट क्लैक्टरों के रिक्त पद हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उपलब्ध सक्षम युवकों को रोजगार देने की बजाय उन रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को पुनः काम पर लगाया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो यह पद्धति कितने वर्षों से चली आ रही है और उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) बम्बई मण्डल में टिकट क्लक्टरों की 36 और वाणिज्यिक क्लर्कों की 164 रिक्तियां हैं।

(ग) और (घ) रेल सेवा आयोग द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के पैनल उपलब्ध न होने पर 1974 और 1978 में सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्तियां करनी पड़ी थी और यथासंभव सीमा तक श्रेणी-4 के कर्मचारियों को श्रेणी-3 के पदों पर पदोन्नत करना पड़ा था।

तूतीकोरिन से पश्चिम बंगाल के लिए नमक तथा सीमेंट के नौवहन का आश्वासन

10464. **डा० विजय मण्डल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को तूतीकोरिन से पश्चिम बंगाल राज्य के लिए प्रतिमास नमक के चार जहाज तथा प्रति तिमाही 40 हजार टन सीमेंट के जहाज भेजने का आश्वासन दिया था, और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आश्वासन को पूरा किया गया है और यदि नहीं, तो तो उसके क्या कारण हैं।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मं ी (श्री चांद राम) : (क) और (ख) जी, हां। परन्तु, इस बारे में तो केवल साधारण आश्वासन दिया गया था। फिर भी अधिक से अधिक जहाज देने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि पश्चिम बंगाल सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

क्षय रोगियों का प्रवेश पाने में कठिनाइयां

10465. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्रीमती मोहसिना किदवई
डा० विजय मण्डल : } क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1979 के "संडे स्टैन्डर्ड" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि क्षय रोग के हजारों गंभीर रोगी दिल्ली के दो टी० बी० अस्पतालों में प्रवेश पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं :

(ख) क्या यह सच है कि राजधानी में हजारों अन्य ऐसे रोगी भी हैं जिन्हें चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण इलाज उपलब्ध नहीं हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य क्या हैं और वर्तमान टी० बी० अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने और निकट भविष्य में ही नए अस्पताल खोलने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस स्थिति का मुकाबला किया जा सके ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां। जिस प्रेस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है सरकार ने उसे देखा है । क्षय रोग से पीड़ित अनेक रोगी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण क्षय रोग अस्पतालों में दाखिलों के लिए पंजीकरण कराते हैं जो हो सकता है कि यह दाखिला न तो उनके प्रभावकारी इलाज के लिए न जन स्वास्थ्य उपाय के रूप में ही आवश्यक हो । इन सभी को शहर के 10 क्लिनिकों के माध्यम से एक समान गुणकारी उपचार प्रदान किया जाता है। भर्ती होना तभी आवश्यक होता है जब किसी रोगी को शल्य चिकित्सा की जरूरत हो अथवा कोई गम्भीर जटिलता उत्पन्न हो गई हो । ऐसे रोगियों को तत्काल भर्ती कर लिया जाता है और उन्हें प्रतीक्षा सूची पर बिल्कुल नहीं रखा जाता है ।

(ख) जी नहीं । क्षय रोग से पीड़ित सभी रोगियों को दिल्ली शहर के 10 क्लिनिकों और 2 अस्पतालों के जरिए क्षय-रोगी औषधियों सहित निःशुल्क निदान और घरेलू उपचार उपलब्ध किया जाता है। प्रदान की जानेवाली ये चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं ।

(ग) भाग (क) के उत्तर में बताई गई स्थिति को देखते हुए इस समय वर्तमान अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाना और नए अस्पताल खोलना आवश्यक नहीं है।

रेलगाड़ी संख्या सी० बी० I तथा सी० बी० II के साथ अधिक डिब्बे लगाया जाना

10466. **श्री ब्रजराज सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली और मुरादाबाद के बीच चलने वाली गाडी संख्या सी० बी०I तथा सी० बी० II में 10 डिब्बे लगाने के बजाए केवल 6 डिब्बे लगाए जाते हैं और अनेक यात्रियों को डिब्बे की छत पर बैठ कर यात्रा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 1सी० बी०/2सी०बी० चन्दौसी-बरेली सवारी गाड़ी में सामान्यत: 7 डिब्बे लगाए जाते हैं । आम तौर पर गाड़ी पूरे डिब्बों के साथ चलती है, परन्तु अप्रैल, 1979 के दौरान कुछ दिन इन गाड़ियों में निर्धारित डिब्बों से कम डिब्बे लगाए गए क्योंकि सवारी डिब्बों में यांत्रिक/बिजली सम्बन्धी खराबी आ जाने से इन्हें गाड़ी से काटना आवश्यक हो गया तथा उनके बदले दूसरे डिब्बे गाड़ियों में लगाने के लिए तुरन्त उपलब्ध न हो सके :

बच्चों को लगाये जाने वाले "तीन टीकों" की कमी

10467. **श्री बलबन्त सिंह रामू वालिया :** क्या स्वास्थ्य **और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में मार्च, 1979 से नवजात शिशुओं को लगाए जाने वाले "तीन टीकों" उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें मार्च और अप्रैल, 1979 में (महीनेवार) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य औषधालयों में उपरोक्त औषधि उपलब्ध नहीं थी; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे इस औषधि की सप्लाई बन्द न हो और सभी औषधालयों में हमेशा उपलब्ध रहे ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) (ख) और (ग) हौज खास और नारोजी नगर के औषधालयों को छोड़कर दिल्ली के सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में ट्रिपल वैक्सीन उपलब्ध रही है। इन दो औषधालयों में निर्माताओं से आने वाली सप्लाई में थोड़े समय के लिए बाधा पड़ जाने के कारण मार्च, 1979 के प्रथम तीन सप्ताहों में यह उपलब्ध नहीं थी ।

(घ) प्राधिकृत सप्लायर्स अर्थात् केन्द्रीय संस्थान कसौली के पास समय रहते इन्डेंट भेज दिए गए थे ताकि सप्लाई लगातार बनी रहे। तथापि कभी-कभी सप्लायर्स उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हमारी मांगें पूरी करने में असमर्थ रहते हैं ।

बिहार में मीटर गेज लाइनों को बदलना

10468. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में बिहार राज्य में मीटर गेज लाइनों को ब्राड गेज में बदलने तथा नई रेल लाइनों का विकास करने के बारे में बिहार सरकार से कुछ प्रस्ताव अथवा सुझाव प्राप्त हुए हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां।

(ख) निकट अतीत में बिहार राज्य में स्थित मीटर लाइनों के आमान परिवर्तन और नई लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं :—

	अनुमानित लम्बाई कि० मी० में
1. मुजफ्फरपुर–सगौली–नरकटियागंज (आमान-परिवर्तन)	160
2. हसनपुर रोड़—सकरी (मी० ला०)	60
3. मंदारहिल–दुमका (ब० ला०)	64
4. वैद्यनाथधाम–दुमका (ब० ला०)	63
5. दुमका–मधुपुर (ब० ला०)	59
6. गिरिडीह–हज़ारीबाग रोड़ (ब० ला०)	56
7. हज़ारीबाग रोड़–हजारीवाग टाउन (ब० ला०)	78
8. हजारीवाग टाउन–रांची रोड़ (ब० ला०)	40
9. दुमका–साइंथिया (ब० ला०)	56
10. दुमका–रामपुर हाट (ब० ला०)	54
11. कोरबा–रांची (ब० ला० (लीहारडागा–रांची के बीच आमान –परिवर्तन) (अंशतः मध्य प्रदेश में)	381
12. गुआ–टटिबा (ब० ला०)	15
13. सिमरी–बख्तियारपुर–विहारीगंज (मी० ला०)	55
14. माधोपुर–सिंहेश्वर स्थान (मी० ला०)	10
15. वथनाहा–भीमनगर (मी० ला०)	30
16. निर्मली–सरायगढ़ (मी० ला)	58
17. सरायगढ़–भीमनगर (मी० ला०)	30
18. डेहरी–आन–सोन–पिपराडीह	60
19. रांची रोड से गिरिडीह बरास्ता कोडरमा (ब० ला०)	180
20. वैद्यनाथधाम से मंदराहिल (ब० ला०)	55
21. गया–राजगीर (ब० ला०)	43
22. पीरपैंटी–दुमका बरास्ता गोड्डा (ब० ला०)	125

कुछ समय पूर्व मुजफ्फरपुर–संगौली–रक्सौल रेल लाइन के बदलाव के लिए सर्वेक्षण किया गया था। इस लाइन का पुनर्मुल्यांकन सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। संगौली से नरकटियागंज रेल लाइन के आमान परिवर्तन का अभी कोई विचार नहीं है।

हसनपुर रोड़ से सकरी तक नई मीटर लाइन (क्रमांक 2) के निर्माण की स्वीकृति पहले दी जा चुकी है।

क्रमांक 3 से 17 तक उल्लिखित नई लाइनों के लिए भी अतीत में सर्वेक्षण किए गए थे परन्तु वित्तीय दृष्टि से इन्हें अर्थक्षम नहीं पाया गया और वित्तीय कमी तथा यातायात की संभावनाओं को देखते हुए, इन प्रस्तावों को छोड़ दिया गया है।

डेहरी आन सोन–पिपराडीह (क्रमांक 18) के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट विचाराधीन है।

क्रमांक 19 से 21 में उल्लिखित लाइनों के लिए सर्वेक्षण के कार्य चालू हैं।

गोड्डा के रास्ते पीरापैंटी से दुमका तक रेल लाइन के सर्वेक्षण के प्रस्ताव पर इस लिए विचार नहीं किया गया क्योंकि संथाल परगना में कोयला उत्खनन के कार्य के सम्बन्ध में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है।

पश्चिमी हायाघाट डिवीजन

10469. श्री सुरेन्द्र झा सुमन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा जिले में हायाघाट–थालवाड़ा स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के साथ-साथ पानी की निकासी के लिए पर्याप्त संख्या में नालियां न होने से बाढ़ के कारण पश्चिमी हायाघाट डिवीज़न को हुई भारी क्षति के बारे में सरकार को जानकारी है ; और

(ख) क्या आगामी बाढ़ से पहले जल की निकासी के लिए कोई प्रबन्ध करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) हायाघाट और थलवाड़ा के बीच 22/9–10 तथा 23/10-11 किलोमीटर पर वर्तमान दो रेल पुलों के बीच 207.25 मीटर का जलमार्ग है जो इस क्षेत्र में बाढ़ के पानी की निकासी के लिए पर्याप्त समझा जाता है। विगत में इन दोनों पुलों पर बाढ़ के पानी की इनमें से निकासी के दौरान कोई कठिनाई महसूस नहीं की गई है। रेलवे ने इस खण्ड पर किसी जलमार्ग या पुल को बन्द नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों से जलपोतों का आयात

10470. श्री सुरेन्द्र झा सुमन : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्षों अर्थात् 1976-77 से 1978-79 के दौरान कितने जलपोतों का वार्षिक आयात किया गया और उन पर कितना व्यय हुआ, और

(ख) जलपोतों का देशवार मूल्य क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (ख) आंकड़े एकत्र किए जाएंगे और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

विकसित देशों के साथ तकनीकी सहयोग

श्री ईश्वर चौधरी :

10471. **श्री श्याम सुन्दर लाल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि विश्व के विकसित और विकासशील देशों के साथ बहु-पक्षीय आर्थिक संबंध और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए मंत्रालय में नए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों को मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस संबंध में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) सरकार भारत तथा अन्य देशों के बीच बहुपक्षीय आर्थिक संबंधों और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने और संवर्धित करने के सतत प्रयत्न कर रही है।

(ख) बहुपक्षीय आर्थिक आदान-प्रदान को बढ़ाने के कार्यक्रमों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विचार किया जाता है और वहीं ये तैयार किए जाते हैं जैसा कि भारत एवं दूसरे देशों के बीच की द्विपक्षीय और बहुपय आधार पर किया जाता है। ये काम संसाधनों के के प्रवाह को संवर्थित करके, व्यापार को बढ़ाकर प्रौद्योगिकी को हस्तांतरण करके और औद्योगिकीकरण ।

विदेश मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

10472. **श्री राम चरण :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और विदेशों में कार्य कर रहे विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों को श्रेणी-वार/ ग्रेडवार कुल संख्या कितनी है और उनमें से विभिन्न ग्रडों और श्रणियों में अनुसचित जाति/जन-जाति के कितने कर्मचारी हैं ।

(ख) क्या पदों की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अभिप्रेत आरक्षित कोटे के न भरे जाने की स्थिति सरकार अन्य मंत्रालयों/ विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों द्वारा आरक्षित कोटे के पदों को भरने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं तो इस कोटे को भरने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री श्री अटल बिहारीवाजपेयी : (क) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें विदेश मंत्रालय के अधीन भारत तथा विदेशों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के श्रेणीवार वर्गीकरण का ब्यौरा दिया गया है। और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की संख्या बताई गई है।

(ख) और (ग) जहां तक आरक्षित कोटे के भरे जाने का सवाल है सरकार इस बात की निरंतर समीक्षा करती रहती है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को किस हद तक नहीं भरा गया है और जहां कहीं संभव होता है इस कोटे के भरे जाने के लिए उपयुक्त छूट दी जाती है।

विवरण

विदेश मन्त्रालय

(केन्द्रीय पासपोर्ट, और उत्प्रवास संगठन को छोड़कर)

31-12-1978 को सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या का विवरण

वर्ग (समूह)	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
वर्ग I (समूह (क)	643	47	25
वर्ग II (समूह ख)	1544	92	10
वर्ग III (समूह ग)	683	71	16
वर्ग IV (समूह घ) (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	484	49	—
वर्ग IV (सफाई कर्मचारी)	55	55	—

उत्तर प्रदेश में यमुना पर पुलों का निर्माण

10473. **श्री रामचरण :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में यमुना नदी पर कितने पुल निर्माणाधीन हैं,

(ख) वर्ष 1981 तक कितने पुलों का निर्माण हो जाने का अनुमान है,

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने औद्रीय्या घाट (शेरग्राह घाट) के निकट इटावा और जालौन को मिलाने के लिए यमुना पर एक पुल बनाने का निर्णय किया है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) उत्तर प्रदेश में यमुना नदी पर इस समय केवल दो पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है।

(ख) यमुना नदी पर दो और पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। वास्तविक रूप से निर्माण कार्य बाद में चालू किया जाएगा।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक

10474. श्री राम चरण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य मंत्रालय और उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक ग्रेड-1 और हिन्दी अनुवादक ग्रेड-2 के कितने पद हैं ;

(ख) इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं और इन श्रेणियों के कितने कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं ;

(ग) यदि अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के कोई कर्मचारी नहीं हैं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या आरक्षण के बारे में राष्ट्रपति के आदेश लागू कर दिए गए हैं; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख), (ग) और (घ) इस मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में हिन्दी पदों की संख्या इस प्रकार है :—

वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी (1100–1600 रुपये)	एक
हिन्दी अधिकारी (650–1200/840–1200 रुपये)	तीन
हिन्दी अनुवादक (550–800 रुपये)	पांच
कनिष्ठ हिन्दी अनवादक (425–700 रुपये)	पन्द्रह

वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अधिकारियों के पद तदर्थ आधार पर भरे गए।

केवल एक ही अधिकारी अनसूचित जाति का है और वह कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद पर आसीन है। अनसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के आदेश हिन्दी पदों पर भी लागू होते हैं तथा अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के लिए निर्धारित किए गए जातिगत रोस्टर का उक्त पदों को भरने के लिए अनुसरण किया जा रहा है। वैसे, राजभाषा सेवा के बनने तक हिन्दी के अनेक पद तदर्थ आधार पर भरे जाते हैं।

जहां तक अधीनस्थ कार्यालयों के हन्दी पदों का सम्बन्ध है, इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तिरूपति पर उपरि पुल

10475. श्री पी० राजगोपाल नायडु : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तिरुपति पर एकरेल उपरिपुल का निर्माण करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब आरम्भ किया जायेगा।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां।

(ख) ऊपरी सड़क पुल तथा उसके पहुंच मार्गों पर काम पहले से ही हो रहा है।

विजयवाड़ा गुड़र लाईन को सुदृढ़ बनाना

10476. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय विजयवाड़ा और गडूर के बीच रेल लाइनों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। अधिक भारी पटरी का उपयोग करके इस खण्ड पर रेल-पथ का नवीकरण किया जा रहा है ।

(ख) 1974-75 से 1978-79 तक रेल-पथ नवीकरण पर 6.57 करोड़ रुपए खर्च हुए। 1979-80 के लिए प्रस्तावित नए निर्माण-कार्यों सहित चालू, निर्माण-कार्यों पर 8.82 करोड़ रुपए की राशि और और खर्च की जायेगी।

भारतीय मिशनों में अर्थशास्त्री

10477. श्री दुर्गा चन्द : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक एवं आर्थिक विभागों में नियुक्ति के लिए अर्थशास्त्रियों की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ये विभाग इस समय किस ढंग से कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) मिशनों में अर्थशास्त्रियों को नियुक्त करने की नई योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) राजनयिक अनुभव, विदेशी भाषाओं का ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से परिचय, इन को देखते हुए, जो कि आर्थिक और वाणिज्यक काम करने वाले अधिकारी के लिए प्रभावकारी परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से अपेक्षित होते हैं, मंत्रालय की यह नीति रही है कि विदेश स्थित अपने मिशनों के वाणिज्यक और आर्थिक खण्डों में बाहरी आर्थिक विशेषज्ञों को नियोजित करने की बजाय भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को ही रखा जाए जिन्हें इस प्रयोजन से उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है और अनुभव कराया जाता है।

(ग) विदेश स्थित हमारे मिशनों के वाणिज्यक तथा आर्थिक खंड व्यापार, द्विपक्षीय आर्थिक और तकनीकी सहयोग से सम्बन्धित मामलों को देखते हैं और उस देश तथा सम्बन्धित क्षेत्र में आर्थिक और वाणिज्यक विकासों के बारे में रिपोर्ट देते हैं।

इस समय सामान्यतः इन पर सरकारी कर्मचारी काम करते हैं जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किया जाता है। आर्थिक तथा वाणिज्यक खंडों के काम—काज का सरकार लगातार पुनरीक्षण करती रहती है। इन खडों के काम का मूल्यांकन करने के लिए विदेश सेवा निरीक्षकों द्वारा आवधिक जायजा

लिया जाता है और इस बात का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं कि इनके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिल नाडु में तलमार्गों अथवा उपरि पुलों का निर्माण

10478. श्री जनार्दन पुजारी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू सरकार ने ऐसे 16 फाटकों पर तलमार्ग अथवा उपरीपुल बनाने के लिए केन्द्र से आग्रह किया है जिनको राज्य सरकार ने चुना है, और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) संविधान के अनुसार, केन्द्रीय सरकार उन सड़कों के लिए जिम्मेदार है जो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुकी हैं । तमिल नाडू में राज्य प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके अब तक ऐसे 15 स्थान चुने गए हैं जहां सब-वेज़ या ओवरब्रिजों का निर्माण करना है।

(ख) इन 15 सब वेज़/ओवर ब्रिज़ेज में से, 8 की मंजूरी चौथी योजनावधि से ही दी जा चुकी ह । शेष 7 को छठी योजना में शामिल करने का विचार है, जो उपलब्ध संसाधनों और अन्य प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है ।

करजाट जाने वाली उपनगरीय रेलगाड़ी में आग लग जाना

10479. श्री जनार्दन पुजारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अप्रैल 1979 को करजाट जाने वाली उपनगरीय रेलगाड़ी को कल्याण के निकट आग लग गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) 11-4-1979 को लगभग 14.10 बजे जबकि गाड़ी नं० एस-9 डाउन बम्बई वी० टी० कर्जत उपनगरीय गाड़ी मध्य रेलवे के कल्याण और विट्ठलवाडी स्टेशनों के बीच जा रही थी, गाड़ी के सातवें सवारी डिबे में आग लग गई, जिसके परिणामस्वरूप 7 व्यक्तियों की मृत्य हो गई 5 गम्भीर रूप से घायल हुए और 18 मामूली रूप से जख्मी हुए ।

अपर आयुक्त रेल संरक्षा बम्बई ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है जिनके निष्कर्षों के अनुसार आग लगने का कारण दूसरे दर्जे के डिब्बे में एक यात्री द्वारा बारुद अथवा विस्फोटक पाउडर जैसे अति ज्वलनशील पदार्थ का ले जाया जाना था जिसमें जलती हुई बीड़ी अथवा सिगरेट के छूट जाने से आग जल उठी ।

पहाड़ी जिलों में कुष्ठ रोग

10480. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 के दौरान अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के पहाड़ी जिलों में कुष्ठ रोग के कितने मामले हुए ;

(ख) इन जिलों में कुष्ठ रोग का उन्मलन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या उक्त कार्य के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 1978 के लिए अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के पहाड़ी जिलों में कुष्ठ रोगियों की संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु पहले किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार इन दो जिलों में रोगियों की अनुमानित संख्या क्रमशः 2625 और 470 है।

(ख) हालांकि इन जिलों से कुष्ठ रोग के उन्मूलन में कुछ समय लग सकता है लेकिन इस रोग पर काबू पाने के लिए बलवाकोट में एक कुष्ठ नियन्त्रण एकक, पिथौरागढ़ में एक शहरी कुष्ठ केन्द्र और अल्मोड़ा में एक शहरी कुष्ठ केन्द्र खोल दिया गया है।

(ग) जी हां । राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान खोले गए यूनिटों अर्थात् पिथौरागड़ और अल्मोड़ा में शहरी कुष्ठ केन्द्रों के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

रेलवे कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम राशि

10481. **श्री सोमजी भाई दामोर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार रेल कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम राशि के रूप में कितनी राशि दी ;

(ख) क्षेत्रीय रेलों की वर्ष-वार स्थिति क्या है ;

(ग) डिवीजन-वार तथा वर्कशाप वार स्थिति क्या है:

(घ) कितने रेल कर्मचारियों ने आवेदन पत्र दिए हैं और उनमें से कितनों को डिवीज़नवार तथा वर्कशापवार अग्रिम राशि दी गई है :

(ङ) तृतीय श्रेणी तथा चयर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों को डिवीज़न वार तथा वर्कशाप वार अग्रिम राशि दी गई ;

(च) अनसूचित जाति/जनजाति के कितने कर्मचारियों ने आवेदन पत्र दिए थे और कितनों को गृह निर्माण अग्रिम राशि दी गई; और

(छ) रेलवे में डिवीजन वार तथा वर्कशाप वार राशि सम्बन्धी प्रक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (छ) सूचना इकट्ठी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए विशेष कार्यक्रम

10482. प्रो० समर गुह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए 1977-78 तथा 1978-79 में किए गए प्रचार सहित कितना वित्तीय नियतन किया गया ;

(ख) (एक) नगरों और (दो) ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण प्रचार पर किए गए व्यय का व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ सम्प्रदायों में कई पत्नियां रखने की प्रचलित प्रक्रिया परिवार कल्याण उद्देश्य के विरुद्ध ह ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार एक से अधिक पत्नी रखने की प्रक्रिया के विरुद्ध कानूनी उपाय करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीद्र वर्मा) : (क) 1977-78 और 1978-79 में परिवार कल्याण के लिए निम्नलिखित आवंटन किया गया :—

1977-78	9,867.17 लाख रुपए
1978-79	11,181.39 लाख रुपए

(ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण प्रचार कार्य पर हुए व्यय के अलग-अलग आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं । 1977-78 और 1978-79 में परिवार कल्याण प्रचार कार्य पर क्रमश: 282.25 लाख रुपए और 370.18 लाख रुपए व्यय किए गए और इसमें से लगभग 80 प्रतिशत खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

खाली पड़े हुए राजनयिक पद

10483. श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) विगत एक वर्ष से अधिक, छह महीनों और तीन महीनों में अलग-अलग मिशनों के प्रमुख पदाधिकारियों सहित विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में ऐसे राजनयिक पदों का व्यौरा क्या है जो खाली पड़े हुए हैं ;

(ख) इन पदों के खाली पड़े रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) मिशनों के प्रमुख पदाधिकारियों के कितने पद राजनीतिक और विदेशी और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के व्यक्तियों द्वारा संचालित हैं और राजनीति से लिए गए व्यक्तियों द्वारा संचालित इन पदों की प्रतिशतता क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) विवरण में उल्लिखित पद प्रशासनिक कारणों से रिक्त हैं।

(ग) मिशन प्रमुखों के दस पदों पर सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, 88 पदों पर भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं और दूसरी सेवाओं के व्यक्ति हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा गृहीत पदों की प्रतिशतता 8.8 है।

विवरण

विदेश स्थित मिशनों में रिक्त राजनयिक पदों का विवरण

क्रम सं०	पद एवं देश	1 वर्ष	6 महीने	3 महीने
		से अधिक समय से रिक्त पड़े पदों की सं०		
1	भारत का राजदूत लीमा	—	—	1
2	द्वितीय सचिव/ प्रथम सचिव, भारत का हाई कमीशन, दारे-स्सलाम	—	1	—

उक्त पदों के अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों के, जिन्हें आगामी महीनों में विदेश भजना है, विदेशों में कुछ पद रिक्त हैं।

भारतीय श्रम समेलन

10484. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या संसदीय कार्य तथा **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी संघों कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार और राष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन की अंतिम बैठक कब हुई थी ;

(ख) इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए थे; और

(ग) क्या उक्त निर्णय क्रियान्वित कर दिए गए हैं; और यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) भारतीय श्रम सम्मेलन की पिछली बैठक 22-23 अक्तूबर, 1971 को हुई थी। तब से सम्मेलन में विचार-विमर्श की गई मद्दों पर आगे त्रिपक्षीय बातचीत हुई है।

(ख) बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय उपदान की अदायगी संबंधी केन्द्रीय कानून बनाने औद्योगिक उपक्रमों के बन्द होने पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों, बोनस संदाय अधिनियम के अधीन बोनस की सम्पूर्ण योजना की समीक्षा करने के लिए समिति की नियुक्ति और अन्य विषयों से संबंधित थे।

(ग) इनमें से अधिकांश निर्णय कार्यान्वित कर दिए गए हैं।

महाराष्ट्र में पत्तनों का आधुनिकीकरण

10485. **श्री वसन्त साठे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान महाराष्ट्र में पत्तनों का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां तो महाराष्ट्र में पत्तनों के विकास के लिए पत्तनवार, प्राप्त हुए प्रस्तावों/विचाराधीन प्रस्तावों/अंतिम रूप दे दिए गए प्रस्तावों का महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है और 1979-80 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई तथा 1978-79 में, परियोजनावार हुए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में केवल एक ही बड़ा पत्तन है और वह है बम्बई पत्तन। बम्बई पत्तन के लिए 1978--83 योजनावधि के लिए 71.06 करोड़ रु० की अस्थायी व्यवस्था करने पर सहमति हो गई है। इसमें न्हावा शेवा के लिए 25 करोड़ रु० शामिल हैं।

उक्त योजनावधि के दौरान बम्बई पत्तन द्वारा जिन महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने का विचार है, वे निम्न प्रकार हैं :—

(i) बुचर द्वीप में चौथा तेल घाट।

(ii) एक और तिरती क्रेन की खरीद।

(iii) माल/कंटेनर की धरा-उठाई करने वाले यंत्र की खरीद।

(iv) उच्च शक्ति वाली 2 बोलार्ड पुल टगों की खरीद।

(v) कर्मचारियों के लिए मकान की सुविधाएं जुटाना।

बम्बई पत्तन ने 1978-79 के दौरान योजना कार्यों पर 5.41 करोड़ रु० खर्च किए और इस पत्तन के लिए वर्ष 1979-80 के लिए 8.97 करोड़ रु० नियत किए गए हैं।

2. बड़े पत्तनों को छोड़कर अन्य पत्तनों का उल्लेख संविधान की समवर्ती सूची में किया गया है और उनके विकास की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। फिर भी, विगत वर्षों में छोटे पत्तनों के विकास के लिए समुद्री राज्य सरकारों को ऋण सहायता दी गई है, जिनका आधार यह था कि प्रत्येक समुद्री राज्य से एक-एक छोटे पत्तन को लिया गया था। इस प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र से जिस पत्तन का चुनाव किया गया, वह भगवती बंदर (वा मिर्या बे) था जिसके लिए राज्य सरकार को चौथी और पांचवीं योजनावधि के लिए कुल 107 लाख रु० की ऋण सहायता दी गई। 1978--83 योजनावधि में छोटे पत्तनों के विकास का उल्लेख राज्य योजनाओं में किया जाएगा। 1978--83 में उनके विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र के अधीन ऋण सहायता देने का कोई विचार नहीं है।

विदेशों को भारतीय रेलवे सम्बन्धी तकनीकी जानकारी

10486. **श्री वसन्त साठे**
श्री विजय कुमार एन० पाटिल } क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे से तकनीकी कुशलता तथा तकनीक की जानकारी मांगी है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन देशों को कितने मूल्य का रेलवे सम्बन्धी साज-सामान बेचा गया तथा कितने मूल्य की सलाहकार सेवाएं प्रदान की गई; और

(ग) इसके पूर्व को इतनी अवधि के तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) नौ ।

(ख) और (ग) विदेशों को बेची गई रेलवे सामग्री तथा उपस्करों का कुल मूल्य और विदेशों को दी गई परामर्श सेवाओं से हुई आय इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	बेची गई रेलवे सामग्री तथा उपस्कर	परामर्श सेवाएं
1975-76	325.6	44.0
1976-77	988.8	22.0
1977-78	0.5	86.0
1978-79	648.9	*133.6 (लगभग)

*इसमें विदेशों में अनुरक्षण कार्य के लिए रेलवे विशेषज्ञों और तकनीशियनों की सेवाओं की व्यवस्था से हुई 17.6 लाख रुपये की आय शामिल है।

भारत सोवियत संघ सहयोग

10487. **श्री वसन्त साठे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ की कन्यूनिष्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रथम सचिव और हमारे प्रधान मंत्री के बीच जिन विभिन्न समझौतों और करारों पर हस्ताक्षर हुए थे, उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने सोवियत संघ की सरकार के सहयोग से क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है; और

(ख) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री समरेन्द्र कुण्डू : (क) अक्तूबर 1977 में सोवियत संघ की अपनी यात्रा की समाप्ति पर, प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई तथा सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की सर्वोच्च सोवियत के प्रधान मंडल के अध्यक्ष एवं सोवियत संघ के कम्यूनिस्ट पार्टी के महामंत्री, श्री एल० आई० ब्रझनेव ने एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। उक्त यात्रा के दौरान अन्य किसी प्रोतोकोल या करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए। इस संयुक्त घोषणा में आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग का एक दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था थी। इसके बाद दोनों पक्षों के विशेषज्ञों के बीच बैठकें हुईं तथा नवम्बर, 1978 में नई दिल्ली में इस दीर्घकालिक कार्यक्रम पर आद्यक्षर किए गए। इस पर 14 मार्च, 1979 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री, श्री ए० एन० कोसीगिन तथा प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने हस्ताक्षर किए।

(ख) इस दीर्घकालिक कार्यक्रम में यह व्यवस्था है कि विभिन्न दिशाओं में भारत-सोवियत सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाए। इस दिशा में कुछ ठोस विचारों को क्रियान्वित करने के कुछ समय बाद ही इस सहयोग के परिणाम दृष्टिगोचर हो सकेंगे। इस समय सहयोग के इन मूर्त क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है।

पास अनुभाग के कर्मचारियों द्वारा यात्रा और विश्वनाथ एक्सप्रेस के यात्रियों की चैकिंग

10488. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के सामान्य पास अनुभाग के कर्मचारी चांदी/धातु के पासों से यात्रा करने के हकदार हैं और उन्हें गाड़ियों में यात्रियों की तलाशी लेने का अधिकार है ;

(ख) क्या चांदी/धातु के पासधारी उक्त कर्मचारियों ने नवम्बर, 1976 में विश्वनाथ एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी के स्लीपर डिब्बों में यात्रियों की तलाशी ली थी और उन्हें परेशान किया था :

(ग) क्या सम्बन्धित व्यक्तियों ने इस प्रकार परेशान किए जाने के विरुद्ध 15 नवम्बर 1976 को रेलवे बोर्ड के सतर्कता विभाग को शिकायत की थी :

(घ) यदि हां, तो मामले पर अब तक निर्णय न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :(क) जी नहीं। सामान्य (पास) शाखा का केवल अनुभाग अधिकारी, अन्य राजपत्रित अधिकारियों की तरह, ड्यूटी पर मैटल पास का उपयोग करने का पात्र है। लेकिन, उसे यात्रियों के टिकटों की जांच करने का अधिकार नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां । रेलवे बोर्ड के एक कर्मचारी ने काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में सवार होते समय परेशान किए जाने की शिकायत नवम्बर, 1976 में की थी।

(घ) ग्रौर (ङ) इस मामले की जांच की जा चुकी है । चूंकि ग्रारोप सिद्ध न हो सके, अतः तत्कालीन रेल मंत्री के ग्रनुमोदन से इस मामले को समाप्त कर दिया गया ।

खाद्य पदार्थों में ग्रपमिश्रण

10489. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य ग्रौर परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थों में ग्रपमिश्रण रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने में सरकार की विफलता के कारण उपभोक्ता समिति की शिकायतों के बारे में हाल में प्रकाशित एक लेख की ग्रोर उनका ध्यान दिलाया गया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ग्रौर उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) इस लेख में जो मुख्य-मुख्य बातें कही गई हैं, वे इस प्रकार हैं :–

1. दिल्ली में एक ऐसे शिकायत केन्द्र की ग्रावश्यकता है जहां पर उपभोक्ता खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में शिकायतें भेज सकें ।

2. खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए उपभोक्ता समितियों तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक बड़े जन सहयोग ग्रभियान की जरूरत है ।

3. मिलावट करने वालों के खिलाफ विशेष ग्रदालतों में मुकदमें दायर करने के लिए मशीनरी की जरूरत है ।

4. खाद्य पदार्थों में मना किए गए तारकोल रंगों ग्रौर कीड़े-मकोड़े मारने वाली दवाइयों के ग्रंधाधुंध प्रयोग को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं ।

5. उपभोक्ताग्रों को ग्रपनी प्रयोगशालायें खोलनी चाहिएं जिससे वे खाने वाली वस्तुग्रों की जांच करवा सकें ।

यद्यपि खाद्य ग्रपमिश्रण निवारण ग्रधिनियम तथा उनके ग्रन्तर्गत बने नियमों के उपबंधों को लागू करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों का काम है तथापि मिलावट की बुराई को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:––

(क) दिल्ली में खाद्य वस्तुग्रों में मिलावट की शिकायतें दिल्ली प्रशासन के निदेशक (खा० ग्रप० नि०) को समुचित कार्यवाई के लिए भेजी जा सकती हैं ।

(ख) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि अपमिश्रण निवारण अधिनियम को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए वे राज्य/जिला स्तर पर सलाहकार समितियां बनायें जिनमें व्यापारियों के प्रतिनिधियों तथा भोक्ताओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार ने "मिलाई जाने वाली वस्तुओं के कुप्रभाव तथा जिन वस्तुओं को मिलाकर मिलावट की जाती है, उनका शीघ्र पता लगाने के तरीकों के विषय में कुछेक पेम्फलेट निकाले हैं। इन पेम्फलेटों को राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं में परिचालित किया गया है। राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे रेडियो, दूरदर्शन, प्रदर्शनियों, वार्ताओं, संगोष्ठियों और अन्य प्रचार साधनों के जरिए उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करें। दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के विभिन्न उपबंधों पर प्रकाश डाला गया था।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अतिनियम को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध किया है कि वे थोक बिक्रेताओं, निर्माताओं से लेकर परचूनियों तक के सभी स्तरों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करायें तथा न्यायालयों में मिलावट के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कार्यवाई करें।

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से भी एक पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि वे न्यायपालिका के अधिकारियों के लिए एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाने की सम्भावना का पता लगायें जिससे कि वे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के तकनीकी पक्षों की पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकें।

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत अनाजों में डी० डी० टी० के प्रयोग पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकारों/खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे कीड़े-मकोड़े मारने वाली दवाइयों तथा अन्य रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग को रोकें।

(ड़) उपभोक्ताओं द्वारा एक प्रयोगशाला खोलने के प्रस्ताव का स्वागत किया जाता है तथा केन्द्रीय सरकार उन्हें सभी प्रकार का तकनीकी सहयोग सहर्ष देने को तैयार है।

इंटीग्रल कोच फैक्टरी का नया एकक

10490. श्री एस० आर० दामाणी : रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंटीग्रल कोच फैक्टरी का एक नया एकक स्थापित करने का निर्णय किया है जिसमें प्रतिवर्ष 400 सवारी डब्बों का उत्पादन हो सकता है :

(ख) यदि हां, तो स्थान, लागत और सवारी डिब्बों की विभिन्नता के बारे में ब्यौरा क्या है और जो इस प्रस्तावित एकक में निर्मित किए जाएंगे :

(ग) क्या सरकार 400 सवारी डिब्बों की क्षमता वाले एक एकक की बजाए 200 सवारी डिब्बों की क्षमता वाले दो एककों की स्थापना पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सवारी डिब्बों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, एक नया सवारी डिब्बा उत्पादन एकाई स्थापित करने की व्यवहारिकता पर तकनीकी एव आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसमें प्रस्तावित सवारी डिब्बा उत्पादन एकाई की क्षमता, लागत, स्थल-निर्धारण से सम्बन्धित सिफारिशें शामिल होंगी। सर्वेक्षण 1979-80 के दौरान किया जायेगा।

यात्री परिवहन और माल भाड़े से आय

10491. **श्री एस० आर० दामाणी :** रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 की अवधि के दौरान यात्री परिवहन और माल भाड़े से कितनी आय हुई और 1 अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 की अवधि के दौरान इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं :

(ख) 1 अप्रैल, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 की अवधि के दौरान चोरी और उठाईगीरी के कारण कितनी हानि हुई और इसके पूर्ववर्ती तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है : और

(ग) चोरी और उठाईगीरी की घटनाओं को रोकने के लिए मंत्रालय ने क्या कार्य-वाही की है और उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पहली अप्रैल, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 तक की अवधि के दौरान यात्री और माल यातायात से आमदनी तथा पहली अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर 1977 तक की अवधि के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

करोड़ रुपयों में

	पहली अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 तक	पहली अप्रैल, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 तक
यात्री यातायात	468.22	500.18
माल यातायात	1006.29	973.43

(ख) चोरी और उरईगिरी के कारण हुई हानियों के लिए भुगतान की गई क्षति-पूर्ति की राशि नीचे दी गई है :—

पहली अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 तक	पहली अप्रैल, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 तक
7.70 करोड़ रुपये	5.98 करोड़ रुपए

(ग) चोरी और उठाईगीरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) कीमती माल ले जाने वाले मालडिब्बों में ठीक प्रकार से रिबट और ताला लगाना।

(2) चोरी का ठीक-ठीक स्थान पता करने के लिए प्रमुख यार्डों में मालडिब्बों की सीलों की जांच की जाती है।

(3) कीमती परेषण/खाद्यान्न ले जाने वाली गाड़ियों की भेद्य खंडों में रेलवे सुरक्षा दल द्वारा अनुरक्षा की जाती है।

(4) भेद्य खंडों/स्थानों में रेलपथ की गश्त के लिए रेलवे सुरक्षा दल के कार्मिकों को लगाया जाता है।

(5) जिन यार्डों में चोरियों की अत्यधिक घटनाएं होती हैं, उनमें रेलवे सुरक्षा दल के कुत्ता दस्तों से भी गश्त करवायी जाती है।

(6) महत्वपूर्ण एवं भेद्य यार्डों की रेलवे सुरक्षा दल के कार्मिकों द्वारा रात-दिन गश्त और निगरानी की जाती है।

(7) यानान्तरण स्थलों पर सभी लदे मालडिब्बों की रिबटों और सीलों की उनसे माल उतारने एवं यानान्तरित करने से पहले जांच की जाती है।

(8) अपराधियों और चुरायी गई सम्पत्ति को लेने वाले लोगों का पता लगाने और छापे मारने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलों की अपराध आसूचना शाखाओं और रेलवे बोर्ड की केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों को अपराध संबंध आसूचना इकट्ठी करने के लिए तैनात किया जाता है।

(9) सभी महत्वपूर्ण मालगोदामों और प्लेटफार्मों की रेलवे सुरक्षा दल द्वारा निगरानी की जाती है।

(10) आपराधिक आसूचना की अदला-बदली के लिए रेलवे सुरक्षा दल, राजकीय रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के बीच निकट तालमेल रखना।

(11) चोरियों और उठाईगीरी की घटनाओं के विरुद्ध अखिल भारतीय आधार पर अभियान भी चलाए जाते हैं।

(12) भेद्य खंडों में लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, चीनी, तिलहन, आदि ले जाने वाली माल गाड़ियों की रेलवे सुरक्षा दल द्वारा मार्ग में अनुरक्षा।

(13) चीनी, अनाज, दाल, तिलहन आदि के दिब्बा भार वाले परेषणों के मामले में पल्लेदार दरवाजों की हिफाजत के लिए निभार की व्यवस्था करने पर बल दिया जाना ।

(14) कीमती माल से लदे मालडिब्बों में रिबट लगाने के लिए ढिबरियों और काबलों का उपयोग।

(15) माल डिब्बों का उपयुक्त अनुरक्षण, जिससे माल डिब्बों में खराबी आ जाने और परिणामतः विलम्ब और यानान्तरण की घटनाओं में कमी आ सके और दरवाजों और डिब्बों के खोलों में छेदों के द्वारा उठाईगीरी की घटनाओं में कमी लायी जा सके।

(16) माल लादने और उतारने के समय पैकेजों का उचित पर्यवेक्षण तथा सावधानीपूर्वक मिलान करना।

(17) कर्मचारियों की जिम्मेदारी का शीघ्र निर्धारण।

इन उपायों के परिणामस्वरूप पहली अप्रैल, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 तक की अवधि के दौरान चोरी और उठाईगीरी के कारण होने वाली हानियों के लिए भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि में भारी कमी हुई है।

वर्ष 1978 के दौरान खानों में दुर्घटनाएं

10492. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 के दौरान विभिन्न खानों में दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्ति मरे / गम्भीर रूप से घायल हुए :

(ख) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उपरोक्त मामलों में कितना मआवजा दिया गया है।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा भेजे गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1978 के दौरान खानों में दुर्घटनाओं के कारण 260 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 2737 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए।

(ख) खानों में सुरक्षा उपायों में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। सुरक्षा स्थितियों में सुधार करने और हताहतों की दर में कमी करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(i) कानून के अनुपालन की जांच करने, उल्लंघनों को बताने के लिए नेमी तथा विशेष निरीक्षण करना तथा जहां आवश्यक हो, वहां आगे अनुवर्ती कार्यवाही करना।

(ii) दुर्घटनाओं में वृद्धि/दुर्घटनाओं की कोई असामान्य घटना की और प्रबन्धक का ध्यान दिलाना और दुर्घटनाओं की संख्या में ऐसी अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए विशिष्ट कार्यवाही के कार्यक्रम के लिए कहना।

(iii) निरीक्षणों के परिणामों के बारे में प्रबन्धकों के विभिन्न स्तरों पर आवधिक विचार-विमर्श करना।

(iv) खानों में सुरक्षा सम्बंधी सम्मेलनों की रिपोर्टों की सिफारिशों को कार्यान्वित करना ।

(v) श्रमिकों में सुरक्षा की चेतना पैदा करने के लिए सुरक्षा सप्ताह मनाना।

(vi) सरकार के अनुरोध पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आयोजित कार्य दशाओं और पर्यावरण में सुधार के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बहु-अनुशासनिक टीम ने भारत का दौरा किया, ताकि खान सुरक्षा के क्षेत्र में वह अध्ययन, विचार-विमर्श कर सके तथा उचित सिफारिशें कर सकें। इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धतंत्रों द्वारा मुआवजा दिया जाता है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

ब्रिटेन में अश्वेत लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार

10494. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ब्रिटेन में रंगभेद समर्थक सरकार द्वारा अश्वेत लोगों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार की घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार न केवल भारत से बल्कि विश्व के अन्य भागों से भी वहां गए अश्वेत लोगों के सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से इस कार्यवाही के बदले में एवं ब्रिटेन से व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संबंध समाप्त करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) यद्यपि ब्रिटिश अप्रवासन प्राधिकारियों के इस एशियाई लोगों को परेशान किए जाने की कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है या ब्रिटिश सरकार जातिवादी है।

(ख) ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रिकों के साथ किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार की शिकायतें ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ उठाई जाती है, बशर्ते कि ऐसे प्रत्येक मामले के बारे में पूरे विवरण उपलब्ध हों, जैसे कि ब्रिटेन में भारतीय नाविकों को हथकड़ी लगाने के मामले को ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ उठाया गया था और इसके संबंध में विदेश मंत्री ने 30 अगस्त, 1978 को राज्य सभा में एक विस्तृत वक्तव्य दिया था। इसी प्रकार लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर एक भारतीय महिला के कथित कोमार्य परीक्षण के मामले की सूचना मिलने पर विदेश मंत्रालय तथा लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन ने तत्काल ब्रिटिश सरकार से विरोध प्रकट किया और विदेश मंत्री ने 21 फरवरी, 1979 को लोक सभा में इस विषय पर एक वक्तव्य भी दिया । जनेवा में हुई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में 5 मार्च, 1979 को ब्रिटिश प्रतिनिधि ने अपने भाषण में लंदन हवाई अड्डे पर हुई

घटना के लिए अपनी सरकार की ओर से खेद प्रकट किया तथा उस महिला से भी क्षमायाचना की। ब्रिटिश गृह मंत्री ने इस प्रकार के परीक्षणों को बन्द करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं।

(ग) जी नहीं। सरकार का विचार है कि ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के प्रति भेदभाव रहित और सद्भाव पूर्ण व्यवहार के सुनिश्चय के लिए ब्रिटिश प्राधिकारियों के साथ रचनात्मक बातचीत जारी रखनी चाहिए।

दिल्ली में मलेरिया

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के महापौर का इस आशय का वक्तव्य देखा है कि दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को असफल करने का षड़यंत्र चल रहा था;

(ख) यदि हां, तो उक्त वक्तव्य का सारांश क्या है और दिल्ली में मलेरिया को रोकने के लिए क्या कायवाही की गई है;

(ग) दिल्ली में मलेरिया के उन्मूलन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि खर्च की गई, और

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली में भविष्य में मलेरिया की रोकथाम के लिए कोई योजना बनाई है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां। दिल्ली के महापौर के जिस वक्तव्य का यहां उल्लेख किया गया है उसके बारे में नई दिल्ली से प्रकाशित 20 मार्च 1979 के स्टेटसमैन में जो प्रस रिपोर्ट छपी थी, सरकार ने उसे देख लिया है।

(ख) इसमें जो-जो बातें कही गई हैं और उनसे संबंधित जो स्थिति है, इसका एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1976—79 के दौरान दिल्ली में मलेरिया के नियंत्रण पर कुल 420.89 लाख रुपए की रकम खर्च की गई है।

(घ) जी हां।

विवरण

विषय	स्थिति
1	2
1. मलेशियन का आकाश से छिड़काव	सिद्धान्त रूप से यह सहमति हुई थी कि कीटनाशी औषधियों का आकाश से छिड़काव किया जाए बशर्ते कि यह छिड़काव बाढ़ प्रभावित उन क्षेत्रों में किया जाए जिनमें जमीन के मार्ग से छिड़काव न किया जा सकता हो और जहां आबादी बिखरी हुई है। मौसम की स्थिति में सुधार होने और बाढ़ का पानी उतर जाने के कारण आकाश से छिड़काव करना आवश्यक नहीं समझा गया। तकनीकी सलाह यह है कि आबादी वाले क्षेत्रों में मलेरिया के छिड़काव से हानि-

1	2
	कारक प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी 23 नवम्बर, 1978 को दिल्ली के महापौर से मिले थे और उन्होंने उक्त स्थिति बताई। यह बात भी बतलाई थी कि यदि भविष्य में आकाश से छिड़काव करना आवश्यक हुआ तो इसे किया जा सकता है।
2. कीटनाशी औषधियों के सप्लायर्स की लाबी और मलेथियन का छिड़काव	यह सही नहीं है। जैसा कि पहले बतलाया गया है आकाश से छिड़काव तभी किया जाएगा जब उपर्युक्त परिस्थितियां संतोषजनक हैं। सामान्यतया देहातों में कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव घरों के अन्दर किया जाता है और लार्वारोधी कार्य शहरों में किया जाता है। पहले दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में डी० डी० टी० का छिड़काव किया जा रहा था किन्तु कुछ क्षेत्रों में मच्छरों में डीडीटी को हजम करने की शक्ति आ जाने की रिपोर्ट मिली थी, पिछले वर्ष बी० एच० सी० का छिड़काव किया गया था। मलेथियन का छिड़काव पिछले वर्ष शुरू किया गया था और इस वर्ष दिल्ली में यह छिड़काव पहले से ही आरम्भ कर दिया गया है। टिफा मशीनें दिल्ली नगर निगम को पहले ही उपलब्ध कर दी गई हैं और एक मशीन नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र के लिए उपलब्ध कर दी गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय यू एल वी स्प्रे मशीनों का उपयोग करता है।
3. मलेरिया के रेडिकल उपचार और प्राइमाक्विन गोलियों की गुणकारिता	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में प्राइमाक्विन गोलियों से रेडिकल उपचार किया जाता है और प्रतिदिन 15 मि० ग्रा० के हिसाब से 5 दिन तक ये गोलियां दी जाती हैं। यह इलाज 90 से 92 प्रतिशत तक कारगर सिद्ध होता है। तथापि यह देखा गया है कि मलेरिया के रोगी इस औषधि का सेवन 2 या 3 दिन तक करते हैं और लगातार 5 दिन तक नहीं करते। इसका यह प्रभाव होता है कि यह इलाज़ अपूर्ण रह जाता है और रोगी फिर से बीमार पड़ जाता है। अतः यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि मलेरिया कार्यकर्ता अपने सामने औषधि खिलायें। संबंधित अधिकारियों को भी चाहिए कि वे इन कार्यों का अवश्य निरीक्षण करें।

अतारांकित प्रश्न सख्या 2523 दिनांक 8-3-1979 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

लोक सभा में 8 मार्च को उक्त प्रश्न का उत्तर उस सूचना के आधार पर दिया गया था जो दिल्ली परिवहन निगम ने 5 मार्च, 1979 को भेजी थी। इसके बाद 8 मार्च, 1979 को दोपहर बाद दिल्ली परिवहन निगम से यह सूचना मिली कि जो सूचना उन्होंने पहले दी थी उसे संशोधित किया जाए। नौ मार्च, 1979 को निगम के चेयरमैन व जनरल मैनेजर से यह पूछा गया कि वह इस मामले की जांच करें और इस बात की पुष्टि करें कि जो सूचना बाद में प्राप्त हुई है, वह ठीक है और यह भी बताएं कि किन कारणों से पहले गलत सूचना दी गई थी। पन्द्रह मार्च, 1979 को निगम के चेयरमैन से यह जवाब आया कि जो सूचना पहले दी गई थी वह निगम के सेन्ट्रल चैकिंग सेल से प्राप्त सूचना के आधार पर दी गई थी और इसमें 1978 में डिवीजनल चैकिंग स्टाफ द्वारा की गई चैकिंग से संबंधित सूचना शामिल नहीं थी तथा यह गलती भूल से हो गई। इस प्रश्न का अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में ठीक उत्तर देने के लिए तुरन्त कार्रवाई की गई और यह उत्तर लोक सभा सचिवालय को 29 मार्च 1979 को भेज दिया गया। इस प्रकार इस मामले में स्पीकर महोदय के निर्देशों के अनुसार दिए गए समय से 13 दिन की देर हुई है। इस देरी के लिए खेद है।

स्थगन प्रस्ताल के बारे में

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर दादरी रेलवे स्वेशन पर हुआ आक्रमण

श्री वसंत साठे : (अकोला) : अलीगढ़ के छात्रों पर अत्याचारों के बारे में········

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। मै अपनी बात कह रहा हूं। चार स्थगन प्रस्ताव तथा अन्य प्रस्ताव मेरे सामने हैं। मैंने शीघ्र सूचना देने को कह रखा है।

(व्यवधान)

श्री वसत साठे : जो पांच छात्र निर्दयतापूर्वक पीटे गए थे वे जयप्रकाश नारायण अस्पताल में हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मंत्री से कह रहा हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें।

श्री वसत साठे : आप स्थगन प्रस्ताव की अनमति क्यों नहीं दे रहे **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं गह मंत्री को निदेश दे रहा हूं कि वह सदन में वक्तव्य दें। **(व्यवधान)**

श्री वंसत साठे : जब तक आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते तब तक हम आपके सामने तथ्य कैसे रख सकते हैं? मैंने अस्पताल जाकर छात्रों को देखा है। उन्हें

बुरी तरह पीटा गया । ये छात्र अलीगढ़ से रैली हेतु आए थे। गाड़ी रोकी गई उन्हें गुंडों द्वारा घेर कर निर्दयतापूर्वक पीटा गया (**व्यवधान**) । मुझे स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दें । वक्तव्य दिया जाए और उस पर चर्चा की जाए ।

अध्यक्ष महोदय: मैं गृह मंत्री को यह निदेश दे रहा हूं कि वह वक्तव्य दें। उसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो चर्चा की जाएगी।

श्री वसंत साठे: सभी सदस्यों में रोष व्याप्त है। यह कोई दल का मामला नहीं है। आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत करें तथा इस पर पूरी चर्चा होने दें।

अध्यक्ष महोदय: तथ्य मिलने के बाद हम पूरी चर्चा करेंगे। इस समय में स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : यह एक बड़ी शोचनीय स्थिति है। सदन में इस मामले पर सीधे चर्चा की मांग की जा रही है । अल्प संख्यक लोग दिल्ली में आ रहे हैं। उन्हें गाड़ियों में से बाहर निकाल कर पीटा जा रहा है। दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं । अन्य लोग अभी भी अस्पताल में हैं । तथ्य स्पष्ट हैं । पेश करने योग्य कोई अन्य तथ्य नहीं हैं । मंत्री द्वारा वक्तव्य देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । क्या आप इस प्रकार के प्रस्ताव को अनुमति नहीं दे सकते । हम यहां केवल विधेयक पास करने के लिए नहीं आए बल्कि लोगों की समस्यायें उठाने आए हैं । इससे अधिक महत्वपूर्ण और कोई काम नहीं हो सकता ।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद चर्चा की जा सकती है।

कुछ माननीय सदस्य: नहीं, नहीं।

श्री सी० एम० स्टीफन: एक संसद सदस्य पर हमला किया गया और इस बारे में एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया गया। लेकिन आपने इसे अस्वीकार कर दिया । सरकार को जो नुक्सान होता है उस पर हमें चर्चा करने का अवसर नहीं दिया जाता। ऐसे हालात में संसद कार्य नहीं कर सकती । आप के इस रवैये का विरोध करने के लिए तथा आपकी स्थगन प्रस्ताव को अनुमति न देने के कारण मैं सदन से उठकर जाना चाहता हूं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) : यह एक सामान्य मामला नहीं है। संसद के समक्ष विचारार्थ कुछ मामले हैं और इस बारे में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र संसद के समक्ष अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं । इनको ऐसा करने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षवाद का मामला भी इसमें अन्तंग्रस्त है। अत: इस मामले को सरकार को सौंपने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है । इस मामले पर सारा सदन चिन्तित है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक बात है। मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना मांगी है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: आप चर्चा की अनुमति दीजिए । आप सूचना टेलीफोन से प्राप्त कर सकते हैं । हमने कई बार ऐसा किया है । मैंने गृह मंत्री के रूप में ऐसा किया था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक बात है। चर्चा कई प्रकार से की जा सकती है। नियम 193 के अधीन चर्चा होने वाली है। हम इसे स्थगित कर के उस पर चर्चा कर सकते हैं। यदि सदन ऐसा चाहता है तो मैं नियम 194 के अधीन चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन :: हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव का मामला नहीं है। (व्यवधान)। मैं नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दे रहा हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : हम इसके लिए सरकार की निन्दा करते है। हम नियम 193 के अधीन इस पर चर्चा नहीं चाहते। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : निर्णय करने से पूर्व मेरे सामने तथ्य होने चाहिए। मैं नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर पूर्ण चर्चा के लिए अनुमति देने को तैयार हूं। परन्तु यदि आप स्थगन प्रस्ताव चाहते हैं तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि मुझे तथ्य प्राप्त होने चाहिए। तथ्यों के अभाव में मैं इसके लिए स्वीकृति नहीं दे सकता। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : 'मुझे तथ्य मिलने चाहिए' इससे आपका क्या तात्पर्य है। आप यहां न्यायिक अधिकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय लेने के लिए कि क्या प्रत्यक्षतः मामला बनता है अथवा नहीं।

श्री सी० एम० स्टीफन : इस बात की जरूरत नहीं है कि कोई आपके सामने तथ्य रखे। आपको तो सिर्फ यह देखना है कि क्या मामला हाल ही में घटित हुआ है, और क्या वह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। यह जरूरी नहीं है कि कोई सदस्य आपके सामने तथ्य रखे जिससे आप निर्णय ले सकें। हम यहां पर इस लिए नहीं हैं कि आपके द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए हम तथ्य प्रस्तुत करते रहें। "मुझे तथ्य चाहिएं", इससे आपका क्या तात्पर्य है। आपको इसके लिए तथ्य नहीं मांगने चाहिए तथ्यों को प्राप्त करने का कार्य तो सभा का है। किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह आपके लिए तथ्य एकत्र करे। यह तो सभा का कार्य है कि वह तथ्य प्राप्त करे। (व्यवधान)।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और सभा का प्रत्येक पक्ष इससे सम्बद्ध है। श्री चरण सिंह ने जो कुछ कहा है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर आक्रमण की म भर्त्सना करता हूं। उन्हें विरोध प्रकट करने का पूरा अधिकार है। जो व्यक्ति दोषी है। उन्हें अवश्य ही दण्ड मिलना चाहिए।

श्री राज नारायण (राय बरेली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा केवल विनम्र निवेदन यह है। सभा में एडजर्नमैंट मोशन आया है। सदन में एडजर्नमैंट मोशन आ सकता है कि नहीं, यह हम सब जानते हैं। यह ठीक है कि एडजर्नमैंट मोशन आ

सकता है । आप उनको सुनिए और सुनने के बाद आप यह कह सकते हैं कि हम एडजर्नमैंट मोशन एलाऊ नहीं कर रहे हैं, हम फुल डिस्कशन अलाऊ करेंगे परन्तु आप यह नहीं कह सकते कि मैं स्थगन प्रस्ताव नहीं सुनूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह तो नहीं कहा है मेरे सामने एक कठिनाई है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में मेरे से पहले के पीठासीन अधिकारी के विनिर्णय ऐसे हैं कि जब भी तथ्य परस्पर विरोधी हों तब तथ्य मांगे जाने चाहिए और उसके बाद विनिर्णय लिया जाना चाहिए । मैं उस विनिर्णय से पढ़ रहा हूं (व्यवधान) मैंने तथ्य मांगे हैं और मैं तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् ही स्थगन प्रस्ताव पर विचार कर सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : हमने तथ्य एकत्र कर लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने तथ्य एकत्र कर लिए होंगे, परन्तु मुझे तो ....

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : सभी समाचार पत्रों में तथ्य दिए गए हैं । सैकड़ों विद्यार्थी जख्मी हो गए हैं, यह प्रत्येक समाचार पत्र में छपा है। इससे अधिक आपको और क्या तथ्य चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप स्थगन प्रस्ताव ही चाहते हैं तो मैं तथ्यों पर विचार करने के बाद ही इस पर अनुमति दे सकता हूं। यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं चर्चा के लिए अनुमति देने को तैयार हूं।

श्री बसंत साठे : किन तथ्यों के बारे में विवाद है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे सरकार से भी तथ्य प्राप्त करने हैं। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : यदि बात ऐसी है तो आप इस पर चर्चा की अनुमति क्यों दे रह हैं। आप इस पर चर्चा की अनुमति दे रहे हैं, इससे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विषय ऐसा है जिस पर सभा को तत्काल ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि विपक्ष के नेता सभा के प्रक्रिया नियमों और अध्यक्ष के निदेशों से वाकिफ होंगे। एक नियम यह है कि जब उल्लिखित मामले से सम्बन्धित तथ्य अध्यक्ष के पास उपलब्ध नहीं होंगे तब वह स्थगन प्रस्ताव की सूचना सभा में पढ़ेंगे और उस पर स्वीकृति या अस्वीकृति देने से पूर्व मंत्री और /या सदस्यों के ऐसे वक्तव्य सुनेगा जिसमें तथ्यों का निरूपण होगा और उन्हें सुनने के बाद प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में अपना निर्णय देगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या आपने वह प्रस्ताव पढ़ा है? यदि, आप उस प्रक्रिया को अपना रहे हैं तो आपको वह प्रस्ताव यहां पढ़ना चाहिए था और उस पर वक्तव्य देने के लिए मंत्री और सदस्यों को बुलाना चाहिए था और इसके बाद आपको कहना चाहिए था कि मैं स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं देता हूं। चूंकि अब आपने कहा है कि विपक्ष के नेता को सम्बन्धित उपबंधों का ज्ञान नहीं है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पहले

प्रस्ताव पढ़ना चाहिए था फिर उस पर सदस्य का स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था और इसके बाद मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहना चाहिए था। इसके बाद ही आप यह कह सकते थे कि मैं इसे अनुमति नहीं देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका यह कहना भी ठीक नहीं है विनिर्णय तो यह है कि हम तथ्य मांग सकते हैं और प्रस्ताव को पढ़ना जरूरी नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन : इसके बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की भांति कोई बात लागू नहीं होती आज की स्थिति यह है कि सभा अध्यक्ष की भांति काम करती है। आज की यह स्थिति है कि ....(व्यवधान)

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अपोजीशन को स्थगन प्रस्ताव के बारे में अपना केस रखने का अधिकार है, उनको सुनने के बाद आप कह सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव आर्डर में नहीं ह, मैं चर्चा के लिए इजाजत देता हूं, लेकिन यह ठीक नहीं है कि आप उनकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। हम लोग अपोजीशन में रहे हैं, पचासों बार हमने अपने केस को आर्ग्यू-आउट किया है। विपक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी बात के समर्थन में तर्क दे सके और आपको उनकी बात सुननी चाहिए। हमें उचित तरीके से काम करना चाहिए। विपक्ष को अपना मामला प्रस्तुत करने दीजिए। यदि आप यह सोचते हैं कि प्रस्ताव उचित नहीं तो आप यह कह सकते हैं कि "मैं चर्चा के लिए अनुमति देता हूं' और इसके साथ ही मामला समाप्त हो जाना चाहिए।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : गाँधीनगन मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 58 के अन्तर्गत आपने जो कुछ कहा है उससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई है और इसलिए मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। जिससे आप हमारा मार्ग दर्शन कर सकें जो भविष्य में भी काम आए।

इस सभा के प्रत्यक सदस्य और विशेष रूप से विपक्ष के सदस्यों को यह मूल अधिकार प्राप्त है कि वह स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना भेज सकता है। नियम 58 के अन्तर्गत यदि आप समझते हैं कि मामला निश्चित और अविलम्ब लोक महत्व का है तब आप इस पर निर्णय दे सकते हैं। एक बात यह है कि या तो आप उस प्रस्ताव को सभा में पढ़ेंगे या सूचना देने वाले सदस्य से उसे सभा में पढ़ने के लिए कहेंगे। आप सम्बद्ध सदस्य को ऐसा स्पष्टीकरण देने के लिए भी अनुमति दे सकते हैं जिसमें वह यह बताएगा कि उसके विचार से मामला किस आधार पर निश्चित और अविलम्ब लोक महत्व का है। दूसरी बात यह है यदि आप यह समझते हैं कि मामला न तो अविलम्ब लोक महत्व का है, न निश्चित है, तो आप इसे एक दम अस्वीकार कर सकते हैं। परन्तु यदि आप हर ऐसे मामले को, जिसकी सूचना आपको दी जाती है और जो मामला न केवल समाचार पत्रों की सामग्री पर आधारित है बल्कि प्रत्यक्ष साक्ष्य पर भी आधारित है, सरकार को भेजते जायेंगे तो यह परम्परा ठीक नहीं होगी और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का महत्व और प्रयोजन बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव के पीछे उद्देश्य यह है कि मामला इतना अधिक महत्वपूर्ण और अविलम्ब किस्म का है कि एक मिनट भी बरबाद नही की जानी चाहिए।

यदि आप अपने मत के बारे में निश्चित हैं और आप सदस्य द्वारा दी गई प्रस्ताव-सूचना से संतुष्ट हैं तो सरकार द्वारा दी जाने वाली जानकारी की महत्ता गौण हो जाती है। अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि सरकार को उपलब्ध जानकारी प्रस्ताव पर चर्चा के समय दी जाए और सरकार के पास जो जानकारी है वह प्रस्ताव पर चर्चा के शुरू में और आखिर में दोनों बार दी जाए । यह तो स्थगन प्रस्ताव पर रोक लगाने का एक तर्क मात्र है कि अध्यक्ष महोदय सरकार से जानकारी प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इससे तो नियम 58 निरर्थक हो जाता है। और यह इस नियम का प्रयोजन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अध्यक्ष महोदय, किसी भी माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्ताव पेश करने का अधिकार प्राप्त ह, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता । एक स्थगन प्रस्ताव के लिए जिन बातों का होना आवश्यक है उनमें केन्द्र का उत्तरदायित्व भी एक है।

महोदय, प्रश्न मुख्य रूप से तब उठता है जब आप प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। जहां तक हम समझते हैं आपने प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रक्रिया नियमों के अनुसार यह निर्णय करना आपके ऊपर है कि जो तथ्य उपलब्ध हैं वे पर्याप्त हैं या नहीं या जो तथ्य उपलब्ध हैं उनके अतिरिक्त आपको और तथ्यों की भी आवश्यकता है, जिनके आधार पर आप निर्णय ले सकें **(व्यवधान)** मेरा उद्देश्य किसी भी आलोचना करने का नहीं है बल्कि मैं तो प्रक्रिया नियमों की ओर संकेत कर रहा हूं । मेरा उद्देश्य यह भी नहीं है कि इस मामले पर चर्चा ही बन्द कर दी जाए ।

प्रक्रिया नियमों के अनसार आपको ऐसा अधिकार प्राप्त है। नियम (60)(1) में यह उल्लेख है कि :

> "परन्तु जब अध्यक्ष के पास प्रस्ताव में उल्लिखित मामले से सम्बधित पूरे तथ्य उपलब्ध न हों तब वह अपनी सम्मति देने या न देने से पूर्व प्रस्ताव की सूचना पढ़ सकता ह ।"

इस मामले पर आप मंत्री और सदस्यों के ऐसे संक्षिप्त वक्तव्य सुन सकते हैं, जिनमें तथ्य बताए जाएं और उन्हें सुनने के बाद प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में निर्णय दिया जा सकता है **(व्यवधान)** मैं यह निवेदन करना चाहता था । अन्य सदस्य अपनी अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुरा) : आप सरकार पर क्यों निर्भर कर रहे हैं ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रविीन्द्र वर्मा) : प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष महोदय यह अनुभव करते हैं कि उनके पास केन्द्र के उत्तरदायित्व सहित पूर्ण तथ्य उपलब्ध नहीं है, जिनके आधार पर वह प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में निर्णय ले सकें। जहां तक मैं समझता हूं आपने यह ठीक किया है कि गृह मंत्री से इस बारे में पूरे तथ्य मांगे हैं । इस समय आपका विचार है कि आपके पास पूरे तथ्य उपलब्ध नहीं हैं **(व्यवधान)**

अतः पहली बात यह है कि आपने प्रस्ताव की ग्राहयता के बारे में अपना विनिर्णय नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि आप समझते हैं कि आपको विनिर्णय देने के लिए और अधिक तथ्य चाहिए, और इसके लिए आपने सरकार से पूरे तथ्य देने के लिए कहा है ताकि उस पर विनिर्णय दिया जा सके। तीसरी बात यह है कि आपने कहा है कि आप सरकार को इस बारे में आज ही वक्तव्य देने के लिए कहें। चौथी बात यह है कि आपने यह कहा है कि सरकार द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद और प्रस्ताव के ग्राह्यता के बारे में निर्णय लेने के बाद आप आज ही चर्चा के लिए अनुमति दे देंगे।

अतः इस मामले पर चर्चा किए जाने से आपने इंकार नहीं किया है। हां, प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में आपने अपना विनिर्णय नहीं दिया है। इसी लिए आप इस पर चर्चा के लिए अवसर देने हेतु सहमत हो गए हैं। चूंकि स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आपको और अधिक तथ्यों की जरूरत है, इसलिए मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह गृह मंत्री के वक्तव्य की प्रतीक्षा करें, ताकि सभा का कार्य आगे बढ़ सके।

श्री सी० एम० स्टीफन : मुझे खेद है कि मैं संसदीय कार्य मंत्री के कथन से सहमत नहीं हूं। आज सभा बैठी हुई है। आज से बाद में तीन दिन की छुट्टी होगी। यह स्थगन प्रस्ताव अत्यधिक लोक महत्व के विषय से सम्बन्धित है अन्यथा यह स्थगन प्रस्ताव लाया ही नहीं जाता। हम उस प्रक्रिया से सहमत नहीं हैं जिसके अनुसार हमें सोमवार या मंगलवार तक इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़े, क्योंकि जबतक इस विषय का महत्व और अविलम्बनीयता ही समाप्त हो जाएगी और उस बारे में स्थगन प्रस्ताव ही नहीं लाया जा सकेगा।

जहां तक केन्द्र के उत्तरदायित्व का संबंध है, यह घटना रेलवे में घटी ह गाड़ी रोक दी गई थी। लोगों को खींच कर बाहर निकाला गया और उन्हें पीटा गया। जो लोग इस घटना की चपेट में आए वे मुसलमान हैं जो कि हमारे यहां एक अल्पसंख्यक समुदाय है ये तथ्य निर्विवाद हैं। अतः यह केन्द्र के उत्तरदायित्व का विषय है। अल्पसंख्यकों पर आक्रमण किया गया है। यह प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय दायित्व का प्रश्न है। दूसरे यह घटना रेलवे में घटी है। और रेलवे भी केन्द्रीय सरकार का विषय है। एक घटना घटी है जो बड़ी ही अविलम्बनीय है यह एक माना हुआ तथ्य है और यह घटना हाल ही में घटी है। इससे और अधिक देखने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि विद्यमान प्रक्रिया को भी अपनाया जाता है तो भी हमारे पक्ष को सुना जाना चाहिए और शासक दल के पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। और फिर सभा की जो आम राय हो उसे लिया जाना चाहिए। इस प्रश्न पर सभा के सभी पक्ष आन्दोलित हैं। संसद में हमें अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार प्राप्त है। प्रक्रिया पूर्वोदाहरणों, विनिर्णयों और ऐसी ही अन्य बातों के नाम पर सभा के सदस्यों को उनके इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मुसलिम समुदाय के आन्दोलित सदस्यों के प्रति भी इस सभा की जिम्मेदारी है। अल्पसंख्यकों को भी अपने मनोभावों को प्रकट करने का अधिकार है।

अतः इसके लिए स्थगन प्रस्ताव आवश्यक है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए चार कारण हमें स्वीकार्य नहीं हैं। हम स्थगन प्रस्ताव के आधार पर चर्चा चाहते हैं। अन्य किसी प्रकार की चर्चा हमें संतुष्ट नहीं कर सकती।

श्री जी० एम० बनतवाला (पन्नानी) : (अध्यक्ष महोदय आपने अभी अभी प्रस्ताव को पढ़ा। हमने छात्रों से भेंट करने के बाद तथ्यों को दिया है। मैं अस्पताल में गया और उन सबसे मिला। उनमें से बहुतसों की हालत गंभीर ह। मामले को टाला नहीं जा सकता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर फासिस्यों का हमला हुआ। (व्यवधान)

आजकल मुसलमान मौत के साये में रह रहे। स्थिति ऐसी है और प्रस्ताव पर चर्चा आज ही की जाए। (व्यवधान)

श्री एम० एन० गोविंदन नायर (त्रिवेन्द्रम) : श्रीमन् मैं आपका ध्यान मूल तथ्य की ओर खींचना चाहता हूं। यह संसद लोगों के विचारों को व्यक्त करने का स्थान है। ना कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर केवल सरकार के विचारों के जानने का। ऐसे किसी नियम अथवा अन्य बात की आड़ में ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर न देना उचित नहीं हैं। यह सदन की गरिमा पर एक लांछन है। यह मात्र प्रस्ताव नहीं है। स्थगन प्रस्ताव सरकार की निन्दा का प्रस्ताव भी होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए क्योंकि इस देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनके कारण अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा की भावना घर करती जा रही है। अभी हाल ही में हमने जमशेदपुर के बारे में चर्चा की थी और यदि छात्रों ने दरवाजा न खोला होता और अपने आप को हवाले न कर दिया होता तो समूचे रेलगाड़ी के डिब्बे को जला देने का विचार था। यदि ऐसे गंभीर मामले पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती तो हम और कहां जाकर इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए स्थगन प्रस्ताव पर आज ही और इसी वक्त चर्चा होनी चाहिए।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, फैक्टस आप के पास हों कि कांग्रेस (आइ) के बदमाशों ने उनको मारा है। अगर कोई डिस्कशन वह करना चाहते हैं तो कर लीजिए जिससे पता चल जाए कि कांग्रेस (आइ) के कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं और संजय गांधी किस तरह से साजिश कर रहे हैं। इस को डिस्कस कर लीजिए जिसमें फैसला हो जाए।

प्रो० समर गुह (कंटई) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सदन में इस संबंध में दो राय नहीं कि यह मामला ऐसा है जिस पर सदन का ध्यान जाना चाहिए और मामला बड़ा गम्भीर है तथा अत्यावश्यक है तथा सदस्य भी यह चाहते हैं कि इस पर चर्चा आवश्यक हो। क्योंकि आपको सभी तथ्यों की जानकारी नहीं है। आप चाहते हैं कि आपको कुछ विशेष जानकारी दी जाए जिससे आप कोई निर्णय ले सकें। कुछ सदस्यों का विचार है कि आपके पास पहले ही से जानकारी है। मैं समझता हू कि इन दो विचारों को एकरूपता दी जा सकती है। स्थगन प्रस्ताव को बाद में किसी समय लिया जा सकता है और इस बीच सरकार जानकारी दे सकती है और जब आपको जानकारी मिल जाए तब आप यह निर्णय करें कि क्या स्थगन प्रस्ताव को लिया जाए या नहीं। मैं अपने मित्रों से अपील करता हूं कि वे अध्यक्ष महोदय को निर्णय के लिए समय दें। (व्यवधान) मेरा मतलब है आज उन्हें समय दें। यहां प्रश्न केवल दो या तीन घंटे का है जिस बीच अध्यक्ष महोदय को जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद वे निर्णय लेंगे। हमें स्थगन प्रस्ताव से कोई भय नहीं

है (व्यवधान) यदि स्वतन्त्र और खुलकर इस पर चर्चा होती है तो हम भी इसमें उसी प्रकार भाग लेंगे। परन्तु यदि आप केवल स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देते हैं तब हमारी राय क्या हो सकती है? यह स्वाभाविक है कि हम सरकार का बचाव करने का प्रयत्न करेंगे। हम इस पर स्वतन्त्र और खुली चर्चा चाहते है। हम चाहते हैं कि इस पर पूरी चर्चा हो परन्तु स्थगन प्रस्ताव नहीं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं समझता हूं कि जब समूचे सदन की इच्छा तुरन्त चर्चा करने की है तो स्थगन प्रस्ताव पर आपत्ति क्यों **(व्यवधान)** आप श्री मधु लिमये के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये का सुझाव बहुत ही उचित है। जब मुझे स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली तो उसमें तीन प्रकार की जानकारी दी गई थी। ज्योंही मुझे साढ़े आठ बजे रात में प्रस्ताव मिला मैंने उसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मांगी।

श्री जी० एम० बनतवाला : मैंने वह जानकारी दोपहरबाद ही दे दी थी।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं ? ज्योंही मुझे प्रस्ताव मिला मैंने कल रात को ही जानकारी मांगी, तथ्य मांगे। **(व्यवधान)** आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : दोपहरबाद, रात और शाम अलग-अलग समय हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे ? प्रस्तावों में तीन प्रकार के अलग अलग तथ्य दिए गए थे।

श्री जी० एम० बनतवाला : हमारा प्रस्ताव सर्वथा भिन्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। **(व्यवधान)**। आप मुझे सुनना क्यों नहीं चाहते।

श्री राज नारायण (राय बरेली) : मैंने आपसे सवेरे अनुरोध किया था कि आप कागज में जो कुछ लिखा है उस पर न जाइए। जानकारी मेरे पास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी आधा घटा बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया और मैंने उसके अनुसार कार्य किया। आप इस सबसे अवगत होंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे परामर्शदाता नहीं हैं और न ही मैं आपको परामर्श दे सकता हूं। मैंने मंत्री महोदय से रिपोर्ट मांगी है। (व्यवधान)

श्री चिमनभाई एच० शुक्ल (राजकोट) : ये क्या बोलते हैं।

श्री राज नारायण : मैं बोलता हूं कि यह सब आर० एस० एस० का तिकड़म है।

श्री चिमनभाई एच० शुक्ल : यह सब राज नारायण ने साजिस की है। (व्यवधान)

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति) : आप कृपया जो हमें कहना है उसे सुने। यह हमारे लिए बहुत ही महत्व का विषय है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें इस पर समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए । मैं यह मामला 2 बजे लूंगा । उस समय मैं सभी पक्षों के विचार सुनूंगा और बाद में अपना निर्णय दूंगा।

श्री वसंत साठे : नहीं, नहीं ....

अध्यक्ष महोदय : मै किसी की आज्ञा के अनुसार नहीं चल सकता । यदि मैं अपनी अनुमति देता हूं तो इसे 4.30 पर लिया जा सकता है।

श्री सी० एम० स्टीफन : स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न सर्वथा भिन्न है और इसे तुरन्त लिया जाए । कुछ प्रक्रियायें हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए । या तो आप सदन को अनुमति देने के लिए कहें अथवा स्वयं अनुमति दें, या अनुमति न दें अथवा दूसरी प्रक्रिया बनाएं जिसका आपने जिक्र किया है कि पहले सदस्यों और मंत्री महोदय के विचार सुनेंगे और निर्णय लेंगे तथा इसके बाद आगे चर्चा होगी । ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके अन्तर्गत आप यह कह सकें कि मैं इस मामले को 2 बजे लूंगा । मैं दलों के विचार सुनूंगा और निर्णय लूंगा । यह अदालत नहीं है । यह भारत की संसद है। इसकी कुछ अपनी प्रक्रियायें हैं । आप इसे 2 बजे तक के लिए स्थगित नहीं कर सकते । आप इसे इसी समय लें। नियमों के अन्तर्गत इसे इसी समय लिया जाना चाहिए । यह 2 बजे नहीं लिया जा सकता । आप इसे किसी प्रकार भी निपटाएं । इसके उठाए जाने की अनुमति दें अथवा न दें या हमें सुने और फिर निर्णय लें । नियम यह अनुमति नहीं देते कि सुनने से पहले 2 बजे तक इसे टाला जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रारम्भिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : नियम के अन्तर्गत ? इस सदन में नियम सर्वोपरि है।..... (व्यवधान) .....

श्री के० लकप्पा : स्थगन प्रस्ताव को वरीयता दी जानी चाहिए.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं अब सदस्यों की बात सुनूंगा। पहली सूचना श्री बनतवाला से मिली थी।

श्री जी० एम० बनतवाला : अध्यक्ष महोदय मैं, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उस विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिया जो अल्पसंख्यकों के सम्मान और अधिकारों को प्रभावित करना है।

अपनी बात आपसे कहने के लिए यह आवश्यक है कि मैं आपको अपनी स्थगन प्रस्ताव की सूचना में से उद्धरण दूं :—

> "संशोधित विधेयक के सम्बन्ध में विरोध, प्रदर्शन के लिए 9 मई को गाड़ी से दिल्ली आने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर नृशंसतापूर्ण बर्बर और नियोजित आक्रमण किया गया, जिसमें आग्नेय अस्त्रों का खुल कर प्रयोग किया गया जिसके परिणाम स्वरूप कुछ छात्रों को चोटें आई तथा कुछ अभी भी लापता हैं तथा सरकार छात्रों की रक्षा करने तथा विरोध प्रकट करने के उनके संविधानिक अधिकार की रक्षा में सरकार की असफलता तथा मुस्लिम अल्प संख्यकों में व्याप्त आतंक की भावना ।"

जो मैंने अभी पढ़ा, उससे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे स्पष्ट हैं 6.55 सवेरे की गाड़ी में अलीगढ़ से छात्रों के चढ़ने के समय ही कुछ गुण्डे उसमें सवार हो गए एक योजना थी तथा रास्ते में कुछ और भी चढ़ गए तथा अन्त में दादरी स्टेशन पर सभी फासिस्टों ने छात्रों पर हमला बोल दिया । कुछ डिब्बे गाड़ी से काट दिए गए । छात्रों को डिब्बों से निकाल कर लाठी से पीटा गया । उनमें से कुछ को पहचाना भी नहीं जा सका । ऐसा कहा जाता है कि एक काली एम्बेसेडर गाड़ी पीछे-पीछे आ रही थी .... (व्यवधान) गांव के लोगों पर आरोप लगाना गलत है । जैनुराबुद्दीन नाम के एक छात्र को बाहर निकाल कर कुएं में फेंकने का प्रयत्न किया । गांव के गूजरों और अन्य लोगों ने उसे कुएं में फेंके जाने से बचाया । स्थानीय लोगों पर आरोप क्यों लगाया जाए ? वे तो और बचाने आए । जो कुछ मदद छात्रों को मिली वह इन स्थानीय लोगों ही से मिली ।

ये छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्प संख्यक स्वरूप को फिर से बनाए जाने के लिए एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आ रहे थे। बेलची से जमशेदपुर तक अल्पसंख्यकों के कत्लेआम की एक बड़ी दयनीय गाथा है ....

अध्यक्ष महोदय : हम केवल इसको स्वीकार किए जाने पर विचार कर रहे हैं ।

श्री जी० एम० बनतवाला : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और फासिस्ट शक्तियां अल्पसंख्यकों की विरोधी आवाज को दबाने और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उसका अल्प-संख्यक स्वरूप दिये जाने से मना करने का प्रयत्न कर रही है। यह बहुत ही गम्भीर बात है।

यह केन्द्र की जिम्मेदारी है। सरकार का इस जिम्मेदारी से इन्कार करना बड़ा ही गलत रवैया है। ऐसा वक्तव्य देने वाली सरकार की निन्दा की जानी चाहिए।

सदन को इस तथ्य की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। 100 से अधिक छात्रों का अस्पताल में इलाज किया गया, 19 को भर्ती किया गया। मैं उन्हे कल दो बार तथा आज भी सवेरे यहां आने से पहले देखने गया। कुछ छात्रों की दशा बड़ी गंभीर है । उनके नाम बताना यहां आवश्यक नहीं है। यह बात हम चर्चा के दौरान उठाएंगे। **(व्यवधान)**

प्रो० समर गुह : (कंटाई) : आपने घटना के तथ्यों की जानकारी के बाद प्रस्ताव को किए जाने की बात कही है। राजनीतिक स्वार्थ आदि की बातें ..... **(व्यवधान)** ये बातें उस समय आएंगी जब पूरी चर्चा होगी **(व्यवधान)**

इसे पहले ही स्थगन प्रस्ताव में बदल दिया गया है। यहां प्रश्न प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने का है। आपको मात्र तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए। ये सब राजनीतिक बातें हैं और राजनीतिक चर्चाएं हैं। आपको मदद करने के बजाय ...... **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : खड़े हुए'

अध्यक्ष महोदय : यदि में इसे अस्वीकार कर दूं मै आपकी बात सुनूगा.......

श्री जी० एम० बनतवाला : मै अन्त में यही कहूंगा कि मामला महत्वपूर्ण है। स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है। कृपया इसे स्वीकार करें और पूरी चर्चा की अनुमति दे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : हमें अभी तक राज्य सरकार से सूचना नहीं मिली है। **(व्यवधान)** फिर भी गाजियाबाद के जिला प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार अलीगढ़ मूस्लिम विश्वविद्यालय के लगभग 1000 छात्र बैनर लिये अलीगढ़-दिल्ली शटल यात्री गाड़ी पर जो अलीगढ़ से सुबह 5.50 बजे चलती है, सवार होकर दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने के लियें आ रहे थे। बुलन्दशहर जिले के वैर स्टेशन पर छात्रों तथा वहां से सवार होने वाले कुछ यात्रियों के बीच झगड़ा हुआ। यह झगड़ा गाड़ी के दनकौर स्टेशन पहुंचने तक होता रहा। दादरी रेलवे स्टेशन पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों तथा दादरी से सवार होने वाले छात्रों एवं यात्रियों के बीच झगडा तथा मारपीट हुई। दादरी रेलवे स्टशन से गाड़ी के चलने के बाद कुछ यात्रियों ने जंजीर खींची और गाड़ी बाहरी सिगनल पर रुक गई। स्टेशन मास्टर से दादरी थाने को खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति नियंत्रण में कर ली गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने शिकायत की कि उन्हे वैर और दादरी स्टेशन से चढ़ने वाले यात्रियों और छात्रों द्वारा पीटा गया। दादरी पुलिस स्टेशन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147^{3231}-395^{1}-398 धारा के अन्तर्गत केस दर्ज किया गया। दादरी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दो छात्रों की चिकित्सा जांच की गई और पाया गया कि वे मामूली रूप से घायल हुए है। विश्वविद्यालय के अन्य घायल छात्र दिल्ली पहुंचे। पुलिस गाजियाबाद तक उनके साथ चली। बुलन्दशहर जिले के चार छात्रों को, जो रेल पटरी के निकट खड़े पाए गए थे, गिरफ-तार कर लिया गया। आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। दादरी थाने में दर्ज मामले की जांच चल रही है।

71 घायल छात्र लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचे जिनमें से 40 छात्रों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। 20 छात्रों को अस्पताल में दाखिल किया गया और पता चला है कि 6 छात्रों को गंभीर चोटें पहुंची है। अस्पताल से चिकित्सा रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मेरी ओर से तथा अपनी ओर से अस्पताल का दौरा किया और छात्रों को देखा तथा अस्पताल प्राधिकारियों से कहा कि छात्रों को सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाए और इन पर होने वाले खर्च को दिल्ली प्रशासन वहन करेगा। **(व्यवधान)**

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारणों का पता उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत प्रतिवेदन मिलने पर ही पता चलेगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 60 में दो परन्तुक हैं। दूसरे परन्तुक पर ध्यान दीजिए। नियम 60 में कहा गया है :—

> "(1) अध्यक्ष यदि नियम 56 के अन्तर्गत सम्मति दे और यह ठहरायें कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है तो वह सम्बन्धित सदस्य को बुला-एगा।"

अभी वह स्थिति नहीं आई है। परन्तुक 2 बहुत संगत है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

"परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष उसमें उल्लिखित मामले के बारे में पूर्ण तथ्यों से अवगत न हो तो वह अपनी सम्मति देने या इन्कार करने से पूर्व उस प्रस्ताव की सूचना को पढ़ कर सुना सकेगा।"

आपने प्रस्ताव का नोटिस नहीं पढ़ा है। इसलिये मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। संसदीय प्रजातंत्र में संसद सर्वोच्च होती है न कि सरकार हमारे देश के प्रजातंत्र में कार्यपालिका सर्वोच्च नहीं है। हम संसदीय प्रजातंत्र को क्षीण और कमजोर नहीं बना सकते। अतः निर्णय देने से पूर्व आपको प्रस्ताव का नोटिस पढ़ना होगा और फिर आपको मंत्री महोदय की बात सुननी होगी। गृह राज्य मंत्री ने सही वक्तव्य दिया है। नियम में "और/अथवा" दिया गया है, आशा है कि आपको "और" की उदारतापूर्वक व्याख्या करनी चाहिए न कि 'या' की। नियम में कहा गया है "और या सम्बधित सदस्य", 'सदस्यों' शब्द का प्रयोग किया गया है 'सदस्य' शब्द का नहीं। मेरे विचार से कई सम्बन्धित सदस्य हैं और यह निर्णय करना अध्यक्ष का काम है कि किसे बुलाया जाए। नियम में कहा गया है :—

"और/या सदस्यों में तथ्यों पर संक्षिप्त विवरण सुन सकेगा और उसके बाद प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद अपना निर्णय देगा।"

आप प्रस्ताव का नोटिस पढ़िए। आपने इसे नहीं पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : (श्री कामत) आप सम्भवतः यह सोच रहे हैं कि सभी सदस्यों ने मिलकर एक नोटिस दिया है; यह सही नहीं है। अलग अलग नोटिस मिले हैं। मैंने पहले नोटिस को लिया है और मैंने सदस्य की बात सुनी है। **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : यदि कई सदस्यों ने एक साथ नोटिस दिया है तो नियम में यह कहा गया है कि पहले सदस्य को ही नोटिस देने वाला सदस्य समझा जायेगा। लेकिन अलग अलग नोटिस दिये गये है और अलग अलग नोटिस आपके सामने हैं। इस मामले में यह नियम लागू होता है और सदस्यों को अवसर दिया जाना चाहिए। अतः जो नियम ऐसे नोटिस पर लागू होता है जिसे सभी सदस्यों ने मिलकर दिया है तो एक सदस्य को बोलने का अवसर दिया जायेगा लेकिन यहां यह नियम लागू नहीं होता। अतः सभी सदस्यों ने अलग नोटिस दिये हैं और उन्हें नियम के अधीन सुने जाने का अधिकार है। परन्तु श्री कामत ने नियम नहीं पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री० जी० एम० बनतवाला के नोटिस में यह कहा गया है :

"रेल द्वारा 9, मई 1979 को संशोधन विधेयक के सिलसिले में विरोध स्वरूप रैली के लिये दिल्ली आ रहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर बेरोकटोक, जोरदार और नियोजित ढंग से किये गये सशस्त्र हमले, जिससे अग्नेयास्त्रों का भी खुला प्रयोग किया गया और जिसके परिणामस्वरूप अनेक छात्रों को चोटें आयी और कई छात्र अभी भी लापता हैं तथा छात्रों की रक्षा करने में तथा विरोध प्रकट करने के उनके संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने में सरकार की असफलता और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में आतंक"।

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिये सभा के कार्य को स्थगित करने के लिये प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूं।:

"रेल द्वारा 9 मई, 1979 को संशोधन विधेयक के सिलसिले में विरोध स्वरूप रैली के लिये दिल्ली आ रहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर बेरोकटोक, जोरदार और नियोजित ढंग से किये गये सशस्त्र हमले जिसमें अग्नेयास्त्रों का भी खुला प्रयोग किया गया और जिसके परिणामस्वरूप अनेक छात्रों को चोटें आईं तथा अनेक छात्र अभी भी लापता है तथा छात्रों की रक्षा करने में तथा अनेक विरोध प्रकट करने के उनके संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने में सरकार की असफलता और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में आतंक।"

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हैं वो अपने स्थानों पर खड़े हो जायें।

(कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये)

अध्यक्ष महोदय : अपेक्षित संख्या में सदस्य खड़े हुए है। किसी को इस पर आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाती है। हम स्थगन प्रस्ताव पर शाम के 4 बजे चर्चा करेंग।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लिखा जायेगा, यदि हां तो कब?

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत जब स्थगन प्रस्ताव लिया जाता है अन्य सभी कार्य स्थगित हो जाते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : अगर मैंने आपको सही सुना है तो आपने यह कहा है कि स्थगन प्रस्ताव शाम के 4 बजे लिया जायगा, क्या यह सही है?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने निदेश दिया है कि यह 4 बजे लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, 4 बजे लिया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : पहली बार ऐसा हुआ है कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के बीच कोई अन्य कार्य लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह पहला अवसर नही है। ऐसे अवसर पहले भी आये हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : ऐसा कभी नहीं हुआ। आप स्थगन प्रस्ताव पर उसी समय चर्चा क्यों नहीं करवाते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लोक सभा के कार्य तथा प्रक्रिया सम्बन्धी मैनुअल के पृष्ठ 48 क में यह कहा गया है :

> "5 दिसम्बर, 1967 को 16.00 बजे दिल्ली में कथित पुलिस राज तथा उत्तर प्रदेश के दो मंत्रियों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। 18.35 बजे स्थगन प्रस्ताव के अस्वीकृत होने के बाद आधे घंटे की चर्चा की गयी। श्री एस० एन० द्विवेदी द्वारा आपत्ति किये जाने पर अध्यक्ष ने बताया कि नियम 61 के अधीन स्थगन प्रस्ताव 16.00 बजे लिया ही जाना था चाहे सदन के समक्ष सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्य क्यों न हो।

श्री हरि विष्णु कामत : यह सही नहीं है आप नियम 61 देखिये यह बिलकुल स्पष्ट है। इसमें कहा गया है : 16.00 बजे अथवा इससे पहले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के कारण इसे पहले भी लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो मर्जी की बात है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप हमारा अधिकार नहीं छीन सकते।

श्री हरि विष्णु कामत : आप मध्याह्न पश्चात् 2 बजे स्थगन प्रस्ताव को ले सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। अब हम सभा पटल पर रखे गये पत्रों पर आते है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य अपने आप पीछे हो गया है। इसके बारे में और अधिक नहीं कहा जा सकता।

श्री हरि विष्णु कामत : हम इसे मध्याह्न प्रश्चात् 2 बजे ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राज नारायण : आपने कहा कि यह अर्जेन्ट है, तो इसको ले लीजिये। 3 दिन की छुट्टी हो रही है, बहुत से एम०पीज० घर जा रहे हैं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर शुक्रवार को छुट्टी है: अतः गैर सरकारी सदस्यों का कार्य गुरूवार को लिया जायेगा। नियम का उद्देश्य यह है कि किन्ही भी परिस्थितियों में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये रखे गये सप्ताह में ठाई घंटे समाप्त नहीं होने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं है। यह एक विपरीत निर्णय है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यदि आज 4 बजे स्थगन प्रस्ताव लिया जाना है तो मैं चाहूंगा कि आज 4 बजे से पूर्व ढाई घंटे के लिये गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाये और सरकारी कार्य को स्थगित कर दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप 1.30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य ले सकते है

प्रो० पी० जी० मावलंकर हर सप्ताह इस के लिये ढ़ाई घंटे होने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई आदेशात्मक नियम नहीं है और यदि एसा है तो आप मुझे बताइये **(व्यवधान)** बल्कि नियम तो उसके विपरीत है।

प्रो० पी० जी मावलकर अब शुक्रवार के लिये कार्य सूची को गरूवार के लिये कर दिया गया है क्योंकि शक्रवार कों छुट्टी है। इसका क्या मतलब? मतलब यही हुआ कि प्रति सप्ताह $2\frac{1}{2}$ घंटे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु रखे जायेंगे। तब मेरा निवेदन है कि अब से 4 बजे के बीच सरकारी कार्य ऐसे लिया जाये ताकि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये 2-$2\frac{1}{2}$ घंटे का समय निकाल कर 4.00 बजे स्थगन प्रस्ताव लिया जा सके।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत: मैं आपकी उत्सुकता समझता हूं। पर आपने नियम 61 की शब्दावली को ध्यान से नहीं देखा है। नियम 61 में कहा गया है:

"कि यह प्रस्ताव "कि अब सभा स्थगित होती है"

16.00 बजे या उससे पूर्व लिया जा सकेगा। आपके पास पर्याप्त अधिकार है— . . .यदि अध्यक्ष सभा में कार्य की स्थिति पर विचार करके, ऐसा निदेश दे।"

अध्यक्ष महोदय: इसे पहले नहीं ले सकता क्योंकि पूरी जानकारी लेने के लिये मुझे सरकार को भी समय देना है। गैर-सरकारी सदस्यों का अधिकार कोई मूल अधिकार नही है।

श्री नाथू सिंह (दौसा): अध्यक्ष महोदय चूंकि कल शुक्रवार को छुट्टी है, इसलिये प्राईवेट मेम्बर्ज बिजिनेस को आज गुरूवार को रखा गया है। आज आपने एडजार्नमेंट मोशन की इजाजत दी है। आपके सामने दो विकल्प हैं: या तो आप एडजार्नमेंट मोशन को 2 बजे ले लें और उसके बाद प्राईवेट मेम्बर्ज बिजमेस को लें, या प्राईवेट मेंम्बर्स बिजिनेस के बाद एडजार्नमेंट मोशन को 6 या $6\frac{1}{2}$ बजे ले। सरकारी कार्य को आगे बढ़ा दिया जाये।

हर सप्ताह प्राईवेट मेम्बर्स विजिनेस के लिये ढाई घंटे दिये जाते हैं। आज मेरा स्वयं का एक रेजोल्यूशन कार्य सूची में है। अगर आपने आज मुझे समय न दिया, तो चूंकि 18 तारीख को सेशन खत्म हो जायेगा, इस लिये मुझे अपना रेजोल्युशन मूव करने का मौका नहीं मिलेगा। इस लिये आप ऐसी व्यवस्था करें कि आप रडजार्नमेंट मोशन को 2 बजे ले लें या बाद में लें, लेकिन प्राईवेट मेम्बर्ज के रिजोल्यूशन को मूव करने की इजाजत अवश्य दें।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ): इस महत्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में मेरा भी निवेदन है। इस संसद का उद्देश्य ही यह है कि जनता के प्रतिनिधि सदस्य सरकार से अपनी बात कह सकें। लेकिन लग रहा है कि सरकार बहुत समय ले रही है।

अध्यक्ष महोदय: यह बात भी ठीक नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो: प्रति सप्ताह औसतन 40 घंटों में से केवल $2\frac{1}{2}$ घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के लिये दिये जा रहे हैं। अब यदि आप ऐसा उदाहरण रख देंगे तो उन्हें भी समाप्त कर दिया जायेगा।

तब संसद का प्रयोजन क्या है? क्या सरकार के कार्य और कार्यपालिका विधेयकों पर हम मोहर लगाने वाले हैं? आप 2.00 बजे कृपया सरकारी कार्य के स्थान पर गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लीजिये मैं मानता हूं कि सरकार को जानकारी एकत्र करने हेतु कुछ समय चाहिये। लेकिन कृपया सुनिश्चित करिये कि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 2.00 बजे लिया जा सके और उसे 2½ घंटे दिये जायें। यह इसलिये नहीं कि आज का कार्य महत्वपूर्ण है या नहीं है बल्कि इस लिए कि आप एक एसा उदाहरण रखेंगे जिससे उनके लिये यह समय भी समाप्त कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई उदाहरण नहीं रख रहा। मैं उसका पालन कर रहा हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : नियम 26 के तीसरे परन्तुक में कहा गया है:

> "परन्तु यह कि यदि शुक्रवार को सभा की बैठक नहीं है, तो अध्यक्ष सप्ताह में किसी भी दिन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये 2½ घंटे का समय आवंटित किये जाने का निदेश दे सकते हैं।"

क्योंकि कल सभा की बैठक हो रही है अत: आप ने उसके लिये आज समय दिया है। दूसरे परन्तुक में कहा गया है:

"परन्तु आगे यह कि अध्यक्ष, सभा के नेता से परामर्श करके शुक्रवार के अतिरिक्त कोई अन्य दिन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु आवंटित कर सकते हैं।

अतः कृपया आप आश्वासन दें कि यदि आज आप 2½ घंटे का समय नहीं दें सकते तो किसी अन्य दिन समय दिया जायेगा। अच्छा हो यदि आज म. प. 1.30 बजे ही उसे ले लिया जाये।

प्रो० समर गुह (कन्टाई) : जिस पूर्व उदाहरण का आपने उल्लेख किया है वह वर्तमान परिस्थितियों में संगत नहीं है क्योंकि उसके अनुसार तो स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत होने पर सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्य रद्द माना जायेगा।

सभा में कार्य की तीन श्रेणियां हैं: एक सरकारी, दूसरा गैर-सरकारी और तीसरा कार्य निश्चित रूप से गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आता है। यह निः सन्देह गैर-सरकारी कार्य है।

प्रतिदिन कुछ सरकारी कार्य और आधे घंटे की चर्चा नियम, 184, 193 के अधीन चर्चा आदि कुछ गैर-सरकारी कार्य भी होता है। परन्तु गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य बिलकुल अलग प्रकार का है और उसका अपना स्पष्ट उद्देश्य है। अतः वह पूर्व उदाहरण यहां लागू नहीं होता। आप आज समय दे अगर आज समय नहीं तो फिर अगले सप्ताह किसी दिन समय दें। आप यह नहीं कह सकते कि पूर्व उदाहरण के आधार पर मैं इसे रद्द कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्री रविराय की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) खाद्य अपमिश्रण (निवारण) अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 जनवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 55(ड़) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये सं० एल० टी० 4446/79

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976—77 और 1977—78 के वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976—77 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1977–78 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 4447/79)

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी आधे घंटे की चर्चा का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : जब चर्चा आयेगी। तब देखेंगे।

सभा पटल पर रखे गऐ पत्र सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मै सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति के 16वे से 19वे प्रतिवेदनों से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही साराश सभा पटल पर रखता हूं।

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : महोदय मैं, चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (संख्याक 3) विधेयक, 1979

(2) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक 1979

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रेल कर्मचारियों द्वारा बोनस की अपनी मांग के समर्थन में लिये गये प्रदर्शन का समाचार

श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रेल मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और प्रार्थना करती हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:

"अखिल भारतीय रेल कर्मचारियों द्वारा बोनस की अपनी मांग के समर्थन में किये गए प्रदर्शन के समाचार।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)।

रेल मंत्री (श्री मधु दण्डवते) :

कुछ समय पहले से, रेल कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों द्वारा विविध मंच से बोनस की मांग उठायी गयी है। नयी दिल्ली में आल इंडिया रेलवे मैन फैडरेशन द्वारा रेल कर्मचारियों को बोनस दिये जाने की अपनी मांग मनवाने के लिए 7 मई को और भारतीय रेलवे मजदूर संघ द्वारा मान्यता के साथ-साथ बोनस दिये जाने के प्रश्न पर 8 मई को प्रदर्शन किये गये।

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध नेशनल फैडरेशन आफ इंडिया रलवमैन 25 मार्च, 1979 को हुई अपनी कार्यकारिणी की बैठक में हड़ताल का बैलट लेने के बाद एक प्रस्तावि पारित किया और अपनी सभी सम्बद्ध यूनियनों को निर्देश दिया कि वे पहली मई, 1979 को बोनस और अन्य मांगों के प्रश्न पर अपने-अपने क्षत्रीय रेल प्रशासन को 31 मई, 1979 की मध्य रात्रि से पूर्ण हड़ताल पर जाने को नोटिश दे दें। लेकिन, 26 अप्रैल, 1979 को पारित एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा नैशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवे मैन ने हड़ताल की अपनी योजना को जुलाई, 1979 के अन्त तक के लिए स्थगित कर दिया है।

आल इंडियन रेलवैमैन्स फेडरेशन ने अपनी जनरल काउंसिल मीटिंग में 9 मई, 1979 को निर्णय किया है कि अगस्त, 1979 के अन्त तक हड़ताल के मतदान का काम पूरा कर लिया जाये और यदि इस बीच सरकार बोनस के इस प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लेती तो उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने के लिए उनकी कार्यकारी समिति की बैठक की जायेगी।

आल इंडिया रेलवे एम्पलाइज़ कानफडेरेशन ने, जो मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है, बोनस की मांग सहित एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है। इस संगठन ने अब 8 मई, 1979 के 00.00 बजे से "नियमानुसार कार्य" करने का आन्दोलन शुरू कर दिया है।

रेल कर्मचारियों की दो मान्यता प्राप्त फेडरेशन—आल इंडिआ रेलवेमेंस फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन—तथा भारतीय रेलवे मजदूर संघ इस आन्दोलन में भाग नहीं ले रहे हैं मैं सदन को वह सूचित करना चाहता हूं कि कोई गम्भीर घटनाएं नहीं हुई हैं जिनकी वजह रेल के परिचालन पर बुरा प्रभाव पड़ा हो और सभी क्षेत्रीय रेलों पर

स्थिति लगभग सामान्य है। सरकार ने यात्री तथा माल दोनों प्रकार की गाड़ियों के सामान्य संचालन को बनाये रखने के लिए सभी सम्भव उपाय कर लिये हैं। क्षेत्रीय रेल प्रशासनों से कहा गया है कि वे किसी भी व्यक्ति द्वारा गाड़ी सेवाओं के सहज संचलन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश को गम्भीरता से लें।

जहां तक बोनस का प्रश्न है, माननीय सदस्यों को मालूम है कि वेतन, आय और मूल्य से सम्बन्धित अध्ययन दल की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों तथा रेलवे जैसे सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति को कहा गया था। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय द्वारा आगे विचार किया जा रहा है।

मैं रेल कर्मचारियों की यूनियनों पर यह जोर देता आ रहा हूं कि रेल कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए, इसके व्यापक निहितार्थ को देखते हुए, सरकार को पर्याप्त समय दिये जाने की आवश्यकता है। विभिन्न मांगों का वार्ता द्वारा निपटारा करने के द्वार हमेशा खुला है। विगत दो वर्षों के दौरान कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के माध्यम से रेल कर्मचारियों को अनेक वर्गों को फायदा पहुंचाने वाले वहुत से निर्णय किये गये हैं। जिन पर 125 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आयेगी। बोनस का प्रश्न भी इसी तरह कोई ऐसी कार्रवाई किये बिना, जिससे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का तथा फलस्वरूप रेल कर्मचारियों के हितों का भी नुकसान हो, वार्ता द्वारा सुलझाया जा सकता है।

श्रीमती मृणाल गोरे : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि जनता पार्टी सरकार के आने के दो साल बाद भी रेल कर्मचारियों को बोनस के बारे में कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। यहां 7 मई को जो हुआ उसको मैं प्रदर्शन तो नहीं कहूंगा बल्कि लोकसभा को पटीशन देने के लिए रेल कर्मचारी यहां पर आए थे। उन रेल कर्मचारियों की आज मनःस्थिति क्या है उसको रेल मंत्री जी जरा समझ लें, यह मैं उनसे प्रार्थना करूंगी। 1974 में इसी बोनस की मांग को लेकर पूरे देश में रेल कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी और उस वक्त विरोधी दल में रहने वाले जिन नताओं ने रेल कर्मचारियों को अपनी हार्दिक सपोर्ट दी थी उनमें से कई नेता आज कैबिनेट में बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति में रेल कर्मचारी दो साल तक इन्तजार करते रहे। जिन नेताओं ने उस समय रेल कर्मचारियों को पूरा सहकार दिया था उनमें केवल रेल मंत्री और उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फर्नांडीस ही नहीं थे बल्कि आज कैबिनेट में दूसरे मंत्री बैठे हुए हैं वे भी थे—वे चाहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी हों, होम मिनिस्टर श्री एच० एम० पटेल हों—इन सभी लोगों ने उस समय रेल कर्मचारियों की बोनस की मांग की पूरी तरह से ताईद की थी।

मेरे पास लोकसभा की 9 मई, 1974 की प्रोसीडिंग्ज हैं जिसमें इन सभी नेताओं ने पूरी तरह से बोनस की मांग की ताईद की थी। जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद दो साल तक रेल कर्मचारी पेशेन्स के साथ बैठे रहे। रेल कर्मचारियों को, सरकार के अधीन जो दूसरे औद्योगिक संस्थान हैं, उसके कर्मचारियों के बराबर माना जाना चाहिए—(यह उनकी मांग है।

इसीलिए वे बोनस की मांग कर रहे हैं। आज हम देखते हैं विभिन्न राज्यों में यातायात सम्बन्धी जितनी भी संस्थायें हैं, जो राज्य परिवहन मण्डल है, उन सभी के कर्मचारियों को बोनस मिल रहा है। एसी स्थिति में यह कोई नहीं कह सकता कि रेल कर्मचारियों की बोनस की मांग वाजिब नहीं है। इस मांग को लेकर 1974 में रल कर्मचारियों ने बहुत बड़ी सैक्रीफाइस की थी। उस समय सारे देश में एकाधिकारशाही फोर्सेज के विरुद्ध लोकमत संगठित करन का काम रेल कर्मचारियों ने हड़ताल के मध्यम से किया था। आज हमें उनका धन्यवाद मानना चाहिए कि एकाधिकारशाही फोर्सेज का जो दमनचक्र रेल कर्मचारियों की हड़ताल के समय चल रहा था उसने पूरे देश की जनता का ध्यान खींच लिया था। उसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने एकाधिकारशाही का विरोध करने का काम किया। यहां रेल मंत्री जी कहते हैं कि 125 करोड़ रुपये की सुविधाएं, सहायता उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को दी हैं, इस को मैं मानती हूं। इतना सब कुछ आप ने किया है, मैं जानती हूं और आप ने 50 हजार कर्मचारियों को सलैक्शन ग्रेड भी दिया है जो कई सालों से उन को नहीं मिल रहा था और आपने दूसरी कई अच्छी बातें उन के लिए की हैं लेकिन फिर भी जो उन की बोनस की मांग है, जो उचित और सही मांग है, वह नहीं मानेंगे और उन को जब तक आप बोनस नहीं देंगे तब तक जो रेल कर्मचारी हैं, उन में शान्ति और पूर्ण रूप से सहयोग करने की भावना नहीं रहेगी। आपने बार बार इस सदन में कहा है कि रेल कर्मचारी पूरी तरह से आप के साथ सहयोग कर रहे हैं। किस तरह से रेल के एक्सीडेंट्स हो रहे थे और कुछ जानबूझ कर इस बात की कोशिश हो रही थी, उस के बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आप ने जगह जगह पर रखी है और उन की मदद से आप इस को काबू म कर सके हैं। आखिर रेल गाड़ियों को अच्छी तरह से चलाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि कर्मचारियों का पूरा सहयोग आप को मिले। यह आप भी जानते हैं और मैं भी यह जानती हूं कि फेडरेशन जो मान्यता प्राप्त नहीं है, उस ने कुछ आन्दोलन जारी किया है लेकिन जो मान्यता प्राप्त यूनियन्स हैं उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से बहुत दिन राह देख कर अब 9 तारीख यानी कल यह फैसला किया है कि वे स्ट्राइक बैलेट ले लें और अगस्त तक वह बैलेट पूरा होने वाला है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस सवाल में पूरी तरह से जाने के लिए केबिनट की एक सब-कमेटी नियुक्त हुई थी और उस केबिनेट कमेटी ने, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती, कितने महीने विचार करने के लिए ले लिये? पूरा विचार कर के क्या उसने इस प्रश्न पर निर्णय ले लिया है? जहां तक मुझे मालूम है कि उसने यह निर्णय लिया है कि बोनस देना चाहिए। प्रकार का सुझाव केबिनेट कमेटी ने दिया है, यह सुनने में आता है। इस अब अगर यह बात सही है, तो फिर क्यों यह बोनस देने में इतनी देर लग रही है और इस प्रश्न को ले कर आज स्थिति गंभीर बनती जा रही है। तो मैं यह कहूंगी कि रेल कर्मचारियों ने दो साल तक आप के साथ पूर्ण सहयोग किया है, उनकी सहन शक्ति को अन्त तक मत ले जाइए और स्ट्राइक बैलेट होने से पहले ही इन को बोनस दीजिए और औद्योगिक कर्मचारियों के साथ उन को बराबर की परिस्थिति में लाने की जो उनकी मांग है, उस को पूरा करिये । केवल 'विचार कर रहे हैं,' 'विचार कर रहे हैं', इस से अब किसी को संतोष होने वाला नहीं है। बहुत विचार आप कर चुके हैं। आखिर कब तक विचार करते रहेंगे। ऐसा न हो कि उन की विचार शक्ति और सहन शक्ति खत्म हो जाए। कृपया ऐस मत कीजिए और तुरन्त बोनस की मांग को मंजूर कीजिए।

एक सवाल यह उठ सकता है कि अगर रेल कर्मचारियों को देंगें तो दूसरे सभी सरकारी कर्मचारियों को देना पड़ेगा। मैं कहती हूं कि उस के ऊपर विचार करना है, तो वह तो आप ने जब सब-कमेटी ने आपना सुझाव दे दिया, तब किया होगा। अब इस के बारे में फिर से क्या विचार कर रहे हो? यह भी मैं कहूंगी कि बोनस देने के बाद उन से यह अपेक्षा रखेंगें कि जो पैसा उन को मिलेगा, उस में से कुछ हिस्सा नेशनल डेवलपमेंट के लिए जाए। मैंने इस बारे में यूनियन्स से बात नहीं की है लेकिन एक लेमैन की तरह, एक सामान्य व्यक्ति के नाते, मुझे लगता है कि रेल कर्मचारी इस बात का भी आदर करेंगें लेकिन बोनस उन का अधिकार है, जिस को आप को मंजूर करना पड़ेगा। तुरन्त आप को बोनस देने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं एक सवाल तो यह पूछना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय इस का जवाब देंगे कि उन की सहन शक्ति खत्म होने से पहले, आप का इस पर निर्णय होगा। यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं।

श्री राज नारायण : मैं श्रीमती मृणाल गोरे से एक गुजारिश करूंगा कि वे यह समझ लें कि मज़दूरों की 'विचार शक्ति' खत्म नहीं होगी, 'विचार शक्ति' 'कर्म शक्ति' में परिणत हो जाएगी। यह वह मान लें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भाषा की तरमीम कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन्, मृणाल जी ने जो यहां भावना व्यक्त की है, उस के साथ सिर्फ मैं ही सहमत नहीं हूं बल्कि मैं समझता हूं कि सारे रेल कर्मचारी और हमारे देश के अन्य कमचारी भी सहमत हैं। (**व्यवधान**) इसलिए पहले मैं दो-तीन बातें स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सरकार की मार्च 1977 से लगातार यह नीति रही है कि बोनस का जो सवाल है, उसको क्रमश: सेटिल करने की कोशिश की जाए। एमर्जेंसी के दौरान जो बोनस कानून खत्म किया गया था उसको पुर्नस्थापित करना हमारा प्रथम चरण रहा है।

यह हम लोगों ने किया। यह मैं इस सदन में ही नहीं कहता हूं बल्कि हजारों की तादाद में जहां रेल मजदूर इकट्ठे होते हैं उनके सामने भी यह कहता हूं कि क्रमश: हम को इस सवाल को हल करना है और एक मर्तबा बोनस का पुराना कानून रेस्टोर करने के बाद जिनका कवरेज उस कानून से नहीं होता है उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मैं जानता था कि रेल कर्मचारियों, पी० एण्ड टी० कर्मचारियों और डिफेंस प्रोडक्शन के कर्मचारियों, इन सभी का सवाल उठेगा। इस सवाल को हल करने में थोड़ी देर लगेगी। इस के लिये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं।

1974 में जब इस सवाल पर स्ट्राइक किया गया था और जिसका नेतृत्व श्री जार्ज फर्नान्डीस ने किया था जो उस समय श्री जार्ज फर्नान्डीस ने श्री ललित नारायण मिश्र को तिहाड़ जेल से खत लिखा था और विरोधी दल के लोगों में मैं भी श्रीमती इन्दिरा गांधी से उस वक्त मिला था। उस वक्त हम लोगों ने साफ तरीके पर यह कहा था कि बुनियादी सिद्धांतों को मानने के बाद, अगर अर्थ व्यवस्था की कोई दिक्कत हो तो फेज्ड तरीके से एक-एक मांग मान

ली जाए जिस में हमारा कोई विरोध नहीं है। यह श्री जार्ज फर्नान्डीस ने संघर्ष समिति के तौर पर और विरोधी दल की ओर से मैंने खुद जा कर भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उस समय कहा था।

मैंने स्वयं प्रधान मंत्री से कहा है कि यदि सरकार को यदि वित्तीय कठिनाइयां हैं तो हमें बतायें तो हम उन की मांगों को चरण-वार मान सकते हैं और समस्या सुलझ जाये।

मैं यकीन दिलाना चाहता हूं मृणाल जी को कि रेल मंत्री की हैसियत से रेल कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ देखने का मेरा रवैया सहानुभूति पूर्ण रहा है। इसमें गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट्स का सवाल आता है। इस बोनस के सवाल को हल करने में कुछ समय लगेगा। मैंने जानबूझ कर बोनस के सवाल को अन्य सवालों से अलग कर दिया है। इस के अलावा और जितने सवाल हो सकते थे, पिछले दो सालों में हम ने उनको हल किया है। मुझे गर्व है कि जनता सरकार को आने के बाद से पिछले दो सालों में 126 करोड़ की मांगों को मंजूर किया गया है। इसको इन्टक एफिलियेटिड आरगेनाइजेशंस ने और विरोधी दल में काम करने वाले लोग जो यूनियनें चलाते हैं उन्होंने भी कई मर्तबा हमारे सामने कहा है कि हम यह जरूर मानते हैं कि पिछले दो साल में जितनी मांगें मंजूर हुई हैं उतनी मांगें पिछले 125 सालों के किसी भी साल को ले लीजिए जब कि दो सालों में इतनी मांगें मंजूर नहीं हुई हैं। इतनी मांगें मंजूर करने का काम पिछली किसी भी सरकार ने 125 सालों में किसी साल में नहीं किया। हम क्रमशः इस सवाल को भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

अब मैं बोनस के सवाल की ओर आता हूं। जिन संस्थाओं ने बेलट का फैसला किया था ---दोनों ही फैडरेशन के लोग फैसला करने के बाद मुझ से मिले थे। पहले इन्टक एफिलियेटिड नेशनल फेडरेशन ने फैसला किया था कि पहली मई को नोटिस देंगे और 31 मई को स्ट्राइक शुरू होगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी बैठक की और यह फैसला किया कि राज्य सभा और लोक सभा में मैंने जिस ढंग से इस सवाल को रखा था, उस पर विश्वास रख कर के हम आप को और ज्यादा समय देना चाहते हैं। यह उन्होंने मुझे लिखित पत्र में भी लिखा है। हमें आशा है कि आप कुछ कर पाएंगे, सरकार कुछ कर पाएगी और रेल मंत्रालय पर भरोसा रख कर हम मुलतवी रखते हैं। यह हमारा निर्णय है। उन्होंने स्ट्राइक का डिसिशन पोस्टपोन कर दिया---

श्रीमती मृणाल गोरे : करवा नहीं सकते थे इसलिए पोस्टपोन किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उस बात पर आ रहा हूं। मैं किसी संगठन पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता। यहां मैं रेल मंत्री की हैसियत से कार्य कर रहा हूं। जहां तक आल इंडिया रेलवेमैन्ज़ फैडरेशन का सवाल है उन्होंने जनरल काउंसिल में फैसला किया है कि सरकार को काफी मौका देना चाहिये। उन्होंने जो फैसला किया है वह भी हड़ताल करने का नहीं है। उन्होंने निर्णय यह लिया है कि 31 अगस्त तक हम बैलट लेंगे। आगे चल कर उनका निर्णय यह है कि 31 अगस्त तक बैलट का काम पूरा करने के बाद अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक उसके बाद बुलाएंगे और आगे चल कर क्या करना है उसके बारे में हम कार्रवाई तय करेंगे। बीच में हम लोग रेल मंत्रालय के साथ बातचीत करेंगे। इस फैसले के चन्द घंटों के बाद वे रेल भवन में मेरे पास आए और उनके साथ मेरी एक घंटे तक कल बैठक हुई। उन्होंने मुझे यकीन

दिलाया है कि हम लोगों ने यह निर्णय लिया है लेकिन हम लोगों पर फिर भी आप भरोसा रखें और हमारा भी आप पर विश्वास है और हमारा विश्वास है कि स्ट्राइक की नौबत नहीं आएगी और जिन्होंने हमारी स्ट्राइक का नेतृत्व पुराने जमाने में किया है और जो आज सरकार चला रहे हैं हमारा विश्वास है कि इसको देखते हुए आप कैबिनेट के सामने, सरकार के सामने इस सवाल को रखेंगे और शायद हड़ताल करने की नौबत नहीं आएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि हम नैगोशिएटिड सैटलमेंट के हक में हैं। इस में गिव एंड टेक भी हो सकता है। इस प्रकार की नैगोशिएशंन स्ट्राइक बैलट से पहले हो सकती हैं।

जहां तक वर्क टू रूल का सवाल है उन्होंने स्ट्राइक शुरू नहीं की है। यह गलत इनफर्मेशन लोगों की हैं। एक आर्गेनाइजेशन है आल इंडिया रेलवे एम्प्लायीज़ कनफ़ैडेशन उन्होंने वर्क टू रूल, नियम के अनुसार काम करने का आन्दोलन शुरू किया है। स्ट्राइक शुरू नहीं की है। मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं करना चाहता हूं। लेकिन एक दो दिन गाड़ियां आने में जो दिक्कत हुई है उसका एक कारण यह भी है कि गाजियाबाद के नजदीक एक रेल एक्सीडेंट हुआ है और उत्तर प्रदेश में पावर की दिक्कत होने की वजह से ओवर हैड वायर्ज काम नहीं कर पाई हैं, इसलिए कुछ गड़बड़ हो गई है। अलीगढ़ में कुछ गड़बड़ हो गई है। उसकी वजह से गाड़ियों के आने में कुछ देरी हुई है——

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : हावड़ा में क्यों देरी से आ रही हैं?

प्रो० मधु दंडवते : बहुत अच्छी इनफर्मेशन आपने दी है। वर्क टू रूल शुरू होने से पहले भी हावड़ा और कलकत्ता में गाड़ियां देर से आ रही थीं तो इसका अर्थ यह हुआ कि वर्क टू रूल का असर नहीं है बल्कि दूसरे इसके कारण रहे हैं। वर्क टू रूल आन्दोलन आठ तारीख से शुरू हुआ है और इसको आल इंडिया रेलवे मैंज़ फैडरेशन, एन० एफ० आई० आर० ने स्पोर्ट नहीं दी है और न भारतीय मजदूर संघ ने स्पोर्ट दी है। उसका कोई ज्यादा असर भी नहीं हुआ है। हम लोगों की कोशिश होगी कि वैगन मूवमेंट और पैसेजर मूवमेंट में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे।

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि कैबिनेट सब कमेटी के सामने यह सवाल है, अर्थ मंत्रालय के साथ भी सम्पर्क हम रखे हुए हैं और हमारी लगातार कोशिश होगी कि हम लोगों ने जो वादे किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए और रेलों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ मजदूर संस्थाओं का सहयोग ले कर और कम्प्रोमाइज़ करके उनकी मांगों को जहां तक हो सके पूरा किया जाए। मैं माननीय सदस्या और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सवाल को नैगोशिएटिड सैटलमेंट के जरिये जल्द से जल्द हल करने की हम कोशिश करेंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि दो बरस में जो उन्होंने किया है वह बहुत सराहनीय है और शायद पिछले तीस बरस में इतना काम कभी नहीं हुआ है। यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिये। वे अधिक मेहनत करें और रेलों को घाटे में न चलने दें। तभी बोनस सम्बन्धी उनकी मांग पर

हम विचार कर सकते हैं अन्यथा नहीं **(व्यवधान)** लेकिन साथ ही मंत्री जी को मैं बता दूं कि सैधान्तिक रूप से हम बोनस के पक्ष में हैं। लेकिन हम उसे देने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि उस से काफी जटिलताएं पैदा होंगी। हमें डाक-तार और रक्षा के बारे में सोचना है.... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हमें अपने पर स्वयं नियंत्रण लगाना चाहिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री जी उन्हें लिख लें। उनका कहना है, "हमने स्थिति से निबटने के लिए उपाय किये हैं।" मान लो कोई समझौता नहीं होता। सरकार ने क्या विशिष्ट उपाय किये हैं? फिर क्या सच है कि वित्त मंत्रालय ने बोनस की मांग नहीं मानी है। समाचार पत्रों से ऐसा ही लगता है कि मांग को अस्वीकार कर दिया गया है। क्या यह सच है कि राजनीतिक कार्यों सम्बन्धी समिति ने भी उसका अनुमोदन नहीं किया है? तीसरे आप बात करना चाहते हैं—किस से। क्या आप सभी या कुछ कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे? मैं चाहता हूं कि आप सभी के प्रतिनिधियों को बुलायें। चौथे क्या बोनस कारखानों के श्रमिकों और रेलवे बोर्ड क श्रमिकों को भी दिया जायेगा? फिर वित्तीय जटिलताएं क्या होंगी? और डाक-तार और रक्षा मंत्रालयों में भी बोनस देना होगा। मंत्री जी को अपने कथन पर दृढ़ रहना चाहिये। लेकिन साथ-साथ देश में किसी को गड़बड़ करने की अनुमति भी नहीं होनी चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते : इससे पहले कि मैं उनके द्वारा उठाये गये 3 या 4 प्रश्नों का उत्तर दूं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। जहां तक अनुशासन की कमी का प्रश्न है, संगठित कार्मिक संघ भी यह विश्वास करते हैं कि जब भी कोई आन्दोलन करे तो उसकी उपयुक्त सूचना दी जाये। **(व्यवधान)** यह कोई संगठित कार्मिक संघ आन्दोलन नहीं है। असंगठित श्रमिक वर्ग की छुटपुट कार्यवाही और कार्मिक संघों द्वारा वैध कार्मिक संघ कार्यवाही में आपको भेद करना होगा।

कुछ दिन पूर्व त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों द्वारा मुझे शिकायत मिली थी कि छुटपुट कार्यवाहियों के कारण, बैगनों के आने-जाने में बाधा पड़ी है। हमने पता किया है कि यह कार्य असंगठित क्षेत्र का है। इस प्रकार की कार्यवाहियों से हम कठोरता से निपटते हैं और कठोर कार्यवाही की जाती रहेगी। कार्मिक संघों के नेताओं से परामर्श करके मैं ऐसा कर रहा हूं। यह वैध कार्मिक संघ की कार्यवाही नहीं है। अतः हमें इन दोनों प्रकार की कार्यवाही में अंतर करना होगा। इस प्रकार की तंग करने की छुटपुट कार्यवाहियों के कारण गत मार्च मास में त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को सबसे अधिक हानि उठानी पड़ी। हमने कठोर कार्यवाही की और सम्बन्धित कार्मिक संघों को बता दिया है कि ऐसी बातें सहन नहीं की जाएंगी।

बोनस सम्बन्धी माननीय सदस्य ने 3 या 4 प्रश्न किये हैं। पहला यह कि अशान्ति पैदा किये जाने की स्थिति में क्या कार्यवाही की जायेगी? उन्होंने हमारे समूचे दृष्टिकोण को गलत समझा है। मैंने स्पष्ट किया है कि कार्मिक संघ गतिविधियों में मुझे पूर्ण विश्वास है। आशा है हम बातचीत द्वारा समस्या का हल निकाल लेंगे। अतः मैं यह मान कर नहीं चलता कि वे

अशान्ति पैदा करेंगे। मैंने कार्मिक संघों को भी कह दिया है कि हम अनुशासन भंग नहीं होने देंग । इससे उत्पादन में कमी होती है । जहां तक संवेदनशील क्षेत्रों का प्रश्न है यदि कोयला समय पर नहीं पहुंचता तो उत्पादन की हानि होगी । त्रिपुरा और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में यदि वर्षा ऋतु से पहले चावल नहीं पहुंचता तो उन्हें वर्ष भर कठिनाई उठानी होगी। अतः ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी हो, हमें कठोर कार्यवाही करनी होगी। लेकिन अभी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता कि यदि पूर्व सूचना देकर कार्मिक संघ अवैध ढंग से हड़ताल करते हैं तो हम क्या कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या आप सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का समर्थन करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : आप व्यापक प्रश्न पूछ रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : यह उनका संवैधानिक हक है।

प्रो० मधु दण्डवते : वर्तमान स्थिति और संवैधानिक उपबंधों और सभी विधियों के अनुसार रेल कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्यवाही करने सम्बन्धी एक प्रक्रिया निर्धारित है। उन्हें मत प्राप्त करने होते हैं। उसके बाद बात चीत की जा सकती है। पी० एन० एम० और जे० सी० एम० के माध्यम से भी अनेक समस्याएं सुलझाई जाती हैं। मुझे विश्वास है कि वे उपलब्ध तंत्र का लाभ उठायेंगे और बिना हड़ताल किये कई समस्याएं सुलझ जायेंगी । अतः आपके काल्पनिक प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे सकता।

जहां तक वित्त मंत्रालय और मंत्रि मण्डल उप समिति द्वारा निर्णय लिए जाने की बात है, सदस्य महोदय को जानकारी है कि संसदीय लोकतंत्र में जिन लोगों ने गोपनीयता की शपथ ली है वे भेद प्रकट नहीं कर सकते। फिर भी मैं यह बात स्पष्ट कह सकता हूं कि वित्त मंत्रालय ने कोई निर्णय नहीं लिया है। वास्तव में रेल बजट की मांगों पर राज्य सभा और लोक सभा में उत्तर देने से पूर्व मैं वित्त मंत्री से मिला था और उनके साथ परामर्श के बाद मैं बताता हूं कि उपसमिति मामले पर विचार कर रही है। मैं सभा को यह नहीं बता सकता कि उपसमिति में क्या हुआ है। सदस्य महोदय शायद यह बात नहीं समझ रहे। मैं उन पर आक्षेप नहीं लगा रहा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं इसलिए यह प्रश्न कर रहा हूं क्योंकि समाचार पत्रों में छपा है कि वित्त मंत्रालय इसलिए विरोध कर रहा है कि इस से नगर के लोगों को लाभ होगा। चूंकि मैं सत्ताधारी दल का हूं। इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके मंत्री क्या कर रहे हैं। वे जनता के समक्ष क्या व्यवहार करते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आरोप नहीं लगा रहा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं चाहता हूं कि कोई हड़ताल न हो और कोई ऐसा तंत्र हो जिस से सारी समस्याएं सुलझ सकें।

प्रो० मधु दण्डवते : खेद है कि मेरे माननीय मित्र और सहयोगी यह समझे हैं कि मैं आरोप लगा रहा हूं। मैंने तो कहा है कि उनकी जानकारी पर मझे विश्वास है और लोकतंत्र के कार्यचालन में विश्वास रखते हैं। मंत्रिमण्डल उप-समिति के कुछ अन्तरिम निर्णय मैं नहीं बता सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसे ही कह दिया था।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि भूल से मेरे कथन से उन्हें चोट पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वार्ता का जहां तक प्रश्न है तो वार्ता किस से की जाये। जे० सी० एम० और पी० एन० एम० जैसे तंत्र हैं, कुछ संगठित संगठन हैं। भारतीय मजदूर संघ ने मान्यता प्राप्ति हेतु, प्रदर्शन किये हैं। कल मैंने उन्हें बताया कि औद्योकिक सम्बन्ध विधेयक के बारे में हमें मान्यता प्राप्त तथा अमान्यता प्राप्त सभी कार्मिक संघों से परामर्श किया जायेगा। वे काफी खुश हो गये। मैंने सोचा है कि प्रयोग के रूप में मतदान द्वारा मान्यता का प्रश्न सुलझा लिया जाये। मझे खुशी है कि आल इण्डिया रेलवेमेन फेडरेशन और भारतीय मजदूर संघ जैसे अखिल भारतीय संगठन इस बात हे सहमत हो गये हैं। यदि इसमें सफलता मिलती है तो इसे या उसे मान्यता देने सम्बन्धी विवाद का निपटारा हो सकेगा।

जहां तक सिद्धान्त की बात है,, क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि रेलवेमेन इस सिद्धान्त को स्वीकार करेंगे " इसका अर्थ है कि बोनस अधिनियम में हमने यदि रेल कर्मचारियों को शामिल कर लिया तो कोई विवाद नहीं रहता। लेकिन मंत्रिमण्डल के निर्णय लिए बगैर मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता। परन्तु इस मामले को अन्तिम रूप से निपटाने के लिए मैं पूरी शक्ति लगा दूंगा।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि सारी सिचुएशन नार्मल है। ...... **(व्यवधान)** .... वर्क टु रूल के बावजूद हालात नार्मल हैं और कोई इसमें किसी तरह की गड़बड़ नहीं हो रही है। लेकिन आज के पैपर्स के अंदर जो खबरें हैं और खास तौर से "हिन्दुस्तान टाइम्स" के फ्रन्ट पेज पर जो खबर है, उस को आप देखें :

"**"स्टेशन पर तोड़-फोड़**"

आज आन्दोलनकारी रेल कर्मचारियों द्वारा तोड़-फोड़ किये जाने की कोशिश से महत्वपूर्ण गाड़ियों के आने-जाने में बाधा पड़ी।

गाजियाबाद के निकट बरेली-दिल्ली यात्री गाड़ी को दो बार देर हुई। पीछे आने वाली गाड़ियों को भी विलम्ब हुआ। हजारों यात्री भटक गये।

रेल कर्मचारी स्वचालित सिग्नलों के कार्य में बाधा पहुंचा कर भ्रम पैदा कर रहे थे। कई जगह सिग्नलों ने काम नहीं किया जिस से गाड़ियां नहीं चली।

यात्रियों की भीड़ पूछ-ताछ काउंटरों पर खड़ी थी। शाम को दो-तीन मिनट के लिए बिजली फैल हो गई जिससे दिल्ली मेन स्टेशन अंधकार में डूब गया और वहां भाग-दौड़ मच गई।

प्लेटफार्म लोगों और उनके सामान से भरे थे। सूचना पट्ट पर लिखा था कि अनेक गाड़ियां 8-9 घंटे देर से चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, इन हालात में मंत्री महोदय का यह कहना कि सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है और सब काम बिल्कल ठीक, नार्मल चल रहा है कहां तक सही है? मैं उन को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने कई बार इस बात को रिपीट किया है कि क्यों कि जो वर्क टू रूल चल रहा है नार्थ ईस्टर्न एरिया में, उस की वजह से सारे हिन्दुस्तान में कोयला नहीं पहुंच रहा है और कोयला नहीं पहुंचने की वजह से हो सकता है कि हिन्दुस्तान में किसी दिन कैओटिक कंडीशन आ जाय। यह कोई साधारण बात नहीं है। मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब बोनस हमें देना है और जब यह तय किया है कि बोनस की मांग को हम मानते हैं तो बोनस दिया क्यों नहीं जाता है? उस को इतना डिले करना और इतना घुमाना फिराना जिस में यह स्थिति हो जाय कि सौ प्याज भी खाना और सौ जूते भी खाना, उन का एजीटेशन भी हो जाय और उन के झगड़े भी हो जायं और उस के बाद बोनस दें, यह कौन सी समझदारी की बात है? समझदारी का तरीका यह है कि अगर आप को बोनस देना है तो उस में इससे पहले कि वे लोग एजीटेशन का रवैया अख्तियार करें, लाखों आदमी दिल्ली में आएं और उन के डिमांस्ट्रेशंस हों और फिर यह हो कि हम उन को बोनस देते हैं, बजाय इसके जब आप बोनस देने जा ही रहे हैं, जैसे आप डबल रोटी के कारखाने में जो डब्ल रोटी बनाने वाले हैं उन को तो आप बोनस देते हैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में और जो रेलगाड़ी का ड्राइवर है, जो इंजन चलाता है, जिस को इतनी मुश्किल झेलनी पड़ती है, उस को आप बोनस नहीं दे रहे हैं, तो यह कोई पैरिटी की बात भी नहीं है और दूसरी कोई चीज भी इस में नहीं है, यह सिद्धांत रूप में स्वीकार करने की बात नहीं है, आप को बोनस देना है और उस का मेथड क्या होगा, वह आप डिक्लेयर करें और उस में उन को कोई इस तरह का मौका नहीं देना चाहिए।

मैं यह भी मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आखिर इस बात को भी वह ध्यान में रखें कि हिन्दुस्तान में कोई पार्टी किस तरह से कैओटिक हालात पैदा कर रही है, आप ने देखा कि पुलिस की हड़ताल हो रही है, आप ने यह भी देखा कि जगह जगह पर स्ट्राइक्स कराने के लिए साजिश हो रही हैं। जब आप बोनस देने जा रहे हैं तो यह मौका क्यों देते हैं कांग्रेस (आई) के उन लोगों को, संजय गांधी और उन के दूसरे लोगों को जो सारे हिन्दुस्तान के अंदर एनार्की फैलाना चाहते हैं और उस का बहाना ढूंढ रहे हैं? अभी जो हालात हुए और जिस तरीके से झगड़े हुए, अलीगढ़ के स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ, जिस के बारे में बाद में बात आएगी, यह सब उसी साजिश का नतीजा है और मंत्री महोदय इस बात को देखें। वह कहते हैं कि कैबिनेट फैसला करेगी, बाद में करेगी और उस की मेथडालाजी ढूंढी जा रही है और उधर से नोटिस आ गया रेफ्रेंडम होने का तो 'यह क्या कोई ऐसी बात है कि हमें रेफ्रेंडम के डर से या किसी और बात से देना है या गवर्नमेंट की अपनी मर्जी से देना है जबकि प्रिंसिपल के तौर पर हम ने खुद इस बात को माना है। इन दोनों में बहुत फर्क है। मंत्री महोदय इस फर्क को समझें। लोगों की एजीटेशन करवा कर और करोड़ों पैसजर्स को नुक्सान पहुंचा कर बाद में बोनस का एनाउंसमट करेंगे, इस का क्या फायदा है? फौरी तौर पर एक दो दिन में इसको कैबिनेट.म ले जायें और बोनस के बारे में डिक्लेयर करें। मेथड का फैसला बाद में होता रहेगा। यही मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने बोनस के बजाए, शुरू में कोयले के वितरण का सवाल उठाया । मैं इतना ही कहूंगा कि जब मैंने यह कहा कि परिस्थिति नीयर एबाउट नार्मल हैं, परिस्थिति सामान्य हैं, तो वैगन मूवमेन्ट के बारे में अन्य दिक्कतें हैं जिनकी बजह से कई जगह पर कोयला कम है और जहां कोयला है वहां वैगन कम हैं—इन कारणों की वजह से जो दिक्कतें हैं उनका मैंने जिक्र नहीं दिया, मैंने कहा कि 8 तारीख को जो "वर्क टू रूल" मूवमेन्ट शुरू हुआ उसकी वजह से कोई ज्यादा डिसलोकेशन नहीं हुआ है। दिल्ली स्टेशन पर आज जो भीड़ हुई है जिसका चित्र "टाइम्स आफ इंडिया" और दूसरे पत्रों में आया है उसका कारण वर्क टू रूल नहीं है। यू० पी० में पावर की कटौती से कुछ तकलीफ पैदा हुई है या एक दो जगह पर माइनर डिरेलमेन्ट्स हुए .... (व्यवधान) मैं ने वैगन्स के बारे में यह बताया कि एक दो दिन में जो हुआ उसकी वजह अलग है। 8 तारीख को जो वर्क टू रूल मूवमेन्ट शुरू हुआ है उसका इस पर ज्यादा असर नहीं हुआ है।

बाद में उन्होंने कहा कि बोनस अगर देना है तो ग्रेस के साथ देना चाहिए। लम्बे अरसे तक झगड़ा करने के बाद, जुलूस आने के बात, परिस्थिति खराब करने के बाद बोनस देना अच्छा नहीं है। मैं उनकी भावनाओं के साथ सौ फीसदी सहमत हूं । उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हम फैसला कर लेंगे और जब फैसला होगा तो ग्रेस के साथ उसको लोगों के सामने रखेंगे तथा उस पर अमल करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब फैसला हो जायेगा तो उस पर अमल करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन जैसा कि और कई लोगों ने कहा, दूसरे डिपार्टमेन्ट्स का भी जिक्र करना है, इन सब चीजों को देखते हुए जो हमारे आर्थिक संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं उनको देखते हुए फेज़ में इसको हल करना है या एक ही क्रम में हल करना है--इस पर सोचना होगा (व्यवधान) जहांतक रेल कर्मचारियों का सवाल है, बोनस पर 75 से 80 करोड़ का इंसीडस होगा पर ईयर ।

एक माननीय सदस्य : प्रति वर्ष।

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां, आप 50 वर्ष में एक बार बोनस नहीं दे सकते। उसे प्रतिवर्ष देना होगा। एक साल के लिए 75 से 80 करोड़ का खर्चा इस पर होगा।

दूसरा सवाल जिसका जवाब मैंने नहीं दिया था, रिट्रासपेटिक्व जवाब देना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि फैसला भी हो जाए तो वह क्या हो सकता है, क्या सिर्फ वर्कशाप में काम करने वाले ही इसमें होंगे तो उसका फैसला हमको करना पड़ेगा। लेकिन जब फैसला होता है तो उसमें एक ही इण्डस्ट्री में दो प्रकार के कर्मचारी कभी नहीं माने जाते हैं। बैंकों में और एल० आई० सी० में मैनुअल वर्कर और दिमाग से काम करने वाले कर्मचारियों में कोई भेद नहीं किया जाता है। किसी पब्लिक सेक्टर में ऐसा भेद नहीं किया जाता है । इसलिए जो सुझाव है वह मंजर हो या न हो लेकिन इस तरह का डिवीजन कहीं पर नहीं है, यह बात मैं साफ करना चाहता हूं ।

श्री अमर सिंह वी० राठवा (छोटा उदयपुर) : आग लग जाने के बाद कुंआ खोदकर पानी निकाला जाए---ऐसा हर बात में हो रहा है। आज देश में सत्यग्रह, हड़ताल, डकैती, आग लगाना-यह बातें बहुत बढ़ गई हैं। यह बातें हो जाने के बाद समितियां बनती हैं और उसके बाद काम शुरू करने का वचन दिया जाता है। 8 मई को वोट क्लब में रेलवे कर्मचारियों के सामने सत्याग्राहियों के सामने उद्योगपतियों के चहते उद्योग मंत्री जी ने कहा था कि 2 साल में रेलवे

कर्मचारियों के लिए और मजदूर संघ के लिए कुछ नहीं हुआ । यह उन के मंत्री का कहा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। यह रेलवे कर्मचारियों की ओर से उन के, संघ की मांग है और आप ने भी वचन दिया हुआ है कि बोनस देंगे। उन्होंने ये वचन दिये हुए हैं:

(1) बोनस देने का वचन,

(2) अन्य सार्वजनिक स्थानों के समतुल्य वेतन देने का वचन,

(3) पद मूल्यांकन का वचन,

(4) महंगाई भत्ते देने का वचन,

(5) श्रमिकों को और मजदूरों को अस्थायी रखने की प्रथा को समाप्त करने का वचन। ये जार्ज फर्नान्डीस साहब ने भी मांग की हुई हैं और सरकार बनने के वक्त ये वचन दिये हुए थे लेकिन ये अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। कब इन को पूरा कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक फैरिस्त इनके सामने रखना चाहता हूं कि जनता सरकार के आने के बाद रेलवे मंत्री की हैसियत से कितनी मांगें मंजुर की हैं और कितना पैसा उन को दिया है। यह फैरिस्त मैं रखना चाहता हूं। जहां तक श्री जार्ज फर्नान्डीस की बात है, उन के भाषण की रपट को मैंने पढ़ा है और जिस विशाल जलूस में जो लोग गये थे, उन लोगों ने भी मुझे बताया है कि जार्ज फर्नान्डीस साहब ने यह भी उन मजदूरों को बताया कि बोनस का सवाल हल होने वाला है लेकिन यह भी ध्यान रखें कि जनता सरकार ने उन को 126 करोड़ रुपये दिलवाए हैं। यह उन्होंने उस विशाल रैली में कहा है। यह नहीं कहा कि आप के सवाल हल नहीं हुए और जार्ज फर्नान्डीस साहब ने जो टोटल फीगर्स दिये हैं, उन का ब्रेक-अप में रेलवे मंत्री की हैसियत से यहां पर देना चाहता हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सलेक्शन ग्रेड के 50000 पद, यह 125 वर्षों में पहली बार हुआ जिस पर 1.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तृतीय श्रेणी के 41,000 पद जिन पर 10.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कर्मशाला कर्मचारियों के लिए बोनस की संशोधित दर पर 10 करोड़ रुपये। लोको स्टाफ के लिए 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक भत्ता देने पर 14 करोड़ रुपये। लोको स्टाफ के लिए 10 घंटे की ड्यूटी लागू करने पर 2700 पद बनाने पर, जिसे पिछली सरकार ने तोड़ा था, 2.3 करोड़ रुपये, मियाभाई एवार्ड लागू करने के लिए अतिरिक्त 10,000 पदों पर 8 करोड़ रुपये कैरिज और वैगन स्टाफ के पदों की उन्नति 50:10:40 के अनुपात से करने पर 6 करोड़ रुपये, रेल कर्मचारी वर्गीकरण प्राधिकरण सम्बन्धी अंतरिम प्रतिवेदन, कारीगरों को लाभ 10 करोड़ रुपये, कमीशन पर रखे कर्मचारियों को नियमित करने (1,012 पद) पर 0.3 करोड़ रुपये, 1974 की हड़ताली कर्मचारियों की अनुपस्थिति को छट्टी पर दिखाने पर 6 करोड़ रुपये, द्वितीय श्रेणी के $33\frac{1}{3}\%$ पदों के स्थान पर 40% पदों की उन्नति करना, सभी अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी करना, प्रथम श्रेणी के सम्बन्ध में संवर्ग समीक्षा की गई। मंहगाई भत्ते की तीन किस्तें और अभी हाल ही में एक और किस्त दिये जाने पर 66 करोड़ रुपये, कर्मचारियों को सुविधाएं, देने पर 15 करोड़ रुपये, रात्री ड्यूटी भत्ते पर 6.8 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय छुट्टियों को कार्य करने के लिए अधिक भत्ते की अदायगी 1.23 करोड़ रुपये और तृतीय श्रेणी के 7,000 पदों की उन्नति पर 1.75 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

एक खुशी की खबर मैं और देना चाहता हूं। 90 साल पहले शिकागो में मजदूरों का एक जलूस निकला था कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए, तो उस वक्त उन पर गोला चली थी और उन के खून से एक नया इतहास बना और सारी दुनिया के मजदूर वक्ताओं न कहा था 1 मई को कि 8 घंटे का दिन शुरू करें, 8 घंटे की ड्यटी करो और इसी 1 मई को अहमदाबाद में सर्वोदय एक्सप्रेस का उद्घाटन करते हुए, मैंने घोषणा की थी कि सब से निम्न श्रेणी का जो गैंगमेन है, जिन की तादाद 2 लाख 12 हजार है, उन के लिए 1 मई से 8 घंटे का दिन रहेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

19 वां प्रतिवेतन

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

सूती कपड़े और सूती धागे के मूल्य व कमी के बारे में वक्तव्य

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाडिस) : सरकार हाल ही के महीनों में विशेषकर रूई के मूल्यों के गिरने के संदर्भ में सूती कपड़े तथा सूत के मूल्यों के चढ़ते हुए रुख के विषय में चिन्तत रही है। इसे सर्वप्रथम उद्योग के ध्यान में लाया गया था तथा अपने बचाव में उन्होंने बताया कि रूई के मूल्य तो अवश्य ही गिरे हैं, किन्तु साथ ही अन्य निवेश जैसे मजदूरी, रंगरोगन और रसायन, ईंधन तथा अन्य ऊपरी व्यय बढ़ते रहे हैं तथा इससे रूई के मूल्य की गिरावट की प्रतिपूर्ति हो गई है। देश के विभिन्न भागों में बिजली में जो कटौतियां लागू की गयी थीं तथा मजदूरी में हुई वृद्धि के फलस्वरूप अधिकांश वस्त्र मिल समूहों पर प्रभाव पड़ा था, उद्योग ने इनकी ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में उद्योग के इस दावे की अनुभव के आधार पर जांच की गई थी और यह पाया गया था कि मूल्यों के इस चड़ाव का कोई भी औचित्य नहीं है। अतः मैंने बंम्बई में 16 मार्च, 1979 को आयोजित एक बैठक में वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। मैंने उद्योग से आग्रह किया कि उन्हें सूती कपड़े तथा सूती धागे के मूल्यों को कम करने के लिये तुरन्त ही कदम उठाने चाहिये।

इस बैठक के परिणाम स्वरूप इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन ने 2 अप्रैल 1979 को उत्तर देते हुए निम्नलिखित तीन विकल्प बतायें हैं:—

(1) कपड़े के मूल्यों को दिसम्बर, 1978 में प्रचलित स्तर पर ले आया जायें, अथवा

(2) सूती कपड़े के जो मूल्य 16 मार्च, 1979 से पहले चल रहे थे उन्हें वही पर रहने दिया जाये, अथवा

(3) सूती कपड़े के मिल से निकलते समय के मूल्य को 16 मार्च, 1979 के पूर्व प्रचलित वस्तु सूची दर (इन्वायस रेटस) के 2 प्रतिशत तक कमकर दिया जाए।

रूई के मल्यों के तेजी से गिरते जाने के संदर्भ में इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन के उपर्युक्त प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं पाये गये एवं तदनुसार इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन के साथ इस-संबंध में और आगे भी चर्चा की गयी थी तथा उन्होंने सूती कपड़े तथा सूती धागे के मूल्यों में और भी पर्याप्त कमी करने के प्रताव दिये हैं। हमने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने का निश्चय किया है।

सभी मिश्रित मिलें सूती कपड़े, (औद्योगिक कपड़ों को छोड़कर) का कारखाना बाह्य देशी मूल्य अक्तूबर 1978 की बीजकों में दिए गए मूल्यों के स्तर पर वापस ले आएंगी। इसके साथ साथ काटन मार्कट यार्न बेचने वाली सभी मिलें 59 काऊन्टों तक, व इसे मिलाकर, के बारे में हैंकों, कोने, पर्नो, बीनों व होजरी यार्न सहित काटन मार्कट यार्न के मूल्यों को अक्तूबर 1978 में चल रहे बीजक मूल्यों के स्तर पर वापस ले आएंगी। 60 से 89 काऊन्टों के मूल्यों को अप्रैल, 1979 के बीजक, मूल्यों से 5 प्रतिशत कम कर दिया जाएगा। 90 व उससे अधिक के काऊन्टों के मूल्यों में कोई कमी नहीं की जाएगी। रूई की समान किस्मों की मूल्य स्थिति में अत्यधिक भिन्नता होने के कारण विभिन्न काऊन्टों के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। विभिन्न काऊन्टों वाले यार्न के लिए बनाई गई विभेदक पद्धति कपड़े के मामले में भी उपर्युक्त हो सकती है लेकिन चुंकि कपड़े बनाने में उपयोग की गई यार्न की काऊन्टों में अन्तर कर पाना उपभोक्ताओं के लिए काफी कठिन होगा अतः सभी प्रकार के कपड़ों के मामले में समान रूप से मूल्य वापस लाने का विचार किया गया हैं।

मूल्य वापिस लाने या मूल्यों में कमी करने संत्रंधी ये निर्णय अगले कपास मौसम के प्रारम्भ तक अर्थात् 1 सितम्बर 1979 तक लागू रहेंगे क्योंकि उस समय तक रूई की अनुमानित फसल व रूई की अनुमानित मूल्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसकी संवीक्षा भी कर ली जाएगी। यदि 1 सितम्बर 1979 से पूर्व कोई अज्ञात परिस्थिति पैदा हो जाती है तो यह संवीक्षा पहले कर ली जाएगी।

इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन व उद्योग मंत्रालय के बीच हुए विचार विमर्श के आधार पर कपड़े के मूल्यों तथा काटन यार्न के मूल्यों को पूर्व स्थिति में ले आया जा रहा है और उसमें कटौती की जा रही है तथापि यह निर्णय किया गया है कि इन, मूल्य संबंधी निर्णयों को अमल में का कार्य इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन का होगा और फेडरेशन इस बात के लिए सहमत हो गया है कि वह अपनी क्षेत्रीय एसोसिएशनों के जरीय मिलों के बीजकों की जांच करेगा। उपर्युक्त स्थानों में गठित की जाने वाली सतर्कता समितियों, जिसमें वस्त्र आयुक्त का एक प्रतिनिधि होगा, कपड़ों की किस्मों के बारे में हुए विशिष्ट परिवर्तनों पर नजर रखेगी तथा काटन यार्न के बारे में मूल्य वापिसी/कटौती संबंधी निर्णयों पर विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित सतर्कता समितियों, जिसमें वस्त्र आयुक्त व विकास आयुक्त (हथकर्घा) के प्रतिनिधि होंगे नजर रखेंगी।

अत्याधिक मांग की स्थिति में कारखाने से बाहर निकलते समय के मूल्यों में कमी करने की किसी भी प्रणाली का कोई लाभ नहीं होगा, जब तक कि उसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कदम नहीं उठाए जाने हैं कि मूल्यों में कमी करने से होने वाले लाभों की

उपभोक्ताओं द्वारा मांग की जाती है तथा उन्हें ये लाभ मिल जाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन अनेक अभ्युपाय करेगी जिससे यह सुनिश्चित करने में दूरगामी परिणाम निकलेंगे कि कारखाने से बाहर निकलते समय के मूल्यों में की जा रही कमी से कपड़े के उपभोक्ताओं अथवा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के बुनकरों, जो बाजारी धागों का प्रयोग करते हैं को लाभ पहुंचाया जाता है। इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन द्वारा कपड़े के अग्रणी मिल समूहों का पता लगाया जायेगा जो कारखाने से निकलते समय के अपने मूल्यों के बारे में व्यापक रूप से प्रचार करेंगी तथा वे अपने मानक उत्पादों के लिए सुझाए गए खुदरा मूल्यों अथवा वास्तविक खुदरा मूल्यों तथा अपनी खुदरा दुकानों में विद्मान मूल्यों के बारे में भी व्यापक प्रचार करेंगी। इसका प्रचार राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समाचार पत्रों के जरिये किया जायेगा। इण्डियन कांटन मिल्स फेडरेशन भी रेडियो पर कपड़े के मूल्यों का प्रसारण उसी ढंग से करायेगा जिस प्रकार अनाज अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य प्रसारित किये जाते हैं। प्रमुख कताई मिल सूती धागे के सम्बन्ध में मिल से निकलते समय के मूल्य वापस आ जाने तथा मिलें जिन भण्डार डिपुओं में सूती धागा रखती है उनमें से उठाने के मूल्य वापस आ जाने के बारे में प्रचार करेंगी।

कपड़े तथा बाजारी धागे के मूल्य कम होने के बारे में प्रचार करने के अलावा, कपड़े तथा धागे की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर सहमति हो गयी है कि वस्त्र मिलें राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महा संघ को अपना आवंटन 10 प्रतिशत के विद्यमान स्तर से बड़कर मिल से निकलते समय की दरों पर अपने उत्पादन के क्रास सेक्शन के 20 प्रतिशत तक कर देगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जायेगा जिससे यथाशीघ्र 20 प्रतिशत क स्तर तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महा संघ (एन० सी० सी० एफ०) प्रगामीरूप से प्रतिशत अधिक करने के लिए प्रभावी ढंग से मांग सूची भेज सके। सूती धागे के संबंध में, इस समय कोई सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं हैं। विकास आयक्त (हथकरघा) द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके बाजान धागे के लिए एक उपयुक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली तयार कर लेने के पश्चात् इंडियन काटन मिल्स फडरेशन इस प्रकार की किसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री करने के लिए मिल से निकलते समय की देरों पर अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत बाजारी किस्म का धागा देगा। इसके साथ साथ, नए भण्डार डिपुओं की स्थापना के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का पता लग जाने के पश्चात् इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम (अपने सदस्य मिलों के जरिए) इन क्षेत्रों में अतिरिक्त भण्डार डिपो स्थापित करेंगे तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विशेष क्षेत्रों में जिस नम्बर क धागे की आवश्यकता होती है इन भंडार डिपुओं में लगातार मिलता रहे।

मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम भी कपड़े तथा सूत के मूल्यों में उसी प्रकार करेगा जो आधार आई० सी० एम० एफ० द्वारा बताए गए हैं।

मेरे द्वारा संसद में 7 अगस्त, 1978 को घोषित वस्त्र नीति के पश्चात्, वस्त्र क्षेत्र उद्योगों में पहले के वर्षों में आई मंदी को दूर करने में समर्थ रहा है। तथा इस समग्र स्थिति ने उद्योगों में हुई इकट्ठी हानियों की प्रवृत्ति को लाभ में बदलने के लिए वस्त्र उद्योगों को प्रेरित किया है।

यह आवश्यक था कि वस्त्र उद्योग की संपन्नता का लाभ उचित उपाय करके उद्योग में लगे कामगरों तथा वस्त्र एवं धागे के उपभोक्ताओं को मिले। पश्चिम बंगाल तथा बंबई में मजदूरी में बढ़ौतरी पहले ही हो चुकी हैं तथा उसी तरह के मजदूरी के दावे देश के अन्य भागों में विचाराधीन हैं। इस संपन्नता की दिशा में जो भी विद्यमान मूल्य संबंधी निर्णय लिए जायेंगे उनका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। मुझे हर्ष है कि वस्त्र उद्योग ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी में कुछ जागरूकता भी दिखाई है तथा मैं आशा करता हूं कि वे इस निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : महोदय आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि 14 मई 1979 आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए निम्नलिखित कार्य लिया जायेगा :

(1) वर्ष 1979-80 के लिये गोवा, दमन और दीव के बजट पर चर्चा।

(2) वर्ष 1979-80 के लिये गोवा, दमन और दीव के बजट के संबंध में लेखानुदानों की मांगो पर चर्चा तथा मतदान।

(3) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 23वें और 24व प्रतिवेदनों पर आगे चर्चा।

(4) संविधान (46वां संशोधन) विधेयक, 1978 (विचार तथा पास करना)

(5) संविधान (47वां संशोधन) विधेयक, 1978 (आगे विचार तथा पास करना)

(6) लोकपाल विधेयक, 1977 संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में (विचार तथा पास करना)

(7) चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिये श्री चित्रा तिरुनल संस्थान, त्रिवेन्द्रम, विधेयक, 1979, राज्य सभा द्वारा पास किय गये रूप में।
(विचार तथा पास करना)

(8) ब्रिटेन में अश्वेत लोगों विशेषकर भारतीयों पर आक्रमणों के बारे नियम 193 के अधीन 6·30 बजे म० प० चर्चा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : आपकी अनुमति से मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि अगले सप्ताह के कार्य के बारे में श्री एच० वी० कामत द्वारा जो सुझाव दिया गया था और मैंने जिसका जोरदार समर्थन किया था उसका क्या बना क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की कल बैठक हुई थी जिसकी हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अगले सप्ताह कार्य को कैसे लिया जाएगा ।

चूंकि अगला सप्ताह अन्तिम सप्ताह है इसलिए दल बदल-विरोधी विधेयक को कब लिया जाएगा यह पूछना ही व्यर्थ है। कुछ दिन पहले डा० रामजी सिंह, श्री एच० वी० कामत और मैंने बार-बार इस बारे में पूछा था और उन्होंने कह था कि परामर्श हो रहा है । अतः अब मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि इसे अगले सप्ताह नहीं लिया जाता तो इसे कब लिया जाएगा। कृपया यह तो बताइए कि परामर्श किस स्तर पर हो रहा है । क्योंकि मुझे पता लगा है कि पिछले आम चुनावों में कांग्रेस के जिस प्रत्याशी ने मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ा था उसे जनता पार्टी में शामिल किया गया है । उन्हें गुजरात की जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से दल बदल हो रहा है । मेरा संकेत गोविन्दभाई पटेल की ओर है। गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चिमन भाई पटेल ने, जिण्हें लोगों ने एक दम अस्वीकार कर दिया था, भी जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं । पता नहीं जनता पार्टी में ऐसे तत्व कब तक आते रहेंगे । ऐसे तत्वों के होने से जनता पार्टी को समर्थन देना मेरे लिए कठिन होगा । वो कृपया हमें बताएं कि दल विरोधी विधेयक के बारे में किस स्तर पर परामर्श हो रहा है । क्योंकि यथावत् स्थिति बहुत खराब है और दल के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है ।

मैं दो बातें और करना चाहता हूं । कल आपने मुझे बोलने का समय दिया था इसके लिए मैं आभारी हूं । पिछली संसद में भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन देने का जो अनैतिक अधिनियम पास किया मैं कट्टर विरोधी हूं । **(व्यवधान)** यह अधिनियम अनैतिक है क्योंकि इसे एक बन्दी संसद ने पास किया था और उस पर जनता के विचार नहीं दिए गए थे । जब अनेक वर्ष तक सेवा करने के बाद भी लाखों लोगों को पेंशन नहीं मिलती तो भूतपूर्व संसद सदस्यों को केवल पांच वर्ष की सेवा के बाद पेंशन कैसे मिल सकती है । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं यह कहना चाहता हूं कि वृद्धावस्था के लिए कोई व्यवस्था की जाती है किन्तु बन्दी संसद द्वारा पास किया गया ऐसा अधिनिमि नहीं होना चाहिए। सरकार हमें बताए कि यह अधिनियम कब समाप्त करके नया अधिनियम लाया जाएगा ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राक्कलन समिति ने पूरे प्रतिनिधित्व वाली विदेशी कार्य सम्बन्धी एक स्थायी समिति की सिफारिश की है । संसद की अन्य समितियों ने अपने प्रतिवेदनों में कतिपय समितियों के गठन का सुझाव दिया है मैं संसदीय कार्य मंत्री से जोकि संसदीय कार्यों के प्रति बहुत उत्साही और निष्ठावान हैं कहना चाहता हूं कि बताएं कि क्या सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है । मैं चाहता हूं कि वह अगले सप्ताह के कार्य के बारे

में वक्तव्य दें । तभी संसद सदस्यों तथा संसद के प्रभाव में वृद्धि होगी । कम से कम विदेश कार्य समिति तत्काल उपर्युक्त ढंग से गठित की जाए ताकि सभा स्थल के अतिरिक्त संसद सदस्य इस समिति में भी अपने समय और कुशलता का पूरा उपयोग कर सकें।

प्रो० समर गुह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान पश्चिमी बंगाल में विद्युत संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। अगला सप्ताह इस सत्र का अन्तिम सप्ताह है। पश्चिम बंगाल की स्थिति का सबको पता है । वहां अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है । मैं जानना चाहता हूं कि कृपया इस बारे में चर्चा के लिए कोई समय निकाला जाए ताकि चर्चा करके इस समस्या को सुलझाया जा सके। मैं पश्चिम बंगाल सरकार की निन्दा नहीं करना चाहता । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार मिल बैठ कर इस समस्या को सुलझाएं। इसलिए सभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

स्थिति बहुत खराब है । पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ । वहां की सारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है जिसे सुधारना बहुत कठिन हो गया है । मैंने एक ध्यानाकर्षण की सूचना भी दी है । अन्य सदस्यों ने भी ऐसी सूचनाएं दी हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि ध्यानाकर्षण के रूप में तथा अल्पकालिक चर्चा के रूप में सभा में कुछ समय निकालें। सत्र के बाद दो महीने के समय में हमें कोई अवसर नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में समाचारपत्रों में प्रति दिन दो-दो तीन-तीन कालम के लेख छपते हैं। अतः केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर इस समस्या का हल निकालें । इसलिए सभा में चर्चा के लिए कुछ समय दिया जाए ।

श्री हरि विष्णु कामत : उपाध्यक्ष महोदय मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा । इस सत्र में यह अन्तिम अवसर है और मुझे विश्वास है कि संसदीय कार्य मंत्री राहत महसूस कर रहे हैं कि उन्हें प्रश्नों का सामना अगले सप्ताह से नहीं करना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अगले पूरे सप्ताह इनका सामना करना पड़ेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : इस प्रकार का नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वे इस प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पसन्द करते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि रांची से संसद सदस्य ऐसा समझते हैं तो मुझे खुशी है । मुझे पता है कि आप उनके बारे में ज्यादा जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आशा है मैंने ठीक कहा है।

श्री हरि विष्णु कामत : आशा है आपको यदि होगा कि आपके कहने पर सभा इस बात के लिए सहमत हुई थी कि कार्य मंत्रणा समिति को विचार के लिए एक और अवसर दिया जाए। पता नहीं शायद समिति बड़े गुप्त ढंग से विचार कर रही है । सभा को कुछ नहीं बताया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : गुप्त भेद कभी भी नहीं बताए जाते ।

श्री हरि विष्णु कामत : वह अब बताएं या न बताएं लेकिन मेरे विचार से समिति ने उसे अस्वीकार कर लिया है ।

कार्य जमा होता जा रहा है । आज गैर-सरकारी सदस्यों को ढाई घंटे के समय से भी वंचित किया जा रहा है ।

प्रो० मधु दंडवते : सभा में गैर-सरकारी क्षेत्र का उत्पादन हो रहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह गैर-सरकारी क्षेत्र नहीं यह तो राष्ट्रीय क्षेत्र है । खेद है कि रेल मंत्री जो स्वयं को नैमित्तिक श्रमिक कहते थे अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को निजी क्षेत्र बता रहे हैं । अपने अनुरोध को पुनः कहना ठीक नहीं है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और कार्य मंत्रणा समिति इस बात पर पुनः विचार करे यह सुझाव सुनते-सुनते आप भी थक गए होंगे किन्तु यदि अधिक देर नहीं हुई है तो शनिवार तक इस पर विचार किया जा सकता है ताकि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य अगले सप्ताह शनिवार 19 मई को लिया जा सके

मैं अन्तिम बात कहता हूं । मुझे खुशी है कि लोकपाल विधेयक सूची में रख दिया है । यद्यपि उसे बहुत कम प्राथमिकता दी गई है । पिछली बार जब मैंने यह मामला उठाया था तो यदि मैं कहूं कि वह माननीय कठोर श्रम और कार्य संसदीय मंत्री हैं तो गलत न होगा क्योंकि हमारे जैसे उचित लोकतंत्र में उनका कार्य बहुत कठिन है । हमने 1977 में लोकतंत्र को पुनः पाया था और अब हमें उसे एक उचित लोकतंत्र बना रहे हैं । यह बहुमत कठिन विभाग मंत्री जी अच्छी तरह संभाल लेते हैं परन्तु वह जल्दी चिढ़ जाते हैं । इस समय लोकपाल विधेयक को जहां तक मुझे स्मरण है नीचे से दूसरे या तीसरे क्रम पर रखा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता । आप एक ज्योतिषी भी हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : संसदीय भविष्यवाणी राजनीतिक भविष्यवाणी है । यह ज्योतिषी का कार्य नहीं । मैंने कहा था कि यह सच होने वाला है जो वह चिढ़ गए और कहा कि "हम उसे अगले सप्ताह की सूची में रखने और इसी सत्र में पास करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं" । शायद उन्होंने यही शब्द कहे थे और मुझे विश्वास है कि वह पूरे प्रयत्न करेंगे । लेकिन संसदीय हालात से पता चलता है कि इस सत्र में विधेयक पास किए जाने का मौका ही नहीं मिलेगा । लोकपाल विधेयक इस सभा, देश और संसद के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसे 12 घंटे या अधिक दिए जाने हैं । हमने अभी तक इस प्रकार का विधेयक पास नहीं किया है मेरे माननीय मित्र शुद्ध जनता पार्टी की बात करते हैं लेकिन खेद है कि राजनीति में 100 प्रतिशत शुद्धता बिल्कुल भी नहीं है । शुद्धता 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत या अधिक से अधिक 80—90 प्रतिशत हो सकती है लेकिन शतप्रतिशत नहीं । निश्चय ही लोकपाल विधेयक यदि अधिक नहीं तो काफी हद तक लाभदायक सिद्ध होगा ।

अंत में मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या अभी भी उसे उच्च प्राथमिकता नहीं दी जा सकती । यदि मंत्रिमंडल ने या कार्य मंत्रणा समिति से उसे निचली प्राथमिकता दी है तो बहुत खेद की बात है ।

लेकिन एक पहलू अच्छा है कि इसे इस सत्र में शामिल कर लिया गया है और यदि इस पर एक या दो घंटे भी चर्चा होती है तो उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह सर्वोच्च प्राथमिकता मिल सकती है। यदि ऐसा भी हम कर सकें तो भी ठीक रहेगा। आशा है जब जुलाई में सत्र होगा तो यह विधेयक पास किया जा सकेगा। दोनों सभाओं द्वारा पास होने पर विश्व के सब से बड़े लोकतंत्र में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति हो सकेगी जो इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से कार्य आरम्भ कर सकता है। इससे मुझे तथा सभा को बहुत खुशी होगी।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत सा काम माननीय सदस्य, श्री कामत और प्रो० मावलंकर, ने हलका कर दिया है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लोकपाल बिल को न केवल विचार करने के लिए, बल्कि पास करने के लिए भी रखा है। उनसे मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि वह उसको कार्य-सूची में प्रथम स्थान दें।

लेकिन मेरी एक शिकायत उनसे रह भी गई है, और वह है दल-बदल विधेयक के बारे में। मुझे आशा है कि वह उसपर विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री को मालूम है कि चौथी लोक सभा में 63 डिफ़ेक्शन्ज़ हुए थे और स्टेट एसेम्बलीज़ में 1400 डिफ़ेक्शन्ज़ हुए थे। अगर सिक्स्थ लोक सभा में एन्टी-डिफ़ेक्शन बिल पास हो जाए, तो सभी दलों में जो अनिश्चितता का वातावरण है, वह रुक जाएगा। इस लिए मेरी प्रार्थना है कि एंटी-डिफ़ेक्शन बिल को पास कराया जाए। पहले भी यह बिल लाया गया था और श्री मधु लिमए ने एक टेकनिकल आबजेक्शन रखा था।

दो बातों की तरफ मैंने पहले भी ध्यान दिलाया था। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने टोपी पहन ली है और यह खुशी की बात है कि उन्होंने इस दायित्व को स्वीकार किया है।

एक माननीय सदस्य : यह तो दल बदल है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने खाली टोपी बदली है—टोपी एक सिर से दूसरे सिर पर पहुंच गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : टोपी के नीचे क्या है, यह बात महत्वपूर्ण है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : केवल टोपियां बदली हैं, व्यक्ति नहीं बदले।

डा० रामजी सिंह : मैं एक शिक्षक हूं। इस बार शिक्षा के अनुदानों की बहस की भी कटौती हो गई है। सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है, उस पर भी इस बार बहस नहीं हो सकी है। यह बड़ा अन्याय है। अन्याय शब्द के प्रयोग पर मंत्री महोदय शायद मुझे कोई कड़ा शब्द कहें, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अगर शिक्षा नीति और पंचायतों के सम्बन्ध में अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर बहस के लिए समय न मिलता हो, तो अगला सत्र लगभग एक महीने का है, उसको वह एक सप्ताह के लिए बढ़ाएं, ताकि हम इस राष्ट्रीय रचनात्मक विषय पर चर्चा कर सकें। तब वह ज्यादा अच्छा होगा। मैं इसी प्रार्थना के साथ माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम ऐंटीडिफेक्शन बिल तो वह जरूर प्रस्तुत करें।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात मैं औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के बारे में यह कहना चाहता हूं कि उस विधेयक का क्या बना, वह क्या लम्बित पड़ा या उसे छोड़ दिया गया है क्योंकि मतदान द्वारा कार्मिक संघ को मान्यता देने

के प्रश्न ने समूचे मामले को प्रभावित किया है । इसका सम्बन्ध उसी से है । आज भी रेल मन्त्री ने कहा है कि रेल कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । समूचे श्रमिक वर्ग की भावनाओं का ख्याल रखते हुए सरकार इस विधेयक के बारे में क्या कर रही है । उसे अधर में न लटकाए रखा जाये ।

दूसरी बात यह है कि समूचे देश में औद्योगिक सम्बन्धों के प्रश्न पर चर्चा के लिए अगले सप्ताह समय निकाला जाये । देश के दो महत्वपूण उद्योगों कोयला तथा खानों में सभी केन्द्रीय कार्मिक संघों ने हड़ताल की सूचना दी है । तेजी से बिगड़ती स्थिति पर ध्यान दिया जाय । श्रम मन्त्रालय की मांगें भी गिलोटीन हो गई थीं । उन पर भी इस कारण चर्चा नहीं हो सकी । अगले सप्ताह के बाद सत्र नहीं होगा । अतः अगले सप्ताह इस गम्भीर विषय पर चर्चा अवश्य की जाये ।

अन्त में मैं संसदीय कार्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सत्र के बढ़ाये जाने की सम्भावना है यदि ऐसा है तो हमें पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि हम अपने कार्यक्रम में सामंजस्य ला सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी ।

श्री द्वारिकानाथ तिवरी (गोपालगंज) : इनके कहने से पहल मैं 2 मिनट चाहता हूं । .....

उपाध्यक्ष महोदय : परम्परा यह है कि आप लिख कर अग्रिम सूचना दें । लेकिन आपने सूचना नहीं दी ।

श्री द्वारिकानाथ तिवारी : कभी कभी तो ऐसा कर देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा करने लग जायेंगे तो और लोग भी मांग करने लगेंगे ।

श्री द्वारिकानाथ तिवारी : इसे प्रेसिडेंट न बनाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई नई परिपाटी नहीं डालना चाहता । फिर अन्य सदस्य भी ऐसी मांग करने लगेंगे ।

संसदीय कार्य और श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, मुझे भी पता है कि यह अन्तिम शुक्रवार है जिस दिन मुझे इस सत्र में सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य देना है । लेकिन अन्तिम दिन प्रश्नों की बौछार का सामना करने की मुझे आशा न थी । **(व्यवधान)**

श्री मावलंकर ने सभा की बैठकों के समय के बारे में पूछा है, होशंगाबाद तथा अहमदाबाद (गांधी नगर) से माननीय सदस्यों ने भी सभायें में यह प्रश्न उठाया है । इसमें ऐसी कोई गुप्त बात नहीं है और कार्य मन्त्रणा समिति के निर्णय को सभा में बताने से लोक हित पर आघात नहीं आता । मुझे पता नहीं कि अध्यक्ष इस बारे में कोई घोषणा

करते हैं या नहीं लेकिन प्रश्न उठाये जाने पर मैं आपको बताता हूं कि समिति में इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चूंकि कार्य के घंटे नहीं बढ़ाये जा सकते अतः पुराने लिए गए निर्णय पर ही दृढ़ रहा जाये।

इसके बाद माननीय सदस्य ने दल-बदल विरोधी विधेयक की बात कही है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि सरकार का इरादा यथा सम्भव शीघ्र संशोधित विधेयक को सभा में पेश करने का है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : कब।

श्री रवीन्द्र वर्मा : उन्होंने प्रश्न न पूछने का विचार प्रकट किया था। **(व्यवधान)**। पता नहीं अब भी कालदाते क्यों बोल रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री मावलंकर ने पूछा है कि कब लाया जायेगा। महोदय, जैसे ही विचार विमर्श समाप्त हो जायेगा, उसे सभा के समक्ष पेश कर दिया जायेगा।

उन्होंने जनता पार्टी में लोगों के प्रवेश की बात कही है। पार्टी में शामिल होने और पार्टी के टिकट पर खड़े होने वाले व्यक्ति द्वारा दल बदलने या किसी अन्य दल में शामिल होने में अन्तर है।

फिर उन्होंने अन्त में धमकी दी कि यदि ऐसा होता रहा तो उन जैसे लोगों का जनता पार्टी में बना रहना कठिन होगा। मैंने इस बात पर ध्यान दिया है और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि विधेयक लाने में शीघ्रता की जायेगी।

उन्होंने संसद सदस्यों को पेंशन देने का मामला भी उठाया है। मेरे विचार से यह प्रश्न किसी अन्य सन्दर्भ में उठाया जा सकता है। अगले सप्ताह के सरकारी कार्य सम्बन्धी वक्तव्य से उसकी संगति नहीं है।

उन्होंने प्राक्कलन समिति की इस सिफारिश के बारे में महत्वपूर्ण बात कही है कि एक स्थायी समिति बनाई जाये। श्री श्यामनंदन मिश्र ने भी यह मामला उठाया था और विपक्ष के नेता ने भी उसका जोरदार समर्थन किया था। उस दिन कहा गया था कि सभा के अध्यक्ष और सभा के नेता लोगों से मिल कर विचार करें कि सदस्यों के कार्य को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है।

मेरे मित्र श्री समर गुह विद्युत संकट के बारे में बहुत चिंतित हैं। प्रत्येक संकट चिन्ता का विषय है।

प्रो० समर गुह (कंटई) : मैंने बड़ी गम्भीरता से यह विषय उठाया है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह निश्चय ही इस विषय में गम्भीर हैं और यदि समय मिला और हम समय निकालने की कोशिश करनी चाहिए तो हम उस पर चर्चा कर सकेंगे। अब मैं होशंगाबाद से माननीय भद्रपुरुष की ओर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही उनकी बात कर चुके हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जी नहीं। अब उनकी बात करता हूं जो मुझे रांची से माननीय भदपुरुष कहते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आप अत्यन्त सम्माननीय सदस्य हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : फिर भी शुक्रवार बहुत अच्छा दिन है। आज गुरुवार है पर शुक्रवार का ही कार्य हो रहा है। गत शुक्रवार उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में रहने की बात कही थी।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने कहा था कि ऐसा सदैव सम्भव नहीं। यदि वह चाहें तो आकर नर्मदा में अपने पाप को धो सकते ह।

उपाध्यक्ष महोदय : रांची किसी और बात के लिए प्रसिद्ध है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आकर रह सकते हैं। वैसे मुझे पता चल गया है कि वह नर्मदा के किनारे क्यों रहते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आकर रहें तो कोई गलत काम नहीं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, उन्होंने लोकपाल विधेयक के बारे में जो भविष्यवाणी की है उससे मैं विचलित हूं। भविष्यवाणी तो अवतारों द्वारा की जाती है। उनका कहना है कि इस विधेयक को प्राथमिकता दी जाये। मैंने पिछली बार कहा था कि इसे चर्चा के लिए लाया जायेगा लेकिन यह नहीं कहा था कि उसे इसी सत्र में पास किया जायेगा। हमारा इरादा उसे पास करने का है। पर उन्होंने कहा कि वह नीचे से तीसरे स्थान पर है। पता नहीं वह इस बात को क्यों महत्व दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब ऐसी स्थिति है कि नीचे वाली बात ही नहीं रही है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, अब पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक सभा का सम्बन्ध है, सरकार प्रस्ताव करती है और सभा उसे निपटाती है। मेरे मित्र डा० रामजी सिंह ने पिछली बार राजनीतिक बेइमानी का शब्द प्रयोग किया था। यह उन्होंने बहुत कठोर बात कही है। यदि हम अधिक दिन तक बैठेंगे तो अधिक विषय चर्चा हेतु लिए जाएंगे। हमें समयसीमा के भीतर रह कर ऐसे सभी विषयों पर चर्चा करनी है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : महोदय, मैं . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आप को आज देर हो गई है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे मित्र श्री ए० के० राय ने औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे लम्बित रखा जाये। उसे हम अभी यहां नहीं ला रहे हैं। सभा द्वारा एक प्रस्ताव पहले ही पास किया गया है। इसीलिए उसे यहां अगले सप्ताह लाने का प्रश्न नहीं है। फिर एक प्रश्न सत्रावधि बढ़ाने के बारे में किया गया।

महोदय, कल आपने जिस हालात की चर्चा की थी और जब मैं सभा में उपस्थिति को देखता हूं तो लगता है कि सत्र की अवधि बढ़ाने से सभा में उपस्थिति कम होगी या अधिक होगी कहा नहीं जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई खतरा नहीं है।

गोवा, दमन और द्वीव बजट 1979-80

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : उपाध्यक्ष महोदय ......

श्री अमृत कसार (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पेश किए जाने से पूर्व मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पता नहीं किन परिस्थितियों में इसे सभा के समक्ष लाया गया है। 1979-80 का बजट सभा में अब लाया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में कानूनी स्थिति क्या है? जब विधान सभा भंग हो गई है तो संसद को राज्य के लिये कानून बनाने और बजट पेश करने का अधिकार मिल जाता है। यहां स्थिति यह है कि 80 प्रतिशत से अधिक मांगें गोवा विधान सभा द्वारा पास की गई हैं। और कुछ मांगें रहती थी जबकि सरकार का पतन हो गया। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह वही बजट है जो वहां पेश किया गया था या कि यह एक नया बजट है। अथवा क्या यह लेखा अनुदान है। यदि यह वही बजट है तो विधान सभा द्वारा पास की गई मांगों का क्या होगा। यदि यह एक नया बजट है तो क्या सरकार गोवा, दमन और दीव के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान म रखेगी, जोकि उन्होंने मांगें पास किए जाते समय अभिव्यक्त की थीं। इस बजट से स्पष्ट है कि सरकार का इरादा वहां फरवरी, 1980 तक चुनाव न कराने का है मन्त्री जी इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें कि क्या यह बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लाया गया है?

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागांव) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि राष्ट्रपित शासन लागू न होता तो संसद द्वारा यह बजट पास नहीं किया जाना था। और इसे राष्ट्रपतीय अध्यादेश द्वारा थोपा गया है। राष्ट्रपति के आदेश से गोवा संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा में 6 मास के लिए कार्य निलम्बित कर दिया गया है। इस तरह संसद की बजट पास करने की शक्ति केवल छः मास के लिए ही है। मन्त्री जी यहां समूचे वर्ष के लिए लेखानुदानों को पास करने हेतु एक वित्तीय वक्तव्य लाये हैं। यह केवल छः मास के लिए हो सकता है। पूरे वर्ष के लिए इसे किस प्रकार लाया गया है। यदि कोई और विकल्प न होता या पैसा न होता तो मैं यह बात मान सकता था लेकिन मैं सभा तथा मंत्री जी का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 116 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि बजट पेश किए बिना लेखानुदान को पास किया जा सकता है।

आप बजट पेश किए बिना लेखानुदान क्यों पास करना चाहते हैं? इससे तो आप नयी विधान सभा को बजट पास करने के अधिकार से वंचित कर देंगे। जैसाकि मेरे मित्र ने कहा है कि आपका इरादा उस समूचे क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने का है।

श्री सतीश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, गोवा से माननीय सदस्य ने कुछ बातें उठायी हैं। संविधान के अनुच्छेद 116 के संगत उपबधों में कहा गया है:

"116 (1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी लोक सभा को—

(ख) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को, ऐसे अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया की पूर्ति के लम्बित रहने तक तथा उस व्यय के सम्बंध में अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार विधि के कारण के लम्बित रहने तक पेशगी देने की शक्ति होगी।"

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कृपया 116 (ग) देखिए।

श्री सतीश अग्रवाल : जब मैंने मिजोरम और पांडिचेरी के लिए लेखानुदान पेश किया था तो वह केवल पांच या छः मास की विशिष्ट अवधि के लिए था। अतः आय और व्यय के अनुमानित लेखों को पेश करने का अर्थ यह नहीं है कि मैं पूरे वर्ष के लिए लेखानुदान पास कराना चाहता हूं। मैं तो अक्तूबर, 1979 तक के लिए लेखानुदान पेश करता हूं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह विशिष्ट अवधि लिए है। किन्तु बाद में परिस्थितियां बदल सकती हैं परन्तु बाद में उसे बढ़ाया जा सकता है। मैं तो अक्तूबर 1979 तक के अन्त तक का लेखानुदान चाहता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : संविधान के अनुच्छेद 116 (ग) के अनुसार :

"किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान का भाग न हो ऐसा कोई अपवादानुदान करने की शक्ति होगी।

अतः बजट को पेश किए बिना और पास कराये बिना आप गोवा संघ राज्यक्षेत्र के लिए लेखानुदान कैसे ला सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या आप पूरे वर्ष के लिए बजट पास कराना चाहते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : नहीं। यह केवल अक्तूबर, 1979 के अन्त तक के लिए है। यदि आप संविधान के अनुच्छेद के उपबन्ध को पढ़ें तो :

किसी वित्तीय वर्ष की किसी अवधि के लिए प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अग्रिम अनुदान देने........

जब तक मैं सभा को न बताऊं कि अनुमानित व्यय पूरे वर्ष के लिए है तो आपको कैसे पता चलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि यह लेखानुदान केवल पांच मास के लिए लाया गया है। अतः व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : सदन को मालूम है कि संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमण और दीव की विधान सभा के कार्यों का निष्पादन और शक्तियों का प्रयोग इस समय संसद् द्वारा किया जाता है। तदनुसार, महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1979-80 के सम्बन्ध में उक्त राज्य क्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

संशोधित अनुमान, 1978-79

वर्ष 1978–79 के दौरान, गोवा, दमण और दीव की समेकित निधि के राजस्व खाते में केन्द्र से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान समेत उक्त वर्ष के लिए बजट में 35–55 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से 2.96 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होने की आशा है। प्राप्तियों में यह वृद्धि मुख्यतः बिजली की शुल्क दर और खनिज लोहे की रायल्टी की दरों को बढाए जाने और आबकारी से तथा जंगलों की उपज की बिक्री से अधिक आमदनी के कारण हुई है। इस वृद्धि का उपयोग, मुख्यतः शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, सफाई और जलपूर्ति, आवास और नगर विकास, सामुदायिक विकास, विद्युत परियोजनाएं, पतन दीप स्तम्भ और नौवहन तथा ब्याज प्रभार शीर्षों के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त धनराशि को पूरा करने के लिए किया गया है। 1978–79 के संशोधित अनुमानों में संघ राज्य क्षेत्र के पूंजी परिव्यय तथा उसके द्वारा लिए जाने वाले ऋणों की राशि 28-08 करोड़ रुपये रखी गई है जबकि मूल अनुमान 27.53 करोड़ रुपये का था। यह अतिरिक्त आवश्यकता मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार से ऋण लेकर और कुछ अंश तक, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दिये गए ऋणों के सम्बन्ध में अधिक वसूलियां करके पूरी की जाएगी।

बजट अनुमान, 1979-80

वर्ष 1979–80 में 41.50 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान की 12.00 करोड़ रुपये की रकम शामिल है। इन समस्त प्राप्तियों से राजस्व खाते का व्यय पूरा किया जाएगा, और वह भी 41.50 करोड़ रुपये का आंका गया है। वर्ष 1979–80 में पूंजी खाते में 31.91 करोड़ रुपये के भुगतानों का अनुमान लगाया गया है जिसमें 6.64 करोड़ रुपये की रकम केन्द्रीय सरकार से लिये गए ऋणों की वापसी अदायगी के लिये 1.52 करोड़ रुपये की रकम संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा ऋण दिये जाने के लिये रखी गई है। इस आवश्यक राशि में से 62 लाख रुपये की रकम संघ राज्य क्षेत्र द्वारा की जानें वाली ऋणों की वसूलियों से और शेष 31.29 करोड़ रुपये की रकम केन्द्रीय सरकार से ऋण लेकर पूरी की जायेगी।

आयोजना परिव्यय 1979-80

वर्ष 1979–80 के लिये संघ राज्य क्षेत्र का आयोजना परिव्यय 30 करोड़ रूपये रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष यह परिव्यय 27.50 करोड़ रूपये का था। परिव्यय में यह वृद्धि मुख्य रूप से लघु सिंचाई, सिंचाई और विद्युत्त परियोजनाओं, बम्बोलियम मेडिकल कालेज कम्पलेक्स, जलमल निकासी और जल पूर्ति पर्यटन और ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास की गति को तेज करने के लिए की गई है।

इसके अलावा, पश्चिमी घाटों के एककीकृत विकास की योजना के लिये, जो तीन चुने हुए तालुको में कार्यान्वित की जा रही है, 40 लाख रुपये का एक अलग प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत कृषि लघु सिंचाई, डेरी विकास और वन उद्योग सम्बन्धी योजनाएं पहाड़ी और पिछड़े इलाकों के विकास के लिये हाथ में ली गई है।

1979–80 के बजट में केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये भी 1.07 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।मैं

लेखानुदान

हालांकि मैंने सदन के सामने 1979-80 के सम्पूर्ण वर्ष के लिये गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र की प्राप्तियों और व्यय के अनुमान प्रस्तुत किये हैं और सम्बन्धित अनुदानों की मांगें भी अन्य बजट पत्रों के साथ सम्मानित सदस्यों के बीच परिचालित की जा रही है तथापि मैं यथासमय सदन के सामने यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि फिलहाल वित्तीय वर्ष में अक्टूबर, 1979 के अन्त तक के लिये संघ राज्य क्षेत्र के अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त धनराशि की मंजूरी दी जाए।

(श्री एन० के० शेजवालवर पीठासीन हुए)।

व्यय आयोग की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री चरण सिंह) : 1979-80 का बजट प्रस्तुत करते समय मने सरकारी व्यय में हो रही वृद्धि के संबंध में चिंता व्यक्त की थी और यह घोषणा की थी कि सरकार अपने व्यय के संबंध में व्यापक जांच करने के लिये उपयुक्त विचारार्थ विषयों वाले एक आयोग की नियुक्ति करेगी। सरकार ने अब व्यय आयोग के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दे दिया है । ये इस प्रकार होंगे :—

(क) उन क्षेत्रों का पता लगाना, जिनमें कार्य-कुशलता को हानि पहुंचाए बिना अथवा विकास पर प्रतिकल प्रभाव डाले बिना किफायत की जा सकती हो।

(ख) ऐसे क्रिया कलापों का पता लगाना जो अत्यावश्यक नहीं है अथवा जहां भारत सरकार के विभिन्न विभागों के बीच अथवा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच कार्य परस्पर व्यापी हो और इस प्रकार के क्रिया-कलापों को क्रमबद्ध रूप से समाप्त करने अथवा युक्तियुक्त करने के लिये उपायों का सुझाव देना।

(ग) पदों के निर्माण और कार्मिकों का वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करना और कर्मचारियों पर होने वाले व्यय को उचित सीमाओं के अन्दर रखने के लिये उपायों का सुझाव देना।

(घ) मख्य परियोजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन, निरीक्षण और मूल्यांकन के आयोजन करने को विद्यमान व्यवस्था की समीक्षा करना और उपयुक्त सिफारिशें करना ताकि उत्तरदायित्व से विमुक्त हुए बिना निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आ सके, लागत में वृद्धियों और विलम्बों को टाला जा सके और किए गए व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

(ङ) व्यय की स्वीकृति देने और उस पर नियंत्रण रखने की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करना और यह सुझाव देना कि वित्तीय नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये और साथ ही साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक शीघ्रता लाने के लिये इन व्यवस्थाओं में कैसे सुधार किया जा सकता है ; और

(च) किसी अन्य संगत मामले पर विचार करना और समुचित सिफारिशें करना।

2. आयोग के अध्यक्ष लोक सभा के सदस्य श्री एस० एन० मिश्र होंगे। आयोग के अन्य सदस्यों के नामों की घोषणा उनकी सहमति प्राप्त कर लेने के बाद शीघ्र ही कर दी जाएगी।

3. आयोग से अनुरोध किया जायेगा कि वह अलग-अलग खंडों में अपनी रिपोर्ट देता रहे ताकि ज्योंही रिपोर्ट का कोई खंड प्राप्त हो तो उस पर कार्रवाई की जा सके, और अपनी अंतिम रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर दे।

4. सरकार को आशा है कि व्यय आयोग द्वारा किये जाने वाले व्यापक अध्यन के परिणाम स्वरूप सरकार के व्यय में काफी किफायत की जा सकेगी।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बाढ़ नियंत्रण के लिये वनों के संरक्षण के बार में

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, नियम 377 के अधीन मैं निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का उल्लेख करना चाहता हूं:—

अब इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है कि बाढ़ों के वेग को तीव्र करने में नदियों के पर्वतीय जलागम क्षेत्रों में वनस्पतिक कवच का ह्रास सहायक होता है। हमारी अधिकाशं नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है और राष्ट्रीय वन-नीति के अनुसार वहां कम-से कम 60 प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिये। परन्तु पश्चिमी हिमालय में यह 38 और 45 प्रतिशत के बीच है। इसमें भी हरियाली का क्षेत्र तो एक अनुमान केवल 14,14 प्रतिशत ही है। नदियों के उद्गम वाले सीमान्त जिलों लद्दाख, लाहोल, स्पिति, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में यह बहुत कम है। बाढ़ नियंत्रण और जल एवं मुद्रा संरक्षण की दृष्टि से यह आवश्यक है कि पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर पेड़ लगाये जायें परन्तु जब तक यह पेड़ बड़े न हो जायें, तब तक रहे सहे यह पेड़ जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे ह, बचाये जायें।

पर्वतीय वनों के विनास का एक मख्य कारण इनका व्यापारिक दोहन है। इसके खिलाफ और स्थानीय अर्थ-व्यवस्था का स्वावलम्बन बनाने के लिये पिछले वर्षों से उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड क्षेत्र में एक सशक्त जन-आन्दोलन चल रहा है जिसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने मौजूदा वन-प्रबन्धक के इस क्षेत्र की क्या स्थिति है, जंगल के उपकरण लीसा, लकड़ी और व्यापार के खिलाफ एक नया नारा बुलन्द किया है, वह है :—

> क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी पानी और ब्यार (आक्सीजन) क्योंकि
> ये हैं जिन्दा रहने के आधार।

इसमें उन क्षेत्रों के लिये एक स्थायी और स्वावलम्बी अर्थ व्यवस्था और सारे देश को बाढ़ों से मुक्ति दिलाने तथा नदियों के जल प्रवाह को स्थिर रखकर सिंचाई और विद्युत उत्पादन के द्वारा समृद्धि की ओर ले जाने की योजना का बीज है।

वनों की कमाई से तुरन्त आर्थिक लाभ उठाने वाली शक्तियां जिनमें राज्य सरकारें, ठेकेदार और वन निगम और छोटे बड़े उद्योग शामिल हैं—संगठित होकर वन नीति में बुनियादी परिवर्तन के प्रश्न को टाल रही है और अल्प-जीवि अर्थ व्यवस्था का एक लुभावना चित्र प्रकृति विज्ञान (इकालोजी) के आधार पर प्रस्तावित वन प्रबन्ध की योजना के मुकाबले में खड़ा कर रही हैं, क्योंकि बाढ़, भूस्खलन और प्रकृति संरक्षण राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। इसीलिये भारत सरकार को इस दिशा में शीघ्र कदम उठाना चाहिये। इसके लिये यह आवश्यक है कि वन प्रबन्ध, भूमि संरक्षण, पर्यावरण, भूगर्भ-विज्ञान, वन्य जन्तु संरक्षण, वनस्पति विज्ञान आदि विभिन्न संबंधित क्षेत्रों के चोटी के वैज्ञानिकों की राय से यह निश्चित किया जाये की बाढ़ और भस्खलन को रोकने तथा जल व भू-संरक्षण को प्राथमिकता देकर पर्वतीय वनों के प्रबन्ध कीं नीति क्या हो ?

नई वन नीति बनने व उस पर अमल होने तक, स्थानीय न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापारिक वन दोहन स्थागित रखा जाये। मृत, सुखे और गिरे पेड़ पौधों से काम चलाया जाये।

(दो) बोरियों की कथित कमी के कारण किसानों और व्यापारियों को हो रही कठिनाई

श्रीमती चन्द्रावती (भिवानी) : मैं 377 नियम के अधीन यह कहना चाहती हूं

यह कि बोरों की कमी के कारण किसान व व्यापारियों को बड़ी भारी दिक्कत है। एक बोरी 9 रुपये को मिलती है और नहीं भी मिलती है। हरयाणा सरकार को भी बोरियों की बड़ी भारी कमी है। अतः शीघ्र ही बोरियों की सप्लाई होनी चाहिये, नहीं तो लाखों मन अनाज खराब हो जायेगा; पता पड़ा है कि शार्टेज आर्टिफिशयल है।

(तीन) बोइंग विमानों की मरम्मत की व्यवस्था को डमडम से हटाकर हैदराबाद ले जाना

श्री चित्त बसु (बारसाट) : आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित बातें उठाना चाहता हूं :

इंडयन एयर लाइन्स के तत्वावधान में बोइंग विमानों को ओवरहाल करने की परियोजना दमदम हवाई अड्डा क्षेत्र में स्थापित की जानी थी। इस परियोजनार्थ इंडियन एयरलाइन्स ने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से 16 एकड़ भूमि पट्टे पर ली थी जिसकी अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के आरम्भ होने से 400 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। परियोजना का और विस्तार किया जायगा और चार वर्षों में चार हजार व्यक्तियों को रोजगार मिल जायेगा।

इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्ध निदेशक और चेयरमैन ने इंडियन एयर क्राफ्ट्स टेकनीशियन्स एसोसियेशन के सचिव श्री गुप्ता को पिछले दिसम्बर में बताया कि इंडियन एयर लाइन्स दमदम हवाई अड्डे के क्षेत्र में परियोजना स्थापित करेगा।

इस समय इंडियन एयरलाइन्स का फोकर फ्रेंडशिप इंजीनियरी मूल कर्मशाला दमदम में है। अब धीरे-धीरे फोकर फ्रेंडशिप विमानों को हटाया जा रहा है। परन्तु इस संस्था के इंजीनियरों की कुशलता की धाक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी है। बोइंग विमान इस समय हमारे देश में बम्बई में और फ्रांस पश्चिम जर्मनी, न्यूजीलैण्ड, तथा कनाडा में ओवरहाल किए जाते हैं। इंडियन एयरलाइन्स ने अपने देश में ही बोइंग इंजिनों की मुरम्मत तथा ओवर-हाल के कार्य को विकसित करने का निश्चय किया है।

सभी पहलुओं से दमदम क्षेत्र ऐसी परियोजनाओं को जिनमें अत्याधुनिक उपकरण लगाये जाते हैं, स्थापित करने के लिए आदर्श क्षेत्र हैं।

पश्चिम बंगाल ने ढांचे सम्बन्धी सभी सुविधायें तथा राज्य में विद्युत संकट के बावजूद विद्यत प्रदान करने के लिए जिम्मेवारी ली है।

लेकिन पता चला है कि भारत सरकार ने इसे दमदम से हैदराबाद ले जाने का निश्चय किया है।

दमदम चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसलिये अन्य देश बोइंग विमानों की मुरम्मत के लिए दमदम कमशाला का उपयोग करना चाहेंगे।

स्थान परिवर्तन करने का सरकार का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरा सरकार से निवेदन है कि इंडियन एयरलाइन्स तथा विशेषरूप से पश्चिम बंगाल के हितों को ध्यान रखकर 20 करोड़ रुपये की परियोजना को पश्चिमी बंगाल में ही लगाया जाये।

(चार) तमिलनाडु में धान का वसूली मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता

श्री सी० एन० विश्वनाथन : (तिरुपत्तूर) : आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अधीन यह बातें उठाना चाहता हूं। धान की कम कीमत मिलने से उत्पादकों को भारी कठिनाई हो रही है। तमिलनाडू सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि धान का मूल्य 85 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति विंटल किया जाये। यद्यपि धान की उत्पादन लागत गेहूं की लागत से अधिक है तो भी उसका खरीद मूल्य गेहूं के खरीद मूल्य से कम है। भारतीय खाद्य निगम दक्षिणी जोन विशेषकर तमिलनाडु से धान नहीं खरीद रहा। इससे धान उत्पादकों को कठिनाई हो रही है। बिचौलिये शोषण करके दिन प्रति-दिन अमीर हो रहे हैं। बिजली की कमी के कारण उत्पादकों को डीजल और मिट्टी का तेल प्रयोग करना पड़ता है जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। कृषि मन्त्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने आवश्वासन दिया था कि शीघ्र ही धान का खरीद मूल्य बढ़ाया जायेगा किन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। दक्षिण से सदस्यों ने बार-बार बजट पर चर्चा के दौरान और सलाहकार समिति की बैठकों में आग्रह किया है कि धान की खरीद मूल्य बढ़ाया जाये। कृषि मन्त्री ने जिन्होंने हाल ही में तमिलनाडु का दौरा किया है, कहा है कि भारत सरकार तमिलनाडु धान उत्पादकों की मांगों पर ध्यान दे रही है। धान उत्पादकों में बढ़ रहे असन्तोष और उनकी कठिनाईयों को देखते हुए यह जरूरी है कि भारतीय खाद्य निगम विदेशों को निर्यात करने के लिए सीधे उत्पादकों से ही धान खरीदे। भारत सरकार को धान का खरीद मत्य तुरन्त 135 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाना चाहिए। विलम्ब करने से उत्पादकों को और कष्ट होगा। इसके अतिरिक्त माननीय कृषि मन्त्री ने संसद में हाल ही में वक्तव्य

दिया है "कि राज्य, धान को किसी भी मुल्य पर खरीदने के लिए स्वतन्त्र है लेकिन हिन्दु में तमिलनाडु के खाद्यमन्त्री ने कहा है "कि अभी तक कोई ऐसा पत्र नहीं प्राप्त हुआ है और पिछले वर्ष 29 सितम्बर को ही यह सन्देश मिला था कि केन्द्र द्वारा निर्धारित खरीद मूल्य से अधिक अदायगी न की जाये।"

(पांच) महाराष्ट्र मे विद्युत की कथित कटौती तथा उसका उद्योगों पर प्रभाव

श्रीमती मृणाल गोरे (उत्तर-बम्बई) : 8 मई 1979 को महाराष्ट्र सरकार ने बिजली की 15 प्रतिशत ज्यादा कटौती की घोषणा की, जब कि 20 प्रतिशत पहले से ही चल रही थी।

यह बार बार कहा गया है कि महाराष्ट्र के थरमल पावर स्टेशन पर कोयले की स्थिति दिन व दिन बिगड़ती जा रही है। दिनांक 7-5-79 को ग्राउन्ड स्टाक की स्थिति निम्न है :

क्रम सं० विद्युत घर	रेलों द्वारा	सड़क द्वारा	रोपवे द्वारा	कुल	ग्राउन्ड स्टाक	कितने दिनों के लिए
1. कोराड़ी	1375	4204	—	5579	—	—
2. नासिक	2192	—	—	2192	289	—
3. पारस	—	598	—	598	1683	—
4. खापरखेड़ा	672	112	—	784	—	—
5. भूसावल	1485	—	—	1485	1010	1
6. वलारशाह	—	358	—	358	63	—
7. परली	—	—	—	—	3375	4

इस स्थिति में कोराड़ी विद्युत घर का 120 मेगावाट क्षमता का यूनिट नं० 1 बन्द पड़ा है। बलारशाह के 6 मैगावाट क्षमता का यूनिट बन्द पड़ा है और कोराड़ी का दूसरा 120 मेगावाट क्षमता का यूनिट बन्द पड़ने की आशंका है।

महाराष्ट्र के दो मन्त्री पिछले पांच दिन से दिल्ली में इस काम के लिए बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि जहां वैगन उपलब्ध हैं वहां के कोयला खान में कोयला नहीं है और जहां कोयला है वहां कोयला लादने की सुविधा नहीं है। सिंगरौली-मध्य प्रदेश में कोयला है लेकिन सिंगरेनी-आन्ध्र प्रदेश जहां से महाराष्ट्र को हर महीना 70 से 80 हजार टन कोयला आता था, वहां कोयला नहीं है।

26 अप्रैल से 9 मई तक जहां कि कोयले की हर दिन की जरूरत 15 हजार टन है, वहां मात्र 14 दिनों में औसत दैनिक 12,252 टन कोयला ही मिल पाया।

10 मई 1979 से जो संशोधित कटौती की गई है वह निम्न है :—

	उपभोक्ताओं की कुल मांग में कटौती		उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में कटौती	
	बम्बई पूना क्षेत्र	महाराष्ट्र में अन्य क्षेत्र	बम्बई पूना क्षेत्र	महाराष्ट्र में अन्य क्षेत्र
1. सामान्य उद्योग	25	25	20	20
2. निरन्तर प्रक्रिया उद्योग	35	20	35	20
3. कपड़ा	15	15	15	15
4. आवश्यक	10	10	10	10
5. कर्मशियल	—	—	15	15
6. सर्विस इंडस्ट्रीज	—	—	10	10

सब प्रयत्नों के बावजूद परिस्थिति खराब होती जा रही है और महाराष्ट्र सरकार को ज्यादा कटौती करने पर विवश होना पड़ा है। आशंका है कि यह बम्बई तथा शेष महाराष्ट्र की औद्योगिक इकाइयों पर विपरीत प्रभाव डालेगी। उत्पादन में क्षति होगी और औद्योगिक अशांति भी होगी।

मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करती हूं कि इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप करें और इस गम्भीर परिस्थिति से महाराष्ट्र को बचायें।

(छ:) पश्चिम बँगाल में मारीचझापी क्षेत्र में हरिजन शरणार्थियों की दशा

प्रो० समर गुह (कन्टई) : यह मारीचझापी के बारे में वक्तव्य है। मुझे तथा लोक सभा के अन्य सदस्यों को यह टेलीग्राम मिला है। "पश्चिम बगाल सरकार ने रविवार की रात से मारीझापी के चारों ओर अचानक घेरा डाल दिया। वहां 2000 पुलिस ने अश्रु गैस छोड़कर झोपड़ियां में बलपूर्वक प्रवेश किया। टयूबवैल बरबाद कर दिए गए। खाने पीने के सामान को वहां जाने से रोका। छीप द्वीपवासी जो खाना लेने आये वापिस नहीं लौटे। बन्दूक और लाठी से शरणार्थियों को मारा गया और महिलाओं का शील भंग किया गया। कृपया हस्तक्षेप करके जन धन की रक्षा कीजिए।

इस तार पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति समन्वय परिषद्, कलकत्ता के महासचिव की क्याल के हस्ताक्षर हैं।

पुलिस द्वारा द्वीप का घेरा डालने का समाचार पश्चिम बंगाल के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है।

मारीझापी क्षेत्र में हरिजन शरणार्थियों पर अत्याचार और उनके चारों ओर घेरा डालने, बेहतर किसम की झोपड़ियों को गिराने, टयूब वैल बर्बाद करने, मछलियों को नष्ट करने और पुलिस की गोली से शरणार्थियों के मारे जाने के समाचार सभा में उठ चुके हैं और प्रेस में छप चुके हैं। पुलिस द्वारा अश्रुगैस छोड़ने और लाठी चलाने से भी अनेक लोग घायल हुए और हरिजन महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं ताकि उन्हें डरा-धमका कर मारीच-झापी क्षेत्र से बाहर कर दिया जाये।

पश्चिम बंगाल पुलिस के इन अमानवीय अत्याचारों से देश-भर में इतना रोष फैला कि स्वयं प्रधान मन्त्री ने वहां जांच के लिए लोक सभा के तीन सदस्यों को भेजा।

इस दल ने उस क्षेत्र का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में हरिजन शरणार्थियों पर हुए पाशविक अत्याचारों की पुष्टि की है।
(व्यवधान) दल ने अनुरोध किया है कि शरणार्थियों को उनकी झोपड़ियों से बलपूर्वक न निकाला जाय।

तथापि दल की रिपोर्ट की अवहेलना करते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस ने मारीचझापी से हरिजन शरणार्थियों को निकालने के लिये अत्याचार किये हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मानवता और लोकतंत्रात्मक मूल्यों के नाम पर पश्चिम बंगाल सरकार से कहे कि मारीचझापी द्वीप से हरिजन शरणार्थियों को निकालने के लिए पाशविकता और डराने के उपाय छोड़ दे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 23 वें और 24वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—जारी

सभापति महोदय : अब सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिवेदनों पर आगे विचार किया जाएगा।

श्री पवित्र मोहन प्रधान अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : महोदय, कल मैंने कहा था कि भारत में अनेक जातियों और समुदायों के लोग रहते हैं। परन्तु फिर भी अस्पृस्यता और निर्धनता को दूर करके दरिद्र वर्ग की स्थिति सुधारने की समस्या बहुत गंभीर है। आजादी से पहले महात्मा गांधी ने इसके लिये गैर-सरकारी तौर पर ब्रिटिश सरकार की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया। महात्मा गांधी के इस जोरदार प्रचार के कारण समाज में अस्पृश्यता की बीमारी काफी हद तक दूर हो गई है और आज भी कांग्रेस और महत्मा गांधी द्वारा किए गए प्रयास फल ला रहे हैं। आजादी के बाद आदिवासियों और हरिजनों की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा के लिये कई कानून बनाये गये हैं। मुझे खुशी है कि सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर इस कार्य के अन्दर काफी प्रगति हुई है और आदिवासियों, हरिजनों तथा निर्धन लोगों को तथा शोषित और दलित वर्गों को काफी लाभ हुआ है। किसी व्यक्ति

को यह नहीं समझना चाहिये कि मैं इन दलित वर्गों हरिजनों और आदिवासियों के बारे में नहीं सोचता। इस बारे में मैं अन्य किसी से कम विचार नहीं करता। फिर भी मुझे विश्वास है कि देश में इस समय अस्पृश्यता नहीं है। मैं कुछ उदाहरण देकर सिद्ध करता हूं। क्या राजनीतिक क्षेत्र में अस्पृश्यता है। क्या प्रशासनिक क्षेत्र में अस्पृश्यता है। कल्पना कीजिए किसी कार्यालय में एक बड़ा अधिकारी हरिजन या अनुसूचित जाति अथवा आदिवासी है और उसी कार्यालय में उसी अधिकारी के अधीन कोई ब्राह्मण, राजपूत या क्षत्रीय चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। जो कि अधिकारियों को पानी पिलता है। जब यह अधिकारी पानी मांगता है तो ब्राह्मण कर्मचारी उसे पानी पिलाता है। जब वह अधिकारी आधा गिलास पानी पीकर मेज पर रख देता है तो यह ब्राह्मण, राजपूत या क्षत्रीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गिलास को उठाकर पानी फेंकता है और धोकर उसे यथास्थान रखता है। कोई माने या न माने यह एक तथ्य है। भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है कि भारत में जाति तथा प्रथा उतनी कठोर नहीं है। अब यह केवल उड़ीसा, बंगाल, आसाम या बिहार के कुछ भागों में है।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं आपको उड़ीसा में दिखा सकता हुं।

श्री पवित्र मोहन प्रधान : कुछ छोटे मोटे मामले हो सकते है जो समाचार-पत्रों में छपते हैं और विधान मण्डल में उनका उल्लेख होता है। ज्यादातर यह मामले कृषि सम्बन्धी होते हैं। जिनमें आदिवासी हरिजन या ब्राह्मण शामिल होते हैं। लेकिन वह अस्पृश्यता की समस्या नहीं है।

मुझे खुशी है कि इस देश में जहाँ अस्पृश्यता की समस्या बहुत गंभीर और जटिल थी अब काफी हद तक समाप्त हो गई है।

मैं उदाहरण देता हूं। हम कहते हैं कि यूरोपीय देशों में अस्पृश्यता नहीं है। मेरा कहना है कि यूरोपीयन देशों में चाहे उनका कोई भी धर्म हो वहां इस बीमारी को दूर करने सम्बन्धी कानून होते हुए भी अस्पृश्यता की गंभीर समस्या है। सरकारी अधिकारी इन नियमों का खुल कर उल्लंघन करते हैं। 15 या 17 वर्ष पहले अमरीका के लिटल हिल टाउन में एक घटना हुई थी। इस स्थान पर कुछ स्कूल तथा कालेज हैं। जिनमें नीग्रो लड़के तथा लड़कियां पढ़ना चाहते थे। श्वेत छात्रों और उनके अध्यापकों ने इन काले लड़के और लड़कियों को स्कूलों में दाखिला लेने की अनमति नहीं दी। उन लोगों ने वहां जबरदस्ती घुस कर स्कूलों की सीटें घेर लीं। तब श्वेत लड़के और उनके मां बाप ने उन्हें मार कर भगा दिया। वहां हड़ताल हुई। नीग्रो उच्च न्यायालय में गये और उच्च न्यायालय में निर्णय दिया कि देश के कानून के अनुसार उन्हें सरकारी धन द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों तथा कालेजों में प्रवेश का अधिकार है। लेकिन उस राज्य के गवर्नर ने इस अधिकार से उन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया कि उसे किसी को भी प्रवेश देने या न देने का अधिकार है।

यूरोपीय देशों को देखें। अफ्रीका हो या आस्ट्रेलिया वहां पर क्या हो रहा है। वहां यह प्रणाली है कि यूरोप वासियों की दुकानें और उनका व्यापार मुख्य गली में होगा और स्थानीय आदिवासियों या हरिजनों यदि हम उन्हें हरिजन कहें तो उन्हें उसी क्षेत्र में व्यापार करने या दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। उन देशों में अभी भी नीग्रो लोगों को होटलों आदि में प्रवेश नहीं दिया जाता।

अतः हम क्यों यह सोच कर दुखी होते हैं कि भारत ने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। हम क्यों इतना नाराज होते हैं कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया।

मेरे विचार में जब भी कोई पार्टी सत्ता में आई है उसने छुआछूत को दूर करने सम्बन्धी कानूनों को लागू करने के बारे में बहुत ही ईमानदारी और गंभीरता से काम लिया है। इसी करण से मैं यह कहता हूं कि मुझे इस बात से संतुष्टि है कि हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र समाज तथा प्रशासन ने छुआछूत को दूर करने के लिये कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है।

लेकिन छुआछूत की यह बीमारी इतनी पुरानी है कि इसको तुरन्त ही समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक समाज में, जैसे ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों में भी बहुत सी जातियां होती हैं। एक राजपूत दूसरे राजपूत की लड़की के साथ शादी करता है, लेकिन वह उसके घर में खाना नहीं खाता है, क्योंकि वे उसको अपने से निम्न श्रेणी का मानते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों में भी इतनी जातियां हैं कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के घर भोजन नहीं खाता है।

यह स्थिति अब भी मौजूद है। मैं छुआछूत को न्यायोचित नहीं ठहरा रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय छुआछूत में थोड़ी-बहुत कमी हुई है। हो सकता है कुछ नगरेतर क्षेत्रों में यह मौजूद हो। लेकिन इस प्रकार अधिक हल्ला और चिल्ला कर हम मामले को और पेचीदा बना रहे हैं। संविधान में इस प्रावधान के बावजूद कि छुआछूत को 15 वर्षों के अन्तर्गत समाप्त कर दिया जाना चाहिये, आजादी के 32 वर्षों में भी वास्तव में कुछ क्षेत्रों में इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम काफी सीमा तक सफलता प्राप्त कर सके हैं। यदि कोई सदस्य यह कहता है कि यह विद्यमान है, तो उसे कहने दीजिए कि किसी न किसी रूप में यह मौजूद है।

श्री सूरज भान (अम्बाला) प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि अभी छुआछूत मौजूद है और इसे समाप्त किया जाना चाहिये। लेकिन आप कह रहे हैं कि छुआछूत अब है ही नहीं।

श्री पवित्र मोहन प्रधान : उन्होंने कहा है कि यह मौजूद है। लेकिन मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि यह मौजूद नहीं है। लेकिन इस प्रकार की बीमारी को एक साथ समाप्त नहीं किया जा सकता। एक समय में आप इसको प्रत्येक स्थान पर समाप्त नहीं कर सकते। इसको स्वैच्छिक रूप से ही समाप्त किया जाना चहिए।

सभापति महोदय, सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन उसके बारे में बहुत क्रियाशील नहीं रहा है। उड़ीसा में प्रशासन का कार्यभार मेरे पास था लेकिन सरकार आरक्षण सम्बन्धी सिद्धान्तों को लागू करने के बारे में उत्सुक नहीं थी। बाद में, मेरा मतलब है, पिछले 7 से लेकर 10 वर्षों से वे बहुत ही क्रियाशील रहे हैं और इस रूप में कार्यवाही की जा रही है कि गैर-हरिजनों तथा गैर-आदिवासियों को ईर्ष्या हो गई है। उन्हें ईर्ष्या करने दीजिए लेकिन आदिवासियों तथा हरिजनों को सरकार द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार उनका कोटा दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सूरज भान (अंम्बाला) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मझे बोलने का मोका दिया है । आज हम तीन रिपोर्टो पर बहस कर रहे हैं । सबसे पहली रिपोर्ट 1974-75 की है लेकिन यह लिखी गई थी सितम्बर 1976 में यानी डेढ़ साल के बाद रिपोर्ट लिखी गई और लिखने के डेढ़ साल बाद पार्लियामेंट में पेश हुई और पेश होने के सवा साल बाद आज इस पर बहस हो रही है । यह हालत है कमिश्नर की रिपोर्टस् की ।

इसके बाद भी दो रिपोर्टस् हैं, उनका भी यही हाल है । मैं महसूस करता हूं कि 1974-75 की रिपोर्ट जून 1975 में कमप्लीट होकर पेश हो जानी चाहिये थी और उसी साल इस पर बहस हो जानी चाहिये थी । लेकिन यह नहीं हुआ । मैं समझता हूं कि इस किस्म की ढिलाई दूर होनी चासिये आइन्दा से पोजीशन कुछ बदल गई है । अब कमिश्नर के बजाय कमीशन होगा । कमीशन बनने के लिये बिल पिछले साल ईंट्रोंडयूस हो चुका है । वह कब पास होगा, कब अमल होगा इसकी मुझ जानकारी नही है । इस बारे मैं में मन्त्री जी से जानकारी चाहूंगा लेकिन इतनी बात जरुर है कि अब कमीशन भी है और कमिश्नर भी है । क्या उनमें समन्वय, कोआर्डिनेशन है, मुझे मालूम नहीं है । कमीशन को वैधानिक तौर पर पूरा रिकग्नीशन देकर के यहां पर बिल पास कर के ऐक्शन में आना चाहिये । उसके ऐक्शन की इसलिये भी जरुरत है कि स्टेट्स में उसके दफ्तर पिछली सरकार ने वाइन्ड अप कर दिये थे । मुझे खुशी है कि इस सरकार ने वायदा किया है कि कमीशन खुलते ही उसके दफ्तर खुल जाऐंगे स्टेट्स में तकि वह कमीशन ठीक ढंग से अपना काम शुफु कर सके । मैं उसके बाद असली बात पर आना चाहता हूं । हरिजन, आदिवायियों की आज हिन्दुस्तान में हालत क्या है । मुझे हैरानी थी, जब मैं श्री पवित्र मोहन प्रधान की बात सुन रहा था। हरिजन आदिवासियों की हालत यह है । एक शायर ने कहा है :—

कागज़ के वेजां टुकड़े से इन्सान का लूह सस्ता है यहां,

ऋषि मुनियों का देश है यह, कुत्तों से बुरा इसान है यहां :

यह हालत है हरिजन आदिवाउियों की । उसके बाद भी यहां कुछ सज्जन है जो कहते है कि अन-टचेव्लिटी खत्म हो गई है । अन-टचेव्लिटी कहां खत्म हो गई है ? अभी 4 दिन पहले मैं अखवार में पढ़ा था । बिहार के एक हाई-कास्ट साहिब ने अपने नौकर को कहा कि पैट्रोल का लैम्प जलाओं । उस लैम्प के जलाने में उस गरीब को देर हो गई तो उस साहब ने अपने भाई को हुक्म दिया कि इसको गोली मार दो । उसको गोली मार दी गई और पर खत्म हो गया । यह कोई एट्रोसिटी नहीं है, अन-टचेवलिटी निंहीं है कुछ साहबों के हिसाब से ।

यू० पी० हरियाणा, दिल्ली में जगह-जगह पर ये वाक्यात हो रहे है ।

एक माननीय सदस्य : उड़ीसा में ।

श्री सूरज भान : मैं उड़ीसा की बात कहकर ही आगे चलना चाहता हूं । श्री पवित्र मोहन प्रधान उस समय हुकूमत में थे । 1969 में एक कमेटी के सिलसिले में मैं वहां गया था । कमेटी का दौरा खत्म हुआ, कमेटी के चैयरमैंन थे श्री डी० वासुमतारी । उन्होंने श्री पवित्र मोहन प्रधान से कहा कि कमेटी का क्या इम्प्रैशन है, आप सूरज भान से पूछ लीजिए। उड़ीसा के टूर के बारे में मेरी श्री पवित्र मोहन प्रधान से बातचीत हुई । इन्होंने मुझे से

कहा कि क्या इम्प्रैशन है । मैंने कहा कि "उड़ीसा से हम पूर्णत: असंतष्ट है ।"उन्हेंने कहा कि क्या बात हो गई, बड़े हैरान होकर पूछा '? मैंने कहा कि इस टेलिविजन एज में आप यहां आदिवासियों को कपड़ा पहनना नहीं सिखा सके । आज भी वहां वौडा और प्रजा कबीलों के लोग नगे रहते हैं कैंप्लीटरी नैकेड । मैंने उनको जिस वक्त यह बात कही कि आप यह भी नहीं सिखा सके तो प्रधान साहब का जबाव था कि "यह तो उनकी संस्कृति है ।"

श्री पवित्र मोहन प्रधान : मैं स्वयं इस विभाग का मन्त्री था । मैंने उन्हें कपड़े दिलाये लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन्हें नहीं पहनेंगे ।

श्री सूरजभान : जबाव पूरा सुन लीजिये । तब पवित्र मोहन जी ने कहा "यह तो उनकी संस्कृति है ।" तो मैंने पूछा कि मि० प्रधान "क्या आप इस संस्कृति को बनाये रखना चाहते हैं ।" उसके बाद उनकी जवान बन्द हो गई । केवल उड़ीसा की हीं बात नहीं है, पिछली जनवरी में मैं अंडमान होकर आया हूं । वहां पर आदिवासी महिला और पुरुष कम्पलीटली नैकेड हैं । इस टेलिवजन एज में कंपलीटली नैकेड हैं और फिर भी कहते हैं कि छुत घात नहीं है, खत्म हो गई है, कोई ऐसी बात नहीं है । इसके बाद भी ऐसा कहते हैं, आपकी अक्ल आपको मबारक, आपकी सूझबूझ आपको मुबारक, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

मैं एटोसिटीज की बात पर आना चाहता हूं । अभी जनवरी के महीने में यू० पी० में रामपुर नाम के एक गांव में जो हाथरस तहसील में है, वहां कालू राम का एक हरिजन था। उस पर झूठा इलाजाम लगाया गया, थानेदार ने कहा कि तुमने कहीं चोंरी की है, रात को बुलाकर थाने ले गये । थाने में उसको इतना पीटा, इतना टार्चर किया कि उसकी हालत खराब हो गई । हालत खराब होने पर जेल में ले गये, जेल के सुपरिन्टैन्डेंट ने कहा कि हालत खराब है इसको हम जेल में एडमिट नहीं करते । चुनाचे उसको हस्पताल में एड-मिट कराना पड़ा और अगलँ दिन वहां उसकी डैथ हो गई । यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद जब यह बात फैली कि ऐसे पुलिस के टार्चर के कारण कालू नामक हरिजन की डैथ हो गई तो उसके फौरन बाद वहां के हरिजनों ने प्रदर्शन किया और मैंडू नाम के एक गांव में हाथरस तहसील में वहां के एक वेघड़क नाम के हरिजन कार्यकर्त्ता पोलिटिकल वर्कर ने इनके खिलाफ कैम्पेन शुरु किया । कैम्पेन शुरु करने में उस थानेदार के खिलाफ शिकायत की कि उसने उसको जानबूझकर मारा है । उसने 16 फरवरी को उस कैम्पेन के बाद चीफ कमिश्नर, सुपरिन्टैन्डैट आफ पुलिस और अथोरिटीज़ को अंडर रजिस्टर्ड कवर चिट्ठी लिखी, मेरे पास उस एप्लीकेशन की कापी है, डाकखाने की रसीद की फोटो-स्टैट काभी है, उसमें लिखा कि मेरी इस कैम्पेन के कारण जो मैंने हरिजन की मौत के बारे में की है, अब मेरी जान भी खतरे में है । यह लिखने के बाद मार्च के महीने में उस बेधड़क हरिजन जो पोलिटिकल वर्कर था, उसको भी कत्ल कर दिया गया और वह उसी थानेदार ने कराया। यह उस गरीब की फोटो है । यह कत्ल महज़ यों ही नहीं कि तरवार मारकर कर दिया हो उसकी आंख फोड़ी गई, नाक-कान काटे गये । यह फोटो है, उसकी हालत की । पुलिस वहां बाद में पहुंची । उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिये ले गये, लाश रात के टाइम पहुंची। उनको कहा गया कि सुबह आजाइये, सुबह पोस्ट मार्टम होगा । वह गरीव इस भरोसे पर कि जिले के अफसर कह रहे हैं कि पोस्ट मार्टम सुबह होगा, वह चले गये लेकिन रात-रात में ही लाश को डिस्पोज

आफ कर दिय गया। पुलिस ने उसकी झूठी पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट भी लै ली होगी। उन कातिलों और गुंडों में से एक आदमी भी गिफ्तार नहीं किया गया, लैकिन 110 हरिजन गिरफ्तार कर लिये गये। इसके बावजूद कहा जाता है कि अब छुआछूत नहीं है, सब कुछ ठीक है। बहिश्त में रहनै वाले लोग ही ऐसा कहते होंगे !

इस एट्रासिटीज को इस बात से भी बढ़ावा मिलता है कि अदालतों में जा कर भी हमें इन्साफ नहीं मिलता है। यह कहानी बहुत पुरानी है, लैकिन चूंकि ये रिपोर्टस् भी वहुत पुरानी है, इस लिए मुझे कहना पड़ेगा। यह 1974-75 की रिपोर्ट है। आपको याद होगा कि 1968 में तामिलनाडू के क्लिवानमनी नाम के गाव में 42 हरिजन, जिन में 20 वच्चे थे, जिन्दा जलाये गये थे। उस वक्त बहुत कुछ हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला क्या होता है ? 23 मुलज़िम थे। हाई कोर्ट अपने फैसले में कहता है :—

"यह बात कुछ हैरान करने वाली है कि इस मामले में सभी 23 अपराधी मिरासदार हों। उनमें से अधिकतर लोग अमीर है जिनके पास काफी जमीन है। इसका साक्ष्य यह है कि पृथक अपराधी के पास कार है। यह हो सकता है कि मिरासदार बामपंथी किसानों से बदला लेने के उत्सुक हों। लेकिन यह विश्वास करना कठिन है कि वे स्वयं घटना स्थल पर आये हों और घरों में आग लगाई हो जबकि उनका कोई नौकर भी उनके साथ न हो।" यह जजमेंट बहुत लम्बा है। लेकिन नतीजा यह है कि 23 के 23 मुलज़िम बरी हो गये। अदालतें कहती है कि जिस जादमी के पास जमीन है, कार भी है, वह कैसे कत्ल कर सकता है अगर इस किस्म का इन्साफ मिलेगा, तो हरिजानों की सुरक्षा नहीं हो सकती है। इसी केस के बारे में कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में रीकमेंड किया था :—
"यह बात विचार करने योग्य है कि क्या यह अत्यन्त आवश्यक नहीं है कि प्रक्रिया सम्बन्धी, सुधारों को सामाजिक न्याय को मामलों के रुप में कानून के साधारण उललंघन से अलग माना जाये तथा प्रमाण से सम्बन्धित साक्ष्य अधिनियम और दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपयुक्त संशोधन किया जाये जैसा कि भ्रष्टाचार विरोधी मामलों में किया गया है तथा सामाजिक आर्थिक न्याय से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिये विशेष न्यायालयों को चल यूनिटों के साथ स्थापित करने की आवश्यकता है।"

अगर सरकार हरिजनों पर होने वाली एट्रासिटीज़ को बन्द करना चाहती है, तो मैं मांग करना चाहता हूं कि अगर सरकार इमर्जेन्सी की एट्रासिटीज़ के बारे में स्पेशल कोट्स बना सकती है, तो उसे सरिजनों और आदिवासियों पर होने वाली एट्रासिटीज़ के बारे में भी स्पेशल कोर्ट्स का प्राविज़न करन पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। जब कोई एट्रासिटी हो जाती है, तो जो उस एट्रासिटी का क्रशकार हुआ है, उसको यह न कहा जाये कि वह प्रुव करे कि उस पर एट्रासिटी हुई है, बल्कि ज़ालिम से कहा जाये कि वह प्रूव करे कि वह बेगनाह है। ऐसा करने पर ही स्ट्रासिटीज़ बन्द होंगी।

मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूं। जो अमीर और सरमायादार है, वह इस भरोसे पर किसी हरिजन या आदिवासी को कत्ल कर देता है, कि अगर में जेल में चला गया अव्वल तो वह जेल में जायेगा नहीं, क्योंकि बड़े-बड़े वकीलों को भारी फीस देकर वह बरी

हो जाता है,—तो मेरे पास जायदाद है, मेरे बच्चे आराम से रहेंगे । लेकिन जिस गलीब हरिजन या आदिवासी का कत्ल हो जाता है उसके बच्चे भूखे मर जाते है इस लिये कानून में ऐसा प्राविजन होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कत्ल किया हो, उसको सिर्फ सजा ही न हो, बल्कि उसकी जायदाद भी जब्त कर ली जाये, ताकि उसे महसूस हो कि मेरे बाद मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे ।

एट्रासिटीज़ को कम करने के लिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसा कि विहार गवर्नमेंट ने कदम उठाय है, हरिजनों को अपने डिफेंस के लिए हथियार दिये जाये, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाये और उन्हें हथियारों के लाइसेंस लिबरली दिये जायें ।

1947 में भारतवर्ष का विभाजन हुआ था । कुछ लाख रेफ्यूजीज हिन्दुस्तान में आए, उन को बसाने के लिए, रिहबिलिटेट करने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री यहां बन गई । कुछ साल के कुछ लाख रेफ्यूजीज़ के लिए एक मिनिस्ट्री बन सकती है और हजारों साल के करोड़ों रेफ्यूजीफ़ के लिए क्या कोई सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं बन सकती। बननी चाहिए । जब तक नहीं बनेगी तब तक इन कम्युनिटीज़ का उद्धार नहीं होगा । आज हम किसी मिनिस्ट्री पर रेस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते । रेलवे को कहेंगे तो वह कहेंगे कि होम मिस्ट्री में जाओ । होम मिनिस्ट्री को कहेंगे तो वह कहेंगे कि पी ऐंड टी में जाओ। हम एक जगह पिन प्वाइंट कर सकें कि यह मिनिस्ट्री रेस्पांसिबल है, इस के लिए उन की एक सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए ताकि कहीं एकोनामिक अपलिफ्ट में ज्यादती हो या और कहीं कुछ हो तो वहां हम उस सेपरेट मिनिस्ट्री को पकड़ सकें ।

मैं अगली मांग रखना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का पीरियड कम से कम तीस साल के लिए आगे और बढ़ाना चाहिए । या तो आप यह कह दीजिए कि इन हरिजन आदिवासियों की हालत सुधर गई है : प्रधान साहब तो कह सकते हैं कि सुधर गई है लेकिन हिन्दुस्तान का कोई आदमी इस बात को नहीं मानेगा ····· (**व्यवधान**) ········।

बहुत अच्छी बात है अगर आप इस में मेरा समर्थन करते हैं । मैं यह समझता हूं कि यह बिल रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने के लिए आ जाना चाहिए था । अभी नहीं आया तो अगले मानसून सेशन में आ जाना चाहिए ।

प्रधान साहब की एक बात का म और जवाब देना चाहता हूं । वह कहते है कि पोलिटिकल फील्ड में कहां अनटचेबिलिटी बरती गई है, कहाँ ज्यादती बरती गई है ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जम्मू और काश्मीर में हरिजन नहीं रहते ? जम्मू काश्मीर का कौन सा मेम्बर पार्लियामेंट हरिजन आदिवासी जाति का यहां बैठा है ? क्या जम्मू और काश्मीर के हरिजन और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व यहां नहीं होगा चाहिए । लाज़िमी तौर पर होना चाहिए । यह बिलकुल नाइंसाफी की बात है । अन्डेमान की आबादी । एक लाख कुछ हजार है जिस में 90 हजार के करीब हरिजन आदिवासी है । यह कहा गया कि वहां अनटचेबिलिटी नहीं है और केवल थोड़े से एबोरिजिनल्स को छोड़ कर बाकी को कहा कि ये ट्राइबल भी नहीं है । आप पोलिटिकल ग्राउन्ड पर उन को नहीं मानेंगे क्यों कि अगर उन की तादाद वहां मान ली जाय । शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज़ की तो वहां की एक ही सालिटरी

पार्लियामेंट्री सीट है, वह रिजर्व हो जाती है और उन के हाथ से यह सीट निकल जाती है। यह भी पोलिटिकल ज्यादती है। आसाम के लाखों आदिवासियों के बारे में वहां की गवर्नमेंट की एक अपनी रिपोर्ट है ... (व्यवधान) ... ।

मैं अक्सर वक्त से पहले अपनी बात खत्म कर के बैठ जाया करता हूं ? दो तीन मिनट मैं और चाहता हूं ।

आसाम गवर्नमेंट ने इन-राइटिंग यह कहा है कि इन शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को हम जानबूझ कर के पोलिटिकल रीजन्स के कारण शेडयूल्ड ट्राइब्ज नहीं मानते हैं । क्या यह पोलटिकल ज्यादती नहीं है ?

दिल्ली में पिछली गवर्नमेंट ने यह कानून पास किया है कि 1960 के बाद अगर कोई शेडयूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का आदमी दिल्ली में आ कर बसता है तो उस को यह शेड्यूल्ड कास्ट और शड्यूल्ड ट्राइब नहीं मानेंगे। अगर महाराष्ट्र का एक हरिजन 1965 में दिल्ली में आकर बसता है तो उस को दिल्ली वाले इसलिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं मानेंगे कि वह 1960 के बाद आए है और महाराष्ट्र वाले इसलिए नहीं मानेंगे कि वह 1965 के बाद वहां आ गए । क्या यह पोलिटिकल ज्यादती नहीं है ? लाजिमी तौर पर है ।

मैं एक छाटी सी मांग और करना चाहता हूं । यह बहुत जरूरी है, पार्लियामेंट के सेंट्रल हाल में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगनी चाहिए। बाबा साहब डा० अम्बेडकर की बहुत बड़ी देन है इस देश को । उन की फोटो वहां जरूर लगनी चाहिए और उन के जन्म दिन पर 14 अप्रैल को छुट्टी होनी चाहिए ।

लड रिफार्म्स के बारे में जितने भी एनैक्टमेंट होते हैं वह नाइन्थ शेड्यूल्ड में शामिल हो जायं तो इस से हरिजन और आदवासियों का बहुत बड़ा लाभ होगा ।

उन की एकोनामिक अपलिफ्टमेंट के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि सबबं इबल प्लान्स सरकार ने बनाए हैं । लेकिन डंशेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी सब-प्लान बनाना चाहिए उन को अपलिफट करने के लिए । जो डिस्ट्रीव्यूटिव एजेंसीज़ है उन में भी उन का हिस्सा मिलना चाहिए।

सर्विसेज़ में भी उन का बहुत बुरा हाल है । सर्विसेज़ में जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की रेप्रेजेन्टेशन है उस के थोड़ से आंकड़े मैं देना चाहता हूं। ये 1-1-1978 तक के आंकड़े हैं । क्लास वन कैटेगरीज़ में शेड्यल्ड कास्ट की रेप्रेजेन्टेंशन 4.5 परसेंट है और शेड्यूल्ड ट्राइब की 0.8 परसेंट है । यह लेटेस्ट है। क्लास टू म शेड्यूल्ड कास्ट की 6.44 परसेंट है और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की 0.88 परसेंट है । क्लास थ्री में शेड्युल्ड कास्टस 12.2 परसेंट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज में 2.8 परसेंट । बैंकों का इससे भी बुरा हाल है । 14 नेशनलाइज्ड बैंक्स का हाल और भी बुरा है। मेरा सुझाव है मैं ने एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल भी रखा है, सर्विसेज़ में इनकी हालत तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एक ऐक्ट नहीं होगा और उसमें पीनल कलाज भी होना चाहिए कि अगर

रिजर्व्ड पोस्ट के खिलाफ इनको नहीं लिया जाता है तो उस अफसर को 15 दिन की कैद होगी और हजार रुपया जुर्माना होगा ।

एजूकेशन के बारे में एक बात कहकर मैं बैठ जाऊंगा । शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडन्ट्स को, कई वार उनकी टर्म भी खत्म हो जाती है, लेकिन स्कालरशिप नहीं मिलती है । कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है कि शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेन्टस को एक न्टाइटिलमेंट कार्ड मिल जाता है जिसको दिखा कर हर महीने उन्हें एकालरशिप मिल जाती है । क्या देश भर में इस स्कीम को लागू नहीं किया जा सकता ? लागू किया जा सकता है और लागू करना चाहिए ।

जहां तक एडमीशंस की बात है, हर इंस्टीट्यूशन में इनका हिस्सा है लेकिन हिन्दुस्तान में एक ऐसी यूनिवार्सिटी भी है जोकि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ट ट्राइब्ज को कोई हिसा देना नहीं चाहती है । आप हैरान होंगे कि वह कौन सी यूनिवर्सिटी है । वह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी । वहां पर शुड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए कोई एडमीशन नहीं है मेडिकल कालेज या किसी भी फैकल्टी में । मैं कमिश्नर की रिपोर्ट से रेलिवेन्ट पोर्शन पढ़कर सुना रहा हूं :

"हालांकि अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे कुछ ऐसे विश्वविद्यालय है, जिन्होंने भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन करना प्रारम्भ नहीं किया है । आन्ध्र के कुछ प्राइवेट मैडिकल काजिलों में ...."वहां पर प्राइवेट कालेज और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमीशन नहीं देते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और सुधार हुए है वहां यह सुधार भी होना चाहिए कि हरिजन आदिवासियों को मेडिकल कालेज और दूसरी फैकल्टीज में उनका हिस्सा दिया जाए ।

इसी तरह से हाई कोर्टस में अभी तक सीनियर क्लास वन में रिजर्वेशन नहीं है । कांस्टीट्यूशन में यह कहीं नहीं लिखा है कि हाईकोर्ट में क्लांस वन में रिजर्वेशन नहीं होगा। इसलिए वहां पर भी रिजर्वेशन होना चाहिए ।

अनटचेबिलिटी ऐक्ट जो बना था उसमें कुछ अमेन्डमेन्टस की जरुरत है । उसके इंप्लीमेन्टेशन के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर 5 करोड़ रुपया रखा गया था लेकिन स्टेट गवर्नमेंन्ट्स ने एक नया पैस भीं खर्च नहीं किया। यहां पर केन्द्र मैं पार्लमट की एक कमेटी वनी हुई है, स्टेट्स में भी सी कमेटियां होनी चाहिए । तमिलनाडू में ऐसी कोई कमेटी नहीं है । सेन्टर की पार्लमेन्टरी कमेटी को न तो वे विल्लुपुरम में जाने देते है और न ही अपनी कोई कमेटी बनाते हैं । इसके लिए सेन्टर को स्टेट्स पर जोर देना चाहिए । मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी चीजों पर एक्शन लिया जायेगा । धन्यवाद।

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति: सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों को भारत सरकार द्वारा जो शैक्षिक सुविधायें प्रदान की गई है, मैं उनके बारे में ही अपने विचार प्रकट करुंगा । लेकिन उस विषिय पर चर्चा करने से पूर्व मैं संविधान की प्रस्तावना का कुछ अंश पढ़ता हूं:

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभूत्व सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों को : सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय," इत्यादि, तथा इसमें पद और अवसर की समानता भी सम्मिलित है। इसको संविधान की प्रस्तावना में यह व्यवस्था है।

इसके अलावा, अनुच्छेद 46 में यह बताया गया है :

"राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।"

इसमें कमजोर वर्गों के शब्दों का अर्थ केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों से ही नहीं है, बल्कि इसमें महिलायें भी सम्मिलित हैं। उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये तथा उनको शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये। जो शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें उनको प्रदान की जाती हैं उसके सम्बन्ध में आयोग ने एक टिप्पणी की है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारें भी इस बात का व्यापक प्रचार कर रही है कि हरिजनों तथा आदिवासियों को प्रथम दर्जे से लेकर उच्च अध्ययन तक, शिक्षा सम्बन्धी सूविधायें दी जाती हैं। यह बात सत्य हो सकती है, लेकिन इसको सही रुप में क्रियान्वित नहीं किया जाता है। क्योंकि वर्ष 1976 में भारत सरकार ने एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि एक परिवार के दो से अधिक व्यक्तियों को वजीफा नहीं दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं आयोग द्वारा पृष्ठ 93 पर की गई टिप्पणी को पढ़ रहा हूँ इसमें कहा गया है :

"किसी परिवार में मैट्रिक पास करने के पश्चात् कितने बच्चों को मिल सकती है इस बारे में विभिन्न राज्य सरकारों तथा शिक्षा संस्थाओं द्वारा जानकारी मांगे जाने पर केन्द्रीय गृह मन्त्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि एक परिवार में इन छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने के लिए दो से अधिक बच्चे पात्र नहीं होंगे। यह एतदद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रतिवन्ध दो बच्चों के लिए किसी विशेष समय के लिए नहीं है, बल्कि यह प्रतिबन्ध उस परिवार के दो बच्चों पर हमेशा के लिये लागू होगा।"

इससे आपको मालूम होगा कि एक हरिजन परिवार में मैट्रिक परीक्षा पास करने के पश्चात् दो बच्चों से अधिक वजीफा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। लेकिन मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि जिनका जन्म हो चुका है उनको शिक्षा सम्बन्धी सुविधायों को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। इसको भविष्य में लागू किया जाना चाहिये न कि पिछले समय से प्रभावी होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैंने 4-11-1978 को प्रधान मन्त्री, **श्री मोरारजी** देसाई को इस दृष्टि से एक पत्र लिखा था कि वे हरिजनों के हित की और ध्यान रखते हुए अवश्य ही कुछ करेंगे। मैंने पाबन्दी लागू करने वाले परिपत्र का हवाला देते हुए, उनसे यह अनुरोध किया था कि :

"महोदय, इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय तथा पैरा 12 के अन्तर्गत उपरोक्त शर्त को कम से कम अनुसूचित जातियों तक तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के सम्बन्ध में लागू न किया जाय । इसे आपके नेतृत्व में जनता सरकार की ओर से नव वर्ष पर उगडी उपहार के रुप में विशेष प्रोत्साहन स्वरुप माना जाये ।"

मैंने उनको 4-11-1978 को एक पत्र लिखा था जिसमें यह अनुरोध किया था कि जनता सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को नव वर्ष पर इसे उंगडी उपहार माना जाये । मैं चाहता था कि इन नियम को पूर्णत: लागू न किया जाये अथवा यदि यह संभव न हो सके तो विशेषकर महिला विद्यार्थियों के सम्बन्ध में इनको लागू न किया जाए । प्रधान मन्त्री जी ने दिनांक 9 नवम्बर, 1978 के पत्र द्वारा निनलिखित उत्तर दिया :-

"मुझे आपका पत्र मिल गया है । आपने अनुरोध किया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सुपात्र बच्चों की संख्या पर मैट्रिक परीक्षा पास करने के पश्चात वजीफा प्राप्त करने के सम्बन्ध में जो पाबन्दी लगी हुई है, उसे लागू न किया जाय तथा विशेषकर महिला विद्यार्थियों के मामले में लागू न किया जाए मैं आपके सुझावों पर विचार करुंगा।

मुझे पूरी उम्मीद थी कि महिला विद्यार्थियों के मामले में वे सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनायेंगे।लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया । बाद में, उन्होंने दिनांक 12 दिसम्बर, 1978 के पत्र द्वारा नकारात्मक उत्तर दिया। उन्होंने ऐसा न करने का कारण स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि इस मामले में नियम में ढील दी जाती है तो बजट धनराशि में और वृद्धि करनी होगी । इसलिये वे इस नियम में ढ़ील देने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए ।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरिजनों के लिये पृथक विश्वविद्यालय नहीं हैं । अन्य समुदायों तथा अल्पसंख्यकों की भांति हरिजनों के लिये पृथक कालिज अथवा हाई स्कूल नहीं हैं, इसके बावजूद, यदि आप ध्यान दें। तो मालूम होगा कि वे इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्हें और अधिक सुविधायें, अधिक रियायतें दी जायें तथा और अधिक प्रोत्साहन दिया जाये । और सरकार देश के सभी अल्पसंख्यकों को सभी सुविधायें दे रही है । लेकिन सरकार, हरिजनों के मामले में एक इंच भी टस से मस नहीं हो रही है अथवा हरिजनों को रियायतें देने के लिये तैयार नहीं है । जिसके लिये मुझे अत्यन्त खेद है ।

आपको मालूम ही है कि महिलाओं को शिक्षा देने के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री जी ने क्या कहा था । दिनांक 26 दिसम्बर, के टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली समाचार-पत्र में निम्नलिखित समाचार प्रकाशित हुआ था :

"प्रधान मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने उत्तर प्रदेश के पांच मुस्लिम बालिका हाई स्कूलों के प्रधानाचार्यों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षाओं में विशिष्ट परिणामों के लिये पुरस्कार दिये ।

प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि महिलाओं में विशेषकर मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है क्योंकि बहुत से मां-बाप अपनी लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिये नहीं भेजते हैं ।

श्री देसाई ने यह आशा प्रकट की कि पुरस्कार देने की पृथा का देश के और क्षेत्रों तक भी विस्तार किया जायेगा ताकि अधिक से अधिक मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में जाने का प्रोत्साहन मिल सके ।"

हमारे प्रधान मन्त्री जी का मुस्लिम लड़कियों के प्रति ऐसा सहानुभूतिपूर्वक रवैया है । जबकि उनके लिये पहले से ही पृथक मुस्लिम हाई स्कूल, मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा मुस्लिम कालिज मौजूद हैं । मैं मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय अथवा किसी अन्य समुदाय से ईर्ष्या प्रकट नहीं कर रहा हूं । उनको सभी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । लेकिन प्रधान मन्त्री जी क्यों एक स्थान पर ऐसे विचार प्रकट करते हैं और मुझे एक भिन्न उत्तर देते हैं ।

मैंने यह मांग करते हुए उन्हें विशेष रुप से लिखा था कि वे इस नियम में ढील यह क्यों नहीं कर देते हैं किसी भी हरिजन परिवार में मैट्रिक के बाद दो बच्चों से अधिक को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी । उनका कहना है कि ऐसा तो 1976 में ही कर दिया गया था । परन्तु क्या आप पहली सरकार द्वारा बनाये गये बहुत से अधिनियमों को निरस्त नहीं कर रहे हैं ? क्या आपने संविधान में किये गये संशोधन को निरस्त नहीं किया है ? क्या आप भूतपूर्व सरकार द्वारा किये गये कार्यों के बिल्कुल विपरीत विशेष अदालतों की स्थापना नहीं कर रहे हैं ? क्योंकि पिछली सरकार ने कुछ गलतियां की थीं उस बात को ध्यान में रखते हुए हरिजनों को दो से अधिक बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिये, परन्तु उन्होंने ऐसा किया इसका अर्थ यह हुआ कि हरिजनों की जनसंख्या घटनी चाहिये, और हरिजन समाप्त हो जायें और इस देश में उन पर अत्याचार हों । इस परिपत्र का यही तो उद्देश्य है । इसीलिये तो उनका कहना है कि मैट्रिक के बाद दो से अधिक बच्चे छात्र-वृत्ति पाने के अधिकारी नहीं हैं । परन्तु क्या यह इस सरकार के लिये अच्छा नहीं होगा कि जैसे उन्होंने भूतपूर्व सरकार की कई और बातों पर पुनर्विचार किया है वैसे ही इस समस्या पर भी पुनर्विचार करें ? अत : आप इस समस्या पर पुनर्विचार करने के विरुद्ध हैं । आपने वह तो सुना ही होगा, जो कुछ प्रधान मन्त्री महोदय ने मुसलमान कन्याओं की शिक्षा के बारे में क्या कहा है । वह उन्हें तो हर प्रकार के लाभ और प्रोत्साहन देने को तैयार हैं परन्तु वे इस नियम में ढील देने को राजी नहीं हैं कि हरिजन परिवार के दो से अधिक बच्चों को छात्र-वृत्ति देने पर रोक लगायें । हरिजन समुदाय की सहायता करने का प्रधान-मन्त्री महोदय का यही ढंग है । वे गांधीवादी हैं और मेरा विचार था कि जो कुछ वे संभाषण करते हैं उसे व्यावहारिक रुप देंगे । यहां मेरा उनसे मत-भेद है । वह एक कठोर व्यक्ति हैं । वे ऐसा कोई भी कदम उठा सकते हैं जो उनके विचार से सही हो परन्तु इस मामले-विशेष में उनका रवैया विपरीत ही है ।

मेरे मित्र श्री सूरजभान तथा अन्य सदस्यों ने यह बात उठाई थी कि अन्य समुदायों के लिये तो बहुत से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं परन्तु अनुसूचित जातियों के लिये कोई महा-

विद्यालय नहीं है । इस मामले से मुझे बहुत ही खेद हैं। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में एक बार शिक्षा मन्त्री महोदय को लिखा था । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई सहायता करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी और कहा कि विश्वविद्यालयों उसके सीमा क्षेत्र में नहीं आते । विश्वविद्यालयों पर फिर किसका नियंत्रण है या वे किसकी कार्य सीमा में आते हैं । विश्व-विद्यालयों पर नियन्त्रण कौन करता है ? क्या केन्द्रीय सरकार अथवा वि० अ० आ० का इन पर नियन्त्रण है ? वि० अ० आ० अधिनियम में कुछ निरीक्षण का प्रावधान है, यह केवल धन वितरण करने की एजेंसी मात्र ही नहीं है । इससे पर्यवेक्षण की शक्तियां प्राप्त हैं । ऐसे विश्व विद्यालय भी हैं जहां प्रति व्यक्ति फीस दिये बिना हरिजनों को प्रवेश नहीं दिया जाता। ऐसे आयुर्विज्ञान-महाविद्यालय भी हैं जहां हरिजनों को बिल्कुल भी प्रवेश नहीं मिला है । क्या आप इन बातों पर विचार नहीं कर रहे हैं ? वे कहते हैं कि वह तो निजी महाविद्यालय है । मैं विल्लौर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का दृष्टांत प्रस्तुत कर सकता हूं जहां अनुसूचित जातियों के लिये कोई आरक्षण नहीं है । मनीपाल के कालिज में भी कोई आरक्षण नहीं है । ऐसे बहुत से आयुर्विज्ञान महा-विद्यालय हैं जहां अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है जबकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने और सरकार ने कई बार उनको लिखा है कि उन्हें भी आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिये । उन्होंने अपने निर्देश भी जारी किए । ऐसे कालिजों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है । उनका कहना है कि वे असहाय है सरकार कहती है कि वह भी इसलिये कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वे स्वायत निकाय हैं । यह कैसा स्वायत निकाय है ? ऐसे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए सरकारी या सार्वजनिक सहायता बन्द होनी चाहिये । इन सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान और धन प्राप्त होता है । उनका कहना है कि यह एक निजी महाविद्यालय है और उनका अपना है जो कि स्वायत निकाय है । उससे आपका क्या तात्पर्य है ? आप उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं करते जो हरिजनों के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के खिलाफ हैं ?

अत: मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब जनता सरकार ने उन सभी पुराने अधि-नियमों और विनियमों को निरस्त करने में इतनी अधिक रुचि दिखाई है तो, वे नये विनियमों में ढील क्यों नहीं दे रहे या वे हरिजन परिवार में मैट्रिक के बाद दो से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति न देने वाले इस नियम में ढील देने से क्यों कतरा रहे हैं । यह तो बड़ी ही खेद-जनक बात है । अब मैं मन्त्री महोदय, जनता सरकार और जनता सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इन समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और यह देखें कि इस नियम में ढील दी जाये जिससे शैक्षणिक तथा आर्थिक और सामाजिक रुप में अधिकाधिक हरिजन बच्चे लाभान्वित हो सकें ।

आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर (बम्बई उत्तर-मध्यम) : सभापति महोदय, यह जो कमी-शन की रिपोर्ट आयी है हम देखते हैं कि इस पर भाषण करने वाले मैजारिटी में हमारे शैड्यूल्ड कास्टस, के हीं लोग हैं, और हाउस में इतने कम लोग हैं। एडजर्नमट मोशन लाएंगे, और भी

कुछ करेंगे, लेकिन अब असली सवाल आता है तब लोगों को बोलने का समय नहीं मिलता, और अधिक सदस्य भी यहां मौजूद नहीं हैं। ऐसा लगता है कि शैड्यूल्ड कास्टस का सबजेक्ट भी शैडयूल्ड कास्ट हो गया है उस पर किसी को इंटरैस्ट नहीं है।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह साल ऐंटी-अपारथीड इयर है। हमने देखा है कि हमारे नेता बाहर जा कर के ऐंटी अपारथीड के बारे में बात करते हैं, हर जगह जा कर कहते हैं कि नीग्रो और साऊथ अफ्रीकन्स के ऊपर होने वाले अत्याचार बन्द होने चाहिए। लेकिन खुद के देश में जो अत्याचार होता है उसको सुनने के लिए कान नहीं है, देखने के लिए आंखें नहीं है और बोलने के लिएमुंह में जबान नहीं है। यह हमारे देश में चल रहा है। इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए । माननीय प्रधान जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि अनटचेबिलिटी हमारे देश में नहीं है। तो क्या है ? उन्होंने कहा कि कहां है अनटचेबिलिटी ? आप भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह बर्ताव में, जौब देने में, कानून में अन-टचेबिलिटी है। हर जगह, हर क्षेत्र में, हर स्तर पर अन-टचेबिलिटी है। हम कितने भी कानून बनाएं वह इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं और गारन्टी नहीं है हमारे शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कि उनकी रक्षा हो जाय।

हम तो यह देखते हैं कि जो अत्याचार हो रहे हैं, वह जातीय वर्ण के आधार पर हो रहे हैं। उनमें भी बहुत से अत्याचार आर्थिक ढांचे की वजह से हैं, जो इन्ट्रेस्टेड लोग हैं, वह अपने हाथ में यह व्यवस्था रखना चाहते हैं, इसलिए भी दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। यहां के दलित खेत मजदूर और गरीब मजदूर हैं। पहले खेत मजदूरों को काम दिया जाता था कि चलो हमारा आंगन साफ करो, हमारा गन्दा काम करो। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लीडर हो गये, उन्होंने कह दिया कि तुमको यह काम नहीं करना चाहिए। जब से उन्होंने यह काम करने से इन्कार कर दिया, तब से उन पर अत्याचार बढ़ गये हैं, क्योंकि वेस्टेड इन्टरेस्ट चाहते हैं कि उन्हें यह काम करना चाहिए।

आज देहात में जो हरिजनों पर अत्याचार होते हैं, ज्यादा अत्याचार उनको जो जमीनों का कब्जा मिलता है, उस जमीन से उठाने के लिए होते हैं। कंझावला में क्या हुआ ? दलितों को जमीन दे दी गई और जो वैस्टेड इन्टरस्ट के लोग हैं, समाजवाद की बात करने वाले, किसान सम्मेलन के नाम से जाते हैं और कहते हैं कि कंझावला की जमीन दलितों को नहीं देनी चाहिए। इसीलिए प्रधान मंत्री के घर पर मोची भी निकाल दिया गया। इसलिए कि वह आर्थिक ढांचे को तोड़ना नहीं चाहते, उसे कायम रखने के लिए यह दलितों को दलित रखना चाहते हैं।

आदिवासी औरतों पर अत्याचार होता है। बहुत जगह अत्याचार एक्सप्लायटड लेबर पर होता है। मजदूरी का काम करने वाली औरतों पर हमला हुआ वहाँ ब्लात्कार भी हुआ। लोगों ने सोचा कि आदिवासी हरिजनों पर अत्याचार करेंगे, ब्लात्कार करेंगे तो कौन पूछने वाला है। यह एक्सप्लायटड लेबर के साथ होता है और उनकी एक्सप्लायटेशन चालू रखने के लिए यह सब होता है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए।

रिजर्वेशन आज होने चाहिए, लेकिन इससे यह सवाल हल होने वाला नहीं है। आर्थिक ढांचा बदल कर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के हाथ में जिन्दा रहने का साधन आप नहीं देते और कुछ नहीं देते। उनको इक्वल अपार्चुनिटी नहीं मिलती है। इस तरह से खाली रिजर्वेशण से उनका सवाल हल होने वाला नहीं है।

रिजर्वेशन भी क्या है। जो हमारे यहां बेकारी बढ़ी है, हमारे बेकार नौजवान हैं, उनके सामने क्या रखते हैं कि यह हरिजन रिजर्वेशन की मांग करते हैं इसलिए तुमको नौकरी नहीं मिलती है। गलतफहमी पैदा करके जानबूझकर हरिजनों और बेकार लोगों में झगड़ा पैदा करते हैं। आप देख कि रिजर्वेशन से भी उनको कितनी जाब मिलती हैं। 75 साल में बेकारी बढ़ती है 3.24 लाख और 1975 साल में 4 लाख लोगों को नौकरी मिली। 93 लाख बेकार थे लेकिन 4 लाख 400 लोगों को आर्गेनाइज्ड सैक्टर में नौकरी मिली। उनमें केवल 19 हजार शिड्यूडल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोग थे। इसलिए रिजर्वेशन में भी उनको कुछ मिलता नहीं है। आप कहते हैं कि रिजर्वेशन फैल गई है इसलिए जाब नहीं मिलता है। बढ़ती हुई बेकारी को छिपाने के लिए शिडयूल्ड कास्टस और दूसरों में झगड़ा पैदा कराया जाता है। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन बहुत दिनों तक चलना चाहिए। उनको कुछ थोड़ी सहूलियत देने की बात है। आप अगर फिगर्स देखेंगे तो पता चलेगा कि सहलियत मिलती है। मेरा कहना है जन्म से ही उनको सहूलियत देनी चाहिए। शिक्षा के वक्त सहूलियत देने से कोई फायदा नहीं है। 6 से 11 साल का बच्चा 11 साल के बाद कमाने के लिए जाता है क्योंकि घर में उसको खाना नहीं मिलता है।

स्कूलों में एडमिशन पाने वाले छात्रों के आंकड़े इस प्रकार हैं: 1968-69—स्टैण्डर्ड 1 से 5, 6 से 11 वर्ष की उम्र, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा दूसरे बच्चे: 453.24 लाख और 82.80 परसेंट, 1973-74 में 534.53 लाख और 90.70 परसेंट। इसके मकाबले में शिडयूल्ड कास्ट्स के बच्चों की संख्या 1968-69 में 65.20 लाख और 64.10 परसेंट, और 1973-74 में 68.95 लाख और 68.90 परसेंट थी।

स्टैण्डर्ड 6 से 8, 11 से 14 वर्ष की उम्र, शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्ज़ के अलावा दूसरे बच्चे: 19768-69 में 110.51 लाख और 1933-74 में 130.64 लाख इसकी तुलना में इन सालों में शिडयूल्ड कास्ट्स के बच्चों की संख्या 11.19 लाख और 12.16 लाख थी।

स्टैण्डर्ड 9 और उससे ऊपर, 14 से 17 वर्ष की उम्र, शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के अलावा दूसरे बच्चे: 1968-69 में 55.56 लाख और 1973-74 लाख 67.11 लाख जबकि इन सालों में शिडयूल्ड कास्ट्स के बच्चों की संख्या 4.58 लाख और 5.75 लाख थी।

इन फ़िगर्ज़ से पता चलता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चे 11 साल के बाद अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए जाना पड़ता है। इस लिए जब तक इन लोगों के आर्थिक सवाल को हल नहीं किया जायेगा, तब तक चाहे उन्हें

कितनी सुविधायें, किताबें और पैसा दिया जाये, तब तक कुछ नहीं होने वाला है । उनकी फ़ैमिलीज़ ज़िन्दा रह सकें, इस के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए ।

जहां तक सर्विसिज़ का सम्बन्ध है, 1975 में प्रथम श्रेणी में शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की संख्या 0.78 परसेंट, द्वितीय श्रेणी में 0.54 परसेंट, तृतीय श्रेणी में 1.33 परसेंट और चतुर्थ श्रेणी में 4.30 परसेंट थी ।

मैंने खुद महाराष्ट्र में देखा है कि एक जगह तीन लड़के नौकरी के लिए आये । उनमें से एक ब्राह्मण, दूसरा मराठा और तीसरा शिड्यूल्ड कास्ट्स का था । ब्राह्मण को टेलीफोन आपरेटर की नौकरी दी गई, मराठा को लिफ्ट चलाने की नौकरी मिली और शिड्यूल्ड कास्ट के लड़के को, जो एम० ए०. पास था, झाड़ू देने की नौकरी मिली । आज भी यह हो रहा है। हम ने महाराष्ट्र के चीफ़ मिनिस्टर को लिखा कि इस की जांच करें । नौकरियां में अब भी यह डिसक्रिमिनेशन हो रहा है । एम० ए० पास लड़के को झाड़ू देने की जाब देते हैं और कहते हैं कि हम ने उनके लिए जाब्ज़ रिज़र्व की हुई हैं ।

सार्वजनिक क्षेत्र में शिड्यूल्ड कास्ट्स की संख्या 1975 में प्रथम श्रेणी में 1.44 परसेंट, द्वितीय श्रेणी में 3.02 परसेंट, तृतीय श्रेणी में 13.73 परसेंट और चतुर्थ श्रेणी में झाड़ू वालों के अलावा 26.29 परसेंट थी । इसका अर्थ यह है कि आज भी हम कहते हैं कि ये लोग इसी जाव के लायक है और उन्हें यही काम करना चाहिए । सार्वजनिक क्षेत्र में वही स्थिति हैं । बैंकों में क्लर्कों की श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का प्रतिनिधित्व सिर्फ़ 0.81 परसेंट है और रिज़र्व बैंक में 2.39 परसेंट है । रिज़र्व बैंक तो सैंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है । वहां इन लोगों की सख्या क्यों नहीं बढ़ाई जाती है ? सरकार को यह काम अपने घर से शुरु करना चाहिए, वर्ना यह काम नहीं होने वाला है ।

श्री सूरज भान ने एक बहुत अच्छा पायंट बताया है । मैं भी कहना चाहती हूं कि हरिजनों पर जो अत्याचार होते हैं, आखिर में उनके बारे में क्या कार्यवाही होती है । कमीशन नियुक्त किये जाते हैं और वे पांच छः साल के बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं । महाराष्ट्र में गवई वंधुओं की दोनों आंखें निकाल दी गई । उसके बारे में क्या हुआ, यह पता नहीं है । अपराधियों को कितनी सज़ा हुई ? जिन लोगों ने उनकी आंखें निकाल दीं और उनकी बहन पर अत्याचार किया, उन्हें दो-दो महीने की सज़ा दी गई । इस तरीके से अगर सजा मिलेगी, इस तरीके से बर्त्ताव होगा तो अत्याचार बढ़ने वाले हैं । इस देश में न्याय मिलता ही नहीं है । 1975 में कत्ल हुए 346, सीरियसली हर्ट हुए 1268, बलात्कार 320, जला दिया 774 और दूसरे तरह के 4785 कुल 7493 इतने अत्याचार हो गए मर्डर को मिला कर । अभी तक एन्क्वायरी चालू है । अभी तक केस नहीं बने हैं । 1222 ऐसे मामले हैं जिन के ऊपर अभी तक केस फाइल नहीं हुए हैं, एन्क्वायरी चल रही है, 75-79 तक चार साल हो गए । अभी तक हमारे अधिकारी वर्ग को कौन गुनहगार हैं यह देखने का टाइम नहीं मिला है । इतना ही नहीं अभी चार्जशीट दी है, कितने केसेज़ में 4661 । तो क्यों नहीं अत्याचार बढ़ जाएंगे ? क्योंकि अत्याचार करने वालों को लगता है कि हम करेंगे, कौन हमें पूछने वाला है, कौन हमें सजा मिलने वाली है ? हमें प्रोटेक्शन पुलिस से मिलता है हमें प्रोटेक्शन

गवर्नमेंट से मिलता है । अभी परसों हम ने देखा एक आदमी को मार खानी पड़ी । उस का गुनाह क्या था ? वह बोले कि घोड़े पर सवार हो कर बारात में आया इस लिए उसको मार खानी पड़ी । घोड़े पर सवार होना भी इस देश में अगर गुनाह होता है और उस के लिए किसी को मार खानी पड़ती है तो इस देश में दूसरा कुछ होने वाला नहीं है ।

ऐंटी एपार्थीड ईयर यह चल रहा है । अगर इस देश में ऐंटी एपार्थीड ईयर हम सच्चाई से मनाना चाहते हैं तो इन्होंने जो सुझाव दिया है इस को अमल में लाना चाहिए । हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उन के लिए स्पेशल कोर्ट आप को बनानी चाहिए और ऐंटी एपार्थीड ईयर में यह करना चाहिए । आप इंटरनेशनल वीमेन ईयर में उन के लिए करते हैं, इंटरनेशनल चील्डरेन्स ईयर में उन के लिए करते हैं तो ऐंटी एपार्थीड ईयर यह है इसमें आप स्पेशल कोर्ट बनाएं और जहां सजा देने की बात है, अगर प्राइमाफेसी केस हो तो उन को पकड़ना चाहिए, नहीं तो हरिजनों में कोई विश्वास ही नहीं पैदा होगा ।

आखिर में मैं एक प्वाइंट महाराष्ट्र का खास तौर से आप के सामने रखना चाहती हूं । बहुत सारे हरिजनों ने और बाबा साहब डा० अम्बेडकर ने भी कहा कि मैं हिन्दू धर्म छोड़ देता हूं क्योंकि इस में अन्याय होता है, बुद्ध धर्म स्वीकार करता हूं । बुद्ध धर्म स्वीकार करते हुए भी उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर रहा हूं ? क्योंकि हिन्दू धर्म में सब को देवता समझते हैं, पेगम्बर को एक को खुदा का लड़का और एक को खुदा का अवतार कहते हैं । लेकिन बुद्ध धर्म ही ऐसा है जिस में वह खुद को मानव समझते हैं क्योंकि बुद्ध खुद को मानव कहते हैं । लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि आज नियों-बुद्धिस्ट्स को कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। जो नियो-बुद्धिस्ट बन गए हैं उन की सहूलियतों को ले लेना ठीक नहीं है। उन को ये सब सहूलियतें मिलनी चाहिएं और केन्द्रीय सरकार को उन्हें यह देना चाहिए। इतना ही नहीं गुजरात के अन्दर जो चमार को हम ने कांस्टीच्यूशन अमेंड करके शेड्यूलु कास्ट से निकाल दिया, यह मेरी समझ में नहीं आता। कहते हैं कि वह बहुत पैसे कमाने लगे, बहुत वह पैसे वाले हो गए हैं, इस कारण उन को शेडयूल्ड कास्ट की लिस्ट से निकाल दिया । मेरा यह कहना कि उन को फिर इस लिस्ट में लेना चाहिए।

दूसरा मेरा यह कहना है कि कोई संस्था अगर ऐसी है जो इस मामले में अच्छा काम कर रही है तो उस को सहायता देनी चाहिए। मेरे पास यह सूचना आई है कि बंधुवा मजदूरों के बारे में और औरतों के बारे में नेहरू युवक केन्द्र काम कर रहा है। ऐसी संस्थाओं के काम की रिपोर्ट आप को मंगवानी चाहिए और उन को कुछ मदद वगैरह देनी चाहिए।

जहां-जहां जमीन का सवाल हो, उस को आप देखें। पहले हम ने कहा कि 4 करोड़ एकड़ जमीन हमारे पास ज्यादा है। बाद में कहा कि चार करोड़ नहीं है, 2 करोड़ ही है। फिर बाद में कहा कि 26 लाख है और अब हमारी गवर्ननमेंट कहती है कि 11 लाख एकड़ है। यह 11 लाख एकड़ जब ड्रिस्ट्रीब्यूट करने जायं तो उन को उस में प्रेफरेंस मिलना चाहिए। जब उनके पास जमीन होगी तो उन को कुछ रहने का अधिकार मिलेगा। ये सवाल इस तरीके से आप हल करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूं।

श्री आर० एल. कुरील (मोहनलाल वर्मा) : सभापति महोदय, आज शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइज़ की रिपोर्ट पर बहस हो रही है और यह 74 से 77 तक तीन साल की रिपोर्ट है ? एकदम से एक गट्ठर को डिस्कस करने के लिए हम उपस्थित हैं। पांच वर्ष के बाद बहस हो रही है । इसी से सरकार के इरादे का पता चलता है और वह भी बहुत कुछ लड़ने झगड़ने के बाद यह बहस हो रही है ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

जहां तक नौकरियों का सवाल है, इमर्जेन्सी के दौरान शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लोगों को मर्जी के मुआफिक निकाल दिया जाता था परन्तु अभी भी उन पर से यह इमर्जेन्सी समाप्त नहीं हुई है । अभी भी मर्ज़ी मुआफिक लोगों को निकाल दिया जाता है। मैं एक केस आपको बताना चाहता हू, श्री बी० डी० कुरील, डिप्टी मैनेजर, एफ० सी० आई० को अभी 2-1-1979 को बिना चार्जशीट के जवाब प्राप्त हुए ही निकाल दिया गया जोकि असांविधानिक है । तो इस तरह की चीजें अभी भी ही रही हैं ।

गोहत्या के बारे में बिनोबा जी जैसे लोग फास्ट करते हैं । चिड़ियों को मारना भी एक इन्टनेशनल इश्यु बना दिया जाता है परन्तु जब इन्सानों को मारा जाता है, उनको कुत्तों और बिल्लियों से भी बदतर समझा जाता है, उनकी बहू-बेटियों की इज्ज़त लूटी जाती है तब कोई भी महात्मा, पुजारी या धर्मातमा एक शव्द भी नहीं कहता, उसके लिए कोई भी फास्ट करने के लिए नहीं आता ।

मेरा निवेदन है कि शेडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज़ के लोगों पर सर्विसेज़ में या अन्य क्षेत्रों में अत्याचार होते हैं, बेलची और दूसरे इंसीडेन्ट्स हुए तो पार्लमेंट में उन पर डिस्कशन हुआ लेकिन डिस्कशन के बाद उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता ।

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

अगर हम रोते भी हैं तो लोग समझते हैं कि हम गा रहे है । जब हम भूखे होते हैं तो समझते है कि उपवास कर रहे हैं, अपने शरीर को ठीक करने के लिए । जब हम नंगे होते हैं तो कहते हैं धूप-स्नान कर रहे हैं । हमारी तकलीफें दूसरों को कुछ नयी बात ही नज़र आती हैं ।

हमारे प्रधान जी ने कहा कि अत्याचार कुछ नहीं हो रहे हैं, छूत-छात कुछ भी नहीं हैं । जो यहां पर पार्लमेंट के मेम्बर बनकर आए हैं यदि उनकी ही मनोभावना ऐसी हो तो समझ में नहीं आता इस देश का क्या होगा ? किस प्रकार से उन लोगों पर अत्याचार रुकेंगे प्रधान जी तो मन्त्री भी रह चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमन कुरील आप सोमवार को अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

स्थगन प्रस्ताव

अलीगढ़ विश्व-विद्यालय के विद्यार्थियों पर किये गये आक्रमण का कथित मामला

अध्यक्ष महोदय : अब हम स्थगन प्रस्ताव पर विचार करेंगे। मेरे विचार से बोलने वालों की संख्या अधिक होगी। अतः नियम 63 के अन्तर्गत मैं प्रत्येक भाषण के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित कर रहा हूं। बोलने वाले बहुत हैं। श्री बनतवाला शुरू करें।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोनानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम अपने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने हेतु सभा का धन्यवाद करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

मैं चाहता हूं कि सभा अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नांकित विशिष्ट मामले पर चर्चा करे अर्थात् अलीगढ़ विश्व-विद्यालय के उन छात्रों पर जो कि 9 मई, 1979 को रेलगाड़ी से संशोधन-विधेयक से सम्बद्ध अपना विरोध प्रकट करने वाली रैली के लिए दिल्ली आ रहे थे पर शर्मनाक, प्रचण्ड और योजनाबद्ध सशस्त्र आक्रमण जिसमें आग्नेय-शस्त्रों का खुलकर प्रयोग हुआ जिसके परिणामस्वरूप कुछ छात्र घायल हो गए और कुछ अभी तक गुम हैं जबकि सरकार छात्रों की रक्षा करने और उनके विरोध प्रकट करने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने में असफल रही है जिससे अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय में आतंक फैल गया है।

महोदय, अलीगढ़ विश्व-विद्यालय के छात्रों पर जो अमानवीय और फासिस्टवादी आक्रमण किया गया है उसकी सभी ओर से कड़ी और स्पष्ट शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिए। यह बात अच्छी तरह समझ ली जानी चाहिए कि छात्रों ने सरकार द्वारा अलीगढ़ विश्व-विद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बनाए रखने से एकटूक अस्वीकार किए जाने के विरोध में दिल्ली में एक रैली आयोजित की थी। इस सदन में मेरा संशोधन अस्वीकृत हो गया, क्योंकि सरकारी पक्ष ने कठोर रवैया अपनाया था।

अध्यक्ष महोदय, सारे देश में, आक्रोश व्यथा और क्रोध की लहर व्याप्त है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के छात्रों का आंदोलन ठीक ही था। इस सदन में यह प्रभाव पैदा करने का प्रयत्न किया गया कि जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के कुलपति तथा अन्य अनेक लोग सरकार के अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय संशोधन विधेयक के हक में थे। आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री महोदय ने यह उद्धृत किया था और मैं तो कहूंगा कि गलत उद्धृत किया था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति डा० खुशरो ने विधेयक का स्वागत किया है। अतः यह स्वाभाविक था कि अपनी पढ़ाई के इस कठिन समय में यहां तक कि छात्रों को भी अपनी पढ़ाई छोड़ना आवश्यक हो गया, जिससे कि वे अपना विरोध प्रकट करके यह बात अच्छी तरह स्पष्ट कर दें कि जिस ढंग से अनुच्छेद 30(1) के अधीन प्राप्त लाभ और संरक्षण को मिटाकर अलीगढ़ विश्व-विद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है उससे उन्हें संतोष नहीं होगा। तदानुसार वे एक रैली आयोजित करना चाहते थे। उनका इरादा एक अत्यत ही शांतिपूर्ण रैली करने का था। यह बात तो इस तथ्य से

ही अत्यंत और स्पष्टरूप में ही झलकती थी कि जब उनकी मांग रद्द होने का उन्हें समाचार मिला तो उन्होंने एक रैली आयोजित करनी चाही। समाचार तो उन्हें शुक्रवार को मिला और सोमवार को ही उन्होंने रैली करनी चाही। बोनस की मांग करते हुए रेल-कर्मचारियों का एक प्रदर्शन हो ही चुका था। वे यह नहीं चाहते थे कि उनके साथ उनका किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा हो या अप्रिय घटना घटे। वे कभी भी इसके हक में न थे, क्योंकि ऐसे शरारती तत्व सदैव बने रहते हैं, विशेषकर फासिस्टवादी ताकतें जो उनकी रैली में भी विघ्न डालतीं। अत:, घोषणा के बावजूद उन्होंने अपनी रैली सोमवार से बुधवार को स्थगित कर थी और कल ही वे यहां पहुंचे। उन्होंने कई बसों में यहां पहुंचना शुरू किया। कई छात्रों ने सबेरे की रेलगाड़ी से यात्रा शुरू की। यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि गाड़ी अलीगढ़ से समय पर नहीं चली। कई शरारती लोग अलीगढ़ से ही गाड़ी में चढ़ गए थे। इन बदमाशों ने पिछले दो डिब्बों पर पूर्णरूप से कब्जा कर रखा था और वे लाठियों, हाकी स्टिकों, पत्थरों आदि से लैस थे। इन दोनों बोगियों के दरवाजे अच्छी तरह से अन्दर से चिटकनी लगाकर बन्द किए गए थे जिससे कोई व्यक्ति उनमें न चढ़ सके। स्वयं अलीगढ़ स्टेशन पर ही इसलिए चैन खेंची गई जिससे गाड़ी समय पर न छूट सके। गाड़ी तो अलीगढ़ स्टेशन से ही काफी देर से चली थी। यात्री गाड़ी होने के कारण, अनेक स्टेशनों पर इन बदमाशों की संख्या में वृद्धि होती गई और दादरी रेलवे स्टेशन के निकट अन्तिम फासिस्टवादी आक्रमण हो गया। चैन खींच ली गई। गाड़ी रोक कर कुछ बोगियां रेल से काट दी गईं। अलीगढ़ के छात्रों को अन्दर ही पीटा गया। उन्हें बाहर खींच कर बुरी तरह से भरी गाड़ी के सामने खेतों में पीटा गया। उन्हें लाठियों, छड़ों और डण्डों से पीटा गया। कई बार घटना की यह कह कर व्याख्या की गई है कि सवारियों में झगड़ा हो गया था। इस हास्यास्पद स्पष्टीकण पर तो ध्यान दीजिए। यदि इन यात्रियों और यात्रा कर रहे सकड़ों अलीगढ़ के छात्रों के बीच कोई सीधी लड़ाई हुई होती तो घायल तो वे कुछेक यात्री ही होते। परन्तु इसमें तो सैकड़ों से ज्यादा अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के छात्र घायल हुए, कई तो गम्भीर रूप से घायल हुए जोकि अभी भी अस्पताल में हैं। सैकड़ों ही छात्रों को अस्पताल अधिकारियों ने उपचार के बाद भेज दिया और बीस या इक्कीस अभी भी वहां हैं। चोटों में हड्डियां टूटी हैं और गहरे घाव लगे हैं। ऐसा बताया जाता है कि दूध बेचने वाले इन गूजरों तथा मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच झगड़ा हुआ। गूजरों के पास छड़ियां या हाकियां नहीं थीं। इन दूध वालों के पास छड़ियां या हाकियां नहीं थीं। वह लोग प्राय: पेंट कमीज या पेंट बुशर्ट भी नहीं पहनते हैं। यह तो पूर्व सुनियोजित आक्रमण था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कहा है कि छड़ियों, हाकियों तथा यहां तक की लोहे की सलाखों तथा बन्दूकों के साथ किया गया यह पूर्व नियोजित आक्रमण था। यहां यह भी बताया गया है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कुछ यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसा करना तो जले पर नमक छिड़कने के समान है। अध्यक्ष महोदय, आप मेरे साथ इर्विन अस्पताल चलिए जहां कि वह विद्यार्थी भर्ती है। पी० एच० डी०, एल० एल० एम०, चिकित्सा-विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों पर बेरहमी से आक्रमण किया गया। उन लोगों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोंटने के लिए उन पर आक्रमण किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल नहीं किया जा रहा है और जब इसे बहाल करवाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदशनों तथा जलसों

का आयोजन किया जाता है, तो उन लोगों पर फासिस्ट तरीके से आक्रमण किए जाते हैं। अलीगढ़ में इस शांतिपूर्ण आंदोलन की तैयारी गत दो या तीन दिन से की जा रही थी। मैं समझता हूं कि आसूचना विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया पुलिस भी विद्यार्थियों को किसी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध करवाने में असमर्थ रही ताकि वह शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली में जाकर रैली का आयोजन कर सकें। पुलिस घटना स्थल पर एक घंटा देर से आई। मैं वहां के स्थानीय ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि वही लोग दौड़ कर आए तथा विद्यार्थियों की सहायता भी उन्हीं ने की तथा उन्हें उन लोगों के हाथों से बचाया। कल मैं जैनुल अबुद्दीन नामक एक ऐसे ही विद्यार्थी का उल्लेख कर रहा था जिसे कि बड़ी बेरहमी से पीटा गया। स्थानीय लोगों ने उसे बचाया। उन्होंने उन विद्यार्थियों को स्थानीय स्कूल में सुरक्षा प्रदान की। उन्हीं लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया कि वह लोग और चिकित्सा के लिए दिल्ली आए।

इस अमानवीय आक्रमण की सभी वर्गों द्वारा निंदा की जानी चाहिए। उन लोगों की घड़ियां, उतार ली गईं तथा उनके जेबों में से पैसे निकाल लिए गए। वह इतनी अधिक लूट पाट की गई जिसका उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता और अब इन लोगों को इतना अधिक भयभीत किया जा रहा है कि वह लोग विरोध के लिए अपनी आवाज भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अब शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रकट करने के अधिकार को भी छीना जा रहा है। अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुस्लिम विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी समस्याओं को सांप्रदायिक रूप दिया जाता है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल करना, साम्प्रदायिक नहीं है। यह हिन्दू-मुसलमान की समस्या नहीं है। यह तो एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसे अपेक्षित कानूनी मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने 5 मिनट फालतू ले लिए हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला। मैं तो अभी बहुत कुछ कहना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : अभी बहुत से वक्ताओं को इस विषय पर बोलना है।

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं केवल इस घटना की भर्त्सना ही नहीं करता अपितु मंत्री महोदय के द्वारा इसके बारे में जो वक्तव्य दिया गया है, उस पर अपना आक्रोष भी व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने इतने गंभीर मामले पर इतने साधारण ढंग से अपना वक्तव्य देने का प्रयत्न किया है। फ़ासिस्ट शक्तियां देश में जितना जोर पकड़ गई हैं, वह निश्चय ही चिंता का विषय है। इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। इसकी पूरी जांच करवाई जानी चाहिए तथा इसके बारे में कड़े कदम उठाएं जाने चाहिए। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। देश के लोगों के जीवन तथा सम्मान को सुरक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाना चाहिए। लोगों के जीवन तथा सम्मान की सुरक्षा करने की वर्तमान सरकार की क्षमता के बारे में लोगों के मन में जो भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं,

उनके बारे में गंभीरता से विचार करते हुए, इस दिशा में कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि लोगों का विश्वास पुनः इस सरकार में बहाल किया जा सके।

श्री चिमनभाई एच० शुक्ल (राजकोट) : आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री बनातवाला जी को मैंने सुना, सन् 1946 में तो मैं छोटा था, लीग मैंने देखी नहीं थी, इसका दर्शन हुआ नहीं था, लेकिन आज उनको सुनकर लगा कि 1946 से पहले इससे अच्छा भाषण नहीं होता होगा। मोहम्मद अली जिन्ना भी ऐसी भाषा बोलते नहीं होंगे।

एक छोटा सा इंसीडेंट जो रेल का हुआ, अगर यह प्रीप्लैण्ड होता तो दादरी के पास गाड़ी क्यों खड़ी होती, पुलिस को पता क्यों नहीं चलता? गवर्नमेंट को पता चलता, सी० आई० डी० को पता चलता, लेकिन इस देश में आजकल वोटों के सौदागर पैदा हो गए हैं, जिन्होंने एमर्जेंसी में मक्खियों की तरह मुसलमानों को मारा है। वह आज रातों-रात हमदर्द हो गए हैं और जैसे गिद्ध आकाश में घूमता है कि कहीं मरा पशु मिल जाए तो खाएं, ऐसे ही वोटों के सौदागर, कहीं से भी वोट मिल जाए तो इस तरह से इस देश में माइनोरिटी में भय की ग्रंथि का उन्होंने निर्माण किया है। एक तरफ दोबारा सत्ता में आने का ख्वाब लोग देख रहे हैं। इन लोगों की हालत यह है कि आज देश में कहीं भी कुछ भी हुआ तो माइनोरिटी के नाम से दंगा-फिसाद कराने लगे और लोगों को बहकाना शुरू कर दिया है। यह बात नई नहीं है। इस देश में ऐसी घृणित राजनीति बहुत पहले से चली आ रही है।

मैंने आज के अखबार में यहां की मैट्रोपोलिटन काउंसिल की वाइस चेयरमैन बेगम खर्शीद किदवई का पत्र पढ़ा जो उन्होंने प्राइममिनिस्टर को लिखा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के जामा मस्जिद एरिया में किस तरह से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) किस ने?

श्री चिमनभाई एच० शुक्ल : अखबार पढ़ लीजिए जी।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : नाम दीजिए।

श्री चिमभ भाई एच० शुक्ल : नाम दूंगा, सब का दूंगा, आपका नाम भी नहीं छोड़ूंगा। मौका आएगा, सबका का नाम दूंगा। चिन्ता मत करो, घबड़ाने की जरूरत नहीं है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं कभी घबड़ाता नहीं।

श्री चिमनभाई एच० शुक्ल : आप काश्मीर से आ रहे हैं, आप कैसे घबड़ायेंगे जी? आपका भी इतिहास बहुत लम्बा चौड़ा है, वह भी आयेगा, चिन्ता मत करिए (**व्यवधान**) श्री राजनारायण का नाम भी आ जाएगा। इतना बड़ा नाम कैसे छूटेगा? उनका नाम छूटेगा नहीं। घबड़ाइए मत।

श्री राज नारायण : उन्होंने हमारा नाम लिया है। आज अखबार वालों को हमनेबयान दे दिया है कि यह बात केवल हमारे बारे में एक डायन ही कह सकती है।

श्री चिमनभाई एच० शुक्ल : यह बात जो हुई है, ट्रेन में कुछ झगड़ा हुआ है, बनातवाला साहब ने फरमाया कि ट्रेन में अलीगढ़ से कुछ लोग बैठे, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर विद्यार्थियों को शक था तो दादरी स्टेशन के पहले किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बताया

कि ऐसे ऐसे लोग अलीगढ़ से चले हैं और हमको डर है कि कुछ दंगाफिसाद होगा। इतना ही नहीं यह जो उनके लीडर्स हैं उनमें से किसी ने भी नहीं बताया। बी० एस० सी० के विद्यार्थी मुहम्मद तारीक हैं, वनस्पति शास्त्र के शोध के खान हैं, छात्र सघ के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद हैं और उसके सचिव श्री आरिफ हैं इन सब को और बड़े-बड़े लोगों को, जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मुझे बताया गया है वहां जाकर कहा कि आप बयान दो, और ऐसा बयान दो कि जिससे सनसनी फैल जाए और पार्लियामेंट में कुछ करके दिखाएं। लेकिन छात्रों ने इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी राजनीति को खुद चलाइए, आप हमको टूल बनाने की कोशिश मत करें। मेरा कहना है कि देश के सब लोग यह जान गए हैं इसमें जो लोग उभाड़ते हैं, उनको भी लोग पहचानते हैं, उनकी विश्वसनीयता, क्रैडि-बिल्टी खत्म होती जा रही है। अखबारों में उनका नाम जोकर के नाम से आता है। जब वह बाहर जाते हैं तो लोग देखने आते हैं कि वह जोकर कैसे हैं? कोई लोग उनको सुनने को आते हों, ऐसा नहीं है। तो यह राजनीति आगे चलकर देश का भला करने वाली नहीं ह।

मैं आपके जरिए इस सदन का ,और इस सदन के जरिए देश का, ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि सारे हिन्दी-भाषी प्रदेशों म संघ के नाम पर मुसलमानों को बहकाने की जो प्रवृत्ति चली है, उसका अंत कहां पर होगा, यह कहना मुश्किल है। इसलिए सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे इस बारे में सोचें। कौन मंत्री की गद्दी पर बैठता है और कौन वहां से हटता है, यह बात छोटी है। मैं समझता हूं कि मंत्री पद के लिए इतना छोटापन दिखाने वाला और देश तथा पार्टी के साथ गद्दारी करने वाला अभी तक कोई नहीं पैदा हुआ है। क्या मंत्री-पद कोई इतनी बड़ी बात है कि उसके लिए विदेश में बवंडर खड़ा कर दिया जाए, माइनारिटीज को उकसाया जाए और अपनी पार्टी को तोड़ने के प्रयास किए जाएं? यह देश इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को कहां तक सहन करेगा? **(व्यवधान)**

श्री चिमनभाई एच० शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य इस विषय पर अपने अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन कोई सदस्य किसी व्यक्ति पर आरोप लगाए और उसको जोकर कहे, क्या यह अच्छी बात है? **(व्यवधान)**

श्री चिमनभाई एच० शुक्ल: इस घटना के बारे में अखबारों में तीन चार वर्शन्ज आए हैं। उनमें से कौन सा वर्शन सच है और कौन सा झूठा है, इस बारे में मैं अपना कोई निर्णय नहीं देना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश की वर्तमान परिस्थितियों से राजनैतिक लाभ, पोलिटिकल गेम्ज, प्राप्त करने के लिए इतने निचले स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए। इससे न तो माइनारिटीज का और न देश का कोई फायदा होने वाला है।

जो कुछ हुआ है, उसकी जांच हो और श्री बनतवाला ने जो कहा है, उसकी भी जांच हो, मैं इसका समर्थन करता हूं, ताकि स्थिति का नाजायज फायदा उठाने के लिए जो प्रचार किया जा रहा है, उसका स्पष्ट चित्र देश की जनता के सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सभी सही तथ्यों की जानकारी हो जाए।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी दिल्ली आ रहे थे उनके साथ जो घटना घटी है वह बहुत ही दुखदाई है और बात ही अनफारचुनेट है। हमारे जो दोस्त, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जख्मी हुए, मैं उनके प्रति हमदर्दी का इजहार करना चाहता हूं और जिन लोगों ने ऐसा कांड किया है उनकी भर्त्सना, उनकी निन्दा करता हूं। इस देश के अंदर हर एक को अधिकार है कि वह अपनी मांगों को लेकर डिमांस्ट्रेशन करे और वे विद्यार्थी यहां डिमांस्ट्रेशन करने के लिए आ रहे थे। उनका पक्ष ठीक था या गलत था यह दूसरा सवाल ह। परन्तु वे डिमांस्ट्रेशन के लिए आ रहे थे, उनका अधिकार था कि दिल्ली में आकर डिमांस्ट्रेशन कर सकें और उनको इसके लिए पूरा सुविधा होनी चाहिए थी। परन्तु रास्ते में एक कांड हुआ जिसके विषय में सुबह गृह मंत्री जी ने बात सी बातें बताई। मैं कहना चाहता हूं कि यह काण्ड काफी दुखदाई है और आगे इस तरह के काण्ड न हों उसके लिए जिस तरह की भी कमेटी बनाने की जरूरत हो, चाहे पार्लियामेंट के मेम्बर्स की या जो भी, उसको बनाए या जुडिशियल इन्क्वायरी कराएं इम्पार्शल इन्क्वारी कराएं ताकि सही वातों का ठीक तरह से पता चल सके और जो भी दोषी हों उनको सजा दी जाए।

इस मौके पर मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूं जोकि ऐसे छोटे, बड़े किसी भी मामले को, अपने राजनीतिक स्वार्थ में अंधे होकर, अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए हिन्दू-मुसलमान या मेजारिटी माइनारिटी का सवाल बनाना चाहते हैं और इस प्रकार से जाने अनजाने ऐंटीसोशल एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं। पिछ! कई सालों में देश में इस तरह के जो दंगों को घटनाएं ई हैं उनको, कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, गलत दिशा देने की कोशिश की है। आखिर क्या बात है कि इतने सालों के बाद भी हिन्दुस्तान में आज भी माइनारिटी मेजारिटी का सवाल बना हुआ है, हिन्दू और मुसलमान अलग अलग रहे हैं। इसकी एक ही वजह है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए हिन्दू और मुसलमानों को नजदीक नहीं आने देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनमें लड़ाई होती रहे, दोनों में जहर पैदा होता रहे और अगर जहर पैदा होगा तो कुछ लाख वोट उनके पास चले जाएंगे।

जहां तक इस इंसीडेंट का सवाल है, पसेंजर्स के दो गुट थे जिनमें झगड़ा हुआ। जितने भी फैक्ट्स आए हैं, यू० पी० गवर्नमेंट से या रेलवे से, उसमें एक ही बात कही गई है कि दो ग्रुप्स का आपस में झगड़ा हुआ। इस तरह का झगड़ा बात निन्दनीय है परन्तु एक मिनट में यह कह देना कि यह प्री-प्लान्ड था, बड़ी भारी तैयारी थी, फायर आर्म्स थे, मैसकर हो रहा था—इसके द्वारा किसके इन्ट्रेस्ट्स सर्व करना चाहते हैं? कहीं पर जरा सी भी बात हो जाए तो मोहल्लों में जाकर भड़काने वाली बातें कही जाती हैं। मैं तो देखकर ररान हूं कि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अगर दंगे होंगे तो उनके राजनीतिक स्वार्थ बढ़ जाएगे। दंगा के लिए उनके मन में तड़प होती है। वे चाहते हैं कि दंगा हो जाए तो जाकर बता सकें कि हम तुम्हारे ब त बड़े समर्थक हैं और दूसरे लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। मैं समझता हूं वही लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं जोकि मेजारिटी और माइनारिटी का सवाल उठाते हैं और इलाकों में जाकर इस तरह की बातें करते हैं।

अभी यहां पर यह कहा गया पहले कि माइनारिटीज की रक्षा करना सिर्फ माइनारिटीज की ही जिम्मेदारी नहीं है। मैं समझता हूं यह मेजारिटी की जिम्मेदारी है कि माइनारिटी की सुरक्षा के लिए हर प्रकार के साधन मोहैय्या करें। परन्तु इस सम्बन्ध में जिस तरह का प्रचार किया जाता है वह ठीक नहीं ह। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि यू० पी० में सम्भल और बनारस, अलीगढ़ और जमशेदपुर को मिलाकर देखें, वहां पर माइनारिटीज के लोग ज्यादा मरें हों, ऐसी बात नहीं है। चारों दंगों में मेजारिटी के लोग ही ज्यादा मरे होंगे। फिर यह कहना कि माइनारिटीज का मैसकर हो रहा है, हिन्दुस्तान की सरकार और पुलिस भी ऐसा कर रही है—यह कहकर माइनारिटीज में जहर फैलाना—यह किसके इन्ट्रेस्ट्स को सर्व करता है? हिन्दुस्तान के बाहर भी ऐसी पिक्चर प्रोजेक्ट की जाती है कि जैसा हिटलर ने भी नहीं किया वैसा हिन्दुस्तान में माइनारिटीज के साथ हो रहा है। ऐसी धारणा जानबूझ कर फैलाने की कोशिश की जाती है। इस सम्बन्ध में आर० एस० एस० की बात बार-बार उठाई जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि पहले कुछ दिनों लगातार इस बात की कोशिश हुई कि आर० एस० एस० ——मुसलमानों के नजदीक आए और गलतफहमी दूर हो। परन्तु बहुत से दोस्तों को लग रहा है कि अगर यह हो जाएगा और आर० एस० एस० और मुसलमानों के बीच में जो गलतफहमी है, वह दूर हो जाएगी और वे एक दूसरे के नजदीक आ जाअगे, तो इनका जो महल बना हुआ है, जो पिछले 30 सालों में बना है, वह ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। वे जानबूझ कर हर मामले म उनको डाल कर गलत तरीके से प्रचार करना शुरू कर देते हैं। क्या हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दू-मुसलमान, क्रिशचियन और दूसरे सब लोग हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए अलग रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए अलग रहते चले आएंगे और उनकी एक मेनस्ट्रीम नहीं बनेगी। मैं अपने कांग्रेस के दोस्तों से, कांगी के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आज वे यह सोच सकते हैं कि वे पावर से उतर गए, इसलिए सारे हिन्दुस्तान में एक ऐसा एटमोसफेयर फैलाओ जिसम कहीं पर पुलिस के अन्दर बगावत हो, कहीं पर हिन्दू मुसलमान लड़ें और हिन्दुस्तान में एनार्की फल जाए, तो उस एनार्की में से वे वापस नहीं आ सकते हैं, परन्तु ऐसी एनार्की वे फैला देंगे जिसकी वे साजिश कर रहे हैं और जिसका नमूना पिछले दिनों यहां दिखाया था, तो उस एनार्की से य लोग बच नहीं सकेंगे और न देश ही बच सकेगा। इस बात को उन्हें समझना चाहिए परन्तु देश के हितों का तो सवाल ही नहीं है और मुझे इस बात की हैरानी होती है कि आज वहां से और कुछ लोग इस पार्टी में से भी इसमें शामिल हो गये और ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता परन्तु बड़ी बड़ी चीज वे कहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिल्ला और रंगा असली मर्डरर नहीं हैं और बाद में यह कह दिया कि टेलीफोन आया था और उससे यह पता चला। इस तरह की बातें कह कर लोग अरोप लगाते हैं और इस तरह से आरोप लगा कर वे चलगे तो यहां पर उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। इसको भी हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।

जितने भी दंगे हुए हैं, शाहदरा में एक बार दंगा हुआ था तो कहा गया कि सी० आई० ए० वालों का यह काम था और उसमें फलां फलां लोग शामिल थे लेकिन उसके बाद अब जूडिशियल इन्क्वायरी हुई, तो उससे पता चला कि वहां पर कांगी के पालीटिकल लोग थे, उस समय की कांग्रेस के लोग थे, जिन्होंने यह साजिश करवाई थी। उसके बाद सदर बाजार में दंगा हुआ, यहां दिल्ली के अन्दर और उसकी जूडिशियल इन्क्वायरी की गई तो

उसने फिर से यह साबित किया कि उसमें किसी पार्टी का हाथ नहीं था। इस तरह की जब चीज हो जाती हैं और एक बार उनका प्रचार हो जाता है, तो विदेशों तक में यह प्रचार फैल जाता है लेकिन आखिर में यह साबित होता है कि इसमें कोई प्लान्ड चीज नहीं थी, तो फिर लोग उस सारी बात को तो भूल जाते हैं परन्तु जो नुकसान गलत प्रचार से कर जाते हैं, वह नुकसान पर्मानेंट रहता ह। इसलिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर मैजोरिटी और माइनारिटी के सब लोग प्यार मुहब्बत से रहें, इस तरह का एफर्ट होना चाहिए और यह जो आपस में झगड़ा कराने का जहर है, इसको बढावा न दें क्योंकि इससे उनका भी नुकसान है और हिन्दुस्तान में रहने वाले सब लोगों का नुकसान है।

श्री पी० एम० सईद (लक्षदीप) : मैं अपने से पूर्व के वक्ताओं के भाषण बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। ऐसा लगता है कि यदि कहीं सुव्यवस्थित ढंग से आक्रमण किया गया हो या कहीं दंगे किए गए हों, तो भी जब यह मामला लोकसभा में आ जाता है तो भी उस पर चर्चा दल गत नीति के अनुसार ही की जाती है। मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ता श्री शुक्ला ने भी आपातकालीन समय में सत्ताधारी दल पर दोषारोपण किया। उन्होंने कहा कि उस समय मुसलमानों को मक्खियों की तरह मारा गया परन्तु किसी ने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इस प्रकार से वह अपने दल द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से अल्पसंख्यकों पर किए गए आक्रमण को न्यायोचित ठहराना चाहते हैं, जबकि उनका सम्बन्ध भी किसी विशेष कैडर से है।

श्री चिमनभाई शुक्ल : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री पी० एम० सईद : यदि ऐसी बात है तो मुझे और कुछ नहीं कहना है। परन्तु इसके साथ ही मैं यह नहीं जानता कि उनका संबंध किसी सांस्कृतिक या गैर-सांस्कृतिक संगठन से है या नहीं।

एक माननीय सदस्य : सांस्कृतिक।

श्री पी० एम० सईद : मैं इस सदन के समक्ष यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि दादरी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ जो कुछ भी हुआ है, सदन के सभी वर्गों द्वारा उसकी भरपूर निन्दा की जानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि श्री शुक्ल ने उसकी निन्दा नहीं की है।

श्री चिमनभाई एच० शुक्ल : इसकी निन्दा तो सभी करते हैं।

श्री पी० एम० सईद : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप की बहाली के लिए दिल्ली में आयोजित किए जा रहे प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आ रहे थे, और प्रदर्शन उनका ऐसा अधिकार है जो कि संविधान के अन्तर्गत उन्हें उपलब्ध है। यदि आप घटना के ऊपर बिचार करें तो पता चलेगा कि जैसे श्री बनातवाला ने बताया दंगा करने वाले लोग शस्त्रों से लैस थे और उन्होंने अन्दर से दरवाजे बंद किए हुए थे ताकि कोई अंदर न आ सके। इसके बावजूद श्रीमानजी गृह राज्य मंत्री द्वारा जो वक्तव्य सदन में दिया गया है, वह तो बहुत ही हास्यास्पद सा लगता है। उनका

कहना है कि अभी प्रतिवेदन तैयार नहीं हुआ है। यह दिल्ली से केवल 35 किलोमीटर दूर है और इस घटना को घटे अब 24 घंटे हो गए हैं। और उन्हें अभी तक प्रतिवेदन नहीं मिल गाया है...

अध्यक्ष महोदय : मैं तो यह स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार से अभी प्रतिवेदन नहीं आया है परन्तु उनका यह कहना था कि कलेक्टर का प्रतिवेदन उन्हें मिल गया है।

श्री पी० एम० सईद : चाहे कुछ भी हो, जिला कलेक्टर सीधे तो मंत्री को रिपोर्ट नहीं दे सकता। क्या वह ऐसा कर सकता है। क्या वह क्षेत्र सीधे गृह मंत्रालय के शासन के अन्तर्गत आता है। यह बात मुझे बताई जाए। यह संघ शासित क्षेत्र नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह लक्षद्वीप या अण्डमान नहीं है।

श्री पी० एम० सईद : और यदि कलेक्टर गृह मंत्री से सम्पर्क स्थापित कर सकता है तो फिर भला वह उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क कैसे स्थापित किया जा सकता है? वह इस बात को भी जानते हैं कि यदि वह चाहते तो घंटों में ही वह यह तथ्यात्मक जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त कर सकते थे और इस बात से यही पता चलता है कि सरकार ने अल्पसंख्यकों से सम्बद्ध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा उसके विद्यार्थियों से सम्बद्ध के इस मामले के प्रति कितनी लापरवाही बरती है।

श्रीमानजी, राजनारायण जैसे व्यक्ति ने बार-बार तथा यहां तक कि श्री मधु लिमये जैसे लोगों ने भी यह कहा है कि अलीगढ़ के तथा देश के अन्य सभी भागों में होने वाले दंगों के पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ही हाथ है। यह बात विरोधी दलों द्वारा नहीं कही जा रही है इसे श्री शुक्ल के अपने ही दल के लोग कह रहे हैं। दंगों का आयोजन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों द्वारा किया जा रहा है। श्री शुक्ल ने अपने भाषण के दौरान श्री राज नारायण पर भी आक्षेप किया। वह जो कुछ भी हो, उसे सदन के बाहर कहा जाना चाहिए। मैं सदन के समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाज के एक वर्ग द्वारा की जा रही इन शरारतों के निश्चय ही देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को ठेस पहुचेगी। यह इस प्रकार की अकेली घटना नहीं है, इस प्रकार की घटनाएं देश में एक के बाद एक होती रही हैं। अब व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते समय अनेक मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह बहुत बुरा हो रहा है तथा यह सब कुछ रोका जाना चाहिए। आये दिन देश के धर्म-निरपेक्ष स्वरूप को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है तथा इसके लिए कुछ न कुछ किया ही जाना चाहिए। मैं इस सदन से यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए देश में क्या किया जा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जा रहा है। जब कभी भी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किसी आयोग की नियुक्ति की जाती है तथा एक या दो वर्ष के बाद वह आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तथा बात वहीं समाप्त हो जाती हैं। कोई भी इस प्रतिवेदन को पढ़ता नहीं है। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस मामले में ईमानदारी से काम करना चाहिए। इससे निश्चय ही देश के सम्मान पर आंच आ रही है। अतः हमें इस मामले में ईमानदारी बरतनी चाहिए। इस मामले पर विचार

करते समय हमें दलगत स्तर से ऊपर उठ कर निर्णय करना चाहिए। मै सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस घटना से सम्बद्ध लोगों का शीघ्र पता लगाया जाना चाहिए। आप चाहे केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवायें या अन्य किसी के द्वारा, परन्तु जांच शीघ्र से शीघ्र करवाई जानी चाहिए तथा न्याय तुरन्त किया जाना चाहिए जिससे कि लोग यह समझ सकें कि हां न्याय किया गया है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : कल की यह घटना हाल ही में जमशेदपुर तथा अलीगढ़ और अन्य स्थानों पर हुई घटनाओं जैसी ही है। इसे हम आकस्मिक घटना नहीं कह सकते है। मेरे मित्र, श्री मल्होत्रा अभी कह रहे थे कि जमशेदपुर में दोनों ही समदायों को बराबर क्षति हुई।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा) : नहीं।

श्री वसंत साठे : उनके अनुसार बहुसंख्यक समुदाय को अधिक नुकसान हुआ है। यह वही अजीब बात है। यहां बार-बार उन 60,000 लोगों के बारे में प्रश्न पूछा गया है, जिन्हें जमशेदपुर में बेघरबार कर दिया गया और जो अब शिविरों में पड़े हुए हैं। मैंने बार-बार पूछा कि उनमें से बहुसंख्यक समुदाय के कितने लोग है। किन्तु इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। क्योंकि उनमें से कोई भी बहुसंख्यक समुदाय का नहीं था और फिर भी क्या हम यह कहें कि बहु संख्यक समुदाय को अधिक क्षति पहुंची है?

अत: यदि आप इस समस्या के प्रति गंभीर हैं तो यह उचित समय है कि केन्द्रीय सरकार कुछ कार्यवाही करके इस बुराई को आरम्भ में ही दबा दे क्योंकि अल्पसंख्यकों को रक्षा करना केन्द्रीय सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है। आज सुबह यह कहने का प्रयास किया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केन्द्र की जिम्मेदारी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रेलवे आदि प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आते हैं। लोग गाड़ियों से आते जाते हैं। विवरण में यह भी नहीं बताया गया है कि छात्र हिंसा करने के इरादे से आ रहे थे या उनके पास लड़ने के लिए हाकियां आदि कोई हथियार थे। फिर यह कहना कि वे शरारत करने की कोशिश कर रहे थे या कुछ लोगों को उकसा रहे थे, उपहासास्पद है। हुआ क्या कि एक काली अम्बैसडर कार देखी गई जिसके पीछे दो मोटर साइकिल सवार जा रहे थे। क्या यह कोई तुक की बात है कि उसके बाद दादरी में बाहरी सिगनल के बाहर अचानक 500 लोग हथियारों सहित दिखाई देते हैं। उन्हें पहले ही कैसे पता चला। यह पूछने योग्य प्रश्न है। उनके पास लाठियां थीं। उनके पास लोहे के डंडे थे। उनके पास और भी घातक हथियार थे।

एक माननीय सदस्य : बन्दूकें आदि।

श्री वसंत साठे : इस बारे में मुझे पता नहीं है। आप जाकर देखिए कि छात्रों को कैसी चोटें पहुंची हैं। गाड़ी भरी हुई थी। जंजीर खींचने से वैक्यूम होज तथा डिब्बे अलग हो जाते हैं और केवल उन्हीं डिब्बों पर आक्रमण किया गया जिनमें छात्र बैठे हुए थे। छात्रों को घसीट कर बाहर निकाला गया। आप उनको पहुंची गम्भीर चोटों को देखिए। क्या दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आई है? आप फिर कहेंगे कि बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को भी उतनी चोटें

ग्राई हैं। किंतु ऐसा तो गृह मंत्री ने भी नहीं कहा है। इसमें सौ से ग्रधिक छात्रों को चोटें ग्राई हैं। कल रात मैं ग्रस्पताल गया था ग्रौर मैंने छात्रों को देखा। ग्रधिकांश चोटें उनके सिर पर ग्राई हैं। यदि ग्राप प्रत्येक छात्र की कमर देखें तो ग्रापको खरोंचें नजर ग्राएंगी। उनकी हाथ की घड़ियां छीन ली गईं। उनकी जेबें फाड़ डाली। यदि ग्राप छात्रों को देखेंगे तो पता चलेगा कि उनकी पीछे की तथा साइड की जेबें फाड़ी हुई हैं। उनके बटुए छीन लिए गए।

वे कौन लोग हैं। क्या वे ग्रकस्मात वहां ही ग्रा गए उनके शरीरों पर लोहे के डंडों से चोटें ग्राई हैं। कई छात्रों की हडि्डयां टूट गई हैं। ग्रत: मेरा निवेदन है कि इस घटना के स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि निस्संदेह यह एक नियोजित धठना थी। ग्रापको पता है जब उन्हें पीटा जा रहा था तो वाइस प्रेसीडेंट सहित कई छात्रों ने मुझे बताया कि ग्राक्रमणकारियों ने क्या कहा? माइनोरिटी करेक्टर चाहिए, इस पर लड़के कहते हां चाहिए। 'यह लो', 'यह लो' ग्रौर यह कहते हुए उन्हें मारा जा रहा था। यह सब कौन कर रहा है। ग्रल्प संख्यक समुदाय को यह पाठ कौन पढ़ाना चाहता है? ग्राप स्वयं ही पता लगाइए।

गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट, श्री जैन ने जो रात तक वहां उपस्थित थे, स्वयं यह स्वीकार किया कि छात्रों द्वारा तत्काल एफ० ग्राई० ग्रार० दर्ज कराया । ऐसा बाद में सोच कर नहीं किया गया । एफ० ग्राई० ग्रार० में उन्होंने ग्रलीगढ़ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति श्री के० के० नौमन तथा एक ग्रौर ग्रन्य व्यक्ति श्री गुप्त का उल्लेख किया है। एफ० ग्राई० ग्रार० में उनका नाम है। इन लोगों ने कहा है कि यह एक सुनियोजित योजना थी। फिर भी ग्राप कहते है कि हमारे पास कोई रिपोर्ट, नहीं है।

ग्रब ग्राप यह सारा दोष निर्दोष गूजर लोगों पर डाल रहे हैं। यह क्रूरता की पराकाष्टा है। ग्राप उन गुजर लोगों पर दोष डाल रहे हैं जो स्वयं छात्रों के बचाव के लिए ग्राए। ग्रापके ये गुन्डे वहां थे। हमने बार-बार ग्रापको बता दिया है कि यह एक खतरनाक रवैया है। यह किन्हीं व्यक्ति विशेषों का प्रश्न नहीं है। यह रवैये का प्रश्न है। ग्रौर उस खतरनाक फासिस्ट संगठन का रवैया, जिसे ग्रर्द्ध सैनिक संगठन के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सामने ग्राया है। मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह देश में ऐसे संगठन को कैसे सहन करते है, जिसे एक ग्रर्द्ध सैनिक संगठन के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश में होम गार्ड क्षेत्रीय बल है। यदि किसी को प्रशिक्षण ही देना है तो वह वहां जा सकता है। ग्राप देश में ऐसे संगठन को इस तरह का प्रशिक्षण देने की ग्रनुमति क्यों दे रहे हैं जो कि सड़कों पर तथा शहरों में परेड करते हैं। यदि वे फासिस्ट नहीं हैं तो फिर कौन है? मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं। उन्हें लाठी, भाला, तलवार, चाकू ग्रादि लाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वे इस प्रशिक्षण का उपयोग कहां करेंगे? चीन के विरुद्ध या पाकिस्तान के विरुद्ध? नहीं वे इस प्रशिक्षण का उपयोग छात्रों के विरुद्ध कर रहे हैं। इससे छात्र हतोत्साहित हो जाते हैं। मेरे पास यह एक पूरी सूची है... (व्यवधान)

ग्रध्यक्ष महोदय : कृपया ग्राप इस तरह हस्तक्षेप न करें।

श्री वसंत साठे : जमशेदपुर में दर्ज की गई रिपोर्टों के बारे में प्रथम जानकारी देने वाले पत्रों का यह बडंल यह रहा। इनमें शिकायतकर्ताग्रों तथा ग्राक्रमणकारियों के नाम

दिए हुए हैं। फिर भी आज तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या आप समझते है कि ऐसे व्यवहार से अल्प संख्यकों तथा अन्य लोगों में विश्वास उत्पन्न हो सकेगा? यदि आप चाहें तो मैं आपको सारी सूचना दे सकता हूं। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में आप उन लोगों को कैसे संरक्षण प्रदान करेंगे।

यहां भी आप वास्तविक स्थिति को जानते हुए इस मामले को कुछ और ही मोड़ दे रहे हैं। छात्रों की रक्षा कौन करेगा?

अतः यह बहुत ही गंभीर मामला है। यदि आप अल्प संख्यकों में विश्वास पैदा करना चाहते हैं तो मेरे मित्र श्री भगत राम ने ठीक ही कहा है कि यह जिम्मेदारी बहुसंख्यक लोगों की है। आपके पास एक बहुत बड़ा संगठन है। उस संगठन को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि देश में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आप इस जिम्मेदारी को लीजिए। किन्तु आप ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि आपके निहित स्वार्थ ही अल्प संख्यकों के विरुद्ध यह सब कुछ कर रहे हैं। अल्प संख्यकों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। आप हिन्दू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं जिसमें 10 करोड़ मुसलमानों को हिन्दुस्तान या भारत का अभिन्न अंग नहीं माना गया है। आपका इस तरह का रवैया है और जब तक आपका यह रवैया रहेगा तब तक आप अल्प संख्यकों में विश्वास उत्पन्न नहीं कर पाएंगे।

अतः मेरी मांग है (क) कि अब भी उन्हें अल्प संख्यक स्वरूप दिया जाये--(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : इस "आह" को सुनिए। यह फासिस्ट तत्वों की "आह" है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन युवकों के साथ न्याय करें।

प्रो० समर गुहा : (कन्टाई) : अध्यक्ष महोदय : विश्व विद्यालय के अध्यापक के रूप में मेरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उन छात्रों के साथ पूरी सहानुभूति है, जिन्हें चोटें आई हैं, और जिन्हें गुडों द्वारा पीटा गया है। अपने मित्र श्री बनातवाला के भाषण को सुनकर मुझे दुख हुआ है। विभाजन के पश्चात सुहरावर्दी द्वारा कही गई एक बात मुझे याद है। मैं उनके साथ बंगला देश में काम कर रहा था, उस समय उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। एक दिन श्री सुहरावर्दी ने गुस्से में आकर मुझसे कहा था कि "श्री जिन्हा के पास न दिल है, न दिमाग है। यदि भारतीय मुसलमानों के साथ किसी ने धोखा किया है, तो वह श्री जिन्हा ही हैं। हमने विभाजन की कभी कल्पना भी नहीं की थी।"

उन दिनों मैंने कई मुसलमान नेताओं के भाषण सुने थे। मैं श्री बनातवाला को जिनकी वही परम्परा, वही नाम आदि है चेतावनी देता हूं कि यदि उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जो कि एक संकीण विचार है, इस तरह के भाषण दिए तो वह भारत के मुसलमान भाइयों तथा बहनों का सबसे बड़ा अहित करेंगे। मैं वो किस तरह अर्न्त-संबंधित कैसे हो सकते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को इस बात के लिए आन्दोलन करने का पूरा हक है कि विश्वविद्यालय का अल्प संख्यक स्वरूप बरकरार रखा जाए। इससे कोई भी इन्कार नहीं करता। इस अधिकार को कोई चुनौती नहीं देता। वे प्रदर्शन करने आ रहे थे। क्या इस घटना के साथ ये बढ़ा चढ़ाकर कही गई सभी बातें जोड़ी जानी चाहियें कि उन्हें रोकना

था। यह सब कुछ पहले से ही सुनियोजित था, बन्दूक आदि जैसे हथियारों का प्रयोग किया गया तथा मुसलमानों को मारा गया। उन्होंने इस तरह के सभी शब्दों का प्रयोग किया।

गाड़ी में हुई इसी तरह की घटनाओं के बारे में मैंने पहले भी रिपोर्ट पढ़ी है। गाड़ियों में लूटपाट, डाकेजनी आदि की सैकड़ों घटनाएं होती हैं। कई मामले में तो छात्र भी अन्तग्रस्त थे। आप छात्रों की प्रवृत्ति या स्वभाव तो जानते ही हैं। जब वे किसी डिब्बे में काफी संख्या में विश्वविद्यालय जाते हैं तो वे किसी अन्य को उस डिब्बे में नहीं घुसने देते। अपनी युवा अवस्था में हम भी ऐसा किया करते थे। यह युवकों की प्रवत्ति होती है।

हाल ही में एक "रिलीजियस स्पेशल" गाड़ी थी, जिसमें लगभग 100 बंगाली महिलाएं यात्रा कर रही थीं। वे बद्रीनाथ तथा केदारनाथ से वापस आ रहीं थीं और जब वे बिहार से गुजर रही थीं तो उनकी लगभग सारी सम्पत्ति लूट ली गई। ऐसे में क्या आप यही कहेंगे कि उन्हें बिहारी लोगों ने लूटा और उनके साथ मारपीट की? क्या आप उस घटना को साम्प्रदायिक रूप देंगे? यदि छात्रों का कुछ यात्रियों के साथ झगड़ा हो गया तो वह दुर्भाग्य पूर्ण तथा अप्रिय था और निस्संदेह हम सरकार को ऐसे झगड़ों को कठोरता से निपटाने के लिए कहते हैं।

किन्तु मुझे पता है कि देश भर में कई गिद्ध रूपी राजनीतिज्ञ हैं और जब कभी कहीं हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों या मुसलमान भाइयों से संबंधित कोई घटना होती है तो वे उसमें झपट पड़ते हैं। किसलिए? अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि वे ऐसा अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के बारे में करते हैं। वे ऐसी घटनाओं से अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। उन लोगों का ऐसा रवैया है। **(व्यवधान)**

यदि आपकी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा से मेल नहीं खाती या आप उसे पसंद नहीं करते तो इस बात को मैं समझ सकता हूं। प्रत्येक बात में राष्ट्रीय सेवक संघ को बीच में घसीट लिया जाता है। क्या संसद के बाहर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसमें विश्वास कर लेगा? जो भी घटना होती है, तत्काल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को बीच में घसीट लिया जाता है। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रहार करने का अर्थ जनता पार्टी पर प्रहार करना है और जनता पार्टी पर प्रहार करने का मतलब प्रधान मंत्री पर प्रहार करना है। वे समझते हैं कि शायद इससे गड़बड़ी पैदा होगी और उससे कुछ बात सामने आएगी।

मैं इस ओर, उस ओर और सभी ओर के अपने मित्रों को चेतावनी देता हूं कि हरिजनों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अथवा मुस्लिम भाईयों और बहनों से सम्बद्ध मामलों पर ऐसी स्थिति पैदा न करें, उसका राजनैतिक फायदा उठाने की कोशिश न करें क्योंकि ऐसा करके तो आप केवल आग से ही खेलेंगे। यहां बढ़ा-चढ़ाकर दिए गए वक्तव्यों का दुष्प्रभाव बांगलादेश पर पड़ा है। हाल ही में बांगलादेश से मुझे कई पत्र प्राप्त हुए हैं। समाचार-पत्रों के कुछ ये मुखपृष्ठों के शीर्षक है:

(बंगाली में पढ़े गये)

इसका अर्थ: "जमशेदपुर मुसलमानों के खून से रंग गया है, मुसलमान जगत मुकाबले के लिये खड़े हो जाओ! कि जिया कर क्या रहे हैं।?" और भी ऐसी कई बातें हैं। वे मुझे एक के बाद दूसरा पत्र भेज रहे हैं। अभी दो दिन पूर्व मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि "हमारी रक्षा कीजिए"। यदि किसी क्षण कोई घटना घटती है तो बांगला देश में ऐसी हालत हो जाएगी हिन्दू वहां नहीं जा पाएंगे। मुझे गलत न समझें।

मुझे गर्व है कि मेरे मुस्लिम मित्रों ने स्वयं के बचाव में आग्नेय-शस्त्रों, बम्बों का प्रयोग किया। मुझे उन पर गर्व है कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए लाठियां चलाई। ऐसा करने का उनमें साहस था। ऐसे ही सुरक्षा की भावना और विश्वास यहां के सभी अल्प-संख्यक-वर्गों में भरा होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उन पर आक्रमण करता है तो उन्हें हिंसा द्वारा लाठी से और अन्य किसी साधन से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। जो कोई भी उन पर आक्रमण करता है वह गुण्डा है, बदमाश है और अपराधी है। यदि वे अपनी रक्षा में बम्बों, लाठियों और आग्नेय-शस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा। यदि हम उन्हें बचा नहीं सकते, यदि सरकार उन्हें बचाने में असफल रहती है तो प्रत्येक अल्पसंख्यक-वर्ग को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार किन्हीं भी साधनों से अपनी रक्षा करें।

देखना यह है कि यदि बंगलादेश में किसी अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति किसी मुसलमान को केवल मामूली सी भी चोट पहुंचाता है तो क्या कुछ हो सकता है? मैं अपने सभी मित्रों से इतना ही निवेदन करूंगा कि वे समस्या पर शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करें, समस्या पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देशभक्तिपूर्ण दृष्टिकोण से बहस करें। हमें यथार्थरूप में सभी बातों का जायजा लेना चाहिएं। आज हम भारतवर्ष के लोग सभी ओर से मजहबी राजनीति से घिरे हुए हैं और धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र के प्रायःद्वीप को बनाए रखने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे उत्तर में नेपाल हिन्दू-राज्य है, पश्चिम में है पाकिस्तान मुस्लिम-देश है जहां हर रोज जनता इस्लाम के नारे साम्प्रदायिक नारे तथा अन्य नारे लगाती रहती है, दक्षिण एक बौद्ध राज्य है— यद्यपि वह समाजवादी राज्य है, क्योंकि बर्मा के सविधान में बौद्धधम को प्रतिष्ठापित किया गया है—और एक है बंगला देश, जिसमें रात-दिन धार्मिक राजनीनि साम्प्रदायिक राजनीति और इस्लाम की राजनीति का ही प्रचार किया जाता है।

इसीलिए तो मैं कहता हूं कि स्थिति अत्याधिक खतरनाक है। हम ऐसी ताकतों से घिरे हुए हैं, जो हमारे मन-मस्तिष्क पर प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे हमारे मन पर दबाव बढ़ सकता है। अतः भगवान न करे कि जो कुछ मेरे बंगलादेशवासी मित्रों ने बताया है कि यदि बंगलादेश में कोई घटना घटती है तो उसके परिणामस्वरूप, लाखों हिन्दू भारत में आ जाएंगे। भारत में इसके क्या प्रति परिणाम होंगे?

अतः, अन्त में मैं अपने दोनों ओर बैठे मित्रों से अनुरोध करता हूं कि राजनैतिक लाभ और साम्प्रदायिक विष-वमन के लिए घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर न दिखाएं, चाहे वे साम्प्रदायिक घटनाएं हों या जातिगत अहिंसक घटनाएं हों। उससे स्थिति कोई सुधरेगी नहीं। इससे तो आग और अधिक भड़केगी। मैं ईमानदारी पूर्वक अपील करता हूं कि ऐसे बढ़ा-चढ़ाकर वक्तव्य

न दें जैसे कि यहां दिए गए थे। इससे न तो हमारे लोगों को लाभ पहुंचेगा और न ही भारत में धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र के भविष्य को उस धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र को जो साम्प्रदायिक विषों, साम्प्रदायिक क्रोध और साम्प्रदायिक उत्तेजनाओं से घिरा हुआ है। हमें अपनी राजनीति में न्यायिक पहुंच द्वारा, बड़ी ही सावधानी और सामंजस्य से अपने धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र को सहेज कर रखना है। आप सबसे हमारी मुख्य अपील यही है कि आप ऐसा राष्ट्रवादी, देश-भक्तिपूर्ण और धर्म निरपेक्षता का रुख अपनाएं जिसमें न तो हिन्दू अस्तित्व और न ही मुस्लिम अस्तित्व में विश्वास हो, अपितु यह आस्था हो कि हम सभी भारतीय हैं और हम बिना किसी भेद भाव के सभी भारतीयों के लिए अपना खून देंगे।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : महोदय, निःसन्देह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर आक्रमण की जो घटना दादरी स्टेशन पर घटी, वह बड़ी हुई दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक और अभूतपूर्व दुर्घटना थी।

जब हम इस समस्या पर विचार-विमर्श कर रहे हैं तो मैं इसे एक ऐसी घटना की संज्ञा देना चाहता हूं जिसकी एक पृष्ठभूमि है। मेरे प्रतिष्ठित सहकर्मी प्रो० गुह ने एक पुस्तक का हवाला दिया और कहा कि रेलों में छात्रों और यात्रियों के बीच ऐसे झगड़े आम बात हो गई है। लेकिन मैं इसे वैसी कोई घटना नहीं मानता कि कुछ यात्रियों ने घटनावश छात्रों को बाहर निकाल कर सवेरे-सवेरे दादरी स्टेशन पर पीटा हो। पिछली बार हम इसी सदन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को इसके अल्पसंख्यक स्वरूप को फिर से बहाल करने के प्रश्न पर चर्चा करते रहे थे। परन्तु सरकार ने एक बड़ी ही अड़ियल दृष्टिकोण अपनाया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उसकी अल्पसंख्यक स्वरूप को फिर से बहाल करने हेतु भेजे प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया।

उस समय यह माना गया था कि इस देश का समस्त मुस्लिम समुदाय सरकार के इस निर्णय से उत्तेजित हो जाएगा। महोदय इसी पृष्ठभूमि में अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के छात्रों ने सरकार के निर्णय के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दिल्ली जाने का निर्णय लिया। महोदय, लोकतन्त्र में यह एक न्यायपूर्ण कदम है। उन्हें अपना विरोध प्रकट करने और अपनी मांग मनवाने के लिए संसद भवन आने का अधिकार है। वहां क्या हुआ? मैं दुर्घटना की कहानी सुनाने के हक में नहीं हूं जैसी कि मेरे कुछ माननीय मित्रों ने सुनाई है। इस देश में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो अल्पसंख्यकों को उनके वैध अधिकार देने के विरुद्ध हैं, विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हैं। उनके अपने ही अलग सिद्धांत हैं और वे अपने आप को सांस्कृतिक संगठन और राष्ट्रवादी आदि कहते फिरते हैं। परन्तु तथ्य यह है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नाम का एक वर्ग है, जो देश में अर्द्ध सैनिक बलों के समर्थन से, जिसे वह प्रशिक्षित करता है, तथा सरकार का भागीदार होने के नाते उसका लाभ उठाकर इस देश में हिन्दू राष्ट्र कायम करने का प्रचार करता है और जब भी और गुटों को भी अवसर मिलता है अल्प संख्यक समुदाय पर आक्रमण करने का प्रयास करता है।

इसीलिए तो, महोदय, अभी-अभी विगत में यहाँ तक कि अलीगढ़ में भी इतनी बड़ी घटना घटी । मैंने अलीगढ़ में जाकर वस्तुस्थिति का पता लगाने का प्रयत्न किया। मैं कहता हूं कि जिन्होंने भी अलीगढ़

का भ्रमण किया है वे निरपवाद रूप से यह स्वीकार करेंगे कि यह मरुस्थल में मरुद्यान के समान है। और कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय की यह घटना साम्प्रदायिक झगड़ों के बीच घटी। कोई भी इसे छात्रों की साम्प्रदायिक भावनाओं के प्रति लगाव का परिणाम नहीं मानता। यह वह साम्प्रदायिकता थी जहां अधिकारियों सहित सभी को घसीटा गया। ये वही छात्र थे जिन्होंने देशभक्तिपूर्ण भूमिका निभाई, समझदारी से काम लिया, अलीगढ़ के उन दंगों में जब कि साम्प्रदायिक तनाव भरे व भयानक दिन थे। वे यहां आए और मुझे बताया कि उनके मित्रों का पीछा उस काले रंग की कार ने किया जिसमें वे उस महा-गुण्ड नौमन को पहचान गए जिसका अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक झगड़े में हाथ था। अब हर कोई जानता है कि यह नौमन है कौन। यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक कार्य-कर्त्ता है, जिसे जनता पार्टी के मेरे मित्रों में भी अलीगढ़ के साम्प्रदायिक दंगों में उसकी घृणित भूमिका के कारण अपने यहां से निकाल फेंका था। आखिर उसकी भूमिका थी क्या? उसने कार क्यों भेजी या कुछ और लोगों को लेकर कार में वह क्यों आया? क्या यह छात्रों और कुछ यात्रियों के मध्य हुआ केवल कोई झगड़ा मात्र था अथवा क्या इस प्रकार बढ़ा हुआ कोई संघर्ष? ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। दूसरे हमारे अपने भी संदेह हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि आप मेरे या अन्य और किसी द्वारा कहे गए शब्दों को वेद-वाक्य समझें। इसकी तो किसी संसदीय समिति द्वारा पूर्ण जांच होनी चाहिए अथवा सारे मामले की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मेरे विचार से कोई सरकारी जांच इस मामले में सही नहीं उतरेगी। मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। छात्र-नेताओं से और आक्रमण के शिकार बने छात्रों से जो मेरी बात-चीत ई है उससे मैं यह जान पाया हूं कि उनके मन में यह भय समाया हुआ है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति का सुनियोजित आक्रमण था जो जानबूझकर इस काम में कूद पड़ा। यह तो एक ऐसा मामला है जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए जिससे सभी सच्चाई का पता लग सके। इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भूमिका का पता लगाना होगा। यहां नौमन की यदि कोई भूमिका है तो उसे ढूंढ निकालना होगा। हमें यह पता चलना चाहिए कि क्या किसी गिरोह ने पूर्व-नियोजित इरादों से इन छात्रों का साथ किया और हिंसक कार्यवाही की? अब यह कहने का प्रयत्न किया जा रहा है कि यह तो छात्रों और गरीब ग्रामीणों के बीच का झगड़ा था। हमें जो सूचना मिली है वह ठीक इसके विपरीत है। हमारी सूचना यह है कि ग्रामीणों ने तो आक्रमण करने के बजाए उलटे छात्रों की सहायता की। इन सभी मामलों की जांच-पड़ताल करनी होगी।

अब, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं एक बात कहता हूं। श्री समर गुह ने जिस बात पर जोर दिया था, उसे असल में मैं समझ नहीं सका। मेरे विचार से भारतीय लोकतन्त्र की कसौटी इस बात में है कि हम अपने धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्र और एक जाति के रूप में कहां तक सफल रहते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो हमने अल्पसंख्यकों को उपहारणस्वरूप दी गई है। यह सब मतदान के आधार पर नहीं हुआ। देश के जो प्रतिनिधि संविधान तैयार करने के लिए संविधान-सभा में इकट्ठे हुए थे, उन्होंने बड़ी ही सावधानी से यह निर्णय दिया था कि यह देश धर्मनिरपेक्ष रहे। उन्होंने यह निर्णय लिया था कि हमें अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए। यह कोई किसी दबाव का परिणाम तो था नहीं। लोकतन्त्र को बनाए रखने की यह हमारी ही आकाक्षांओं

का प्रतिबिम्ब था कि हमने अपने लिए धर्म-निरपेक्षता का रास्ता चुना। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब यह कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करके हिन्दू कष्ट झेल रहे हैं, परन्तु यह बात ठीक नहीं है। मामले की सच्चाई यह है कि आज भारतीय लोकतन्त्र कसौटी पर है। जो लोग धर्म-निरपेक्षता पर हमला कर रहे हैं वे असल में लोकतन्त्र पर ही आक्रमण कर रहे हैं। और जब कोई ऐसा हमला किया जाता है। तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। यह तो इस देश की समस्त लोकतांत्रिक शक्तियों का उत्तरदायित्व है। यहां यह कहने से कोई फायदा नहीं है कि इसकी प्रतिक्रिया कहीं और होगी। हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। यह हमारा काम है और स्वयं भारत में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना हमारा काम है उनमें सुरक्षा की भावना भी हमें ही भरनी है जिससे हम अपने लोकतन्त्र को उन लोगों के आक्रमण से बचा सकें जो धर्मनिरपेक्षता और लोकतन्त्र पर हमला करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इस मामले पर इसी दृष्टिकोण से सोचता हूं और इसलिए मेरा निवेदन है कि सारी घटना की पूर्ण जांच के आदेश दिए जाएं।

धन्यवाद।

श्री राजनारायण (रायबरेली) : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के प्रश्न पर मैं खड़ा हुआ हूं। 6 सदस्यों ने मेरा नाम लिया है।

अध्यक्ष महोदय : यहां 544 सदस्य हैं आपको अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

श्री राजनारायण : यह तो मेरा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है और मेरा अधिकार भी है।

अध्यक्ष महोदय : आप पर तो कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है। आपको भी अवसर मिलेगा। प्रतीक्षा तो आपको करनी पड़ेगी। अब श्री अनन्त राम जायसवाल की बारी है।

श्री राजनारायण : यदि आप मुझ पर इस प्रकार दबाव डालेंगे तो एक और नया दल यहां बन जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरा किसी दल से कोई लेना-देना नहीं है। मैं तो सभी दलों से बाहर हूं, अलग हूं।

(व्यवधान)

श्री अनन्त राम जायसवाल (फैजाबाद) : मान्यवर, जिस घटना के ऊपर इस लोकसभा में चर्चा हो रही है, उसकी एक खास बात यह है कि अलीगढ़ से जो लड़के यहां पर आ रहे थे दिल्ली के प्रदर्शन में भाग लेने के लिए, उनकी तादाद 400, 500 की रही होगी, उन्हीं की मार हुई है और एकतरफ़ा मार हुई है। कोई भी पैसेन्जर या उनके मुकाबले में जो लड़ा था, उसको मार नहीं पड़ी, मार पड़ी लड़कों पर ही एकतरफ़ा और उनके चोटें आई हैं। करीब 100 बच्चे हैं, जिनके चोटें आई हैं, फ्रेक्चर हुआ है, नील के निशान ह और दूसरी चोटें हैं।

अब सवाल उठता है कि क्या पैसेंज़रों में यह झगड़ा हुआ है जैसा कि यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, तो एकतरफ़ा मार क्यों हुई। मार का ऐसा रूप देखने में नहीं

आता। मान लीजिए कि झगड़ा शुरू होता है एक कम्पार्टमेंट में, फिर दूसरे कम्पार्टमेंट में और फिर तीसरे कम्पार्टमेंट में और बच्चों की तादाद भी अच्छी खासी थी तो दूसरों को भी चोट आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इनको गाड़ी खड़ी करके मारा गया गाड़ी रोक कर पीटा गया, तो इस तरह चोटें बच्चों के ही लगी हैं। इसलिए शक होता है और उसकी वजह भी मौजूद है कि यह झगड़ा प्रीप्लान्ड रहा होगा। इहलिए इसमें जांच की गंजाइश है। मान्यवर, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी मशीनरी और एफाशियेन्ट मशीनरी के बावजूद सरकार का वर्जन सामने नहीं आया। अखबारों में जो वर्शन आया है, वह एक तो यह है कि प्रीप्लान्ड वलवा था और दूसरा वर्शन यह है कि गूजर मुसाफिर सफर कर रहे थे और उनके साथ उनकी औरतें थीं और बच्चे थे और उन औरतों और बच्चों के साथ नाजायज तौर पर छेड़खानी की गई और इससे मारपीट की घटना शुरू हो गई सूकिन सरकार की तरफ से कोई वर्शन ऐसा नहीं आया जो इस लोक सभा के मेम्बरों को आश्वस्त करता और देश को आश्वस्त करता कि यह कम्युनल मामला नहीं है। इसलिए मझे अफसोस है और जब गृह मंत्री जी बोलेंगे तो मैं चाहूंगा कि वे बताएं कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई और इस चीज को वे एक्सप्लेन करेंगे। मैं समझता हूं कि लोगों को अन्दाजा नहीं है कि इसमें कितना बड़ा खतरा छिपा है, इसकी नज़ाकत को वे नहीं जानते और इससे जो खतरा पैदा हो जाएगा, उसको नहीं जानते। एक तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम है और दूसरे सारे मुसलमान बच्चों को एकतरफ़ा पीटा जाता र। मान लीजिए यह खबर पूरे देश में फैल जाती है, जैसा अखबार में छपा है, तो उसका क्या नतीजा होगा। नवभारत टाइम्स में जो छपा है, उसको मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:

> "अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के एक प्रवक्ता ने बताया कि आज अलीगढ़ से दिल्ली आ रहे छात्रों पर दादरी स्टेशन के समीप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लगभग 200 स्वयंसेवकों और कुछ आसामाजिक तत्वों ने अचानक धावा बोलकर सैंकड़ों छात्रों को घायल कर दिया"। जैसे ही गाड़ी दादरी स्टेशन से बढ़ी, स्वयंसेवकों' और असामाजिक तत्वों ने जो अलीगढ़ से ही गाड़ी में सवार हो गए थे, जंजीर खींच कर गाड़ी रोक ली और छात्रों पर धावा बोल दिया।

इस तरह की खबर छपी है।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल झूठी खबर है।

श्री अनन्त राम जयसवाल : मान लीजिए कि खबर बिल्कुल झूठी है। यह खबर सारे देश में फैल जाती है, तो इसका नतीजा क्या होगा। अंग्रेजों ने जो इतिहास पढ़ाया है, उससे ऐसी नजर बन गई है कि यहां का हर हिन्दू समझने लगा है कि आज जो मुसलमान इस देश में सैकड़ों साल से रह रहे हैं, वे सारे के सारे हमलावर हैं, लुटेरे हैं और मसलमानों के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि कल तक हम हिन्दुस्तान के राजा थे, अब हम दूसरे नम्बर के शहरी हो गए हैं। इससे कहीं पर मेल नहीं हुआ। दिलशिकनी है नफाका है नफरत है थोड़े से ही इस्तेमाल पर जब वह फूटती है तो आदमी शैतान बन जाता है। कोई भी

दंगा चाहे किसी कारण से हो, किसी वजह से हो एक फिरके के लोग बिना कारण के दूसरे फिरके के लोगों की जान लेने पर, इज्जत लूटने पर, जायदाद फूंकने पर तुल जाते हैं। अभी जमशेदपुर में क्या हुआ? मोहल्ले के मोहल्ले जला कर राख कर दिए गये, बस्तियां की बस्तियां उजाड़ दी गयीं। 40 हजार आदमी रिलीफ कैम्पस में रखे गए।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

उपाध्यक्ष महोदय, जब ऐसी चीजों की खबरें फैलाई जाती हैं तो एक के बाद दूसरा दंगा होता है। मान्यवर, हमारे मुल्क का बंटवारा हुआ। सोचा गया था कि उससे दंगे खत्म हो जाएंगे। लेकिन दंगों का कोई हल नहीं निकला। बटवारे के नतीजे के तौर पर कम से कम दो करोड़ लोग बेघरबार हो गए और 6 से 8 लाख तक लोग कत्ल हो गए थे लेकिन दंगों का हल नहीं निकला। हिन्दू-मुसलमान का जो कांटा था उसको निकालने की भी कोशिश नहीं की गयी।

हमने और लोगो के अभी भाषण सुने। ऐसा लगता था कि कोई भी असली मुद्दे पर नहीं बोलना चाहता था, सब राजनारायण को मुद्दा बनाना चाहते थे। मैं कहना हूं कि राजनारायण जी मुद्दा नहीं हैं। मैं राज नारायण जी के बारे में उन लोगों को बताना चाहता हूं जोकि इन्दिरा मां की दुहाई लगा रहे थे, जयकार बोल रहे थे कि राज नारायण जी ने जब इन्दिरा जी को अदालत ने पीटा तो इमरजेंसी आई और जनता की अदालत ने पीटा तो यह सरकार आयी। उनकी बदौलत ही आप यहां बैठे हैं यह सब राज नारायण जी की वजह से हुआ, इसका हमें एहसास होना चाहिए। (व्यवधान) कोई उस समय इंदिरा को दुर्गा मां कह रहा था और कोई चंडी कहकर तलवार भेंट कर रहा था।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज नारायण आज की बहस का इश्यु नहीं हैं। इस बहस के पीछे जो खतरा छिपा हुआ है उसकी ओर किसी ने संजीदगी से ध्यान नहीं दिया। मैं सरकार से यह चाहूंगा कि जो इस तरह की आज अफवाहें फैल रही हैं उनको खत्म किया जाए और एट दि अरलिएस्ट खत्म किया जाए।

अब तक सरकार के पास इंफर्मेशन आ गई होगी। आपको कम से कम गौर करना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि हमारी मशीनरी में कहां किस तरह की ढिलाई है कि इस तरह की वारदात हमारे देश में हो जाए। और सरकार को इतनी देर बाद भी असलियत न मालूम हो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस तरह की वारदातों के बारे में अफवाहों को बढ़ने नहीं देना चाहिए, उन्हें चेक करना चाहिए। मैं यह भी चाहूंगा कि इस बात की जल्दी से जल्दी खबर लगाई जाए कि झगड़े की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई? यहां जिससे भी बात करो तो कह देता है कि पता नहीं कि झगड़े की शुरुआत कैसे हुई, झगड़ा किसने शुरू किया। आप देखिए कि मारपीट शुरू हो गयी, लोग घायल हो गए लेकिन एक ही फिरके के लोग वहां मारे गए, एक ही फिरके के लोगों को चोटें आयीं। यहां पर लोक सभा ही एजीटेटिड नहीं है, इससे पूरा देश एजिटेटिड है। पूरे देश में यह गर्म हवा फैल गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलीगढ़ में फिर अशांति का वातावरण पैदा हो रहा है, टेंशन पैदा हो रही है। मैं सरकार को वार्निंग देना चाहता हूं कि वहां पर कल ही एक बस फूंकी जा चुकी है। इस चीज़ की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। आप पूरे देश में अपनी

मशीनरी को एलर्ट कीजिए कि कहीं यह आग दूसरी जगह न भड़कने पाए। इस आग को सिर पर आने से पहले ही आप रोक दीजिए।

श्री राज नारायण (राय बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब ने कहा था कि इनके बाद आप बोलिए। (व्यवधान) हमारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है, परसनल एक्सप्लेनेशन है।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, अभी जो हमसे स्पीकर साहब ने कहा वह यह है कि श्री लकप्पा जो कि मूवर हैं उनको बोलने के लिए बुलाया जाए। फिर हम सोचते थे कि श्री चह्वाण साहब को बुलावें।

श्री राज नारायण : मेरा तो श्रीमन् यह निवेदन है कि मैंने शुरू में ही आपके हाथ में अपना नाम दे दिया था और उसे आपने सेक्रेटरी के हाथ में दे दिया था। यहां पर मेरा नाम चार आदमियों ने लिया है। एक तो जामा मस्जिद के बारे में कहा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, पहले जो व्हिप्स से लिस्टस आई है उनको पूरा हो जाने दीजिए।

श्री राज नारायण : श्रीमन् हम तो चले जाएंगे क्योंकि हमारी तबियत खराब है। आप हमें परसनल एक्सप्लेनेशन के लिए सिर्फ पांच मिनट दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : व्हिप की सारी लिस्ट खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : हमारे दल के वक्ता के बारे में क्या रहा ?

उपाध्यक्ष महोदय : व्हिप द्वारा दी गई लिस्ट जब खत्म हो जायेगी उसके बाद आपको बुलायेंगे और तब आपको जो कुछ कहना हो वह सब चीज़ कह सकते हैं। श्री चव्हाण

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, श्री बनातवाला के निन्दा। प्रस्ताव पर संक्षिप्त में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह प्रस्ताव अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर ट्रेन में यात्रा करते समय दादरी स्टेशन पर बहुत ही दुःखद तथा बरबरतापूर्वक हुए आक्रमण से सम्बन्धित है।

इसके दो पहलू हैं। एक स्वयं घटना के विशिष्ट पहलुओं से सम्बन्धित है दूसरा समस्या के सामान्य परिणामों तथा सामान्य पहलू से सम्बन्धित है। मैं इन दोनों पहलुओं पर बहुत ही संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त करूंगा।

बहुत से सदस्यों ने जो कुछ कहा है तथा श्री बनातवाला ने अपने प्रारम्भिक भाषण में जो कुछ कहा है, प्रत्यक्ष रूप से उससे ऐसा लगता है कि यह आक्रमण संगठित रूप से किया गया था। इसको संगठित की संज्ञा इसलिए दी जा सकती है क्योंकि विद्यार्थी लोक सभा में पास किए जाने वाले विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तथा अलीगढ़ विश्वविश्रालय को एक अल्पसंख्यक संस्था के रूप में सरकार द्वारा स्वीकृत कराने की मांग को लेकर दिल्ली आ रहे थे।

यह बात सबको मालूम थी कि वे प्रदर्शन करने के लिये आ रहे थे। कोई व्यक्ति जो इसको अच्छा नहीं समझता था उसने आक्रमण करने की योजना बनाई। पृथमदृष्टा यह बात बहुत ही स्पष्ट प्रतीत होती है। आक्रमण करने वाले व्यक्तियों ने अलीगढ़ स्टेशन पर ही दो रेलडिब्बों पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने आक्रमण करने के लिये एक ऐसे स्थान को चुना जहां पर उनको कुछ समर्थकों को मिलने की आशा थी क्योंकि ऐसे निर्जन स्थान पर आसानी से इन लोगों पर आक्रमण किया जा सकता है। इससे घटनाओं का सामान्य क्रम दिखाई पड़ता है। यदि वास्तव में ऐसा ही है, तो इसे अलीगढ़ की घटनाओं का विस्तार ही कहा जायगा। यह अलीगढ़ की घटनाओं से कोई पृथक घटना नहीं है। तथा इससे यही तात्पर्य निकलता है कि अलीगढ़ की साम्प्रदायिक स्थिति अभी भी समाप्त नहीं हुई है।

साम्प्रदायिक समस्याओं के सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री जी ने उप-प्रधान मंत्री बाबू जगजीवन राम जी की अध्यक्षता में नेताओं की एक समिति का गठन किया है। हम समिति की बैठकों में समस्या के सामान्य पहलुओं अर्थात् आसूचना, प्रशासन, राजनीतिक पहलुओं, साम्प्रदायिक राजनीति इत्यादि के सम्बन्ध में भली भांति विचार कर रहे हैं। हम इन सभी बातों पर विचार कर रहे हैं। यदि किसी आयोग की नियुक्ति की जाती है तो स्वाभाविक रूप से उनके प्रतिवेदनों को प्राप्त करने का इन्तजार भी करना चाहिए। जिस समय आयोग द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं उस समय तक स्थिति प्रतिकूल हो जाती है तथा सिफारिशों को लागू करना अव्यावहारिक हो जाता है। उनको लागू करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अतः यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। जिसे केवल स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत ही विचार करके समाप्त नहीं किया जाना चाहिये।

अब म विद्यार्थियों पर किये गये आक्रमण की बात पर आता हूं। विद्यार्थियों के दल के बारे में श्री बनातवाला ने बड़े ही अच्छे ढंग से बताया है। यह युवा मुस्लिम विद्यार्थियों का एक दल था, जिसमें पी एच० डी०, एल एल० एम०, चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग के भी विद्यार्थी सम्मिलित थे। हम सभी जानते हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय देश के सभी विद्यार्थियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सही मानों में अलीगढ़ के विद्यार्थी भारतीय अल्पसंख्यकों के विशिष्ट विद्यार्थी हैं। यदि इस प्रकार के विशिष्ट विद्यार्थियों पर आक्रमण किया जाता है तथा आक्रमण करने वालों को कोई सजा नहीं दी जाती है, और इसकी जांच नहीं की जाती है तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। यह केवल घटना मात्र ही नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक प्रवृति है जिसे पक्के ईरादे के साथ रोका जाना चाहिए। इस प्रस्ताव का यही उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि हम केवल किसी विशेष मामले के बारे में ही बात कर रहे हों। इस समय हमें साफ साफ कहने दिया जाना चाहिये। 'हिन्दू राष्ट्र' मनोवृत्ति ने हमारे राष्ट्रीय जीवन में जहर घोल दिया है। इसका सभी स्तर पर मुकाबला किया जाना चाहिये। भारत की जनता के मन में जहर फैलाने का संगठित रूप से प्रयास किया जा रहा है जो भारत के भविष्य के लिए निश्चय ही खतरनाक सिद्ध होगा।

धर्मनिरपेक्षता किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाने वाला उपहार नहीं है। यह हिन्दुओं का मुसलमानों को दिया गया उपहार नहीं है। यह एक ऐसा उपहार है जिसे भारतवासियों ने स्वयं उत्पन्न किया है। इस देश की स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा एकता

धर्मनिरपेक्षता पर निर्भर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम समानता के इस मौलिक सिद्धान्त की ओर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा कोई भविष्य निश्चित नहीं है।

श्री समर गुह ने बहुत ही दिलचस्प भाषण दिया है। उन्होंने कहा है कि चारों ओर मजहबी राज्यों के समुन्द्र के बीच हमारी स्थिति द्वीपसमूह के समान है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस स्थिति का हम सामना कर रहे हैं क्या इसमें कोई नवीनता है। स्वतंत्रता के समय ये सभी राज्य मौजूद थे। इन सब तथ्यों को जानते हुए हमने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया है। मैं कहता हूं कि यह धर्मनिरपेक्षता का एक द्वीप नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता का महाद्वीप है। **(व्यवधान)** उन्होंने बंगलादेश के प्रभावित होने का जिक्र किया है। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। इसके लिए हमें कोई बहाना नहीं ढूंढ़ना चाहिये। लेकिन यह बंगलादेश के समाचारपत्रों में प्रकाशित शीर्ष का मामला नहीं है। बल्कि भारत में जो कुछ हुआ है उससे सम्बन्धित मामलों का तथ्य है। बंगलादेश में क्या हुआ है? समाचारपत्रों में जो कुछ भी प्रकाशित किया जाता है, वह निश्चय ही विचार करने का मामला है। मैं इसके महत्व को कम नहीं करना चाहता। लेकिन तथ्य यह है कि जमशेदपुर, अलीगढ़ तथा दूसरे स्थानों पर जो इस प्रकार की विशेष घटनायें हुई हैं, उससे मुसलमानों की चिन्ता बनी हुई है। इसकी शिकायत करने के बारे में उनके पास कारण हैं। उनकी शिकायतों का एक उचित कारण स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन इसका उत्तर कौन देगा? धर्मनिरपेक्षता तथा साम्प्रदायिकता के प्रश्न पर मैं विभिन्न दलों में विभाजित होने के पक्ष में नहीं हूं। हम सभी को संगठित होकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की शिकायतों को दूर करना है। हमें उन्हें अपने छोटे भाई की तरह मानना चाहिए तथा उनकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि हममें से कुछ ऐसे व्यक्ति यहां मौजूद हैं जो हिन्दू राष्ट्र की भावना को बढ़ावा देते हैं, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप से सम्बन्धित समस्या के सामान्य पहलू पर अपने कुछ विचार व्यक्त करूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस झगड़े का यही कारण है। दुर्भाग्यवश इससे भविष्य में भी और अधिक झगड़ा होने की संभावना हो सकती है। लेकिन इसके बारे में किसको मालूम है? **(व्यवधान)** हमने जो गलतियां की हैं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। हम सभी 1972 से गलतियां कर रहे हैं। हमने अपनी पार्टी के घोषणापत्र में मांग की थी। लेकिन हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। आपने भी 1977 में अपनी घोषणा पत्र में एक मांग रखी थी। लेकिन आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया है। इसलिए हम सभी गलतियां करते आ रहे हैं। यहां पर मैं किसी पार्टी से सम्बन्धित सदस्य के रूप में नहीं बोल रहा हूं। इस समय मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में बोल रहा हूं। साम्प्रदायिक मोर्चे पर पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ है, उससे मुझे बहुत ही खेद है। हमें इस वास्तविकता को स्वीकार करना ही चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्था है। इसका नाम किसी अधिनियम के द्वारा नहीं रखा गया है। इसके पीछे एक इतिहास है जो इसके वास्तविक स्वरूप को प्रदत्त करता है। यह मुसलमानों की एक छोटी संस्था है। सबसे पहले एक स्कूल खोला गया था जो अन्ततः विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ है। हम इस वास्तविकता को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? मुस्लिम अल्पसंख्यकों की शिकायतों के बारे में बनावटी कारण प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है? हमें वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए।

राज्य सभा ने एक विधेयक पारित किया है। इसके अलावा दूसरा विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक लोक सभा में आता है तो उसे पारित नहीं किया जायेगा और लोक सभा द्वारा पारित विधेयक को राज्य सभा में पारित नहीं किया जायेगा।

प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए हमें आमंत्रित किया है। मैं उनसे इसके बारे में पूछताछ करूंगा तथा निवेदन करूंगा। क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मामला राष्ट्रीय मामले से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? इस प्रश्न के सम्बन्ध में हमें किस कानून का सहारा लेना चाहिए अथवा इस प्रश्न का हमारे पास क्या उत्तर है? क्या यह आवश्यक नहीं है कि सभी दलों के नेता एक साथ मिल बैठकर इस प्रश्न का हल ढूंढ़ निकालें? जब सरकार को सुविधा होती है वह हमको इस विषय पर चर्चा करने के वास्ते बुलाती है। जब सरकार को सुविधा प्रतीत नहीं होती तो हमें नहीं बुलाया जाता है और वे अपनी इच्छानुसार कार्य करते हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि अल्पसंख्यक स्वरूप के इस प्रश्न को संकुचित रूप में न लिया जाय, एक जाति के प्रश्न के रूप में न लिया जाय। यह अल्पसंख्यकों की मनोवृत्ति का सवाल है, एक ऐतिहासिक महत्व का प्रश्न है। हमें कुछ वास्तविकताओं को स्वीकार करना चाहिए तथा उनकी उचित मांग को स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही दादरी स्टेशन पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ जो कुछ किया गया है उसकी सभी को निन्दा करनी चाहिए। इसकी निन्दा करना ही काफी नहीं है बल्कि इस ओर ध्यान देना भी आवश्यक है कि जो लोग सजावार हैं उनको सज़ा दी जाय, जो दोषी हैं उनका पता लगाया जाय। जिन लोगों ने यह दुष्कृत किया है उनके बारे में सारे देशवासियों को जानकारी प्राप्त होनी ही चाहिए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, दादरी में जो कुछ हुआ, वह अत्यधिक निन्दनीय है और सभा के सभी वर्गों ने इसका सामूहिक विरोध किया है। हमारी सरकार खुद यह स्वीकार करती है कि शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन आयोजित हों, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र प्रदर्शन करने आ रहे थे, उनके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थीं और वह यह कि एक ऐसी संस्था जो मुसलमानों के द्वारा बनाई गई है, अगर उसको मुसलमान संचालित न करें तो यह अत्यधिक निन्दनीय है।

मैं एक बात जरूर क़हना चाहूंगा कि यहां दो ही प्रकार की बातें हैं, जो भाषण हो रहे हैं, वह पोलिटिकली मोटिवेटिव हैं। कोई भी बात साफ नहीं है कि शुरू में लोग चढ़े थे या बाद में आकर उन्होंने दंगा किया था। मैं दोनों बातों को लेकर चलता हूं। अगर यह मान लिया जाये कि झगड़ा सुनियोजित था और लोग इस नीयत से चढ़े थे कि झगड़ा करना है तो वह लोग ऐसे ही हो सकते हैं जो यह चाहते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्वरूप अल्पसंख्यक न हो। इसके अलावा दूसरी तरह के लोग हो ही नहीं सकते।

अभी बड़ा क्रांतिकारी भाषण चव्हाण साहब और साठे साहब ने किया। कल तक चव्हाण साहब सरकार में थे, वहां किसी हिन्दू ने एक लठ मारा होगा, लेकिन उन्होंने तो मुसलमान से ही मुसलमान का गला कटवाया 72 में। नुरुलहसन साहब शिक्षा मंत्री थे और

सन् 1965 व 1972 में जो संशोधन किये गये थ, सही मायनों में उन संशोधनों से ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्वरूप विकृत हुआ।-मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप क्रांतिकारी बन गये, कल मंत्री थे तब क्रांतिकारी नहीं थे, आज आप एम० पी० हैं तो क्रांतिकारी हो गये, कल आप एम० पी० नहीं रहेंगे तो हिन्दुस्तान में आप से बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं रहेगा। साठ साहब भाषण कर रहे थे, जब सरकार में थे, तब कभी नहीं कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्वरूप अल्पसंख्यक होना चाहिए।

मैं यह मानकर चलता हूं कि जो लोग चढ़े, उनका एक ही मंशा था, विकृत मानसिकता के लोग थे जो चाहते थे कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र जो परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर, उस परिवर्तन के हम खिलाफ हैं और इस यूनिवर्सिटी का जो स्वरूप वह मांग रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग हम लोगों में से भी हो सकते हैं, लेकिन कोई सफाई साठे साहब और चव्हाण साहब के पास नहीं है जो वह यह कह सकते हों कि वह लोग उनके नहीं थे। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सुनियोजित ढंग से एक ही सूत्री कार्यक्रम है, चाहे मुसलमान का झगड़ा हो, चाहे छोटे लोगों का झगड़ा हो, एक विशेष प्रकार की मानसिकता से जोड़ देते हैं। मैं खुद उन लोगों में से हूं जो इस बात को चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्वरूप अल्पसंख्यक हो लेकिन वह लोग जो सबसे अधिक दुहाई इस बात की दे रहे हैं, उनको नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन वह भी इस प्रकार की मांग कर रहे हैं।

लोगों को चोटें आईं, लोग घायल हुए, यह दुःख का विषय है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह देश का सर्वोच्च सम्मानित सदन है, यहां कोई भी बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहनी चाहिये। अलीगढ़ के छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उसकी प्रतिक्रिया अलीगढ़ में हुई और वहां जाकर लड़कों ने इन्कलाब जिन्दाबाद किया और एक बस जला दी। यहां भी अगर कोई गैर-जिम्मेदारी की बात करेंगे, इस मामले को तूल देने का प्रयास करेंगे, तो इसका राष्ट्रव्यापी प्रभाव होगा। उसके परिणाम यह निकलेंगे कि इस देश में आप एक ऐसा वातावरण तैयार कर देंगे, जिसको संभालने की जिम्मेदारी हमारी और आप सब लोगों की होगी।

मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस देश में अल्पसंख्यक, हरिजन, सिख, ईसाई आज सब को यह एहसास होना चाहिये कि हुकूमत हमारी है और हमारे इन्टरेस्ट को रिप्रैजैन्ट करती है, सब लोगों के विकास के लिए और सब के हित में कार्य करेगी, यह सब का फर्ज है। पूरे राष्ट्र के पैमाने पर जो कुछ आज हो रहा है, अलीगढ़ में छात्रों के साथ जो कुछ हुआ है, इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिये, परिणाम सामने आ जायेंगे और उसी परिस्थिति में कड़े-से-कड़ा दंड देने की व्यवस्था इस सरकार को करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि इस मामले की जांच हो और जांच के बाद जो लोग दोषी हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की व्यवस्था हो।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो घटना हुई है, अगर कोई उससे पोलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो यह ठीक नहीं है। लेकिन अगर इस घटना के बारे में सच्चाई बाहर आती है और कोई उसको छिपाने की कोशिश करता है, तो वह भी ठीक नहीं है। हमारे बारे में तो कोई यह नहीं कह सकता है कि हमने इमरजेन्सी के दौरान इस या उसको सपोर्ट किया था। लेकिन इस घटना के बारे में जो बातें बाहर आई हैं, उनसे साफ-साफ मालूम होता है कि यह सब प्री-प्लान्ड था, क्योंकि अगर झगड़ा होता, तो दूसरे बाज़ू के लोगों में से भी कोई जख्मी होता। हमारे पास एक भी आदमी का नाम नहीं आया है, जो दूसरी तरफ से जख्मी हुआ हो। किसी भी रेलवे स्टेशन से यह रिपोर्ट नहीं आई है कि कोई दूसरी तरफ का आदमी जख्मी हुआ है। स्टुडेंट्स भी कहते हैं कि लोकल लोगों ने हमें नहीं मारा है, उन्होंने हमारी रक्षा की है।

लेकिन हमारी समझ में यह बात नहीं आती है कि इस घटना की जांच का विरोध क्यों किया जाता है, या यह क्यों कहा जाता है कि इसकी जरूरत नहीं है, या इसका डिफेंस क्यों किया जाता है। मुझे बहुत शाक लगा, जब माननीय सदस्य ने कहा कि जहां जहां झगड़े हुए हैं, वहां मैजारिटी के आदमी मरे हैं। क्या ऐसी कोई घटना हुई है, जिसमें इस दश की माइनारिटी को मैजारिटी पर हमला करने की हिम्मत हुई हो? उनकी कभी भी यह हिम्मत नहीं होती है। क्या हमारे यहां हरिजनों की कभी यह हिम्मत होगी कि वे दूसरों पर हमला करें?

जैसा कि श्री चव्हाण ने कहा है, इस मसले का एक स्पेशल बैकग्राउंड है। अलीगढ़ में जो कुछ हुआ, उसकी जांच करने के लिए हमारी पार्टी के कामरेड सुरजीत वहां गए थे। उन्होंने साफ-साफ बताया कि उन घटनाओं के पीछे कौन सी ताकतें थीं और उन्होंने ही सब कुछ किया था। जिस बैकग्राउंड में अलीगढ़ के स्टूडेंट्स पर हमला होता है, क्या हम उसको भूल जायेंगे?

सब को मालूम था कि ये स्टूडेंट्स दिल्ली आने वाले हैं। उनकी जो मांग है, उसके बारे में हमारी राय अलग है, हम उनकी ताईद भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सब लोगों को पार्लियामेंट के सामने अपनी मांग करने का हक है। जिस जगह पर हमला हुआ है, उससे प्रकट होता है कि ट्रेन को रोक कर सब कुछ एक प्री-प्लान्ड तरीके से किया गया। स्टुडेंटस का झगड़ा होता है और लूट-मार भी होती है। लेकिन क्या कभी किसी झगड़े में 70 लोग जख्मी होते हैं? दो चार आदमी जख्मी हो जाते हैं। इसलिए क्या इस मामले की कोई सीरियसनैस नहीं है?

इस बारे में जिम्मेदारी हम लोगों पर, पार्लियामेंट पर है। आज देश के लोगों में एक मायसी का वातावरण है। परसों मध्य प्रदेश में कोई हरिजन बरात में घोड़े पर चढ़ कर गया, तो उसे मारा गया। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन आज इन बातों को पब्लिसिटी मिल रही है। इसी लिए आज लोगों में एक इनसिक्युरिटी की भावना पैदा हो रही है। अगर इस देश में सिक्युरिटी की भावना लानी है, तो हम सब को अपने पोलीटिकल मतभेद भुला कर देश को सैकुलरिज्म के रास्ते पर ले जाने के लिए मिल कर कोई कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री जगजीवन राम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। उसकी बैठकें होती हैं, लेकिन उसने क्या किया है ? क्या उसने देश के सभी लोगों में यह कांफिडेंस पैदा किया है कि इस देश में राष्ट्रीय एकता के आधार पर काम होगा, किसी दूसरे राष्ट्रवाद के आधार पर नहीं। देश में यह भावना पैदा की जानी चाहिए। इस देश में जमशेदपुर जैसी घटना कभी नहीं देखी गई है। आप देखिए, मर्दों के ऊपर हमला किया, वह एक बात है लेकिन औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, 15 दिन का बच्चा, 10 दिन का बच्चा, इन के ऊपर हमला करना, इस में हम इतने भूल जाते हैं, इतने राक्षस बन जाते हैं, इतने शैतान बन जाते हैं कि बच्चे को भी नहीं देखते हैं ? जमशेदपुर के बाद यह जो हमला हुआ है इससे माइनारिटीज़ जो हैं उन के मन में शक होगा। मेजारिटी के मन में नहीं होगा लेकिन हमें माइनारिटीज में कांफिडेंस क्रियेट करना चाहिए और यह सेकुलरिज्म कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है। गलती किसी की भी होगी लेकिन सेकुलरिज्म हमारी सब की जिम्मेदारी है। आजकल कोई भी चीज होती है तो आर० एस० एस० का नाम आता है और आप देखते हैं कि हिन्दू राष्ट्रवाद के लिए भी कुछ न कुछ कहा जाता है। केरल में अभी पांच आदमी मारे गए, पांच आदमियों का कत्ल हो गया। लेकिन हम उस के लिए लड़ने को तैयार हैं। वह सवाल हम यहां नहीं लाए क्योंकि हमारे अंदर लड़ने की ताकत है। हम जरूर लड़ेंगे, पोलिटिकली लड़ेंगे, थ्योरिटिकली लड़ेंगे और दूसरे तरीकों से जैसे लड़ना चाहि वैसे लड़ेंगे। लेकिन अगर लोगों में यह वातावरण फैलाया जा रहा है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट को एक नया वातावरण निर्माण करना चाहिए सेकुलरिज्म का और नेशनल इंटीग्रिली का। यह जो हमारी पार्लियामेंट है उसे कुछ न कुछ उस के लिए करना चाहिए। हमें तो यह लगता है कि कोई भी ऐसा हमला हो जिस में माइनारिटीज का सवाल आता हो उस के लिए स्पेशल कोर्ट आप को बनाना चाहिए। आप ने स्पेशल कोर्ट दूसरे ग्रीवांसेज़ के लिए अगर बनाए हैं तो जहां माइनारिटीज़ के ऊपर और जहां हरिजनों के ऊपर हमला होता है उस के लिए भी कुछ इंतजाम आप को करना चाहिए, स्पेशल कोर्ट या और कोई ऐसा इंतजाम आप को उसके लिए भी करना चाहिए। नहीं तो, कमीशन बैठते हैं, चार चार साल के बाद उनकी रिपोर्ट आती है। अलीगढ़ की कमेटी बैठी है, जांच चालू है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। बेलची की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। मराठवाड़े के बारे में तो अभी रिपोर्ट आई है लेकिन वह भी अभी चल रहा है। ऐसी चीजों में देर नहीं लगनी चाहिए और मेरी तो यह अपील है कि पार्लियामेंट के सब लीडरों को, हिन्दू मुसलमान कोई भी हों, सब को एक अपील करनी चाहिए और जगह, जगह जा कर यूनाइटेडली एक मीटिंग वे लोग करें कांफिडेंस क्रियेट करने के लिए। अगर यह आप करेंगे तो जरूर उन में कांफिडेंस क्रियेट होगा। जैसे कि हम ने एमर्जेन्सी के बाद देखा कि इमाम और दूसरे लोग साथ साथ जाते थे तो दोनों को विश्वास पैदा होता था। इसी तरह आप हिन्दू और मुस्लिम दोनों लीडर साथ साथ जा कर यह विश्वास पैदा करें तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो यहां बैठकर कुछ होने वाला नहीं है। यही मेरा कहना है।

श्री सैयद लियाकत हुसैन (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का शुक्रगुजार हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यह चाहूंगा कि मैं अपने को विदड्रा कर लूं और यह समय श्री राजनारायण को दे दिया जाए। शुक्रिया।

श्री राजनारायण (रायबरेली) : श्रीमन्, मैं श्री लियाकत हुसेन साहब का बहुत ही आभारी हूँ कि देश में वस्तुस्थिति क्या है वह सही ढंग से प्रकट हो इस के लिए उन्होंने हमें मौका दिया। मैं खुदा से यही अपील करूंगा कि लियाकत हुसेन की जो इच्छा थी उस को पूरा करने की मुझे ताकत दें।

अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। हमारे ऊपर दो तीन आरोप लगाए गए हैं। एक आरोप लगाया है यहां से एक सम्मानित सदस्य ने, नाम मैं नहीं जानता, श्याम वर्ण के हैं (**व्यवधान**), शुक्ला जी। शुक्ला जी ने यह कहा कि राजनारायण मुल्क में कम्यनल टेंशन पैदा करना चाहते हैं। जामा मस्जिद की हमारी स्पीच—सही है श्रीमन्—जामा मस्जिद में मैं बोला था। करीब समझ लीजिए कि 20–30 हजार लोग थे। उसके बदले में कुछ हमारे मित्र जो पौलिटिकली हम से डिफरेंट हैं, जामा मस्जिद में दूसरे तीसरे दिन गए जिसमें माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। तीन सौ से ले कर पांच सौ आदमी उन को सुनने गए। यह कलेजा फट रहा है इसलिए कि राजनारायण को सुनने के लिए वह क्यों आते हैं?

मैंने वहां कहा था कि हिन्दुओं और मुसलमानों, सावधान हो जाओ, आर० एस० एस० के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा है, गांधी जी का कोटेशन हमने पढ़ दिया:

"वे गद्दार तथा फासिस्ट हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में महात्मा गांधी के ये शब्द हैं।"

हमने उनको कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने क्या कहा है:

"मेरे विचार से वे हिन्दू राज्य भी नहीं बल्कि ब्राह्मण राज स्थापित करना चाहते हैं।

सरदार पटेल ने कहा है कि वे हिन्दू स्टेट नहीं चाहते बल्कि ब्राह्मण स्टेट चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने उस समय जो कहा था उसका आज सरकार अनुकरण करे। उन्होंने कहा है:

"इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो कि केवल गांधीजी की हत्या से सन्तुष्ट नहीं है। मैं इसे सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की हत्या भी करना चाहते हैं। यह जानकारी मुझे ऐसे व्यक्ति से प्राप्त हुई है जिनका सम्बन्ध ......

उन्होंने कहा कि ये लोग पिस्तौल, बन्दूक, तलवार, भाला और डंडे रखते हैं। यह बाहर रहने लायक नहीं हैं, इनको जेल में रखेंगे।

आज श्री यशवन्तराव चव्हाण जी ने जो बात कही है उसकी मैं ताईद करता हूँ।

"उन्हें जेल भेज दिया जाये। अन्यथा देश बरबाद हो जायेगा।"

मैंने क्या कहा था वहां, यह किताब का कोटेशन पढ़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: समय का भी ख्याल रखिएगा।

श्री राज नारायण: यह कोटेशन है:

राष्ट्रीय स्वयं सेवक का अध्ययन

"अधिकांश वामपंथी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को एक फासिस्ट संगठन मानते हैं। अधिकांश मुसलमान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से घृणा करते हैं। वे सोचते हैं कि यदि यह संगठन सत्ता में होगा तो मुसलमानों का सर्वनाश हो जायेगा---जैसा कि हिटलर के शासन में यहूदियों का हुआ था।"

पं० जवाहरलाल नेहरू ने 16 दिसम्बर, 1948 को कहा था :—

"भारत का पत्तन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे संकीर्ण विचारों वाले संगठन के कारण हुआ।"

यह हमने उस दिन कहा था। अगर यह कहना कम्युनल टेंशन फैलाना है तो हमें मुबारकबाद है और यह न कहना सत्य को छिपाना या बहादुरी है तो आर० एस० एस० के लोगों को मबारकबाद हो।

अब मैं उस दिन की घटना पर आता हूं। देखा जाए कि वह घटना क्या है। मेरे पास यह अस्पताल से चिट्ठी आई है :

"आदरणीय नेताजी,

आदाब। आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद एवं फलादि के लिए जो 220 रुपये प्राप्त हुए, हम सब विद्यार्थी उसके लिए आपके अनुगृहीत हैं।"

मैंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में विद्यार्थियों को फल वगैरह खाने के लिए जो रुपये भिजवाए थे उसके लिए उन्होंने यह पत्र लिखा। **(व्यवधान)** अलीगढ़ को क्या समझते हो ? अलीगढ़ तुम्हें पढ़ा सकता है। तुम पंजाबी हो। **(व्यवधान)** · · · · ·

अलीगढ़ से चलने पर हमारा नारा यही था, "हमारा नेता, राज नारायण, देश का नेता, राज नारायण, मुस्लिम विश्वविद्यालय जिन्दाबाद, काला कानून वापस हो।"

हमें आशा है भविष्य में आपका प्यार एवं संरक्षण हमें प्राप्त होता रहेगा।

सादर
आपका
अफसर यू अहमद
उपाध्यक्ष
मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ,
अलीगढ़।"

यह उन की चिट्ठी है। · · · **(व्यवधान)** · · · · मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज हम को वे सिखा रहे हैं संजय गांधी के बारे में, जिन्होंने काली, दुर्गा जिन्दाबाद का नारा लगाया था। कहां गये श्री विजय कुमार मल्होत्रा, काली और दुर्गा का नारा लगाने वाले। आज हम को संजय गांधी के बारे में बोलते हैं। श्री संजय गांधी गलतबयानी करें, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। संजय गांधी हमसे एक बार मिले हैं बिना इन्फारमेशन के हमारे घर पर।

एक माननीय सदस्य : छः दफ़ा।.

श्री राज नारायण : तुम झूठे और वह झूठा। यह हमने बयान दे दिया कि एक बार वह हमारे पास आया था··· **(व्यवधान)**···उपाध्यक्ष महोदय, आप इन से कहें कि बीच में न बोलें। जब कोई बोलता है, तो मैं बीच में नहीं बोलता। हमने यह हैबिट बना रखी है। तो मैं यह कहता हूं कि संजय गांधी का बयान गलत था, निराधार था। मुझे मालूम नहीं कि अपनी किस कुत्सिक भावना को पूरा करने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। मैं इस बयान की निन्दा करता हूं और जब सवेरे मैंने उठ कर अखबार में इसको पढ़ा था, तो उसका खंडन करवा दिया था। मैं समझता हूं कि नेता, विरोधी दल श्री यशवन्त राव चव्हाण ने मेरे उस खंडन को पढ़ा होगा।··· **(व्यवधान)**···

हमने क्या कहा वहां जामा मस्जिद पर कि आर० एस० एस० के लोग असत्यवादी हैं, इनका आचरण सत्य नहीं है। इन्होंने 1930, 1932 के आन्दोलन में भाग नहीं लिया, 1940, 1942 के आन्दोलन में भाग नहीं लिया। ये राष्ट्रीय स्वातन्त्रय मूवमेंट से बराबर अलग रहे हैं। आप जानते हैं, हम और आप सहपाठी रहे हैं काशी विश्वविद्यालय में। जब वहां आर० एस० एस० की शाखा लगती थी, तो कभी-कभी मौज लेने के लिए मैं भी बैठ जाता था मगर जब गांधी जी ने 1940 में इन्डिविजुअल मूवमेंट का नारा दिया, तो गिरगिट की तरह रंग बदल दिया और जब 1942 आया, तो इन्होंने खुफिया का काम किया, सी० आई० डी० का काम किया और ब्रिटिश इम्पीरियलइज्म के एजेन्ट का काम किया और इन्होंने हम सभी को गिरफ्तार कराया। उनको यह खबर दी कि हमारा मूवमेंट कैसे चलता है। जनता इनको प्यार करेगी? आज देश की जनता खड़ी है कि गांधी जी का बदला आर० एस० एस० से लो। श्रीमन्, यह फाइल है। आप कहें, तो इसे मैं आप को दे दूं।··· **(व्यवधान)**....श्री अटल बिहारी वाजपेयी गिरफ्तार हुए 1-9-42 को और जब वे जेल में थे तो एप्रूवर बने और एप्रूवर बन कर छुटे और एक नौजवान को पांच साल की सजा करवा दी। यह सारा का सारा फाइल मेरे पास है। इससे मैं यह सब कह रहा हूं। यह मैं आपको दे देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इसे देने की जरूरत नहीं है, इसे अपने पास ही रखिए।

श्री राज नारायण : श्रीमन् एक बड़ा प्रचार हो रहा है कि जब एका हुआ तब क्यों नहीं सवाल उठाया गया। मैं बताता हूं एके के मायने हैं एकता, एकीकरण। कहा जा रहा है कि उस समय आर० एस० एस० के बारे में क्यों नहीं कहा? श्रीमन् यह हमारे पास प्रोसीडिंग्स यहां विद्यमान हैं। उस समय के जो जनरल सेक्रेटरी श्री मनभाई पटेल थे उनके द्वारा यह प्रोसीडिंग्स सरकुलेट की गई थी। इस में कहा गया है--

> "चौधरी चरण सिंह ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रश्न उठाया। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कोई कार्यकर्ता जनता पार्टी में नहीं आ सकता। यह दोहरी सदस्यता है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह के कार्यों के लिए नए दल में कोई स्थान नहीं हो सकता।"

उपाध्यक्ष महोदय : बस अब आप बैठिए, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाता हूं।

श्री राज नारायण : श्रीमन् बस दो मिनट और दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जो आपके पास सारा मसाला है, यह किसी और दिन दीजिए ।

श्री राज नारायण : श्रीमन् मैं नई बात कह रहा हूं । मैं देश की जनता और मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि मुसलमान भाइयो, नौजवान भाइयो आप डरना मत । श्रीमन् रात को हमारे पास गांव के लोग आए। उन गांव के लोगों ने हम से कहा कि जब हम लोगों को यह पता लगा कि आर० एस० एस० के गुर्गों ने मुसलमान विद्यार्थियों को मारा है तो हम लोग उन पर टूट पड़े और वे वहां से भाग गए।

श्रीमन् हम उनको जानते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कल हमारी जो आम सभा हुई, आम मीटिंग हुई तो हमने वहां भी यह कहा कि हम इसकी पूरी छानबीन करेंगे। श्रीमन् एक चीज़ मेरे पास है। वह है यह फोटो। श्रीमन् देखिए, इस फोटो को देखिए। इसमें श्री देवरस जी की गोद में मोरारजी भाई को दिखाया गया है । मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोरारजी भाई और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो इन दरिन्दों को जनता पार्टी से निकाल दें। जितनी जल्दी आप यह करेंगे, उतनी जल्दी ही पार्टी का भी भला होगा, देश का भी भला होगा, समाजवाद का भी भला होगा, जनतंत्र का भी भला होगा, धर्मनिरपेक्षता का भी भला होगा । हमारे डेमोक्रेटिक सेक्युलर सेट-अप का भी भला होगा ।

श्री मोहम्मद शफी कुरैसी (अनन्तनाग) : दादरी में जो कल गाड़ी पर हमला किया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों पर जब वे दिल्ली आ रहे थे और एक मुनज्जम हमला किया गया, जिस में काफी लोग जख्मी हुए उससे हम सब लोगों को परेशानी हुई है। इस बारे में एक बुनियादी सवाल पैदा होता है। हिन्दुस्तान की माइनारिटीज़ को क्या यह हक हासिल है कि वे अपने हकूक मनवाने के लिए पुरजोर मुजायरा करें या एहत-जाज करना चाहें तो करें? चन्द रोज पहले जब यहां पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बिल पेश हुआ था तब से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने दिल्ली आना शुरू किया था और उन्होंने इस बात को वाज़ा कर दिया था कि अगर इस यूनिवर्सिटी को माइनोरिटी कारैक्टर नहीं दिया गया तो वे इस चीज़ को तसलीम नहीं करेंगे और उनको यह हक हासिल है कि वे इस बिल के खिलाफ मुजायरा करें। गवर्नमेंट को भी इसकी इत्तिला दे दी गई थी। एक बार नहीं दो तीन बार उनको बोट क्लब पर मजायरा करने की इजाजत नहीं मिली थी और दिल्ली की सरकार ने कई बार उसको रद्द कर दिया था और आखिर में कल के रोज़ उनको यह मौका दिया गया था कि वे वहां पर जा कर मुजायरा करें।

आर० एस० एस० का नाम यहां लिया गया है। मैं समझता हूं कि आर० एस० एस० इस मामले में जिम्मेदार नहीं है क्योंकि अगर वह इसको करता तो ज्यादा अच्छे तरीके से आर्गेनाइज करता और कोई भी लड़का उस ट्रेन से जिन्दा बच नहीं निकलता । सवाल यह है कि अगर माइनोरिटीज़ को कुछ जमानतें दी गई हैं, कुछ हकूक दिए गए हैं तो क्या वह उनका इस्तेमाल कर सकती है या नहीं कर सकती? मैं मानता हूं कम्युनलिज्म माइनोरिटी का हो या मैजारिटी का, बुरा है। माइनोरिटी का कम्युनलिज्म सिर्फ माइनोरिटी को ही नुकसान पहुंचा सकता है जबकि मैजोरिटी का कम्युनलिज्म फैसिस्ट हो जाता है और वह सारे मुल्क को नुकसान पहुंचाता है । सारे हिन्दुस्तान में दस करोड़ मुसलमान आज

अगर एक हो जाएं, फिरकापरस्त हो जाएं तो वे खुद अपना ही नुकसान करेंगे और मैजोरिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं लेकिन अगर मैजोरिटी एक हो जाए और हिन्दू राष्ट्र या हिन्दू देश का नारा लगाए तो सिर्फ माइनोरिटी को नुकसान बल्कि सारे मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती है। कोई भी जम्हूरी हकूमत हो, जिम्मेदार हकूमत हो जब समाज के किसी तबके के साथ बेइंसाफी होती है शर्मिंदगी का एहसास होता है लेकिन अफसोस की बात है कि हिन्दुस्तान के वजीरेआज़म जब बहस चली तो हाउस में आए और पन्द्रह मिनट बैठे और बैठ कर सोये रहे और जागे और उठ कर चले गए। अगर शर्मिन्दी का एहसास भी नहीं है तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क में जम्हुरियत का जो तरीकेकार है वह खतरे में पड़ सकता है।

होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं। आठ दस दिन पहले इन्होंने काश्मीर के बारे में एक ब्यान दिया था और कहा था कि वहां कुछ नहीं हुआ, वहां की हकूमत ने बरवक्त कार्रवाई की लेकिन जब मैंने इसरार किया कि पटेल साहब आप खुद तशरीफ ले जाएं और वहां जाने के बाद वापिस आ कर उन्होंने जो ब्यान दिया जो हकीकत मालूम हुई उसकी बिना पर तो उन्होंने कहा कि हजारों लोग बेघर हो गए हैं, डेढ़ हजार के करीब मकान जलाए गए हैं, मवेशी जलाए गए हैं। यहां भी कहीं ऐसी बात तो: नहीं है कि आपको हालात की पूरी वाकफियत नहीं है? आप ब्यान दे देंगे और कुछ न कुछ कह देंगे लेकिन क्या वह वाकात पर मबनी चीज़ होगी?

एक बुनियादी सवाल पैदा होता है। माइनोरिटीज़ पर पहले भी जुल्म होते रहे हैं, वे तकलीफ बरदाश्त करती रही हैं लेकिन आज जो खास बात है कि—माइनोरिटीज जो प्रोटस्ट करना चाहती हैं किसी ऐसे कानून के खिलाफ जिस को वे समझती हैं कि उनके खिलाफ जाता है तो क्या उनके उस प्रोटैस्ट के खिलाफ उन पर हमला किया जाएगा? मैं समझता हूं कि होम मिनिस्टर को इसका जबर्दस्त नोटिस लेना चाहिए।

आज उन पर एहतजाज करने पर हमला किया गया है। कल को जो लोग पार्लियामेंट में इस बिल की हिमायत करेंगे तो क्या उनकी जात भी महफूज रह सकेगी? मैं समझता हूं नहीं रह सकेगी। आज ट्रेन पर उन पर हमला किया गया है। आज रेलों में सफर करना वैसे ही आरामदेह नहीं है, रेलों की जो दुर्गत बनी है आज वह पहले कभी नहीं बनी थी और मुमकिन है कि इससे भी ज्यादा खराब कल को हो। लेकिन जहां रेल मिनिस्टर की जिम्मेदारी है और शिव नारायण जी की खास तौर पर कि रेलों में जो सफर करें उनकी जिन्दगी महफूज रहे, जान माल महफूज रहे वहां आप की भी जिम्मेदारी है और आप भी उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। जब ऐसे मुजायरे हों और आप जानते हों कि माइ-नोरिटी को तालिब इल्म मुजायरा करने वाले हैं और वे—पुरअमन हैं, एक भी ऐसा बाकी आपको नहीं मिलेगा कि जहां पर उनके खिलाफ आपको कोई शिकायत हो या उन्होंने कानून को तोड़ा हो या कानून शिकनी की हो, तो उस हालत में क्या उनकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? अगर माइनारिटीज को एक पुरअमन मुजाहिरा करने की सजा यह मिलती है, चन्द गुंडे लफंगे उनकी गाड़ी को रोक कर बेदर्दी से पीटते हैं और हुकूमत टस से मस नहीं होती, मैं समझता हूं एक ऐसा वाकया है जिस पर आपको शरमिन्दा होना चाहिए।

लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आज इस मुल्क में इन्सान की जिन्दगी एक सिगरेट के पैकेट से ज्यादा नहीं है। किसी की जान महफूज नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि माइनारिटीज को आप कब कान्फीडेंस में लेंगे तभी वह अपने आपको महफूज समझ सकती है।

अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बिल आपके पास आया, आप यह नहीं कह सकते कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैरेक्टर को आपकी हकूमत के जमाने में खराब किया गया था। हम आपको आपका ही वायदा याद दिलाते हैं। माननीय चव्हाण साहब ने ठीक कहा अगर हमसे कोई गलती हुई है और उस गलती का नतीजा माइनारिटीज को उठाना पड़े तो आप ऐसी गलती न कीजिये।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। 6 बजे तक आपने अनाउन्स किया था, लेकिन इस समय 6 बज कर 8 मिनट हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री ए० के० राय : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक महत्वपूर्ण विषय पर वाद-विवाद चल रहा है और हम देख रहे हैं कि एक चित्र परिचालित किया जा रहा है। इससे प्रत्येक सदस्य का ध्यान बंट रहा है। मेरे विचार से वह चित्र जब्त कर लिया जाना चाहिए। यदि वे उस चित्र को देखना चाहते हैं तो वे इसे बाहर जाकर देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राय ने ठीक ही कहा है। जब वाद-विवाद चल रहा हो तो सदस्यों को चित्र दिखाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहिए।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैंने बुनियादी बात का जिक्र किया था। मैजारिटी यहां अपनी तादात की बुनियाद पर कोई भी कानून पास करवा सकती है क्योंकि जम्हूरी तरीका है और मुल्क के अन्दर और बाहर आप कह सकते हैं कि हमने जम्हुरी तरीके से इस बिल को पास किया। लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों मुसलमान यह चाहते हैं कि आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का माइनारिटी कैरेक्टर रेस्टोर करें? और जब आप देखते हैं कि माइनारिटी कम्युनिटी पूरी की पूरी इस बात की इच्छा रखती है कि वह इस माइनारिटी कैरेक्टर को हासिल करना चाहती है तो आप मैजारिटी की बुनियाद पर माइनारिटी को अगर हराना चाहते हैं तो आप जम्हूरियत का नीगेशन कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि जहां माइनारिटीज़ के कुछ राइट्स हैं वहां मैजारिटी का राइट है कि वह देखे कि जहां माइनारिटीज की भावना जख्मी होती हो वहां पर मैजारिटी को चाहिये कि अपना दिल बड़ा करे और उनको ऐकोमोडेट करे।

आज पटेल साहब से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि दंगे पहले भी होते रहे हैं, फ़साद पहले भी होते रहे, लेकिन पहले यह कभी नहीं हुआ कि हाकिम की बगल में जालिम बैठा हो। हम जब जुल्म की फर्याद करते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ तो हम हाकिम की तरफ देखते हैं, मोरारजी भाई की तरफ देखते हैं। लेकिन जब उनके साथ उनकी बगल में आर० एस० एस० को देखते हैं तो अपने लिये कोई इन्साफ की उम्मीद नहीं रखते हैं

इसलिए यह हाउस जो है हमारा अगर सरकारी बिल पास करने के लिए ही है और उसके लिये हमें जो 51 रु० मिलता है तो मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन स्पीकर साहाब, आप एक ऐसे नाजुक मौके पर हिन्दुस्तान के स्पीकर बने हैं की अगर आपने आज इस ऐवान को सही रास्ते पर नहीं लगाया तो आइन्दा तारीख आपको और हमको इल्जाम देगी कि हमने सरकार की मदद की, हमने अपोजीशन का कोई ख्याल नहीं रखा।

हमने अकलियतों की, जिनकी आवाज यहां पर उठाई गई, बनातवाला उठायें, उनको कहा जाये कि मोहम्मद अली जिन्ना का नुमाइन्दा है, मैं उठाऊं तो कहा जाए कि यह फिरकापरस्त है, इससे मसला हल होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि इस मुल्क की बदकिस्मती है आज बाबू जगजीवनराम, मधुलिमये, चन्द्र शेखर, दंडवते और जार्ज फर्नान्डीस जो हैं, क्या उनकी जबान बन्द हो गई है? क्या वह यह नहीं देखते कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? जो मि० वर्मा हैं, हमारे और भी साथी यहां बैठे हैं क्या वह इस बात का एहसास नहीं करते कि माइनैरिटीज़ के कांफीडेंस को दोबारा हासिल करने के लिए उनको मैदान में आना चाहिये।

अलीगढ़ के इन तुलबा पर जो हमला हुआ है, मैं उसकी पुरजोर मुजम्मत करता हूं और हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि वह तहकीकाती कमीशन मुकर्रर करे और जो कोई भी मुजरिम हो तहकीकात करने के बाद पता लगे उसको पूरी सजा दे।

डा० मुरली मनोहर जोशी (अलमोडा): अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान से इस गंभीर समस्या पर सम्मानित सदस्यों के विचार सुने। मुझे सर्वप्रथम तो इस घटना के विषय में सारे सदन के साथ अपने भी विचार व्यक्त करने हैं कि कभी भी यदि किसी एक समूह पर हमला हो, चाहे वह एक सामान्य विधि और व्यवस्था की घटना हो या उसके पीछे कोई साम्प्रदायिक वैमनस्य हो, वह घटना कभी भी किसी भी देश के लिये अच्छी नहीं कही जायेगी। हम सब मिलकर इन घटनाओं की भर्त्सना करें। लेकिन श्री बनातवाला के भाषण को मैंने ध्यान से सुना, उन्होंने अपने भाषण में कहीं यह नहीं कहा कि उन्हें इस सम्पूर्ण घटना की कोई निजी जानकारी साफतौर पर है और वे दादरी गए थे। अखबारों में क्या छपा, किसी से उन्होंने क्या सुना, उन्होंने क्या कहा है, वह कहां गये होंगे? इससे मैं इन्कार नहीं करता कि----

श्री जी० एम० बनतवाला: मैं जब लीव मांग रहा था हाउस की, मैं उसी वक्त कह चुका था कि मैं हस्पताल में दो बार गया हूं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: अस्पताल में?

श्री जी० एम० बनतवाला: बातों को बार-बार दोहराया नहीं करते।

डा० मुरली मनोहर जोशी: मैंने घटनास्थल की बात कही है, अस्पताल के लिये नहीं कहा है। मैं सम्मानित सदस्य से कहूंगा कि वह ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनें। उन्होंने न तो किसी प्रथम सूचना, एफ० आई० आर० का ऐसा जिक्र किया कि जिससे यह पता चलता हो कि किसने किस पर हमला किया, कब किया, कैसे किया।

श्री वसन्त साठे : मैंने कहा था।

डा० मुरली मनोहर जोशी : आपने कहा होगा। आपके भाषण के विषय में मेरी क्या राय है, उसे सारा हिन्दुस्तान जानता है और आप अपने भाषण में संजीदगी को लाने की कोशिश न करें।

मैं श्री बनातवाला के सन्दर्भ में कह रहा था। **(व्यवधान)**

श्रीमन्, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जब साठे साहब बोल रहे थे, तो मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उन्होंने यह नहीं कहा।

प्रश्न यह है कि क्या इस सम्मानित सदन को केवल सुनी-सुनाई बातों और अफवाहों पर इस प्रकार से उत्तेजित किया जाना चाहिये? यह एक बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि जिस प्रश्न पर चव्हाण साहब ने ध्यान आकृष्ट किया, मैं उससे सहमत हूं कि यह एक दृष्टिकोण का, टीट्यूट का और वायुमंडल का सवाल है। हमें कौन-सा वायुमंडल इस देश में पैदा करना चाहिए? क्या हमारा उद्देश्य है?

जहां तक मल्होत्रा जी ने कहा, साफ कहा, ठीक कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का पूरा अधिकार है और इस देश के नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी शासक दल की है और जो यहां इस देश में बहुसंख्यक हैं, उसकी भी है, इसमें कोई शक हनहीं है।

लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब बार-बार यह कहा जा रहा है कि जहां एक माइनारिटी संस्था है, यहां एक माइनारिटी कम्यूनिटी है, तो हमें इस बात पर बुनियादी तौर पर विचार करना होगा कि हमारा मतलब किस माइनारिटी से है। अगर हम इस देश में लोकतन्त्र को स्थिर करना चाहते हैं, तो सारे राजनैतिक दलों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वे साम्प्रदायिक आधार पर अल्पमत और बहुमत का प्रयोग करना छोड़ दें, और उसके स्थान पर, केवल सामाजिक और आर्थिक आधार पर प्रजातंत्र में अल्पमत और बहुमत की जो परिभाषा होती है, उसे स्वीकार करें।

माननीय सदस्य, श्री चव्हाण, तीस वर्षों तक शासन पर आरूढ़ रहे और एक ऐसे दल के साथ सम्बन्धित रहे, जिसने सैकुलरिज्म पर विश्वास किया। मैं उनसे, और आज जिन मित्रों ने भाषण दिये हैं, उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले तीस वर्षों में उन्होंने इस बात पर विचार किया कि जनतंत्र में किस आधार पर अल्पमत और बहुमत का निर्णय करना चाहिए। आज से कुछ साल पहले कुरैशी साहब मैजारिटी में थे और आज वह माइनारिटी में हैं। आज श्री रशीद मसूद और लियाकत हुसैन साहब मैजारिटी में बैठे हुए हैं और दूसरे लोग माइनारिटी में हैं। श्री चव्हाण पहले मैजारिटी में थे और आज वह माइनारिटी में हैं।

इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जनतंत्र में अल्पमत और बहुमत की परिभाषा सामाजिक और आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए, इस सिद्धान्त को हमें स्वीकार करना होगा। अगर

हम बार-बार जहां कहीं कोई घटना हो, उसको ले कर साम्प्रदायिक आधार पर मैजारिटी और माइनारिटी की बात करते रहेंगे, तो यह बात जनतंत्र के लिए हानिकर होगी। जैसा कि श्री गुह ने कहा है, रेलवे यात्रियों के बीच आये-दिन घटनायें होती हैं। (व्यवधान) फोटोग्राफ दिखाने के बारे में कुछ सदस्य बिल्कुल विशेषज्ञ हैं। वे तरह तरह के फोटो सदन में और केन्द्रीय हाल में दिखाते रहे हैं। (व्यवधान) और बेचते भी रहे हैं। वे फोटो श्लील और अश्लील सभी प्रकार के हो सकते हैं। यह तो आदत का सवाल है। उसके बारे में ज्यादा चिन्ता नहीं करनी चाहिए। वह आदत से लाचार हैं। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मुझे सब सदस्यों को भी सुनाना है और प्रधान मंत्री जी को भी सुनाना है। मैं सब का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने कहा था कि यहां चित्र आदि का प्रदर्शन नियम-विरुद्ध है। इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री बनतवाला ने यह स्वीकार किया कि उन स्टेशनों पर नागरिकों और ग्रामवासियों ने इन छात्रों की रक्षा की। यह इस बात का सबूत है कि भारतवर्ष में इस प्रकार के किसी भी आक्रमण को साम्प्रदायिक रूप में देखने वाले लोगों की संख्या कम है, और जब किसी पर आक्रमण होता है, तो उसको बचानेवालों की संख्या अधिक है। ऐसे लोग ज्यादा हैं, जो ऐसे मौके पर सामने आते हैं और मदद तथा रक्षा करते हैं। अगर में उनका तर्क मान भी लूं, तो आखिरकार जिन लोगों में इन छात्रों को बचाया, वे उनके हिसाब से बहु-संख्यक धर्म के मानने वाले लोग ही थे। उन्होंने छात्रों को बचाया, उनकी मदद की, सामने आये और कहा कि ऐसा नहीं होने दिया जायेगा। देश में जो सद्भावना का वायुमंडल है, जो सर्वधर्म समभाव का वातावरण है, ये लोग उसको नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : श्रीमन् वहां क्या हो रहा है?

श्री वसंत साठे : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया नियम 349(1) को देखिए जिसमें कहा गया है :—

"जब सभा बैठी हो तो कोई भी सदस्य सिवाय सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित किसी पुस्तक, समाचार-पत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा।"

श्री राजनारायण : यह इस मामले से सम्बन्धित है।

श्री वसंत साठे : क्या हो रहा है पहले चित्र और अब पुस्तक दिखाई जा रही है। वह जाकर प्रधान मंत्री, सभा के नेता तथा विधि मंत्री को भी इसमें अन्तर्ग्रस्त कर देते हैं। क्या हम किसी गंभीर मामले पर विचार कर रहे हैं। किसी प्रकार का मजाक कर रहे हैं? चाहे पुस्तक कितनी भी महत्वपूर्ण हो, ऐसा नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं।

श्री राजनारायण : मैं अपने मित्र श्री साठे को बधाई देता हूं। इस पुस्तक का चर्चाधीन विषय से ही सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी आप इस प्रकार बाधा नहीं पहुंचा सकते। आप इसे पढ़ नहीं सकते। कृपया इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप इसे खद पढ़ लीजिए किन्तु इस तरह इसे परिचालित नहीं कर सकते। आप चारों ओर घूम रहे हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन्, मैं सदन की गरिमा और मर्यादा की ओर सब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस गम्भीर समस्या पर विचार किया जा रहा है, तब सदन की मर्यादा को बनाये रखना सब के लिए आवश्यक है। यहां पर कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के नाम पर कुछ बातें कहीं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे इस सम्मानित मित्र ने श्री साठे जी के नेता संजय गांधी के साथ मुलाकातें कीं, संजय गांधी ने इस बात का रहस्योद्घाटन किया कि मेरी कुछ गुप्त मुलाकातें उन नेताजी के साथ हुई हैं और अगले ही दिन ये वारदातें हो गईं, मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस बात की जांच की जाय कि, क्या जिन गुप्त मुलाकातों का जिक्र संजय गांधी ने किया है, जो कल की दुर्घटना हुई है वह कहीं उस गुप्त मुलाकात का दुष्परिणाम तो नहीं है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि इस के पीछे कौन-से तत्व काम कर रहे हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए कि दादरी स्टेशन के पास जो लोग रहते हैं उनमें किन का प्रभाव है और जो लोग डंडे की बात करते हैं और सदन में डंडा लेकर स्वयं आते हैं उन से भी सदन को और देश को संरक्षण की आवश्यकता है।

श्री राजनारायण : आर० एस० एस० का नाश करने के बाद यह हटेगा।

डा० मुरली मनोहर जोशी : श्रीमन्, मैं इस बात से सहमत हूं कि आज एक सत्ता की राजनीति की जा रही है। जब तक मैं सत्ता में हूं तब तक तो एक संगठन ठीक है, तब तक तो आर० एस० एस० बिल्कुल ठीक है। आज मैं सत्ता में नहीं हूं तो वह संगठन ठीक नहीं है। यह कोई बात नहीं हो सकती है। चव्हाण साहब यहां बैठे हैं, उन्होंने भी आर० एस० एस० के लोगों को 26 जनवरी के दिन बुलाया था। जिस दिन देश पर आक्रमण हुआ था, उन्होंने भी आर० एस० एस० के लोगों को यहां पर और देश की सुरक्षा के लिए लगाया था, दिल्ली में पहरेदारी के लिए लगाया था और आज वह यह कह रहे हैं कि आप दंगे करा रहे हैं, आप यह करा रहे हैं? आखिर कहीं पर तो तर्क रखें, कुछ तो याद रखें— निस्सन्देह जनता की स्मरण शक्ति कम है, किन्तु यह उतनी कम नहीं है।

कहीं पर तो तर्क दीजिए, कहीं पर तो किसी बात का स्मरण कीजिए।.. (**व्यविधान**) ...कुरेशी साहब आफ सहसाहब आप बैठिए। आप रेलगाड़ी चला रहे थे जिस समय देश पर हमला हुआ था और ऐक्सीडेंट कर रहे थे और रेलों के लिए जो आप ने शिवनारायण जी को कहा है, उस के लिए तो आप खुद जिम्मेदार हैं। जो इंतजाम आप रेलों में कर के गए उसको आज तक देश भगत रहा है।

श्रीमन्, एक बात कहूंगा।

इश्क में ऐसी भी हालत पायी जाती है।

लैला नज़र आता है और मजनू नज़र आती है।।

ये हालात हैं कुछ हमारे दोस्तों के जिन्हें कभी-कभी सीधी चीज उल्टी नजर आती है। भलाई में बुराई नजर आती है और बुराई में भलाई नजर आती है। ध्यान दीजिए और संभल कर रहिए। देश में साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाने से किसी का भला नहीं होने वाला है। यह मेंटेलिटी काउंटर प्रोडक्टिव है, मैं आप से बता रहा हूं। जैसे एमर्जेंसी आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हुई थी उसी तरह यह जो आप कम्यूनलिज्म की बोगी उठा रहे हैं यह आप के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगी, यह एलैक्टोरली आप के लिए यूज़फ़ुल नहीं होगी।.... (व्यवधान)......

मै बहुत अनुशासित हूं। मैं आप से केवल दो मिनट चाहता हूं। बहुत व्यवधान किया गया है।

मै शासन से भी यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में जांच कर लीजिए। 79 साम्प्रदायिक दंगों की जांच की गई। रघुबरदयाल कमीशन ने जांच की। कभी कभी जिस का चिक्र कर दिया जाता है, भिवंडी का, उसमें चार लाइनें आर० एस० एस० के बारे में लिखी हुई है। 78 रायट्स के बारे में कहीं उसका जिक्र नहीं है और साफ लिखा गया है कि इसमें आर० एस० एस० का कोई हाथ नहीं है। उसका जिक्र आप नहीं करते हैं। आप उस भिवंडी की चार लाइनों को लिए घुमते रहते हैं और जिनमें कांग्रेस का भी जिक्र किया गया है कि कांग्रेस के लोगों ने झगड़े कराए और आज भी मै चार्ज करता हूं कांग्रेस (आई०) के लोगों को, कि वे सारे देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके जिक्र करने से आप कतराते हैं...(व्यवधान)...सी० आई० ए० से आप के ताल्लुकात का जवाब आप को देना है। अभी तक आप ने जवाब नहीं दिया है। सारी दुनिया में सी० आई० ए० ने अपने एजेंट बना कर इस तरह से देशों में राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न की है और साठे साहब उस राजनैतिक अस्थिरता को पैदा करने की जिम्मेदारी से बचे नहीं है। इस को वे ध्यान में रखें। इसका आप ने जवाब अभी दिया नहीं है और स्टीफेन साहब भी आप की बगल में बैठे है, याद रखिए... इतिहास आपको माफ नहीं करेगा...(व्यवधान)...

श्रीमन्, सदन से मैं यह अपील करना चाहता हूं, इस में किसी का भला नहीं है। इसमें न विपक्ष का भला है न किसी व्यक्ति का भला है। देश में साम्प्रदायिक दुर्भावना को पैदा करने वाले जितने भी लोग है, उसके लिए जो भी षड्यन्त्र किए जा रहे है, हम उन की पूरी निन्दा करेंगे और डट कर मुकाबिला करेंगे...(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: वह अधिकाधिक समय ले रहे है और आप चुपचाप बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपने भी अधिक समय लिया।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: आप सत्तारूढ़ दल का पक्ष ले रहे है। आप हमारी बात संयम से नहीं सुनते।

अध्यक्ष महोदय: आपके पास इसे समझने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं है। आप लोगों को देखने का और ही दृष्टिकोण है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : आप तिरछी नजर वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरेशी गाली-गलौज वाली बात मत कहिए। आपमें कुछ समझ होनी चाहिए।

प्रो० समर गुह : उनमें कुछ शालीनता होनी चाहिए।

यह बहुत बुरी बात है। अध्यक्ष का मान सभा का मान होता है। अपने विचार व्यक्त करने का भी कोई तरीका होता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अकारण ही किसी पर दोष लगा रहे हैं। आपने अधिक समय लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चिल्ला क्यों रहे हैं तथा गाली गलौज क्यों कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : आप मुझे सभा ने निकाल सकते है। मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके पात्र नहीं है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मै जानता हूं आप इस तरह की योजना बना रहे है।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा किया जाये। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं ऐसा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा करने के लिए। **(व्यवधान)**

श्री सूरत बहादुर शाह (खेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय कुरेशी का यह प्रदर्शन उनकी अपनी भाषा में यह पूछना है :

यह सुब्बे अली है या बुग्जे मुबाजिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं है। अब डा० वी० ए० सैय्यद मुहम्मद अपना भाषण देंगे।

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद (कालीकट) : अध्यक्ष महोदय, त्रासदी पूर्ण घटनाओं का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जा चुका है और उनके दिल दहलाने वाले अनुभवों का वर्णन किया गया है। परन्तु मैं उनकी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। परन्तु मैं कुछ मूलभूत बातों की चर्चा करूंगा जिनसे परिस्थिति को समझने में सहायता मिलेगी।

श्रीमान्, इस देश के कुछ नागरिक अपने संवैधानिक और लोकतंत्रीय अधिकार का उपयोग करने शान्तिपूर्वक अलीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे। उन पर हमला कर दिया गया। मैं हमले के विस्तार में नहीं जाऊंगा। अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को, विशेष रूप से छात्रों से सम्बद्ध होने से अपराध और भी बढ़ जाता है। श्रीमन्, यह कोई इक्की-दुक्की घटना नहीं है। बेल्ची से लेकर कल के दादरी की दर्दनाक घटना तक इस देश में बहुत से व्यक्तियों की जानें गई हैं। ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? पिछले दो वर्ष में ही ऐसी घटनाएं घटी हैं। थोड़े समय को ध्यान में रखते हुए, तथा अनिष्ट कार्यों की व्यापकता को देखकर, अटिल्य हूम, तैमूर, मंगोल, चंगेजखां का जुल्म फीके पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मूलभूत बात यह है। इन्दिरा विरोधी वातावरण में एक ऐसी पार्टी जिनका फासिज्म में विश्वास है तथा जिनके पास अर्द्ध सैनिक शक्ति है केन्द्र तथा कुछ राज्यों में सत्ता में आ गई। उनकी विचारधारा उनकी अर्द्ध सैनिक शक्तियां इस मृत्यु-तांडव के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे नाजी जर्मनी में यहूदियों को निकाला था, वैसी ही प्रक्रिया हमारे देश में मुसलमानों के विरुद्ध शुरू हो गई है। बात यहीं तक समाप्त नहीं होती--अपितु शुरू होती है। यह नीति न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए घातक है अपितु इस देश के कार्मिकों, किसानों और प्रगतिशील तत्वों के लिए भी घातक है।

यह आप इस नीति का विभागीयकरण करें कि यह केवल अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हमला है तो पूरी स्थिति का पता नहीं चलेगा। नाजियों ने यह कार्यवाही यहूदियों के विरुद्ध की तथा आज वही कार्यवाही हमारे देश में मुसलमानों के विरुद्ध की जा रही है। यदि हम उसे रोकते नहीं तो जो स्थिति वैमिर संविधान की हुई वही हमारे संविधान की होगी। उसकी विषैली स्मृति अभी भी विस्मृत नहीं हुई है। हम इस शक्ति से डरते नहीं हैं। मेरा यह कथन इसलिए नहीं है कि हमारी राजनीति में अल्पसंख्यक सदस्य को इसका घमंड है। इस देश के 5,000 वर्ष के इतिहास की आस्था, संस्कृति और परम्परा से यह सिद्ध होता है। मैं जानता हूं कि हमारे देश का विशाल बहुमत इन शक्तियों को सहन नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि इस देश की प्रगतिशील तथा लोकतंत्रीय शक्तियां उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए वचनबद्ध हैं। मैं उन्हें याद दिलाने के लिए उनके अग्रणियों की बात याद दिलाना चाहता हूं "हजार वर्ष तक जर्मन राज्य"। हम जानते हैं कि उनका क्या बना। वे 'हजार वर्ष तक जर्मन राज्य के दर्शन वाले एक व्यक्ति को नंगे फांसी पर लटका दिया गया तथा दूसरे ने अपने बंकर के अन्दर पेट्रोल से अपने को आग लगा कर आत्म हत्या करली तथा उनके अनुयायी विश्व भर में बिखर गये और उनमें से कुछ दक्षिण अमरीका में अपने को छिपाते रहे।

हमें उन फासिस्ट शक्तियों से कोई भय नहीं है। हमने अपने देश के इतिहास में तथा विश्व के इतिहास में भी फासिस्ट शक्तियों की दर्दनाक समाप्ति देखी है। यदि कोई यह सोचता है कि अल्पसंख्यकों पर हमला करके इस देश में लोकतंत्रीय शक्तियों को समाप्त कर सकते हैं तथा इस देश में फासिस्टवाद शुरू कर सकते हैं। तो उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। उनकी खाकी निकरें, लाठियां तथा उनके अभ्यास उनकी रक्षा नहीं कर सकेग जिस प्रकार से उनके सहयोगियों को इटली और जर्मनी में उनके जैक बूट, टैंक आदि नहीं बचा सके थे। जैसा कि मैंने बताया कि इस देश का इतिहास और संस्कृति इस पैशाचिक सत्ता को बचा नहीं सकेंगे। इस बारे में मुझे कोई

सन्देह नहीं है। मैं उस ओर के अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि वे परिस्थिति को समझें। सरकार में दूरदर्शी व्यक्तियों की प्रशंसा करते हुए हम अनुभव कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, बहुमत अब क्या कर रहा है। व दोहरी सदस्यता की चर्चा कर रहे हैं, वे पार्टी के उद्देश्यों तथा सदस्यता की चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राजनीतिक पार्टी है अथवा अर्द्ध राजनीतिक पार्टी है। इस मामले पर चर्चा की जा रही है जितनी जल्दी वे इस खतरे को समझ लें उतना अच्छा है। मैं अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बोल रहा हूं। मैं भारत के नागरिक के रूप में बोल रहा हूं तथा मैं अपने समक्ष खतरा अनुभव कर रहा हूं। लोकतंत्र के प्रति यह खतरा हमने जर्मनी में देखा। हम उसकी पुनरावृत्ति अपने देश में नहीं होने देंगे। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सिद्धान्त तथा दर्शन उतना महत्व नहीं रखते। हमें श्री चर्चिल के शब्दों में उन मतभेदों को भुला कर इस संसद में गलियों तथा हर जगह पर शरारती तत्वों का मुकाबला करना चाहिए। इस बारे में हम अपना पूरा सहयोग देंगे। दलीय भावनाओं से प्रेरित होकर मैं यह बात नहीं कह रहा हूं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मेरा इस देश के सांस्कृतिक तथा अध्यात्मिक मूल्यों में पूरा विश्वास है हमें इन पैठायी शक्तियों को समय रहते समाप्त करना है। सभा ने विशेष न्यायालय का विधेयक पारित कर दिया है। आप इसे कुछ भी कहें इससे अंतर नहीं पड़ता। उन्हे कठोर तथा शीघ्र कार्यवाही करने की शक्ति दे। वाद-विवाद द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। इस बुराई को समय रहते समाप्त करना चाहिए। हम यह नहीं चाहते कि फासिस्ट शक्तियां फिर सत्ता म आये। यें इतनी खतरनाक हैं कि हम यह जोखिम नही उठा सकते।

मै पुन: सभी लोकतंत्रीक शक्तियों को अपने सहयोग के प्रस्ताव को दुहराता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बारे में समुचित कानून पारित करें।

श्री **कँवर लाल गुप्त** (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ में जो कुछ हुआ, या दादरी में जो कुछ हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी इंसान इसे ठीक नहीं कह सकता। अगर कोई हिन्दु किसी मुसलमान पर यह समझ कर आक्रमण करता है कि वह मुसलमान है तो मैं समझता हूं कि वह हिन्दू नहीं है। अगर कोई मुसलमान किसी हिन्दू पर यह समझ कर आक्रमण करता है कि वह हिन्दु है तो वह मुसलमान नहीं है। वे कुछ और हो सकते हैं। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता सब इस बात का सबूत है कि हम किसी मत-मतांतर के कारण एक-दूसरे में भेद नहीं करते।

मैं यह मानता हूं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लडकों को पूरा अधिकार है कि वे अपनी बात आकर के यहां कहें। उनको रेली करने का भी अधिकार है। उनको शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने का भी अधिकार है। यही तो जनता पार्टी की देन है। अध्यक्ष महोदय, अगर यह हिन्दू-मुस्लिम लड़ाई न हो कर के कुछ और है तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम इसकी पूरी तहकीकात करें। इस घटना को घटे 36 घंटे हो गये, अलीगढ़ का प्रकरण हमारे सामने है, जमशेदपुर में क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ, वह सब हमारे सामने है और उन सब चीजों पर इस सदन में हम ने डिस्कशन किया है। इन सब चीजों के होने के बाद भी क्या गृह मंत्री जी का यह फर्ज नही था कि वे स्वत: इस चीज की इंकवायरी करते और उसके बाद यहां बयान देते?

अध्यक्ष महोदय, टाइम्स आफ इंडिया में आया है कि किसी लड़की को छेड़ा गया इस लिए गडबड पैदा हुई नवभारत टाइम्स में आया है कि आर० एस० एस0 वालों ने कुछ

किया। तीसरे अखबार में और कुछ आता है। मैं कहता हूं कि यह हमारी जबर्दस्त फेल्योर है और आइन्दा के लिये हमें इस तरह की चीजों को नहीं करने देना चाहिये। ये बहुत ही सेन्सिटिव मामले हैं। सरकार को चाहिये कि वे ऐसे मामलों को न होने दे ताकि जो इस तरह की यहां बहस हो रही है वे भी बंद हो जाएं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी इंफोरमेशन है, यह हिन्दू-मुस्लिम दंगा नहीं था। जहां भी झगड़ा होता है वहां के बारे में कह दिया जाता है कि आर० एस० एस० ने किया। आर० एस० एस० के बारे में और भी बहुत कुछ कहा जाता है। कोई कहता है रा० स्व० से० सरकार पर कब्जा कर लेगा दूसरा कहता है आर० एस० एस० सरकार को गिरा देगा, तीसरा कहता है कि आर० एस० एस० देश को तबाह कर देगा आर० एस० एस० के लोग पुलिस, सेना तथा क्षेत्रीय सेना में हैं। आप पिछले 30 वर्ष से आर० एस० एस० को देख रहे हैं। क्या आपकी सरकार इतनी निपुंशक थी कि आप उनके विरूद्ध कुछ नही कर सके यह सभा और सारा देश कुछ नहीं कर सकता तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सब कुछ कर सकता है।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : जी हां।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं ऐसा नहीं समझता। यह सभा अधिक शक्तिशाली है। मैं डा० शैय्यद मुहम्मद की यह बात स्वीकार करता हूं कि उन्हें इस देश की संस्कृति और परम्परा में विश्वास है। क्या आर० एस० एस० इतना पावरफुल है।

श्री बसंत साठे : डेंजरस है।

श्री कंवरलाल गुप्ता : डेंजरस तो आप हैं लेकिन आप पावर में नहीं हैं। जब आप इस तरह की बाद करते हैं तो वह किसी के गले नहीं उतरती है। आपकी एक अल्टीमेट कांस्पिरेसी है जिस के तहत आप काम करना चाहते है और वह यह है कि आप हिन्दु-मुस्लिम एकता नहीं चाहते हैं सब लोक सदभाव से रहें यह नहीं चाहते हैं। शेख अब्दुल्ला ने आज क्या कहा है, मैं बताता हूं। उनको तो सैक्युलर कहेंगे। मैं समझता हूं सदन में एक भी आदमी नहीं है जो कहे कि वह कम्युनल हैं। वह क्या कहते हैं।

"आब्दुल्ला ने आर० एस० एस० की दृष्टिकोण निश्चित अन्तर पाया है।

आर० एस० एस० के इतिहास की खोज करते हुए शेख अब्दुला ने कहा आर० एस० एस० का जन्म उस समय हुआ जब ब्रिटिश शासन सांप्रदायिकता फैला रहा था। ऐसे हालात में साम्प्रदायिक का होना स्वाभाविक था। परन्तु बदले हुए हालात में उनके नेताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया है जोकि उनके वक्तव्यों से तथा जिस ढंग से राष्ट्रीय मामलों का संचालन, श्री अटल बिहारी बाजपेयी तथा श्री एल० के० अडवानी द्वारा किया जाता है, से प्रकट होता है मेरा कहना यह है कि आप व्हिपिंग बाय न बनाएं, हिन्दू मुस्लिम सवाल को पोलिटिकल क्लर न दें। जो भी गड़बड़ करता है आर० एस० एस० हो या कोंगी वाले किसी की भी रियायत नहीं होनी चाहिये और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये। आप जो आज इस चीज को पोलिटिकल क्लर दे रहे हैं यह ठीक नहीं है। मुस्लिम माइनोरिटी के फीलिंग्ज को उभाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ठीक नहीं है। आप जानते हैं कि आपकी रूट्स जनता में नहीं हैं। जनता देख चुकी है

कि बीस महीने आपने क्या किया है। जनता पार्टी से माइनोरिटीज़ को अलग करने की आपकी यह जबर्दस्त साजिश है। आपको समझ लेना चाहिये कि इस साजिस की वजह से अगर वे लोग अलग हो जाएं हमसे तो यह हमारी कमजोरी होगी। अगर हम मुसलमानों में, ईसाइयों में और सभी माइनोरिटीज में पूरी तरह से कान्फिडैन्स पैदा नहीं कर सके तो यह हमारी कमजोरी होगी। यह हमारी जिम्मेदारी है और हम करेंगे और हम बताएंगे कि जो सरकार तीस साल तक काम नहीं कर सकी है उस काम को जनता पार्टी ने कर दिखाया है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या माइनोरिटी कमिशन इस गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, श्री मोरारजी देसाई ने नहीं बनाया ? क्या आपने कभी यह बनाया था ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल को किस ने बदला है ? खुद श्री बनातवाला ने कहा है कि यह बिल पहले से अच्छा है लेकिन हमारी भावनायें पूरी तरह से व्यक्त नहीं करता है पहले से अच्छा बिल है यह उन्होंने भी माना है। याह भी किस ने किया है ? यह भी जनता पार्टी ने किया है। जनता पार्टी की एक नीति है कि जो भी माइनोरिटी होगी, हमारा कर्त्तव्य है, हमारा धर्म है कि उसकी हम रक्षा करें।

अन्त म मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार चार पांच दिन में इनक्वायरी पूरा कर ले यू० पी० गवर्नमेंट के साथ मिल कर और सेंट्रल एजेंसी की सहायता लेकर और इस सदन के चलते उसकी रिपोर्ट यहां रख दे ताकि पता चल सके कि कौन लोग इसके पीछे हैं ताकि इसकी चर्चा हमेशा के लिये बन्द हो जाए। अगर आप देर करेंगे और फार्मेलटीज में पड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा। सरकार की जो फेल्योर हुई है उसकी मैं निन्दा करता हूं। इन से भी मैं कहता हूं कि आप अपनी आदत वदलें और लोगों के पास जाएं और वहां कहें। आर० एस० एस० का हौवा दिखा कर आप देश को बरबाद करेंगे और यह एक कलंक होगा और नेशनल इंटरेस्ट्स के खिलाफ होगा। नेशनल इंटरेस्ट्स की मांग यह है कि इस तरह के इशूज के ऊपर एक नेशनल कंसैंसस होनी चाहिये और पार्टी का सवाल नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। गृह मंत्री महोदय

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं और समय नहीं दे सकता। गृह मंत्री महोदय।

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैंने सभी भाषणों को सुना है। बेशक मैं श्री बनातवाला के भाषण के कुछ अंश को नहीं सुन सका क्योंकि मैं कुछ विलम्ब से आया था। मैं समझता हूं कि यदि यह चर्चा कुछ बाद में होती तो इस घटना संबन्धी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती। यह भी कहा गया है कि कुछ समय के भीतर जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिये। यह घटना उत्तर प्रदेश में हुई। यह सही है कि स्थान की दूरी भी है। वहां पर केन्द्रीय सरकार की रिट नहीं चलती। हमें जानकारी प्राप्त करनी है। (व्यवधान) यदि आप मझे ध्यान से नहीं सुनना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री सी० एस० स्टीफन : आपका यह वक्तव्य कि केन्द्रीय सरकार की 'रिट' वहां पर नहीं चलती, आश्चर्यजनक है।

श्री एच० एम० पटेल : मैं स्वीकार करता हूं कि यह टिप्पणी कुछ असावधानी से की गई है।

श्री वसन्त साठे : केन्द्रीय सरकार की 'रिट' वहां पर नहीं चलती।

श्री एच० एम० पटेल : श्री साठे तथा श्री स्टीफन, आप दोनों जानबूझकर टिप्पणी के गलत गलत अर्थ लगाते हैं। यह घटना संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में नहीं घटी जिससे गृह मंत्री का सीधा संबंध है।

हमें उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी प्राप्त करनी है। हमने सम्बन्धित दोनों जिलों के जिला मजिस्ट्रेट से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और उसी जानकारी के आधार पर यह व्यक्ताओं दिया गया। यह वक्तव्य उन वक्तव्यों से मेल नहीं खाता जो पत्रकारों ने दिये हैं और यहां भी कई वक्ताओं ने वत्तव्य दिये हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उन छात्रों द्वारा जो अस्पताल में थे, दिये गये वक्तव्यों पर आधारित थे। यह कहानी का एक भाग है। दोनों पक्षों की बात सुने बिना आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते।

व्यवधान

दूसरे पक्ष के लोग उस स्थान के हैं जहां यह घटना हुई। ये लोग रेलवे में काम करते है। मुझे बहुत से तार मिले हैं। जिनमें अलग ही बात कही गई है। लेकिन मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हूं। इसलिये उसे पढ़कर नहीं सुनाऊंगा।

(व्यवधान)

मुझे क्या कहना चाहिये, यह बताना आपका काम नहीं है।

(व्यवधान)

यह आवश्यक नहीं है। यह संगत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चव्हाण, एक कुशल प्रशासक हैं और गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भी तथ्यों का पता लगाये बिना कह दिया कि प्रथम दृष्टि में यह एक सुनियोजित मामला है और फिर इसे एक सुनियोजित मामला मानकर ही अपने ही निष्कर्ष निकाल लिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह उसी आधार पर एक प्रथम दृष्टय सुनियोजित मामला था।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे खुशी है कि वह कम से कम यह कह रहे हैं कि यह अभी तक एक अनिर्णीत फैसला है।

एक माननीय सदस्य : यह एक प्रश्न है?

श्री एच० एम० पटेल : यह स्पष्ट प्रश्न नहीं है। उसी तरह मैं यह नहीं कहना चाहता कि यही हुआ है। और मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ताकि कोई सदस्य इसे गलत न समझे। जो हुआ है वह निस्सन्देह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो छात्र रैलों में भाग लेने के लिये आ रहे थे वे यहां कैसे रुक गये? वहां वास्तव में क्या हुआ, उसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। जो हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हमने उन लोगों से बातचीत की जो घायल हो गये थे तो उन्होंने बताया कि उन पर लाठियां और लोहे की छड़ों से हमला किया गया। उन्हें इससे भी अधिक चोटे आ सकती थीं।

श्री वसन्त साठे : उनकी चोटें गम्भीर हैं।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने आपको भी तथ्य बता दिये हैं। **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : आप यह क्यों कह रहे हैं कि उनकी चोटें कम गम्भीर हैं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैंने तो कहा है कि जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि कुछ तथ्य स्पष्ट नहीं हैं और उनकी छानबीन करनी होगी। तभी हमारे सामने पूरी तस्वीर आयेगी। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं और न हीं किसी को दोषी ठहरा रहा हूं। लेकिन आप जल्दबाजी में अपने ही निष्कर्ष निकाल रहे हैं। यह स्पष्टतः राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का काम है। मेरे विचार में श्री कुरेशी ने कहा था कि यदि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य होता, तो यह कार्य बहुत बेहतर ढंग से किया गया होता।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : आप इस बात से सहमत हैं।

श्री एच० एम० पटेल : हमें जल्दबाजी से फैसले नहीं करने चाहिए। मैं यही बात कहना चाहता हूं। सभा में यह ठीक ही कहा गया है कि हमारे लोकतंत्र का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है। हम देश को खतरे में नहीं डाल सकते। जब कभी भी हमारे देश के लिये कोई खतरा होता है तो हमें उसे रोकने के लिये सभी प्रयत्न करने चाहिएं, हमें दोषी व्यक्तियों को बिना किसी हिचकिचाहट के सजा देनी चाहिये। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसी दुर्धटनायें फिर न हों। जब कभी ऐसी कोई दुर्धटना होती है या होने की आशंका होती है या यह डर होता है कि यह साम्प्रदायिक दंगे का रूप धारण न कर ले तो हमें इसके बारे में यहां भी चर्चा नहीं करनी चाहिये। अलीगढ़ में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। वहां छात्रों ने एक बस जला दी परन्तु उन्होंने यात्रियों को उतरने दिया और उसके बाद बस में आग लगा दी। इस प्रकार सम्पत्ति की हानि हुई लेकिन यात्रियों को कोई हानि नहीं हुई। लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। डी० एस० पी० से मुझे यही रिपोर्ट मिली है। इस मामले में हमें बड़ी सावधानी से चर्चा करनी चाहिये। यह बहुत जरूरी है। डा० सय्यद मोहम्मद ने एक बड़ी असाधारण बात कही कि यह तो नाजियों का सा कार्य है। मेरे ख्याल से शायद वह नहीं जानते कि नाजियों के साम्राज्य में क्या हुआ था। मुझे इसका तजुर्बा है क्योंकि जब नाज़ीवाद वहां अपनी जड़े जमा रहा था तो उस समय मैं वहां पर था। **(व्यवधान)** तो यही वह माननीय सदस्य हैं जिन्होंने आपात-स्थिति में सभी कानून चलाये थे।

श्री वसन्त साठे : क्या ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं बता दूं कि किसी भी माननीय सदस्य को वह नहीं भूलना चाहिये जिसे श्री साठे जान बूझकर भूल रहे हैं। आप इस पर विचार करने के लिये इतना झुक सकते हैं **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : आपको नाजियों के वर्ताव का अच्छा तजुर्बा है। अब आप उसे यहां आजमाना चाहते हैं ? **(अन्तर्बाधायें)**

श्री एच० एम० पटेल : मैंने यही कहा था एक यह एक बेहूदा बात है। परन्तु माननीय सदस्य इस घटना में नाजीवाद की शुरूआत देख रहे हैं? **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : जमशेदपुर के बारे में क्या हुआ (व्यवधान)

श्री एच० एम० पटेल : आप इसमें जमशेदपुर को भी शामिल कर सकते है। लेकिन जो हुआ क्या वह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है ? यह सब कैसे हुआ, आप भली भांति जानते है।

श्री वस्नत साठे: और आप नहीं जानते ?

श्री **एच० एम० पटेल** : मै निस्सन्देह नहीं जानता, लेकिन मै जानता भी हूं (**व्यवधान**)

श्री वस्नत साठे : दु:ख की बात यह है कि आप नहीं जानते। गृह मंत्री नही जानते। (**व्यवधान**)

श्री एच० एम० पटेल : मैंने आप सबको शान्तिपूर्वक सुना है। हमारा गृह मंत्री वैसा नहीं है जैसा आपका था। लेकिन मै इसमें नहीं जाना चाहता (**व्यवधान**) जमशेदपुर में जो हुआ उसका मुझे पता है। यह जानना जरूरी है कि इसके लिये कौन जिम्मेदार था, यह सब कैसा हुआ आदि, आदि, लेकिन ये लोग वहां कुछ घंटे के लिये जाते है और यह सब बातें पता करके आ जाते हैं कि यह सब कैसे हुआ, कब हुआ और उसके लिये कौन जिम्मेदार था। मेरे विचार में यह कोई तरीका नही है। इसलिये मै आयोग का प्रतिवेदन मिलने तक प्रतीक्षा करूगा। श्रीमती रंगनेकर ने ठीक कहा है इन आयोगों के प्रतिवेदन इतनी देर से मिलते हैं कि जब वे मिलते है तब तक लोग घटना के बारे में बिलकुल भूल चुके होते हैं और मामला महत्वहीन हो जाता है। इसलिये हम जब कभी भी इन आयोगों को नियुक्त करते हें तो हमें यह देखना चाहिये कि ये अपने प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करें। इसलिये जब मैंने इस नगर में पहली मई को हुई घटना के बारे में जांच कराने की बात कही तो मैंने यह भी कहा था कि हम यह देखेंगे कि हम जांच का प्रतिवेदन शीध्रताशीघ्र प्राप्त हो। मै सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम निस्सन्देह इस मामले की छानबीन करेंगे और पता लगायेंगे कि यह सब क्या हुआ, और क्यों हुआ तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री पी० एम० सईद : क्या यह शासकीय जांच होंगी ?

श्री एच० एम० पटेल : यह शासकीय जांच होगी। इस मामले में शासकीय जांच की पर्याप्त होगी क्योंकि हम यह जानने की कोशिश कर रहे है कि गाड़ी के अलीगढ़ से छूटने के बाद क्या हुआ, यह गाड़ी कब कब रूकी।.इन सब बातों का रेलवे अधिकारियों, पुलिस और गांव वालों को पता होना चाहिये क्योंकि वे कहते हैं कि गांव वाले ने उनकी मदद की थी। बहुत से सबूत हें जिनसे हमें पता चल जायेगा कि वास्तव में वहां पर क्या हुआ। (व्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या प्रतिवेदन इस सत्र में ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा

श्री एच० एम ० पटेल : मै ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूं। इस सत्र में दिन ही कितने बाकी है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : आपने इसके लिये कोई समय सीमा रखी है ?

श्री एच० एम० पटेल : यह जितनी जल्दी सम्भव हो सका, रख दी जायेगी।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : यू० पी० गवर्नमेंट का वर्णन बतला दीजिये।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार से कोई रिपोर्ट नही मिली है। मुझे अलीगढ़ के डी० एस० पी० से और एक जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मिली है। मै इन रिपोर्टो की छानबीन कर रहा हूं। जब तक यह छानबीन पूरी नही हो जाती तब तक में कुछ भी नहीं कह सकता।

श्री वसन्त साठे : जब केन्द्रीय सरकार के आदेश वहां नहीं चलते तो फिर वो य रिपोर्ट उनके पास कैसे भेज सकते है?

श्री एच० एम० पटेल : जब मैने यह कहा कि वहां केन्द्रीय सरकार का आदेश नहीं चलता तो मे यह संविधान के अनुसार स्थिति बता रहा था। संविधान की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार किसी राज्य में कानून और व्यवस्था के लिये जिम्मेदार नहीं है। यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य में हुई। आपको इस बात का एहसास होना चाहिये। यदि आप इस बात का एहसास नहीं करते तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री के० लकप्पा : आपकों त्याग-पत्र दे देना चाहिये **(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल : श्री लकप्पा को शायद पता नही कि उनकी अपनी सरकार ने उनके राज्य में क्या किया है? कर्नाटक सरकार ने······

श्री के० लकप्पा : वह राजनीतिक भाषण क्यों कर रहे है?

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक भाषण राजनीतिक होता है।

श्री ऊच० एम० पटेल : सी० बी० आई० वहा उनके राज्य में जांच करे। मै इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इन मामलों में राज्यों को पूर्ण अधिकार प्राप्त है और हम उनकी सहमति से ही कुछ करते है।

श्री वसंत साठे : मैंने गृह मंत्री को ऐसी अकर्मण्यता की बात करते नहीं देखा **(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल : मै इतना नीचे नही गिर सकत जितना श्री साठे गिरे है? इतना कहना ही पर्याप्त है कि 19 महीने की आपात स्थिति में वह इतना कभी नहीं चिल्लाये जितना की अब शोर मचा रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, म उन सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होने इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लिया है।

(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : प्रधान मंत्री जा रहे है। यह भारतीय संसद है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। उन्हे यहां रहना चाहिये।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैंने भारतीय गृह मंत्री का अत्यन्त निराशाजनक भाषण बहुत धैर्य से सुना है। मुझे इस असहाय सरकार पर दया आती है। विद्यार्थियों पर हमला हुए 30 घंटे हो चुके है और सरकार अभी तक तथ्य एकत्र कर रही है। **(व्यवधान)** यह

स्पष्ट है कि जिस बात से सरकार को परेशानी हो वह सरकार के कानों तक देर से पहुचती है। कहा गया है कि तथ्य एकत्र किये जायेंगे। यह सब आश्वासन ही रहते हैं। मिर्जा गालिब का यह शेर उपयुक्त है।

हम ने माना कि तगाफुल न करोगे।

लेकिन, खाक हो जायेंगे हम तुम को खबर होने तक।।

इस बात में जरा सा भी सन्देह नही कि दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिये जा रहे छात्रों पर योजनाबद्ध ढंग से हमला किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि मुस्लिम छात्रों को ही चोटें लगी हैं। इसे केवल छात्रों और कुछ यात्रियों में झगड़ा नही कहा जा सकता। सैकड़ों विद्यार्थी थे और उन्हें ही चोटें लगी हैं। इस से स्पष्ट है कि एक बड़ी भीड़ द्वारा यह योजना-बद्ध हमला था।

हमें विभिन्न परामर्श दिये गये हैं। मुस्लिम समुदाय को कई अच्छे परामर्श दिये गये हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय का इस मामले में अत्यन्त पक्षपात पूर्ण रवैया स्पष्ट हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे बारे में कह रहे हैं :

श्री जी० एम० बनतवाला : जी नहीं। मै प्रो० समर गुह और उनके भाषण के बारे में कह रहा हूं। आप ने मुझ से स्पष्ट कहलवा दिया है, इस लिये में आपका आभारी हूं। जब हम सभा के समक्ष घटना के तथ्य रखते हैं तो हमे साम्प्रदायिक कहा जाता है। बंगला देश में अल्प संख्यकों की दुर्दशा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन श्री समरगुह ने भारत में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के बारे में एक शब्द भी नही कहा।

श्री समर गुह: मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि मै अधिक क्या कह सकता हूं। **(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनातवाला : मै आप की बात नहीं मान सकता।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आप को नहीं टोका था।

प्रो० समर गुह : उन्होने मुझ पर व्यक्तिगत आक्षेप किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने व्यक्तिगत रूप से उन्हे कुछ कहा।

श्री जी० एम० बनातवाला : मै नही मानता **(व्यवधान)** उन्होने मेरे बारे में बहुत सी बातें कही हैं। उन्होने कहा कि हम राजनीति से प्रेरित हैं और लाभ उठाना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों टोकते हैं।

श्री जी एम बनातवाला और जब हम सभा के समक्ष तथ्य रखते हैं तो हमें राजनीति से प्रेरित और राजनीतिक लाभ उठाने वाले बताया जाता है।

आज हमारे सामने समस्या बहुत गम्भीर है। मैंने प्रस्ताव पेश करते समय भी कहा था कि अलीगढ़ का प्रश्न साम्प्रदायकि नहीं है। यह हिन्दु-मुस्लिम प्रश्न नहीं है लेकिन यह

ऐतिहासिक तथ्यों की स्वीकृति है। दुर्भाग्य यह है कि अलीगढ़ प्रश्न को साम्प्रदायिक बना दिया जाता है और देश के लोगों की उसमें साथ समदर्दी नही रहती। मैं इस रवैये की निंदा करता हूं।

प्रश्न गम्भीर है। देश में आज व्याप्त साम्प्रदायिक स्थिति बहुत चिंता जनक है। अलीगढ मे एक दंगा होने के 30 दिन के अन्दर फिर भयानक दंगा हुआ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रशासन द्वारा इस से अधिक अवहेलना और क्या हो सकती है।

दूसरे साम्प्रदायिक दंगों में बम्ब तक का प्रयोग होता है। सेना के कारखानों में बने बम्ब भी प्रयोग किये जाते हैं। अलीगढ़ दंगों पर बोलते समय मैंने इन बम्बों के चित्र भी दिखाये थे। इन बातों को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये।

जमशेदपुर के दंगों से यह तथ्य सामने आया है कि स्थानीय सशस्त्र पुलिस में भी पक्षपात घट कर गया है। जमशेदपुर में पुलिस निरीक्षक ने बिहार सशस्त्र पुलिस से बेकाबू भीड़ पर गोली चलाने को कहा लेकिन पुलिस ने इन्कार कर दिया। पुलिस निरीक्षक ने बिहार सशस्त्र पुलिस से हाथ जोड़ कर कहा कि "आप वर्दी में है, आप का किसी समुदाय से सम्बन्ध नही। आप को शांति और व्यवस्था बनाये रखनी है।" भीड़ लूट-पाट कर रही है, मार रही है। लेकिन आरम्भ में कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ।

मै विस्तार में नहीं जाना चाहता। कई नई बातें हो रही हैं जिन पर सभा को और सरकार को गम्भीरता पूर्वक विचार करना है। मै इस लिये कह रहा हूं क्योंकि माननीय गृह मंत्री ने कहा कि अच्छा होता हम इस घटना पर विचार न करते। लेकिन चर्चा का हमारा उदेश्य इन बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना है ताकि समय पर उपयुक्त उपाय किये जा सके।

पूरी जांच करना नितांत आवश्यक है। यह कहा गया है कि एक तरफा बात ही सुनी गई है। क्या आप उनकी बात सुनेंगे जिन्होने छात्रों पर हमला किया है?

श्री एस० एम० पटेल : मेरे माननीय मित्र ने मेरी इस बात का लाभ उठाया है कि एक-तरफा बात ही न सुनी जाय। लेकिन मैं रेल अधिकारियों की रिपोर्ट का अंश पढ़ कर सुनाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक और चर्चा शुरू हो जायेगी

(व्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त : बड़ा गम्भीर आरोप लगाया गया है। उन्हें उत्तर देने का हक है। **(व्यवधान)** ....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, उन्हें पहले ही कह लेना चाहिये था।

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्होंने उनकी सदास्यता को चुनौती दी है। रेत का जो महल बना रहे थे, वह गिर गया है। जो उन्होंने जो कहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक बात कहने से वह डरते हैं **(व्यवधान)**। वह सारे देश की प्रतिभा खराब करना चाहते हैं। यह गम्भीर मामला है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने उस समय पूछा था। लेकिन उन्होंने नहीं बताया।

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्होंने उनकी सदस्यता को चुनौती देते हुए गम्भीर आरोप लगाया है। आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करें। इस मामले में सभी की रूचि है। यह नियमों का प्रश्न नहीं है; यह देश की जागृति का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। यह आपको पहले कहना चाहिये था।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह ठीक नहीं। आप उन्हें अनुमति दें। **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं देता। उन्हें पहले कहना चाहिये था।

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। जनता पार्टी और सरकार के विरुद्ध आरोप है। अतः उन्हें उत्तर देने का हक है।

श्री जी० एम० बनातवाला : हम सरकार की इस झुकने की नीति का विरोध करते हैं। अतः मैं अपना प्रस्ताव सभा के समक्ष रखता हूं। आशा है इसका अनुमोदन होगा। **(व्यवधान)**....

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर हमला, धर्म निरपेक्षता, लोक तंत्र और हमारे संविधान पर हमला है। मैं सभा से अपील करता हूं कि प्रस्ताव पास करके सरकार की निन्दा की जाये।

(व्यवधान)

श्री हरिविष्णु कामत : एक व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया नियम 358(3) देखिये :

"जिस सदस्य द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया है, वह उत्तर देने के लिए पुनः बोल सकेगा, और यदि प्रस्ताव किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया गया हो तो"

यहां यही हुआ है। प्रस्ताव श्री बनतवाला द्वारा पेश किया गया है।

".....सम्बन्धित मंत्री अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तावक द्वारा उत्तर दिये जाने के बाद बोल सकेगा (चाहे वह वाद-विवाद में बोल चुका हो अथवा नहीं)।"

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, मैं चाहता हूं कि आप स्वविवेक का प्रयोग करें। मैंने कभी अध्यक्ष के अधिकार को चुनौती नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैं व्यवस्था का प्रश्न सुन रहा हूं।

श्री हरिविष्णु कामत मैं मानता हूं महोदय कि आपकी अनुमति जरूरी है। लेकिन सभा की पूरी जानकारी के लिए ताकि सभा में अर्थपूर्ण और प्रभावी चर्चा द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, अनुमति दी जानी चाहिये। इस से सभी को संतोष होगा।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्री कामत ने जो कहा है उसके अतिरिक्त एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : मैंने पहले ही कहा है कि मैं श्री कामत ने जो कुछ कहा है उसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूं। सदन में इस समस्या पर पहले से ही विचार हो रहा है। वाद-विवाद के दौरान मंत्री महोदय ने आपसे यह अनुमति चाही कि वे सदन को कुछ और जानकारी देना चाहते हैं। इस जानकारी क बिना जो कि गृह मंत्री देना चाहते हैं यह चर्चा अपूण रहती । राष्ट्र को नहीं पता कि वह क्या है। इसलिये मैं इस संबंध में आपका दिशा निर्देश चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप मंत्री महोदय को अनुमति प्रदान करें जिससे हमें यह सब तथ्य मालूम हो सके जो गृह मंत्री हमें नहीं दे सकते हैं। कृपया गृह मंत्री को अनुमति द।

प्रो० पी०जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरी समझ में नहीं आता कि हम इस मामले को इस समय इतना तूल क्यों दे। मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने नियम 358(3) को पढ़कर सुनाया। निःसन्देह समूची बात आपके अनुमति पर निर्भर है। यदि किसी कारणवश आप अनुमति नहीं देते तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है और हमें यह आपसे पूछने का कोई अधिकार नहीं है कि आपने अनुमति क्यों नहीं दी। यह पूरी तरह आपके विवेक पर निर्भर है। हमें पूरी तरह आपके निर्णय को स्वीकार करना होगा। परन्तु मेरा कहना मात्र इतना है कि नियम 358 के उपनियम (3) में केवल यह कारण दिया गया है, यदि एक मंत्री इस मामले म गृह मंत्री, प्रस्तावक के द्वारा प्रस्ताव पेश किये जाने के बाद कोई जानकारी देना चाहता है जो सदन के लिये बड़ी महत्वपूर्ण है उस समय उपनियम (3) लागू होता है। परन्तु यदि अध्यक्ष यह अनुभव करते हैं कि सम्बन्धित मंत्री इस उपनियम का लाभ उठाकर कोई राजनीतिक तर्क पेश करना चाहता है तो निश्चय ही आप उसे रोक सकते हैं। परन्तु यदि आप अध्यक्ष के नाते यह अनुभव करते हैं कि मंत्री नियम का लाभ उठाकर किसी प्रकार का राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध नहीं कर रहा है बल्कि वह सदन को एक उचित जानकारी दे रहा है तो मेरा कहना है कि यह आपके क्षेत्राधिकार में है कि आप अपना अन्तिम विवेक उपयोग में लायें।

श्री के० लकप्पा : वे इसे पहले ही रद्द कर चुके हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं कि क्योंकि इस नियम के अतिरिक्त हमारे प्रक्रिया नियमों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह सदन का अधिकार है कि वह किसी भी समय कोई भी महत्वपूर्ण और अतिरिक्त जानकारी सरकार से मांग सकता है। और यदि हमें वह रिकार्ड उस सीमा तक नहीं दिया जाता है तो सभी जानकारी प्राप्त करने के हमारे मूल अधिकार को न दना है। तथा ऐसी अवस्था में वाद विवाद अपूर्ण कहा जायेगा।

श्री वसन्त साठे : जहां तक नियम 358(3) का सम्बन्ध है यह एक सुस्थापित प्रक्रिया है और जिसका उल्लेख श्री मावलंकर ने भी किया है कि यदि अतिरिक्त जानकारी जो पहले उपलब्ध नहीं थी। यदि कोई बात वाद विवाद के दौरान ध्यान में आती है तो वह आपकी अनुमति ले सकता है। परन्तु जैसा कि श्री कंवर लाल गुप्त ने स्वयं पूछा····

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : उन्होंने प्रश्न पूछा था।

श्री वसंत साठे : ····हां, उन्होंने गृह मंत्री से पूछा था, "रेल मंत्रालय को क्या कहना है?" यह जानकारी होते हुए भी उन्होंने उसे देना नहीं चाहा। प्रश्न यह है कि यदि उन्होंने वह जानकारी दे दी होती तो प्रस्तावक को उस बात का उत्तर भी दे सकता था। अब नियम में कहा गया है :—

"परन्तु इस उप-नियम की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि किसी विधेयक या संकल्प में संशोधन के प्रस्तावक को अध्यक्ष की अनुज्ञा क बिना उत्तर देने का कोई अधिकार मिलता है।"

प्रश्न यह है : क्या प्रस्तावक को अब उत्तर देने का अवसर मिलेगा जिससे हम वाद-विवाद फिर से शरू करें? यदि वे कुछ पढ़ते हैं तो प्रस्तावक को उसका उत्तर देने का अधिकार है। फिर उन्हें अधिकारी दीर्घा से कोई जानकारी मिलती है, और वे फिर उसे पढ़ने की आपसे अनुमति मांगेंगें। इस प्रकार हम क्या करने जा रहे हैं? उनके पास यह जानकारी थी। यह कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है। हम इस विषय पर फिर से और चर्चा शुरू नहीं कर सकते।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आप आज्ञा दें या नहीं, यह आप का डिसक्रीशन है और वह डिसक्रीशन फाइनल है। लेकिन आपका डिसक्रीशन सबजेक्टिव नहीं हो सकता है। वह आबजेक्टिव होना चाहिए। और उसका बेसिस क्या होना चाहिए? जब हमने कहा कि आप बताइये, तो उन्होंने उस समय बताना ठीक नहीं समझा। उसके बाद जब श्री बनतवाला ने ऐसी बातें कहीं, जो हाउस को गुमराह कर सकती हैं और वोटिंग पर असर डाल सकती हैं, तो उस समय मंत्री महोदय ने आपसे प्रार्थना की कि हाउस को ठीक इनफार्म किया जाना चाहिए। प्रारम्भ मैंने आपने ऊपर अंकुश रखा। परन्तु जब मुझे लगा कि सदन यह जानकारी दी जानी चाहिए तो मैंने इसे सदन को दे दिया।

मैं सदन और राष्ट्र के हित में आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे इसकी अनुमति दें, तथा इस पर कोई आपत्ति न करें।

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि इससे पहले भी इस तरह का प्रेसिडेंट है और अभी आपको दिखाया गया है कि पहले भी इस तरह का प्रेसिडेंट है और पहले भी ऐसा हुआ है?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नियम 368 में कहा गया है :—

"यदि कोई मंत्री सभा में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राज्य-पत्र को उद्धत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो, तो वह संगत पत्र को पटल पर रखेगा।"

मैं इसका उल्लेख पहले ही कर चुका हूं। नियम 370 में कहा गया है :—

"यदि कोई मंत्री किसी प्रश्न के उत्तर में या वाद-विवाद के दौरान में किसी ऐसे परामर्श या राय को प्रकट करे जो उसे सरकार के किसी पदाधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दी गई हो, तो वह साधारणतया उस राय या परामर्श वाला संगत दस्तावेज या दस्तावेज का भाग या उस का संक्षेप पटल पर रखेगा।"

यहां 'सरकार के किसी पदाधिकारी' से अर्थ है रेलवे। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं उन्हें इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाये।

श्री के० लकप्पा : मेरे मित्र वादविवाद के अन्त में उत्तर दे रहे थे तब गृह मंत्री कुछ कहना चाहते थे। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि गह मंत्री किसी सम्बद्ध अथवा महत्वपूर्ण बात को रोके हुए थे। यह सदन की अवमानना है, क्योंकि गृह मंत्री ने वाद-विवाद के उत्तर के

समय एक महत्वपूर्ण बात को छिपाया। वे जानबूझ कर वाद विवाद को भद्दा रूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। यह सदन के विशेषाधिकारों का हनन है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं आपकी जानकारी में तीन बातें लाना चाहता हूं। पहली तो यह कि गृह मंत्री ने उस भाषण में हस्ताक्षेप करने की मांग की जिसके बारे में आपत्ति की जा रही थी। रिकार्ड के अनुसार उन्होंने भाषण के समाप्त होने के बाद भाषण करने की अनुमति नहीं मांगी। कुछ अन्य लोग यहां आकर कह रहे हैं कि उन्हें अनुमति दी जाये, यद्यपि अभी तक गृह मंत्री ने बोलने की अनमति नहीं मांगी है—(**व्यवधान**) अब जब भाषण शरू हो गया है तो वह हस्ताक्षेप करना चाहते हैं। अन्य सभी सदस्य इसके बारे में नहीं जानते। दूसरे नियम के अनुसार आपको यह अधिकार है कि आप अनुमति द या न दें परन्तु इस अधिकार का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप इस पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं?

श्री सी० एम० स्टीफन : नियम 359 के अनुसार वाद विवाद प्रस्तावक के उत्तर के साथ समाप्त नहीं होता। अब वे कछ कहना चाहते हैं। अब वे स्वयं कह रहे हैं कि वह कागज उनके पास था जिसे वे देने से मना कर रहे थे। उन्होंने कहा है "यह जानकारी मेरे पास थी, परन्तु मैं समझता था कि यह उतनी पूर्ण नहीं है कि इसे सभा को बताया जा सके" यही कहा गया है। जब तक वे यह नहीं कहते कि जब प्रस्तावक ने उत्तर देना शरू किया उसके बाद नई जानकारी मिली, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं मिल सकता क्योंकि जो जानकारी वे सदन को देना चाहते थ वह उनकी राय में पहले अपूर्ण थी और उसे सदन के सम्मुख नहीं रखा जाना चाहिये। अब यह निर्णय करना है कि क्या इसे सदन के सम्मुख रखने के लिए इस उपबन्ध को रद्द किया जाए। मेरे विचार से जानकारी सदन को न दी जाए क्योंकि यह गलत है। अब प्रश्न यह है कि क्या आप अपने अधिकार का उपयोग करते हुए अपूर्ण जानकारी को, पेश करने की अनुमति दे सकते हैं। मेरा कहना है कि अनुमति न दी जाए।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा कहना भला इतना है कि स्थगन प्रस्ताव समेत सभी प्रस्तावों पर लागू होने वाले नियम के अनुसार अध्यक्ष महोदय को निश्चय ही अपना विवेक उपयोग में लाने का अधिकार है परन्तु एकमात्र प्रश्न यह है कि इस स्वविवेक का उपयोग किस आधार पर किया जाए। सदन में वाद-विवाद का उद्देश्य किन्हीं महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में राष्ट्र को जानकारी देना है और इसलिए, क्या मैं इस बात को आपके सामने रखूं? अपना इस सम्बन्ध में स्वविवेक उपयोग में लाने के लिए कि क्या प्रस्तावक के उत्तर देने के बाद वक्तव्य देने की अनुमति दी जाए, इस दृष्टि से विचार करेंगे? यदि इससे संतुष्ट हो जाएं कि मंत्री सम्भवत: ऐसा कुछ न कह सके जो राष्ट्र के लिए लाभप्रद हो, तब निश्चय ही आपका यह निर्णय करना उचित ही होगा कि यदि मंत्री और कोई वक्तव्य देता है तो वह सदन और राष्ट्र का समय बर्बाद करना है। परन्तु यदि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप यह मानें कि मंत्री के पास कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका प्रभाव वाद-विवाद पर पड़ सकता है और वह राष्ट्र के लिए लाभप्रद हो सकती है तो मेरा निवेदन है कि आप उसकी अनुमति दें। प्रक्रिया नियमों का मुख्य उद्देश्य है कि लाभदायक और फलदायक चर्चा हो। इन परिस्थितियों में, मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि आप अनुमति प्रदान कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह मंत्री द्वारा सभा में उनके पास जो सामग्री है उसके बारे में और बयान देने के सम्बन्ध में उसके पक्ष और विपक्ष में विभिन्न तर्कों को सुना है। यदि सामग्री इतनी महत्वपूर्ण है, जैसा कि अब दावा किया जा रहा है, तो मैं मंत्री जी से आशा करता कि वह अपने बयान के दौरान उसे सभा-पटल पर रखते। इस प्रकरण विशेष में कुछ और भी हुआ है। श्री कंवरलाल गुप्त ने उनसे विशिष्ट रूप से पूछा था कि क्या आपके पास मामले का वह संस्करण है जो रेलवे के मुताबिक हो। गृह मंत्री ने उस समय इसे सभा-पटल पर रखना ठीक नहीं समझा। अतः मेरे विचार से गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य देना ठीक नहीं होगा ?

श्री बनातवाला जी, क्या अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं इस पर कार्यवाही चाहता हूं सभा इसे स्वीकार करने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो।" जो पक्ष में हों, वे 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां

अध्यक्ष महोदय : जो पक्ष में नहीं वे 'नहीं' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष में अधिक मत हैं।

कुछ माननीय सदस्य : पक्ष म अधिक मत हैं।

अध्यक्ष महोदय : लॉवी खाली की जाएं।

अध्यक्ष महोदय : लाबी खाली कर दी गई है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : अब राज्य सभा का कोई सदस्य यहां नहीं बैठ सकता।

अध्यक्ष महोदय : वह मतदान नहीं करें। बस। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री शान्ति भूषण, आप क्यों चिन्तित हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० समरगुह (कन्टाई) : गलत उदाहरण पेश न करें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार वह यहां बैठ सकते हैं, केवल मतदान नहीं कर सकते। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यहां बैठने का अधिकार है। प्रश्न यह :

"कि यह सभा अब स्थगित हो"।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

विभाजन संख्या 27 7.15 भू० पू०

पक्ष में

आस्टिन, डा० हेनरी
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
कदम, श्री बी० पी०

कर्ण सिंह, डा०
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफी
कौलूर श्री राजशेखर
गोगांई, श्री तरूण
गोमांगों, श्री गिरिधर
गोटखिंडे, श्री अण्णासाहिब
चन्द्रप्पन, श्री सी० के०
चह्वाण, श्री यशवन्तराव
देव, श्री वी० किशोर चन्द्र
नायर श्री एम० एन० गोविन्दन
पई, श्री टी० ए०
फैलीरो, एडुआर्डो, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०
बालकृष्णय्या, श्री टी०
भीस्मदव, श्री एम०
मेदुरी, श्री नागेश्वर राव
राचैया, श्री बी०
राममूर्ति, श्री के०
राव, श्री जलगाम कोंडाला
राव, श्री जी० मल्लिकार्जुन
रेड्डी, श्री जी० एस०
लकप्पा, श्री के०
लक्ष्मीनारायण, श्री एम० आर०
लास्कर, श्री निहार
सईद, श्री पी० एम०
साठे, श्री वसंत
स्टीफन, श्री सी० एम०

विपक्ष में

अर्गल, श्री छबिराम
अब्दुल लतीफ श्री
अमात, श्री डी०
अमीन, प्रो० आर० के०
उरांव, श्री लालू
कपूर, श्री लखन लाल
कृष्ण कान्त, श्री
कामत, श्री हरि विष्णु
कार, श्री सरण

कुरील, श्री आर० एल०
कुरील, श्री ज्वाला प्रसाद
कैलाश प्रकाश, श्री
कोन्नाशेट्टी, श्री ए० के०
खिमे, रिनचिंग खाण्डू
खां, कुंवर महमूद अली
खां, श्री महमूद हसन
गंगा सिंह, श्री
गट्टानी, श्री आर० डी०
गुप्त, श्री कंवर लाल
गुह, श्री समर
गोरे, श्रीमती मृणाल
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
चक्रवर्ती, प्रो० दिलीप
चांदराम, श्री
चावड़ा, श्री के० एस०
चौधरी, श्री मोतीभाई आर०
चौहान, श्री भारत सिंह
जगजीवन राम, श्री
जुल्फीकार उल्ला, श्री
जायस्वाल, श्री अनन्तराम
जोशी, डा० मुरली मनोहर
ठाकुर श्री अधन सिंह
ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह
तन सिंह, श्री
तिवारी, श्री द्वारिकानाथ
दंडवते, प्रो० मधु
दत्त श्री अशोक कृष्ण
दानवे, श्री पुण्डलोक हरि
दिग्विजय नारायण सिंह, श्री
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी०
नेगी, श्री टी० एस०
पटेल, श्री एच० एम०
पटेल, कुमारी मणिबेन वल्लभभाई
पटेल, श्री धर्म सिंह, भाई
परुलेकर, श्री वापूसाहिब
पांडे, श्री अम्बिका प्रसाद
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण

पिपिल, श्री मोहन लाल
प्रधान, श्री गणनाथ
प्रधान, श्री पवित्र मोहन
फजलूर रहमान, श्री
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
बटेश्वर हेमराम, श्री
बड़कटगी, श्रीमती रेणुकादेवी
बल श्री प्रदयूमन किशोर
बालकराम, श्री
बेरागी, श्री जेना
भारत भूषण, श्री
मंडल, श्री धनिक लाल
मंडल, डा० विजय
मयती, श्रीमती आभा
मलिक, श्री मुख्तियार सिंह
मल्होत्रा, श्री विजय कुमार
महाला, श्री के० एल०
महीलाल, श्री
माथुर, श्री जगदीश प्रसाद
मुण्डा, श्री कड़ियां
महालगी, श्री आर० के०
मेहता, श्री प्रसन्न भाई
यादव, श्री रामजी लाल
यादव, श्री रूपनाथ सिंह
यादव, श्री हुकम देव नारायण
यादवेन्द्रदत्त, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणजीत सिंह, श्री
राजदा, श्री रत्न सिंह
राम किंकर, श्री
रामजी सिंह, डा०
रामधन, श्री
लियाकत हुसैन, श्री सैयद
वर्मा, श्री तीरलाल प्रसाद
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद
वर्मा, श्री रवीन्द्र
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार

शास्त्री, श्री भानु कुमार
शाह, श्री सुरत बहादुर
शिव नारायण, श्री
शुक्ल, श्री चिमन भाई एच०
शुक्ल, श्री मदन लाल
शेजवलकर, श्री एन० के०
शेर सिंह, प्रो०
श्री कृष्ण सिंह, श्री
सत्पथी, श्री देवेन्द्र
सरकार, श्री शक्ति कुमार
सारण, श्री दौलतराम
साय, श्री लारंग
साय, श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव
सामन्त सिंहेरा, श्री पदमाचरण
सिकन्दर बख्त, श्री
सिंधा, श्री सचिन्द्र लाल
सिन्हा, श्री पूर्ण नारायण
सूरजभान, श्री
सैनी, श्री मनोहर लाल
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम
हरिकेश बहादुर, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मतदान का परिणाम* यह है ।

पक्ष में	30
विपक्ष में	105

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब हम आधे-घण्टे की चर्चा आरम्भ करेंगे । मैं नहीं समझता कि आपको अब मौका मिलेगा

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : यह अगली मद है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, केवल 6.30 बजे से 7.30 बजे तक ।

श्री सी० एम० स्टीफन : उसका क्या हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए मुझे कोई दिन निकालना होगा ।

*निम्नलिखित सदस्य ने भी मतदान किया ।

विपक्ष : डा० बापू कालदाते

श्री सी० एम० स्टीफन : आप हमें इसके लिए आश्वासन दें। यह अगली मद है।

अध्यक्ष महोदय : वचन आमतौर पर दे दिए जाते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : जी, नहीं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : इसे नियम 193 के ऊपर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : इस समय के लिए आधे-घण्टे की चर्चा दर्ज है। नियम 193 के अधीन मामले 6.30 से 7.30 तक लिए जायेंगे। आप कार्यसूची देखें। उसी के अनुसार काम होगा। में अभी कोई फैसला नहीं कर सकता। मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे (अकोला) : कम से कम हमें इसे पेश करने दें और और फिर आप समय निश्चित कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। मैं अगले सप्ताह कुछ समय निकालने का प्रयास करूंगा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मामले हमारे पास हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : इसे नियम 360 के अधीन मतदान के लिए रखा जा सकता था। हमें इसके लिए कुछ समय नियत करना चाहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : उन्हें पेश करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह नहीं हो सकता। इसके लिए मैं और कभी समय निकालूंगा।

(व्यवधान)

कार्य-सूची में यह 6.30 से 7.30 बजे तक के लिए है। अभी इसके बाद आधे-घण्टे की चर्चा है। इसके लिए मुझे और कभी समय निकालना होगा। आप इसे पेश नहीं कर सकते। यह नियम 193 के अधीन चर्चा का मामला है। इसे आज पेश करके किसी और दिन चर्चा के लिए नहीं लिया जा सकता।

इसलिए अब हम आधे-घण्टे की चर्चा लेंगे।

आधे घण्टे की चर्चा

स्वदेशी पोलीटेक्स लिमिटेड के विरुद्ध कथित आरोप

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्वदेशी पोलिटेक्स के बारे में कई बार इस सदन के अन्दर चर्चा चल चुकी है और कई बार इसके बारे में प्रश्न भी यहां आ चुके हैं। मिस्टर लकप्पा का स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड के बारे में जो अनस्टार्ट क्वेश्चन 3030 था, उसके उत्तर में जो इंफर्मेशन यहां दी गयी थी वह अपर्याप्त थी। इसी कारण इस पर डिस्कशन करने के लिए यह चर्चा मैं उठा रहा हूं।

मैं एक बात मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब ग्राप इकोनोमिक ग्राफेण्डर्स के लिए विशेष ग्रदालतों की व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि देश के ग्रन्दर इस प्रकार के ग्रार्थिक ग्रपराध न हों तो जो लोग मल्टी मिलियनर्स हैं, पैसे वाले हैं, धनाढय हैं, वे लोग जब इस प्रकार के ग्रार्थिक ग्रोफेंस करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही तत्काल क्यों नहीं की जाती ग्रौर उनसे पैसा वसूल करने में डिले क्यों की जाती है ? टाल-मटोल क्यों की जाती है ? इस सम्बन्ध में मन्त्री जी ने टाल-मटोल करने वाला उत्तर दिया है जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए था।

मैं ग्रापके सामने वह प्रश्न पढ़ कर सुनाता हूं जिसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दिया है । प्रश्न इस प्रकार है—

क्या यह सत्य है कि स्वदेशी पालिटिक्स लि०, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, ने कई ग्रपराध किए हैं तथा सरकारी धन का दुर्विनियोजन ग्रौर गबन किया है ? इस का मन्त्री जी ने उत्तर दिया था, स्वदेशी काटन मिल कं० लि० का कम्पनी ग्रधिनियम की धारा 408 के ग्रन्तर्गत कम्पनी की लेखा-पुस्तकों तथा धारा 209 (क) के ग्रधीन उसके लेखों का निरीक्षण किया गया। इसके फलस्वरूप प्रबन्धकों की ग्रोर से की गई कतिपय ग्रनियमितताएं सामने ग्राईं। निरीक्षण के फलस्वरूप मुख्यतः निम्नलिखित ग्रनियमिताएं पाई गईं :

उत्तर में उन्होंने बताया है कि ये इरेग्युलेरिटीज नहीं है बल्कि एम्बैजलमैंटस है । दो ग्रायातित बेलिंग प्रेसों का विद्यमान न होना। किन्हीं न्यासों को ब्याज मुक्त ऋण देना मैं मन्त्री महोदय से पूछता हूं कि इंटरेस्ट फ्री जो ग्रापने ट्रस्ट को पैसे दिए हैं क्या ग्राप नहीं बता सकते हैं कि किस किस ट्रस्ट को पैसे दिए हैं ग्रौर कितने कितने दिए हैं । सब चीज़ ग्राप एवायड करते गए हैं। कितना एमाउन्ट उस में इनवाल्व्ड है यह भी बताया नहीं है। चूंकि ये मल्टी मिलियनेयर हैं इस वास्ते ही क्या ग्राप ने सब चीज को एवायड नहीं कर दिया है ?

कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी को निहित सीमा से ग्रधिक माला में ग्रावास समेत सुख-सुविधायें प्रदान करना प्रबन्ध निदेशक ग्रौर उसके परिवार के सदस्यों के लिए चांदी के बर्तन खरीदना ।
चान्दी के बर्तन उन्होंने ग्रपने लिए खरीदे । कितने पैसे के खरीदे यह नहीं बताया । लाखों रुपये के थे करोड़ों के थे, कितने के थे नहीं बताया । सभी उत्तर वेग हैं । कतिपय पार्टियों को दूसरों की अपेक्षा कम दर पर उप-उत्पाद बेचना ।

यह भी एक ग्रेव चार्ज है ।
करार में किसी उपबन्ध के न होते हुए भी समाल एजटों, को ऋण देना ।
कितना उन्होंने एडवांस दिया है इसका भी कोई उत्तर नहीं है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें। ग्राप तीन या चार प्रश्न नहीं उठा सकते । ग्राप तो भाषण देने लगे हैं।

श्री भानु कुमार शास्त्री : इनक्वायरी ग्रारम्भ की इन्होंने 7 मार्च 78 को। उस समय इन्होंने कहा कि ग्राथोरिटीज ने इनक्वायरी की है ग्रौर 7-8 को समाप्त होने की सम्भावना है ।

कब समाप्त हुई इसका पता नहीं। समाप्त होने के बाद तो उनको इसकी रिपोर्ट सदन पटल पर रख देनी चाहिए थी और इन्होंने कहा था कि रखेंगे लेकिन रखी नहीं गई। क्यों नहीं रखी गई है इसको भी बताया जाए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण न दें। प्रश्न पूछें।

श्री भानु कुमार शास्त्री : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। यह भी आपने नहीं बताया कि इन्होंने टैक्स इवेशन कितना किया है, एमाउन्ट आप ने नहीं बताया है। इनकम टैक्स सेल्स टैक्स एक्साइज़ ड्यूटी आदि के मामलों में कितने की चोरी की है इसका भी उत्तर नहीं दिया गया ह। एक्साइज़ ड्यूटी में कितने का घोटाला हुआ है, गबन हुआ है नहीं बताया गया और रिकवरी में क्यों डिले हो रही है, यह भी नहीं बताया। एक्साइज़ ड्यूटी के बारे में कहा था कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है एक साल हो गया है। अब तक तो जानकारी आ गई होगी। क्यों अभी तक वह जानकारी सदन को नहीं दी गई है? लाखों रुपये की उन्होंने टैक्सों की चोरी की है। सेल्स टैक्स के बारे में यह कह दिया है कि यह राज्य सरकार का मामला है इस वास्ते हम जवाब नहीं दे सकते हैं।

सब से बड़ी चीटिंग कम्पनी ने यह की है कि इनके जो इक्विटी शेयर्ज़ थे वे बैंक के पास गिरवी थे, प्लेज्ड थे जिन को इन्होंने दूसरों को बच दिया क्या गिरवी वस्तु दूसरे को बेची जा सकती है? लाखों रुपया इसके अन्दर रहते हुए भी उसको वे ट्रांस्फर नहीं कर पाए। मेरे पास फोटो स्टेट कापीज़ हैं इक्विटी शेयर्ज़ की जो उन्होंने सेल आउट की हैं, गैर-कानूनी ढंग से की हैं। यह जो क्रिमिनल एक्ट था क्यों मन्त्री महोदय इस पर लिबरल एटीट्यूड ले रहे हैं और क्यों कुछ करना नही चाहते हैं?

ये चार पांच प्वाइंटस हैं जिन पर मैं चाहता हूं मन्त्री महोदय प्रकाश डालें और बतायें कि जो क्रिमिनल एक्ट्स उन्होंने किए हैं, उनके बारे में उनका क्या कहना है?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति-भूषण) : ये ही मुद्दे हैं जिन पर वह जानकारी चाहते हैं। सर्वप्रथम स्वदेशी पालीटेक्स लि० ने किन न्यासों को ब्याज मुक्त ऋण या धन दिया गया है। इस प्रकार के चार न्यास हैं—स्वदेशी पालिटेक्स लिमिटेड सीनियर आफिसर्स बेनेफिट ट्रस्ट, स्वदेशी पालिटेक्स जूनियर असिस्टेंस एण्ड सुपरवाइजर्स बेनेफिट ट्रस्ट, स्वदेशी पालिटेक्स वर्कर्स बेनेफिट ट्रस्ट और स्वदेशी पालिटेक्स लि० क्लेरिकल स्टाफ बेनेफिट ट्रस्ट। इन न्यासों को 20 लाख रु० का ब्याज मुक्त धन दिया गया। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अधीन स्वदेशी पालिटेक्स लि० के विरुद्ध सरकारी निदेशक नियुक्त करने के उद्देश्य से कार्यवाही लम्बित है। जिस निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्ष में सभा के समक्ष रख रहा हूं वे प्रथम दृष्टा मूल्यांकन के रूप में हैं। अन्तिम निष्कर्षों पर कम्पनी को सुने जाने का मौका दिए जाने के बाद ही पहुंचा जाएगा और तभी कोई कार्यवाही की जाएगी।

यह ठीक है कि 20 लाख रु० की ब्याज मुक्त रकम दी गई है और यह धन प्रथम दृष्टा कम्पनी का है। कम्पनी जिस ब्याज की हकदार थी वह उसे नहीं मिला। निरीक्षण प्रतिवेदन से पता चलता है कि इन ट्रस्टों ने इस धन का उपयोग इसी कम्पनी के शेयर बाजार से खरीदने के लिए किया। इसी से यह सन्देह पैदा हुआ कि जो कम्पनी

का प्रबन्ध चला रहे हैं वही उन शेयरों की खरीद कर कम्पनी के इस धन को लगाना चाहते हैं जिन पर वह उन वरिष्ट-अधिकारियों के माध्यम से नियंत्रण रख सकें जो इन न्यासों के न्यासी हैं, क्योंकि ये वरिष्ट अधिकारी उनके मातहत होते हैं। यदि ये न्यासी कम्पनी के धन से उसी कम्पनी के शेयर खरीदते हैं तो शायद प्रबन्ध यह समझता कि वे इस धन का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। इस मामले को भी 408 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही में शामिल किया जाएगा। इसकी सुनवाई के लिए शीघ्र ही तारीख निश्चित की गई है और अन्तिम निर्णय हो जाएगा।

दूसरा मुद्दा जिस पर जानकारी मांगी गई है वह है आवास सुविधा तथा अन्य प्रसुविधाएं प्रदान करने तथा चांदी के बर्तन देने के बारे में है । इन मामलों के बारे में निरीक्षण रिपोर्ट से जो बातें सामने आईं वे हैं कि कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री सीता राम जयपुरिया तथा उनके पुत्र और कम्पनी के मुख्य उप-कार्यकारी श्री अशोक जयपुरिया को 5000 रु० किराए वाला एक मकान दिया गया। इस मकान में एशो-आराम की बहुत सी चीजें है और इसके रख-रखाव पर भी बहुत अधिक खर्च किया जाता है। इसमें जो फर्नीचर दिया गया है उसकी कुल लागत 1,35,000 रु० बैठती है। इसके रख-रखाव, अर्थात् बिजली व्यय, टेलीफोन प्रभार आदि पर कम्पनी लगभग 80,000 रु० सालाना खर्च करती है । टेलीफोन आप्रेटर, ड्राइवर, मेहतर आदि की सेवाओं पर कम्पनी 65,000 रु० वार्षिक खर्च करती है, इसके विपरीत श्री सीताराम जयपुरिया को अधिकतम 20,000 रु० प्रतिवर्ष विशेष सुविधाओं के रूप में दिया जा सकता है और श्री अशोक जयपुरिया को 12,000 रु० मिल सकता है इस प्रकार इस 32,000 रु० की कुल रकम के मुकाबले उनकी सुख-सुविधाओं पर उपर्युक्त धन खर्च किया जा रहा है।

जहां तक उप-उत्पाद का अन्य पार्टियों के बेचे जाने का प्रश्न है, निरीक्षण रिपोर्ट से प्रथमदृष्टा यह बात सामने आई है कि कम्पनी कतिपय पार्टियों को ये मेथानल अन्य पार्टियों की अपेक्षा कम कीमत पर बेचती रही हैं ।

1972-73 में मैथनोल मैसर्स इन्डिया प्लाइवुड लिमिटेड को जहां 2700 से 3000 रुपये प्रतिटन के भाव से बेची गई वहीं यह मैसर्स न्यूचम प्लासटिक्स लिमिटेड और मैसर्स टंडन कैमिकल्स इन्डस्ट्री को 1150 रुपये प्रति टन के भाव से बेची गई। आगामी वर्षों में भी यही प्रवृत्ति रही। अत: प्रथम दृष्टि में ही यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मैथेनोल बेचने के मामले में कुछ पक्षों के साथ पक्षपात किया गया है जिससे कम्पनी को काफी नुकसान हुआ है।

दूसरा मामला चांदी के बर्तनों की खरीद के बारे में है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन से पता चला है कि कम्पनी ने प्रबन्धनिदेशक और उनके परिवार के सदस्यों के प्रयोग के लिए 1.76 लाख रुपये के चांदी के बर्तन खरीदे जो कि कम्पनी के हित में नहीं हैं।

जहां तक हैंडलिंग ऐजेंटों का सम्बन्ध है, निस्सन्देह वे पोलिएस्टर फाइबर की बिक्री बढ़ाने के लिए थे और उन्हें कम्पनी द्वारा संगत आदेश स्वीकृत किए जाने तथा उसे

लागू किए जाने के समय वस्तुओं के शुद्ध फैक्टरी मूल्य के 1 प्रतिशत कमीशन या 30 पैसे प्रतिकिलो ग्राम, जो भी कम था, पर नियुक्त किया गया था।

कम्पनी ने कुल 10 उत्पाद-संवर्धकों की नियुक्ति की और उन्हें 1973-74 में 9,23,653 रुपये का भुगतान किया। 1974-75 में 10,09,008 रुपये का और 1975-76 में 12,15,196 रुपये का भगतान किया। अतः उत्पाद प्रोत्साहकों को दिया गया धन बहुत अधिक था। निरीक्षण प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि इन तथाकथित उत्पाद-संवर्धकों द्वारा किया गया कार्य भ्रान्तिपूर्ण था क्योंकि कम्पनी का तो अपना ही विपणन प्रभाग है। अतः इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक 'हैन्डलिंग ऐजेंटों' का सम्बन्ध है, कम्पनी ने मैसर्स प्रताप कमशियल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को इंडिया पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से खरीदे गए कच्चे माल के लिए हैंडलिंग एजेंट नियुक्त किया और 1974-75 और 1975-76 में 98,690 रुपये हैन्डलिंग कमीशन के रूप में दिए। कम्पनी ने उपर्युक्त हैन्डलिंग एजेंट को करार में इस तरह के भुगतान के लिए उपबन्ध के न होते हुए भी 5 लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में दिए। हैन्डलिंग एजेंट को अग्रिम भुगतान करना प्रथम दृष्टि में अनावश्यक था।

जहां तक उत्पाद शुल्क न देने का सम्बन्ध है, रिपोर्ट में केन्द्रीय उत्पादशुल्क और आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गए कुछ छापों का भी उल्लेख किया गया है जिनमें जानबूझकर करापवंचन किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कम्पनी ने जून, 1976 में मैसर्स एलाइड ट्रेडिंग कारपोरेशन कलकत्ता को 10,000 किलो 'अनकट क्रिम्पड वेस्ट' बेचा जिसने आगे इसे मैसर्स ईस्टर्न स्पीनिंग मिल्स लि० कलकत्ता को बेच दिया। इसका प्रयोग मैसर्स ईस्टर्न स्पीनिंग मिल्स लि० को अन्य फाइबर के साथ मिश्रित करके धागे के उत्पादन के लिए करना था। बताया गया है कि अगस्त, 1976 में कलकत्ता के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों ने इसी सामान को मैसर्स ईस्टर्न स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड से बरामद किया और इसका विश्लेषण कैमिकल इंजीनियर, सीमाकर भवन, कलकत्ता से करवाया और इससे पता चला कि तथाकथित अपशेष पदार्थ फाइबर ही था और अवशेष नहीं। केन्द्रीय उत्पादशुल्क, गाजियाबाद के सहायक समाहर्ता ने 20-1-77 को कम्पनी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करने के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया। निरीक्षण रिपोर्ट में इस आधार पर इस आरोप के सही होने या गलत होने का निष्कर्ष नहीं दिया गया कि कम्पनी के अनुसार इस बात का पता नहीं चला कि एलाइड ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा मैसर्स इस्टर्न स्पीनिंग मिल्स लिमिटेड को बेचा गया माल वही था जो कम्पनी ने उत्पादित किया था। धारा 408 के अधीन दिए गए कारण बताओ नोटिस में इस मद को निरीक्षक द्वारा विशिष्ट निष्कर्ष न निकाल पाने के कारण शामिल नहीं किया गया इस का एक कारण यह भी था कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्ता, कानपुर ने 3-7-78 को कम्पनी के नाम एक कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किया हुआ था।

श्री भानुकुमार शास्त्री : शो काज़ नोटिस में एक्साइज ड्यूटी कितनी बताई गई है?

श्री शांति भूषण : इसका पता नहीं है। इसका हिसाब लगाना पड़ेगा। यह काम वित्त मन्त्रालय के अधीन उत्पाद-शुल्क विभाग द्वारा किया जाएगा। वे इसकी जांच कर रहे हैं। जब तक मामले पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया जाता मैं कुछ नहीं कह सकता। परन्तु मात्रा 10,000 किलो थी।

इसी प्रकार जहां तक करापवंचन का सम्बन्ध है, निरीक्षक रिपोर्ट में कहा गया है कि 24-12-75 और 26-6-76 को आयकर विभाग ने तलाशी ली और माल बरामद किया और इसके पश्चात् आयकर अधिनियम की धारा 142 (2क) के अधीन, निर्धारण वर्ष 1974-75 से 1976-77 तक के कम्पनी के खातों की लेखा परीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट ने आदेश दिया। निरीक्षण रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट ने इस आधार है, कि कम्पनी के विरुद्ध कई आरोप हैं और मामला निर्णयाधीन है, विशेष लेखापरीक्षा करने से इन्कार कर दिया।

इन मामलों के सम्बन्ध में स्थिति यह है। परन्तु धारा 408 के अधीन वैयक्तिक सुनवाई की तारीख मई में निश्चित कर दी गई है अतः अन्तिम स्थिति पूरी सुनवाई के बाद और कम्पनी को अपनी बात कहने के लिए अवसर देने के पश्चात् ही सामने आयेगी।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, इकानामिक टाइम्ज में प्रकाशित एक समाचार इस प्रकार है :

> "स्वदेशी पालिटेक्स, टाटा फिनले, इंडियन आरगेनिक एक्सल जैसे बड़े लघु उद्योगों का कार्य अच्छा रहा है और कईयों में रिकार्ड उत्पादन हुआ है"

इसके सन्दर्भ में मैं देखता हूं कि यह दो भाइयों का झगड़ा मात्र है। सरकारी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार स्वदेशी पालिटेक्स 40 करोड़ का धन्धा करने वाला उद्योग है, जिसमें 750 वर्कर्ज काम करते हैं।

तो इस सन्दर्भ में देखते हैं कि न मजदूरों का बकाया है और न प्राविडेंट फंड का बकाया है, हम को कुछ वर्करों ने बताया है कि कोई इस में मिसमैनेजमेंट नहीं है। यह दो भाईयों की लड़ाई के कारण इस को घसीटा जा रहा है। तो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स जितने हैं क्या वे कम्पन के अपने आदमी है या बाहर के आदमी हैं और क्या यह कारखाना प्राफिट में रन कर रहा है या मजदूरों का कोई बकाया है? प्राविडेंट फंड या उनकी वेजेज़ का पैसा क्या बकाया है या बिलकुल क्लीअर होता जा रहा है? अगर ऐसा है तो इसको अननेसेसरिली मिसमैनेजड कह कर के तंग करना और इस को भी सीज़ कर लेना और फिर जिस तरह से स्वदेशी काटन मिल बन्द हो गई और घाटे में चल रही है उसी तरह इस को भी कर देना, क्या यह उचित होगा?

श्री शांति भूषण : माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया कि इस कम्पनी, स्वदेशी पालिटेक लिमिटेड को घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है तो इस कम्पनी के बारे में ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि इस में घाटा हो रहा है, इसको तो फायदा ही हो

रहा है। इस में डाइरेक्टर हैं, मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने बात उठाई भाइयों के झगड़े की तो भाइयों के झगड़े से 408 की जो प्रोसीडिंग्स हैं इन का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी कम्पनी में फायदा भी हो रहा है लेकिन फिर भी उसका मैनेजमेंट अगर गलत काम करे और इस तरह का काम करे कि जो कम्पनी के हित में नहीं है तब भी उसमें देखना होता है कि इसमें किसी कार्य-वाही की आवश्यकता है या नहीं? सिर्फ यही नहीं है कि कोई नुक्सान ही हो रहा हो तभी यह किया जाये? क्योंकि फायदा और ज्यादा होना चाहिए अगर उसका रुपया कोई इधर उधर न किया जायें, कोई बेईमानी न की जाये, कोई भी गड़बड़ न की जाये जिस से कि कम्पनी के शेयर होल्डरों को नुकसान हो तब तो दूसरी बात है। लेकिन अगर फायदा भी हो रहा है फिर भी कोई ऐसा काम मैनेजमेंट करता है तो सरकार को उस में कुछ कार्यवाही करनी होगी। इसीलिए 408 की प्रोसीडिंग चल रही है।

श्री भानु कुमार शास्त्री : मैंने जो यह प्रश्न पूछा है इसका उत्तर नहीं आया।

श्री शांति भूषण : उस के बारे में अभी मुझ को जानकारी नहीं है। मैं उस के बारे में जानकारी करने की कोशिश करूंगा।

डा० रामजी सिंह : समय की कमी की वजह से मैं केवल एक ही बात कानून मंत्री से जानना चाहता हूं। कम्पनी ऐक्ट के सेक्शन 408 और 209 के मुताबिक प्राइमा-फेसी के 9 चार्ज लगाए गए हैं और ये 9 चार्ज देखने में काफी गम्भीर लग रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार समझती है कि इस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाय? यदि आप समझते हैं कि इसमें कोई कानूनी अड़चन है क्योंकि आप ने नौ चार्ज लगाए हैं, इन से गम्भीर चार्ज कम्पनीज ऐक्ट में और कोई हो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि यह ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता है तो क्या आप सदन को आश्वस्त करेंगे, जैसा कि अभी आप ने कहा कि मई महीने में इस का फैसला होने वाला है तो जिस तरह से बिरला कम्पनी का फैसला 30 वर्ष में नहीं हुआ उसी तरह इसका भी हाल न हो उसके लिए क्या आप सदन को आश्वस्त करेंगे कि 6 महीने के अन्दर इस मामले को सरकार चाहे जिस प्रकार से तय कर देगी?

श्री शांतिभूषण : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि ये गम्भीर चार्जेज़ हैं और इसमें ब्लैक लिस्ट वाली बात को उन्होंने उठाया तो कम्पनीज़ ऐक्ट में और कम्पनी अफेयर्स में कोई ब्लैक लिस्ट करने का सवाल नहीं आता है। अगर एक फैक्टरी बनी हुई है जिसमें अच्छी मशीनें हैं, अच्छा उत्पादन हो सकता है, अच्छा फायदा हो सकता है लेकिन अगर उसके मैनेजमेंट ने मैनेजिंग डायरेक्टर ने कुछ गलत काम किया है तो उस का उपाय यह होगा कि 408 के अन्दर उसमें सरकार की तरफ से ऐसे डायरेक्टर बना दिए जायें जिस से वह गलत काम बन्द हो जायें। तो उस दिशा में यह कार्यवाही 408 की हो रही है। उस पर क्या ऐक्शन लिया जायगा यह तो इस पर मुनहसर होगा कि हीअरिंग होने के बाद क्या नतीजा निकला है, क्या फैसला होता है, ये चार्जेज़ सही पाये जाते हैं, इसमें कोई दोष पाया जाता है, इसके ऊपर नतीजा निर्भर करेगा।

उन्होंने यह कहा है कि मई की तारीख लगायी है तो क्या कोई ऐसा आश्वासन दिया जा सकता है कि मई में ही यह फैसला हो जायगा, तो मैं समझता हूं कि आशा तो यही करनी चाहिए कि जब मई की तारीख लगाई गई है तो मई में ही फैसला हो जायगा। कम से कम पूरी कोशिश इस बात की की जायगी कि जल्दी से जल्दी इसमें फाइनल कार्यवाही हो जाये।

मध्यान्ह पश्चात 8.10 बजे

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 14 मई 1979/24 वैशाख 1901 (शक) के 10-30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

299 एल० एस० एस०/79